ऊर्जा से प्रगति जन जन की समृद्धि

वार्षिक रिपोर्ट 2008–09

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

विषय सूची

1. कंपनी के बारे में सूचना 2
2. निदेशक मंडल 3
3. कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें 4
4. मिशन एवं उद्देश्य 6
5. शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र 7
6. वार्षिक महासभा की सूचना 10
7. निदेशकों का परिचय 17
8. निदेशकों की रिपोर्ट 19
9. प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 37
10. निगमित सुशासन पर रिपोर्ट 41
11. निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र 49
12. तुलन-पत्र 50
13. लाभ एवं हानि लेखा 51
14. अनुसूचियां 52
15. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 67
16. नकदी प्रवाह विवरण 69
17. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 71
18. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 74
19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 75
20. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में विवरण 76
21. सहायक कंपनियां 77
22. समेकित वित्तीय विवरण 101
23. प्रबंधन दल 120
24. आरईसी के कार्यालयों के पते 122

कंपनी के बारे में सूचना

कारपोरेट कार्यालय

श्री पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री गुलजीत कपूर
निदेशक (तकनीकी)

श्री राजेश वर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री रमा रमण
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण/प्रशासन)

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मानव संसाधन)

श्री बी.पी. यादव
कार्यकारी निदेशक
(आं.ले.प./आई.टी)

श्री कमल दयानी
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई)

श्री वी.के.अरोड़ा
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री बी.आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

श्री पी.जे. ठक्कर
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री सुबोध गर्ग
महाप्रबंधक
(डीडीजी/मा.सं.)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री अशोक अवस्थी
महाप्रबंधक
(आईसी एंड डी/सीपी/बीडी/पीएंडसी/ प्रशा.)

श्री संजीव गर्ग
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री सुनील कुमार
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री एस.एन.गायकवाड़
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री आर.के. मित्तल
महाप्रबंधक
(विधि)

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल, मुंबई
श्री डी.एस. अहलूवालिया
आंचलिक प्रबंधक

मध्य अंचल, जबलपुर
श्री दिनेश कुमार
आंचलिक प्रबंधक

उत्तरी अंचल, पंचकुला
श्री वी.के. शर्मा
आंचलिक प्रबंधक

पूर्वी अंचल, कोलकाता
श्री एस.घोष दस्तीदार
आंचलिक प्रबंधक

पूर्व मध्य अंचल, लखनऊ
श्री के.डी. चौधरी
आंचलिक प्रबंधक

दक्षिणी अंचल, हैदराबाद
श्री रमेश कोडे
आंचलिक प्रबंधक

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003,
दूरभाषः 91 11 24365161, फैक्स : 91 11 24360644, ई-मेल : reccorp@recl.nic.in,
वेबसाइट : www. recindia.nic.in

कंपनी सचिव

श्री बी. आर. रघुनंदन

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500081, भारत, दूरभाषः 91 40 23420815-824
फैक्सः 91 40 23420814, ई-मेलः einward.ris@karvy.com, वेबसाइटः www. karvy.com

शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपाजिटरी

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक

जी.एस. माथुर एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजया बैक
देना बैंक
कारपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
सिंडिकेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
ऐक्सिस बैंक
कोटेक महिन्द्रा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

आरईसी की सहायक कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री गुलजीत कपूर
निदेशक (तकनीकी)

श्री देवेन्द्र सिंह
निदेशक (सरकारी नामिती)

श्री वेणुगोपाल एन. धूत
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. एम. गोविन्द राव
स्वतंत्र निदेशक

श्री पी.आर. बालसुब्रामणियन
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. देवी सिंह
स्वतंत्र निदेशक

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें

पिछले 10 वर्षों के दौरान सतत् विकास

विवरण	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00
संसाधन										
(वर्ष के अंत में)										
इक्विटी पूंजी (लाख रुपए)	**85866**	85866	78060	78060	78060	78060	78060	78060	73060	68060
उधार (लाख रुपए)										
भारत सरकार से	**6474**	8192	10048	11997	14017	118336	220341	480947	566779	559894
बांड जारी करके	**3263148**	2408962	2248372	1675724	1360591	1197511	1049404	671927	372068	277573
भारतीय जीवन बीमा निगम से	**335000**	350000	350000	350000	350000	150000	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा उधार	**149368**	104845	87209	-	-	-	-	-	-	-
वाणिज्यिक दस्तावेजों से	**129500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य बैंक	**610105**	556230	332471	366200	213200	44000	20000	21000	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष (निवल)	**533142**	450904	323211	341773	299830	248377	208105	168570	141769	121105
वित्तीय प्रचालन										
(वर्ष के दौरान) (लाख रुपए)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**506**	881	748	661	1523	1322	1060	979	1301	1379
स्वीकृत वित्तीय सहायता	***4074584**	*4676976	*2862985	ǀ1659689	1631636	1597791	1212534	676394	630809	467820
संवितरण	**2227786**	1630370	1373299	800658	788509	601704	660664	472193	410922	305105
उधारकर्ताओं द्वारा वापस-अदायगी	**511936**	606987	403444	350646	468324	358732	471594	266998	216262	155259
वर्ष के अंत में बकाया	**5065281**	3861483	3126218	2456368	2106218	1830470	1593565	1418534	1218919	1029368
उपलब्धियां										
विद्युतीकृत गांव										
वर्ष के दौरान	^**48533**	#38262	✦40233	181	765	122	-	207	581	1996
वर्ष के अंत तक	**443207**	394674	⅄356412	306010	305829	305064	304942	304942	304735	304154
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	**188743**	181244	174750	182239	175772	132914	134583	139917	206071	252877
वर्ष के अंत तक	**9110230**	8921487	8740243	8565493	8383254	8207482	8074568	7939985	7800068	7593997
कार्यकारी परिणाम										
(वर्ष के लिए) (लाख रुपए)										
कुल आय	**493128**	353766	285399	224506	230209	199671	205389	166466	141961	129401
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	**10924**	11112	6416	5770	4434	4659	5866	4972	3141	2544
उधारों पर ब्याज	**288735**	206272	174089	133913	120475	114220	120274	109879	93216	79189
मूल्यह्रास	**136**	138	113	110	115	103	104	151	621	623
कर पूर्व लाभ	**192011**	131242	100619	82983	103665	80154	76663	50120	44647	41936
कर के लिए प्रावधान	**64803**	45227	34593	19232	23590	18915	18811	11355	10958	10502
कर पश्चात् लाभ	**127208**	86014	66026	63751	80075	61239	57852	38765	33690	31434
इक्विटी पर लाभांश	**38640**	25759	17700	19126	23450	18300	17400	12000	6700	5000
निवल मूल्य	**619008**	536771	401271	419833	377890	326437	286165	246630	214829	189165

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनुदान को छोड़कर।

^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 36477 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 28961 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

✦ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। इसमें 11,527 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

⅄ वर्ष 2005-06 के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10,169 गांव (350 विद्युतीकृत गांवों में सघन विद्युतीकरण सहित) भी शामिल है, जिनमें कार्य पूरा किया गया।

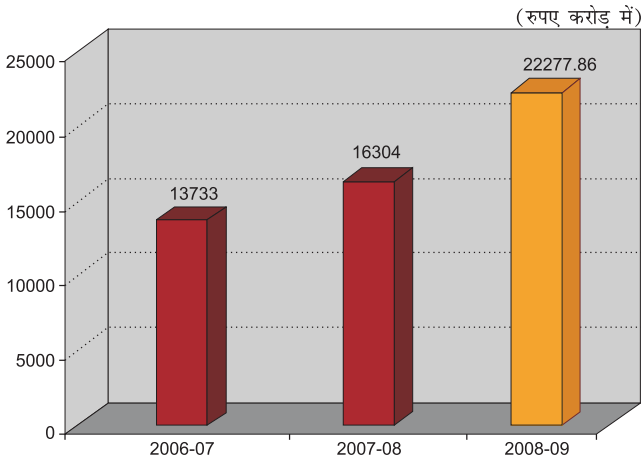

संवितरण (आरजीजीवीवाई सब्सिडी सहित)

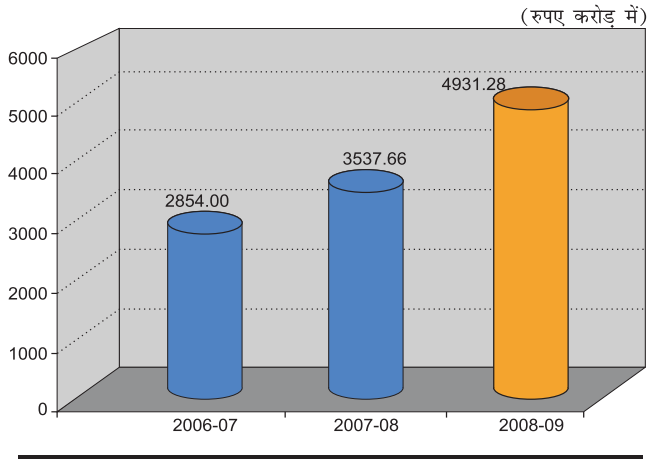

कुल आय

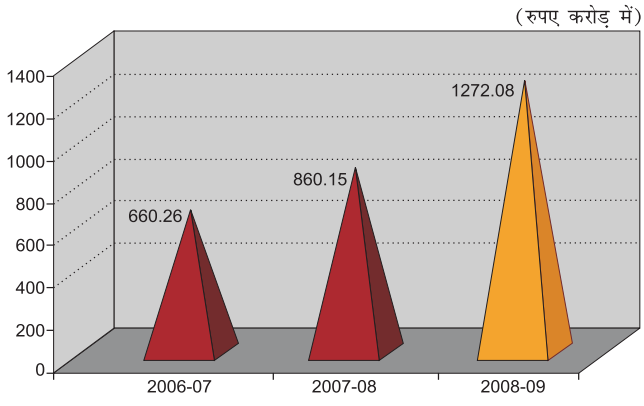

कर पश्चात लाभ

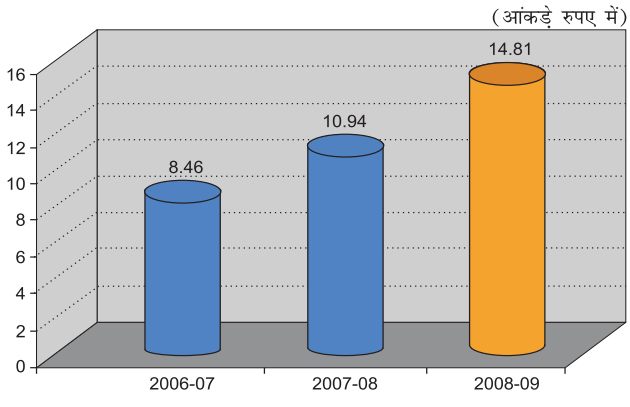

10 रुपए वाले प्रत्येक शेयर पर अर्जन

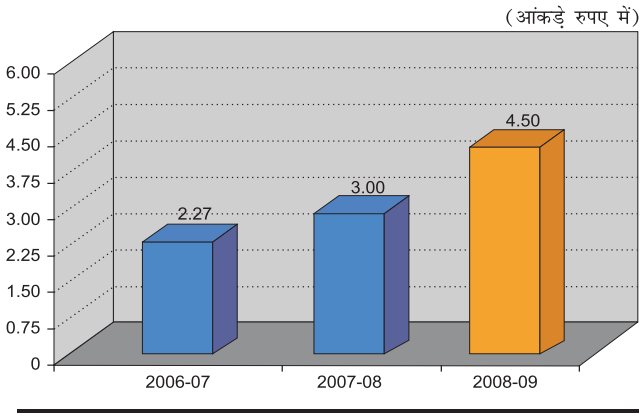

10 रुपए वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर लाभांश

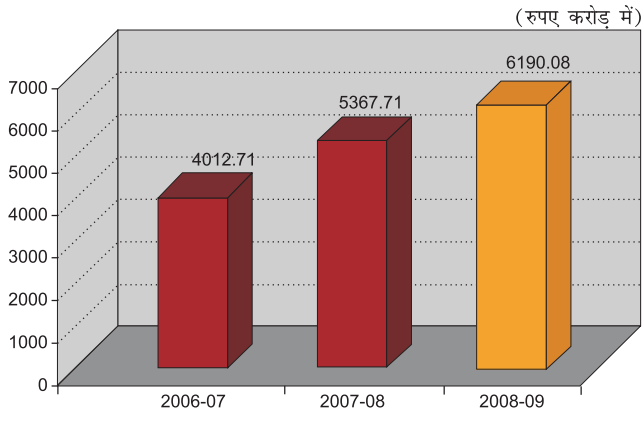

निवल मूल्य

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरचना, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहकों का ध्यान रखने वाली विकास परक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

- समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेन्द्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन करना।
- दूर-दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।
- निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित जैसे निगमित लक्ष्य पूरे करना :

  (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना;

  (ii) बिजली की मांग का विकास;

  (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और

  (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।
- प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटीलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र

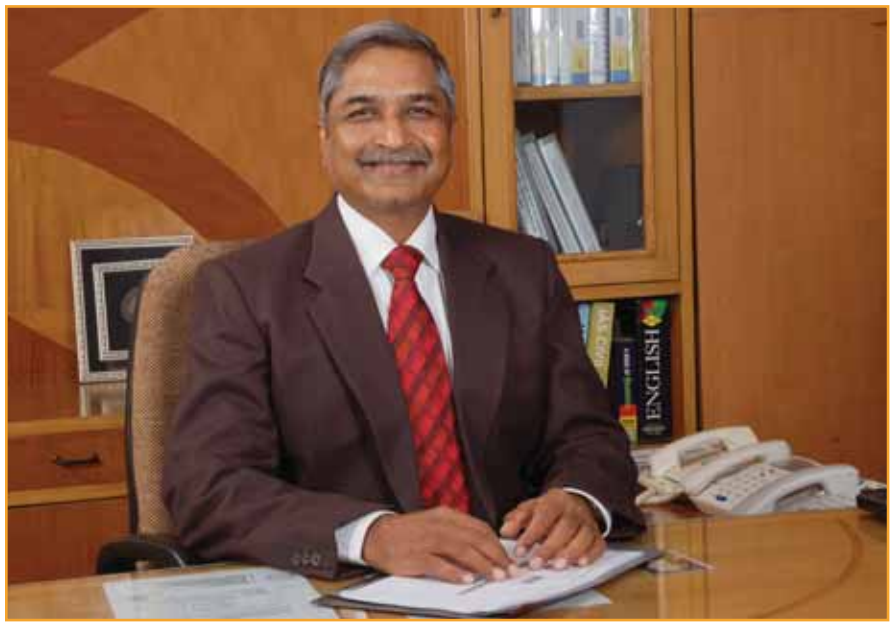

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

देवियो और सज्जनो

कंपनी की चालीसवीं वार्षिक महासभा के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

आर्थिक पर्यावरण

बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में बढ़ती मुश्किलों के उपरांत सितंबर-2008 के मध्य में विश्व परिवेश एक संकट कालीन अवस्था में प्रवेश कर चुका था। अभूतपूर्व विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव भारतीय आर्थिक निष्पादन पर भी दिखाई दिया। इसके कारण अर्थव्यवस्था के कई चालक मंद पड़े और प्रगति की रफ्तार कुछ धीमी हुई। तथापि, सरकार के अन्य प्रतिबद्ध खर्चों और राजकोषीय प्रोत्साहक उपायों के कारण विकास दर में कमी कुछ दूर हुई। विभिन्न चुनौतियों, विशेषकर विश्व अर्थव्यवस्था वाली चुनौतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत सुनम्य रही और इसके वित्तीय संस्थान तथा निजी कारपोरेट क्षेत्र मजबूत और सक्षम बने रहे। साथ ही, आर्थिक समष्टिभाव प्रबंधन ने, विभिन्न उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के वित्तीय तथा रियलिटी क्षेत्र, दोनों में, ज्यादा उथल पुथल रोकने में सहायता की।

विद्युत क्षेत्र

अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए विद्युत क्षेत्र अति महत्वपूर्ण अपेक्षित घटकों में एक है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण, 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में कुछ गिरावट आई, लेकिन अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों की तुलना में विद्युत क्षेत्र कम प्रभावित हुआ तथा नयी और चल रही परियोजनाओं हेतु पूंजी तथा ऋण जुटाने में कर्ज़दारों का सामर्थ्य यथावत बना रहा।

वर्ष 2008-09 में, विद्युत उत्पादन 704.45 बिलियन यूनिट (बीयू) से 723.56 बिलियन यूनिट 2.71% बढ़ा, जबकि उसी अवधि के दौरान मांग वृद्धि 739.35 बिलियन यूनिट से 774.32 बिलियन यूनिट हो गई। वार्षिक ऊर्जा में कमी बढ़ कर पिछले वर्ष के 9.9% के मुकाबले 11% हो गई, हालांकि, व्यस्ततम दौर में कमी पिछले वर्ष के 16.6% से घटकर वर्ष 2008-09 में 12% पर आ गई। ग्यारहवीं योजना के अंत तक विद्युत पर कार्य समूह द्वारा अनुमानित कुल विद्युत मांग 1038 बिलियन यूनिट है। व्यस्ततम अवधि में मांग का अनुमान 151000 मेगावाट है। अनुमानित विद्युत मांग की जरूरत पूरी करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान क्षमता संवर्धन हेतु 78577 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। बारहवीं योजना के दौरान क्षमता संवर्धन इससे भी ज्यादा होगा।

ग्यारहवी योजना हेतु अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अनुमानित रुपए 10316 बिलियन के निवेश की संभावना, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए क्षमता वृद्धि, विद्यमान बिजलीघरों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, पारेषण तथा मूल सुविधाओं के विस्तार एवं अद्यतन बनाने, विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन इत्यादि के लिए निधियां शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले तीन मुख्य घटक हैं- विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बिजली उत्पादन परियोजनाओं हेतु निधियों की कुल आवश्यकता 4,108,960 मिलियन होने का अनुमान है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के लिए रुपए 2,020,670 मिलियन, राज्य क्षेत्र के लिए 1,237,920 मिलियन और प्राइवेट क्षेत्र के लिए रुपए 850,370 मिलियन शामिल है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पारेषण तंत्र के विकास और संबंधित योजनाओं के लिए अनुमानित निवेश रुपए 1,400,000 मिलियन होगा, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के लिए रुपए 750,000 मिलियन तथा राज्य क्षेत्र के लिए रुपए 650,000 मिलियन शामिल है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप-पारेषण तथा वितरण तंत्र के विकास हेतु 2,870,000 करोड़ रुपए की निधियों की जरूरत होने का अनुमान है। इसमें एपीडीआरपी तथा आरजीजीवीवाई योजनाएं भी शामिल है।

इस प्रकार आगामी वर्षों में विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के बहुत ज्यादा अवसर हैं। आपकी कंपनी का इन विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण में एक बड़ा हिस्सा रहेगा। इसके अलावा, आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के तहत निधियों को आगे पहुंचाने और इसके इस्तेमाल पर नजर रखने वाली नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण की सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी लेना जारी रखेगी तथा ''2012 तक सबके लिए बिजली'' के मिशन में योगदान देगी।

कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

समीक्षाधीन वर्ष 2008-09 के दौरान आपकी कंपनी ने ऋणों के संवितरण, वसूलियों, प्रचालन आय तथा लाभों के मुख्य क्षेत्रों में, कार्यनिष्पादन में लगातार रिकार्ड कायम किया तथा उच्च वृद्धि दर्ज की। 2008-09 के दौरान संवितरित कुल राशि 37% बढ़कर रुपए 22277.86 करोड़ थी। इससे पहले वाले वर्ष यह रुपए 16304 करोड़ थी, जिसमें आरजीजीवीवाई के तहत सब्सिडी शामिल है। इससे पहले वाले वर्ष के रुपए 9042 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान रुपए 9796.97 करोड़ राशि की वसूलियां की गयी। प्रचालन आय पिछले वर्ष रुपए 3378.21 करोड़ की तुलना में 41% बढ़कर रुपए 4757.17 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष रुपए 1312.42 करोड़ की तुलना में कर पूर्व लाभ 46% बढ़कर रुपए 1920.11 करोड़ हो गया। कर उपरांत लाभ पिछले वर्ष रुपए 860.15 करोड़ की तुलना में 48% बढ़कर रुपए 1272.08 करोड़ हो गया।

आपके निदेशकों ने मार्च 2009 में प्रदत्त रुपए 2/- प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, वर्ष 2008-09 के लिए रुपए 2.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इस प्रकार वर्ष 2008-09 के लिए कुल लाभांश रुपए 4.50 प्रति शेयर है, जो पिछले वर्ष प्रदत्त रुपए 3/- प्रति शेयर की तुलना में 50% अधिक है।

संसाधन संग्रहण

वर्ष 2008-09 के दौरान आपकी कंपनी ने बाजार से रुपए 14,895 करोड़ जुटाए। इसमें वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, पूंजीगत लाभ कर मुक्त बॉण्डों का निर्गम, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड तथा कमर्शियल पेपर, क्रेडिटनस्टेट फर वीडरॉफबॉ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी तथा जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से शासकीय विकास सहायता (ओडीए) सम्मिलित हैं। कंपनी के घरेलू ऋण लिखतों को श्रेणी निर्धारक एजेंसियों क्रिसिल, केयर, फिच तथा आईसीआरए से 'एएए' श्रेणी-उच्चतम क्रेडिट रेटिंग मिलनी जारी रही। आपकी कंपनी को मूडी तथा फिच, जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट श्रेणी निर्धारण एजेंसियों से भारत के सावरेन रेटिंग के समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट श्रेणी निर्धारण भी प्राप्त है, जो क्रमशः 'बीएए3' तथा 'बीबीबी' है।

आपकी कंपनी ऋणदाता एजेंसियों तथा भारत सरकार से लिए गए ऋणों की तुरंत सर्विस तथा चुकौती कर रही है। कंपनी परिपक्वता पर बॉण्डों की शीघ्रता से अदायगी कर रही है तथा ऋण की समग्र लागत को घटाने के लिए बॉण्डों और उच्च लागत वाले कुछ ऋणों की समय पूर्व अदायगी कर रही है।

ग्यारहवीं योजना अवधि में विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण की बढ़ती माँग पूरी करने के लिए, कंपनी ने अपने उधारी कार्यक्रम को स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता एजेंसियों के अनुरूप तैयार किया है।

विद्युत उत्पादन वित्तपोषण

वर्ष 2008-09 के दौरान, कंपनी ने, अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर, रुपए 21525.31 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय से 20 नये विद्युत उत्पादन/नवीकरण और आधुनिकीकरण ऋण तथा 3 अतिरिक्त ऋण मंजूर किए हैं। उसने चल रही परियोजनाओं के लिए रुपए 7850.56 करोड़ संवितरित किया है। वर्ष 2002-03 से 31.03.2009 तक, कंपनी ने नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, तापीय तथा पन-बिजली उत्पादन परियोजनाओं के लिए रुपए 79527 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

पारेषण एवं वितरण हेतु वित्तपोषण

आपकी कंपनी नई अवसंरचना का सृजन करने में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है तथा देश में पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के अंतर्गत विद्यमान तंत्र को सुधार और नए का सृजन कर रही है। वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत उपलब्ध कराने तथा एटी एवं सी क्षतियों को कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप, आपकी कंपनी पारेषण नेटवर्क का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ बनाने तथा विशेषकर वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए योजनाओं को वित्तपोषित करने का काम करती है। वर्ष 2008-09 के दौरान, कंपनी ने पारेषण तथा वितरण परियोजनाओं के लिए रुपए 16037.24 करोड़ की राशि मंजूर की तथा रुपए 6687.33 करोड़ की कुल राशि संवितरित की।

विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) हेतु वित्तपोषण

31.03.2009 तक आपकी कंपनी ने, रुपए 628.87 करोड़ की कुल ऋण राशि के साथ 21 डीडीजी परियोजनाओं को मंजूर किया तथा रुपए 347.08 करोड़ संवितरित किए। 21 परियोजनाओं में से 36.60 मेगावाट क्षमता वाली 8 परियोजनाओं को चालू किया जा चुका है तथा 152.70 मेगावाट क्षमता वाली शेष 13 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

आरजीजीवीवाई

अप्रैल 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, पांच वर्षों में सभी आवासों में बिजली की पहुंच उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम लक्ष्य के लिए, आपकी कंपनी को इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का निरीक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी नियुक्त किया गया। आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के तहत, 31.03.2009 तक संचयी रूप से 1,37,488 गांवों (59882 अविद्युतीकृत तथा 77606 विद्युतीकृत गांव) में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 53.78 लाख बीपीएल आवासियों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, कंपनी ने रुपए 5120.52 करोड़ की सरकारी सब्सिडी तथा रुपए 579.45 करोड़ के ऋण घटक सहित रुपए 5699.97 करोड़ की कुल राशि का संवितरण किया।

अनुषंगी कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल), जो आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व की एक अनुषंगी कंपनी है, को टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दो पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशाधीन किया गया था। ये दो परियोजनाएं है- नार्थ कर्णपुरा एवं अन्य प्रोजेक्टों से विद्युत आयात करने तथा तलचर-II ट्रांसमिशन सिस्टम का आवर्धन करने के लिए उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में तंत्र को मजबूत करने के लिए हैं। ये परियोजनाएं, योग्यता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) तथा प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के दो स्तर पर आधारित प्रक्रिया के उपरांत निर्माण, स्वामित्व, परिचालन तथा अनुरक्षण (बीओओएम), के आधार पर कार्यान्वित होंगी। नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल) तथा तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल) नामक दो प्रोजेक्ट- विनिर्दिष्ट एसपीवी बनाई गई है। सीईआरसी द्वारा विकासकर्ता को लाइसेंस प्रदान किए जाने पर इनका पारेषण प्रणाली के ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के साथ विलय हो जाएगा। प्रस्ताव के लिए अनुरोध के प्रसंस्करण तथा लघुसूचीयन के उपरांत प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) देने के पत्र जारी किए गए।

आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व की एक अन्य कंपनी आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), ने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत टर्नकी आधार पर प्रदान किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के थर्ड पार्टी गुणता अनुवीक्षण, सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करने के लिए 13 डिस्कॉमों तथा 4 आरई-सहकारी समितियों से आदेश प्राप्त किए है, जिसमें लगभग रुपए 1868 करोड़ की संचयी परियोजना लागत के साथ 9 राज्यों के 71 जिलों में लगभग 34,934 गांव शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरे होने पर, आरईसीपीडीसीएल लगभग रुपए 31 करोड़ का परामर्श शुल्क प्राप्त करेगा। वर्ष 2008-09 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल रुपए 5.27 करोड़ की आय तथा कर उपरांत लाभ रुपए 1.42 करोड़ का सृजन करने तथा रुपए 5 लाख की प्रदत्त पूंजी पर 100% लाभांश देने की घोषणा करने में सक्षम हुआ है।

निगमित सुशासन

आपकी कंपनी सूचीकरण करार में अनुबंधित की गई निगमित सुशासन की सभी अपेक्षाओं के साथ-साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित उपबंधों का भी अनुपालन करती है। कंपनी ने सूचीकरण करार के अनुसार निगमित सुशासन की शर्तो के अनुपालन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों-मैसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मापदंडों के आधार पर कंपनी के कार्यनिष्पादन को वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए

लगातार 15वें वर्ष हेतु 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए भी कंपनी ने समझौता ज्ञापन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तथा यह निष्पादन के लिए 'उत्कृष्ट' का दर्जा फिर पाने की स्थिति में है।

ईआरपी

आपकी कंपनी एक एकीकृत ऑरैकल आधारित ईआरपी प्रणाली लागू कर रही है, जिसमें सभी मुख्य व्यवसाय प्रकार्य शामिल हैं। इसे मैनेजमेंट डेवलॅपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई), गुड़गांव के परामर्श से मैसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा लागू किया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली आईटी अवसंरचना के लिए तकनीकी परामर्शदाता के रूप में काम कर रहे है। डेटा स्थानांतरण (माइग्रेशन) पूर्ण हो गया है तथा अधिकांश फंक्शनल मॉड्यूल्स के लिए गो-लाइव प्राप्त किया जा चुका है। ईआरपी ऑपरेशन के लिए आईटी अवसंरचना के कार्यान्वयन के अंश के रूप में, आरईसी के सभी कार्यालयों में इंटरकनेक्टिंग हेतु, ईआरपी डेटा सेंटर तथा एमपीएलएस-वीपीएन आधारित व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) पूर्ण किया जा चुका है।

मानव संसाधन विकास

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास मुख्य प्राथमिकता रही तथा आपकी कंपनी, प्रशिक्षण में निवेश करने के द्वारा कर्मचारियों के विकास तथा युवा कार्यपालकों की प्रारंभिक स्तर पर भर्ती करने के लिए, प्रतिबद्ध रही है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव अर्जित करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विभिन्न अधिकारियों को विदेश भेजा गया।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सीआईआरई)

विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्र तथा विद्युत एवं ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के प्रशिक्षण तथा विकास जरूरतों की व्यवस्था करने के लिए 30 वर्ष पूर्व कंपनी ने हैदराबाद में सीआईआरई की स्थापना की थी। सीआईआरई विद्युत क्षेत्र के पारेषण तथा वितरण के विभिन्न पहलुओं पर नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, सीआईआरई ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 6 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित कुल 98 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 2767 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। संस्थापन वर्ष 1979 से अब तक, यह सीआईआरई की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है।

भावी लक्ष्य

विद्युत क्षेत्र, भारत की अवसंरचना के विकास में भाग लेने के लिए एक बड़े क्षेत्र के रूप में निरंतर अवसर प्रदान करता रहेगा। विद्युत तथा संबद्ध पारेषण और वितरण तंत्रों की मांग की संभावना, दर्शाए गए अधिकांश वर्तमान अनुमानों से अपेक्षाकृत कहीं अधिक है। आपकी कंपनी, विद्युत क्षेत्र में नई तेजी से पूरा फायदा उठाने तथा संवृद्धि दर बनाए रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। साथ ही, देश में विद्युत अवसंरचना के विकास के प्रति नियमित रूप से महत्वपूर्ण अंशदान के लिए प्रतिबद्ध है।

आभार

मैं माननीय विद्युत मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव(विद्युत), संयुक्त सचिव (ग्रामीण विद्युतीकरण) तथा विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने कंपनी के लिए असीम सहयोग दिया एवं मार्गदर्शन किया। मैं, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अपार सहयोग और मार्गदर्शन से कंपनी का सहज प्रचालन सुनिश्चित हुआ। साथ ही, मैं बोर्ड के अपने साथियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जिसकी बदौलत कंपनी निष्पादन में उत्कृष्टता के आयाम प्राप्त कर सकी। मैं सभी स्तर के कंपनी के अधिकारियों एवं स्टॉफ द्वारा की गई कड़ी मेहनत, समर्पण तथा प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त करने में गर्व महसूस कर रहा हूं।

मैं कंपनी के सभी अन्य हितधारकों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग तथा कंपनी के कार्य निष्पादन में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं।

शुभकामनाओं सहित

(पी.उमा शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की चालीसवीं वार्षिक महासभा शनिवार, 19 सितम्बर, 2009 को प्रातः 11.00 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010 में निम्न कार्यों का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी :-

साधारण कार्य

1) 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलनपत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा तथा उस पर निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

2) वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना ।

3) डॉ. एम.गोविन्द राव, निदेशक के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करने के लिए, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे तथा पात्र होने पर अपनी पुनःनियुक्ति हेतु पेशकश करते हैं।

4) श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन, निदेशक के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करने के लिए, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे तथा पात्र होने पर अपनी पुनःनियुक्ति हेतु पेशकश करते हैं।

विशेष कार्य

5) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

''**संकल्प** किया जाता है कि श्री गुलजीत कपूर को एतद्द्वारा 01 दिसंबर 2008 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के आधार पर निर्धारित होगा।''

6) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

"**संकल्प** किया जाता है कि कंपनी के कारोबार के प्रयोजनार्थ उधार लेने के लिए सीमा को 60,000 करोड़ रुपए (साठ हजार करोड़ रुपए मात्र) से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए (पचहत्तर हजार करोड़ रुपए मात्र) तक करने और धन उधार लेने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है, चाहे कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई राशि (कार्य के साधारण क्रम में कंपनी के बैंकों से प्राप्त अस्थायी ऋणों को छोड़कर) सहित उधार ली जाने वाली धनराशि कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा इसकी मुक्त आरक्षित राशि के सकल से अधिक हो जाए।"

7) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

"**संकल्प** किया जाता है कि कंपनी के कारोबार के प्रयोजनार्थ 75,000 करोड़ रुपए (पचहत्तर हजार करोड़ रुपए मात्र) की कुल राशि तक के ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी की समस्त या कोई अचल तथा/अथवा चल संपत्ति, वर्तमान तथा भावी दोनों, अथवा कंपनी के पूर्ण अथवा अधिकांशतः उपक्रम या उपक्रमों को बंधक रखने तथा/अथवा उन पर प्रभार सृजित करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 293(1) (क) के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। "

8) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

"**संकल्प** किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 31 तथा अन्य लागू उपबंध, यदि कोई है, के अनुसार कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के विद्यमान अनुच्छेद 84 (2) के प्रतिस्थापन हेतु निम्नानुसार पढ़ते हुए एतद्द्वारा अनुमोदन किया जाता हैः

उद्धरण

''84. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों तथा इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अधिनियम की धारा 292, 293, 294 तथा 297 के उपबंधों के आधार पर निदेशकों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगीं, ये शक्तियां हैंः-

(2) पूंजीगत प्रकृति का कार्य - भारत सरकार की मंजूरी लिए बिना रुपए 300 करोड़ की सीमा तक अथवा निगम के नेटवर्थ के बराबर, दोनों में से जो भी कम हो, पूंजीगत व्यय पर खर्च करना।''

अनुद्धरण

निम्नलिखित संशोधित अनुच्छेद के साथः

उद्धरण

''84. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों तथा इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अधिनियम की धारा 292, 293, 294 तथा 297 के उपबंधों के आधार पर निदेशकों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, ये शक्तियां हैंः-

(2) पूंजीगत प्रकृति का कार्य - नई मदों की खरीद पर अथवा प्रतिस्थापन हेतु, बिना किसी वित्तीय परिसीमा के, पूंजीगत व्यय को खर्च करना''

अनुद्धरण

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

बी.आर.रघुनंदन

(बी.आर.रघुनंदन)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003.
दिनांकः 27 जुलाई, 2009

टिप्पणियां:-

1. **बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए पात्र हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रतिनिधि प्रपत्र वार्षिक महासभा आरंभ होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक है।**

2. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173 के अनुसरण में बैठक में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्य से जुड़ा एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 द्वारा अपेक्षित है, चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे तथा नोटिस की मद सं. 3 तथा 4 के अंतर्गत कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार पुनः नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे निदेशक डॉ. एम.गोविन्द राव तथा श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन के संगत ब्यौरे **संलग्न हैं**। डॉ. एम.गोविन्द राव तथा श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन, निदेशकों के कार्यकाल 20 दिसंबर 2007 अर्थात् उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि अथवा विद्युत मंत्रालय से आगामी आदेशों के प्राप्त होने तक, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए है।

4. **कंपनी के संस्था ज्ञापन के मौजूदा उद्देश्य खंड को संस्था ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य खंड III(क) के अंतर्गत उप खंड (9) के बाद निम्नलिखित नए उप खंड (10)* को शामिल करते हुए संशोधन के लिए प्रस्तावित किया जाता है:-**

   ***(10)** ''**विद्युत परियोजनाओं के साथ अग्रगामी और/अथवा पश्चगामी संपर्क वाले उन कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण और सहायता प्रदान करने हेतु (शामिल, लेकिन सीमित नहीं) जैसी विद्युत परियोजनाओं में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए कोयला एवं अन्य खनन कार्यकलापों का विकास करना, विद्युत क्षेत्र के लिए अन्य ईंधन आपूर्ति प्रबंधों का विकास करना और ढाँचागत अन्य सुविधाएं पूरी करना, जो विद्युत क्षेत्र के तीव्र एवं प्रभावी विकास के लिए आवश्यक हों।**"

   कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 17(1) (घ) तथा धारा 192क के अनुसरण में तथा कंपनी (डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारण) नियमावली, 2001 को साथ पढ़ते हुए, उपरोक्त प्रस्ताव में डाक मतपत्र के माध्यम से सदस्यों की सहमति अपेक्षित है। तदनुसार, इस संबंध में व्याख्यात्मक विवरण के साथ एक पृथक नोटिस, पोस्टल बैलेट फार्म तथा स्वःपता लिखा पूर्वदत्त लिफाफा सभी सदस्यों को इस सूचना के साथ भेज दिया गया है।

   डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) का परिणाम कंपनी की 40वीं वार्षिक महासभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषित किया जाएगा।

5. **सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बहियां 05 सितम्बर, 2009 से 19 सितम्बर, 2009 (दोनों दिन समावेशित) तक बंद रहेंगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 206क के प्रावधानों के अध्याधीन, निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित, इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि आम वार्षिक बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशितों को, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में 19 सितम्बर, 2009 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान हैं, 25 सितम्बर, 2009 को या उसके पश्चात अदा किया जाएगा। डिमैटीरियलाज्ड शेयरों के संबंध में, लाभांश शेयरों के उन "लाभानुभोगी स्वामियों" को देय होगा, जिनके नाम 04 सितम्बर, 2009 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभानुभोगी स्वामित्व विवरण में विद्यमान हैं।**

6. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा में उनकी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामें की एक विधिवत प्रमाणित प्रति भेज दें।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि :

क. वे यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक महासभा में वितरित नहीं की जाएंगी तथा उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां स्वयं लानी होंगी;

ख. **वे बैठक स्थल के प्रवेश पर विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करें, क्योंकि ऑडिटोरियम में प्रवेश स्थल काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के ही आधार पर होगी, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;**

ग. वे समस्त पत्राचार में अपना फोलियो/क्लायंट आईडी तथा डीपी आईडी संख्या उद्धृत करें;

घ. **वे यह नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ब्रीफकेसों, खाने के सामान तथा अन्य सामान को ऑडिटोरियम के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा**

च. **वे यह नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

8. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) अधिदेश प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से प्रेषण कर सके। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले धारक कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी ए) अर्थात प्लॉट सं. 17-24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500 081, भारत में कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड से ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्राप्त करके उन्हें भेज सकते हैं। इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारण करने वाले धारक अपने ईसीएस अधिदेश प्रपत्र डिपाजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से प्राप्त करके सीधे उन्हें भेजेंगे, जिन्होंने पहले ही पूर्ण विवरणों के साथ कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (डीपी) को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं है।

   शेयरधारक, जो ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुनना चाहते वे अपने बैंक का नाम, शाखा का पता तथा खाता संख्या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, को भेज दें ताकि ये विवरण उनके लाभांश वारंट पर प्रिंट कराए जा सकें।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, उप-विभाजन, समेकन के पंजीकरण से संबंधित या शेयर संबंधित किसी अन्य मामले से जुड़े तथा/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन संबंधी समस्त पत्राचार कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को भेजें।

10. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के साथ पढ़ते हुए धारा 205क के अनुसरण में उन लाभांश राशियों को, जो सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त/अदावित रहती हैं, केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे अंतरण के पश्चात, सदस्यों का उक्त राशि पर किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं रहेगा। अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लाभांश वारंट तुरंत भुना लें।

11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाएगा तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से नियत किया जाएगा, जो कंपनी आम बैठक में तय करे। इसी के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वर्ष 2008-09 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। 27 सितंबर, 2007 को आयोजित 38वीं वार्षिक महासभा में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अधिसूचित किए जाने पर, निदेशक मंडल को वार्षिक आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तदनुसार, 24 अक्तूबर, 2008 को आयोजित 342वीं बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय लेखापरीक्षा शुल्क रुपए 9,38,400/- तथा लागू सेवा कर के भुगतान को अनुमोदित किया। साथ ही, बोर्ड ने उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा सांविधिक लेखापरीक्षकों को, वास्तविक उपयुक्त यात्रा भते तथा बाह्य स्थान पर लेखापरीक्षा हेतु जेबी खर्च, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा, के भुगतान को भी अनुमोदित किया।

12. वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क उन स्टॉक एक्सचेंजों को अदा कर दिया गया है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

13. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109क के अंतर्गत यथा अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र, 1956 में यथा निर्धारित प्रपत्र 2ख में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें। डिमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में, नामांकन पत्र सीधे संबंधित डिपाजिटरी पार्टीसिपैंटस (डीपी) के पास जमा कराया जाना अपेक्षित है।

14. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को अपने पतों में किसी परिवर्तन की तत्काल सूचना दें तथा यदि शेयर इलेक्ट्रानिक मोड में धारित हैं, तो परिवर्तन की सूचना अपने संबंधित डिपाजिटरी पार्टीसिपैंटस को दें।

15. **इस बैठक के कारोबार की किसी भी मद पर कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व संबोधित करें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध कराई जा सके।**

16. संलग्न नोटिस में उल्लिखित कोई दस्तावेज अथवा कंपनी पर प्रयोज्य सांविधिक रजिस्टरों का वार्षिक महासभा की तिथि से पूर्व सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों को छोड़कर) 11.00 बजे प्रातः से 1.00 बजे अपराह्न तक निरीक्षण किया जा सकता है।

17. वार्षिक रिपोर्ट का पूर्ण पाठ कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

नोटिस में निर्धारित विशेष कार्यवाही के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय आदेश सं.एफ.46/14/2007-आरई दिनांक 17 अक्तूबर, 2008 के द्वारा, आरईसी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(2) के अनुसरण में, श्री गुलजीत कपूर, महाप्रबंधक (टी एंड डी), आरईसी को, 01.12.2008 से अथवा उसके उपरांत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों की एक अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (तकनीकी), आरईसी के रूप में नियुक्त किया। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, श्री गुलजीत कपूर ने 01 दिसंबर, 2008 से निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

28 जुलाई, 2008 को आयोजित आरईसी के निदेशक मंडल की 339वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्पित किया गया कि:

(क) आरईसी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(2) तथा कंपनी अधिनियम की धारा 255(1) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अलावा, निदेशक (वित्त) चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे; तथा

(ख) शेष सभी 6 निदेशक, कंपनी अधिनियम की धारा 255(2) तथा आरईसी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(3) के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।

तदनुसार, श्री गुलजीत कपूर की निदेशक (तकनीकी) के रूप में उपरोक्त नियुक्ति के लिए संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(3) के अनुसार आम सभा का अनुमोदन अपेक्षित है। श्री गुलजीत कपूर का संक्षिप्त इतिवृत्त **संलग्न किया गया है**।

श्री गुलजीत कपूर, निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में हित अथवा सरोकार है।

मद संख्या 6

कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल, सिवाए आम बैठक में, कंपनी की सहमति से कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशियों सहित कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त आरक्षित राशियों से अधिक धनराशियां उधार नहीं लेगा। 24 सितंबर, 2008 को आयोजित कंपनी की आम बैठक में कंपनी के सदस्यों ने संकल्प द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को यह शक्तियां प्रदान की थी कि वह 60,000 करोड़ रुपए (साठ हजार करोड़ रुपए मात्र) की कुल राशि तक की धनराशि उधार ले लें। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने पहले ही लगभग 44,936 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।

कंपनी के प्रचालन काफी बढ़ गए हैं तथा इसकी बढ़ती निधि आवश्यकताओं के लिए कंपनी को बाजार से उधार लेना पड़ेगा तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 30,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाए जाने की संभावना है, जिससे उधार की वर्तमान सीमा पार हो जाएगी। चूंकि, पहले से उधार ली गई राशि तथा उधार लेने के लिए प्रस्तावित राशि मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए की वर्तमान समग्र उधार सीमा को पार कर जाएगी अतः उधार की आगामी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उधार की सीमा को 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1)(घ) के तहत सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 23 मार्च, 2009 को आयोजित 347वीं बैठक में उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में यथा निहित प्रस्तावित साधारण संकल्प को पारित किए जाने की अनुशंसा की है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

मद संख्या 7

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 293(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल, सिवाए आम बैठक में, कंपनी की सहमति से कंपनी की समस्त या किसी अचल तथा/अथवा चल संपत्तियों, वर्तमान तथा भावी दोनों, अथवा कंपनी के संपूर्ण या अधिकांशतः उपक्रम या उपक्रमों को बंधक नहीं रखेगा तथा/अथवा प्रभार सृजित नहीं करेंगे।

कंपनी के प्रचालन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गए हैं तथा कंपनी की बढ़ती निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी की अचल/चल संपत्तियों पर प्रतिभूति सृजन द्वारा अतिरिक्त निधियां जुटाई जानी अपेक्षित हैं। अतः प्रस्ताव है कि कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की अचल तथा/अथवा चल संपत्तियों, वर्तमान तथा भावी दोनों, पर कंपनी के कारोबार के प्रयोजनार्थ 75,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने के लिए प्रभार सृजित करने/बंधक रखने के लिए अधिकृत किया जाए।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 23 मार्च, 2009 को आयोजित 347वीं बैठक में उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में यथा निहित प्रस्तावित साधारण संकल्प को पारित किए जाने की अनुशंसा की है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

मद संख्या 8

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 के उपबंधों के अनुसार, संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन करने के लिए, एक आम सभा में विशेष संकल्प पारित करके सदस्यों का अनुमोदन लेना होता है।

आरईसी के वर्तमान संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 84(2) के तहत निदेशकों को भारत सरकार की मंजूरी लिए बिना रुपए 300 करोड़ की सीमा तक अथवा निगम के नेटवर्थ के बराबर, दोनों में से जो भी कम हो, पूंजीगत व्यय खर्च करने का अधिकार है। पूंजीगत व्यय को खर्च करने की यह परिसीमा आरईसी की उस समय की मौजूदा मिनी रत्न ग्रेड-I की हैसियत के आधार पर निर्धारित की गई थी।

तत्पश्चात, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 26(3)/2005-जीएम-जीएल-93 दिनांक 05.05.2008 के द्वारा आरईसी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, आरईसी जैसी नवरत्न कंपनियों के, निदेशक मंडल की शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा स्वायत्तता में संवर्धन करते हैं। उक्त दिशानिर्देश बिना किसी आर्थिक उच्चतम सीमा के नई मदों पर खरीद करने अथवा प्रतिस्थापन करने के लिए पूंजीगत व्यय को खर्च करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

यद्यपि, एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी को ऐसे बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु नवरत्न के दर्जे तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के उपरोक्त संदर्भित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आरईसी के संस्था अंतर्नियमों के वर्तमान अनुच्छेद 84(2) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, ताकि आरईसी को भी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य नवरत्न उपक्रमों के निदेशक मंडल की तरह बिना किसी आर्थिक उच्चतम सीमा के नई मदों पर खरीद अथवा प्रतिस्थापन करने हेतु पूंजीगत व्यय पर खर्च करने के अधिकार दिए जा सकें।

संस्था के अंतर्नियमों में ऐसे संशोधन के लिए, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अनुसार विशेष संकल्प के पारित करने के द्वारा सामान्य सभा में सदस्यों का अनुमोदन अपेक्षित है। 25 मई, 2009 को आयोजित 349वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा प्रस्तावित विशेष संकल्प को, जैसा कि नोटिस में अंतर्निहित है, कंपनी के सदस्यों द्वारा पारित करने की अनुशंसा की।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित विशेष संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

बी. आर. रघुनंदन

(बी.आर. रघुनंदन)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003.
दिनांकः 27 जुलाई, 2009

40वीं वार्षिक महासभा में पुनःनियुक्ति का प्रयास कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त इतिवृत्त

नाम	जन्म-तिथि	नियुक्ति की तिथि	योग्यता	विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	आरईसी के अलावा सभी सार्वजनिक कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता
डॉ. एम. गोविन्द राव	7 अप्रैल, 1947	20 दिसंबर, 2007	• अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि • अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि	वर्तमान में वे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के भी सदस्य हैं। इनकी पूर्व नियुक्तियों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलोर (1998-2002) के निदेशक तथा रिसर्च स्कूल ऑफ पेसिफिक एंड एशियन स्टॅडीज, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कॉनबेरा, ऑस्ट्रेलिया (1995-98) में अध्येता की नियुक्ति शामिल है। डॉ. राव ने सलाहकार की बहुत सी भूमिकाओं को निष्पादित किया है, जिनमें वैट पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति (2005-06) के अध्यक्ष, सेवाओं के कराधान पर विशेषज्ञ समूह (2000-01) के अध्यक्ष, बहुस्तरीय योजना पर विशेषज्ञ समिति, योजना आयोग, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य तथा वित्तीय संसाधन समूह, बिहार विकास परिषद, बिहार सरकार के अध्यक्ष की भूमिका शामिल हैं। वे साऊथ एशिया नेटवर्क ऑफ इकॉनोमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स (एसएएनईआई) के लिए विषय-निर्वाचन समिति के भी सदस्य हैं। डॉ. राव वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि, एशियन डेवलॅपमेंट बैंक तथा यूएनडीपी के एक परामर्शक रहे हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक के दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के भी सदस्य हैं।	एनटीपीसी लिमिटेड	शून्य
श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन	2 फरवरी, 1944	20 दिसंबर, 2007	• मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि • कोलकाता इंजीनियर्स संस्थान के फेलो • भारतीय माध्यस्थम् परिषद, नई दिल्ली के फेलो	श्री बालासुब्रमणियन को विद्युत तथा औद्योगिक क्षेत्र में 39 वर्षों का अनुभव है तथा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशक (विद्युत) के रूप में उन्होंने पांच वर्ष सेवा की है। हमारे बोर्ड में कार्यग्रहण करने से पूर्व वे फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रॅवणकोर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है तथा परमाणु ऊर्जा स्थापना एवं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी कार्य किया है।	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	शून्य

24 सितंबर, 2008 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा के उपरांत नियुक्त किए गए निदेशक का संक्षिप्त इतिवृत्त

नाम	जन्म-तिथि	नियुक्ति की तिथि	योग्यता	विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	आरईसी के अलावा सभी सार्वजनिक कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता
श्री गुलजीत कपूर	5 मार्च, 1951	01 दिसंबर, 2008	विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि	श्री गुलजीत कपूर ने 01.12.2008 को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री गुलजीत कपूर विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं तथा आरजीजीवीवाई योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के सभी तकनीकी तथा संक्रियात्मक पक्षों के प्रभारी हैं। श्री कपूर को विद्युत क्षेत्र की विभिन्न यूटिलिटियों नामतः बीबीएमबी, पीएसईबी, पॉवरग्रिड तथा आरईसी में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। निदेशक (तकनीकी) के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे कंपनी में महाप्रबंधक (पारेषण तथा वितरण) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 14 सितंबर, 2005 को कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण किया था तथा 15 सितंबर 2007 को स्थायी रूप से कंपनी में आमेलित हो गये। कंपनी में आने से पूर्व वे पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (पीजीसीआईएल) में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।	शून्य	शून्य

निदेशकों का परिचय

श्री पी. उमा शंकर, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

श्री पी. उमा शंकर, जिनकी आयु 56 वर्ष है, 1 मार्च, 2008 से हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने आईआईटी मद्रास से गणित में विज्ञान की स्नातकोत्तर उपाधि तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सामाजिक नीति तथा योजना में एमएससी की उपाधि प्राप्त की है। वे उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष 1976 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। उनके पास सरकार में राजस्व, विधि तथा व्यवस्था, विकास कार्य, ग्रामीण अवसंरचना, वित्त, आवास तथा शहरी विकास, उद्योग, नगरपालिका कार्यों तथा राहत के क्षेत्रों में लगभग 31 वर्ष का नेतृत्व अनुभव है। हमारे बोर्ड में नियुक्त किए जाने से पूर्व, श्री उमा शंकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली, के प्रबंध निदेशक थे, जहां वे कृषि उत्पादन तथा अधिसूचित वस्तुओं के विपणन, भंडारण तथा प्रसंस्करण में लगी हुई सहकारिताओं की विश्वव्यापी योजना, संवर्धन तथा वित्तपोषण में शामिल थे। इससे पहले वे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय में संयुक्त सचिव (चीनी) थे जबकि इससे पूर्व, ग्रेटर नोएडा के अपर सीईओ के रूप वे ग्रेटर नोएडा के लिए शहरी अवसंरचना के विकास, प्रबंधन तथा अनुरक्षण कार्य में लगे हुए थे। अनेक सेवाओं के निजीकरण में उनके अग्रणी प्रयासों के कारण ग्रेटर नोएडा आधुनिकतम सेवाओं के साथ एक उच्च प्रोफाइल शहर के रूप में उभरा है। राज्य स्तर पर सहकारी क्षेत्र में वे वर्ष 1994-96 के दौरान सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के रूप में उत्तर प्रदेश में उनके विकास तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी थे। इस कार्य में निविष्टियों की व्यवस्था करने तथा उनकी बिक्री किसानों को करने, विपणन समितियों के माध्यम से उत्पाद का क्रय करने के लिए फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज द्वारा 8000 से अधिक ग्रामीण ऋण समितियों तथा 60 जिला सहकारी बैंकों का विकास शामिल है। वे उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रबंध निदेशक भी रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

श्री उमा शंकर द्वारा लिखे गए प्रलेखों में सहकारी परिप्रेक्ष्य, अप्रैल-जून, 99 में "एन्हेंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ को-आपरेटिव्स : मेजर प्राब्लम्स एण्ड पॉलिसी इम्पलीकेशन्स" तथा नगरलोक में "हाऊसिंग दि अर्बन पूअर : प्राब्लम्स एण्ड प्रास्पेक्टस" शामिल हैं।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार श्री पी. उमा शंकर के पास अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कंपनी के 121 इक्विटी शेयर तथा भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री एच.डी. खुंटेटा, *निदेशक (वित्त)*

श्री हरिदास खुंटेटा, जिनकी आयु 57 वर्ष है, 5 मई, 2004 से हमारे निदेशक (वित्त) हैं। उनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि है। वे आईसीएआई के सदस्य भी हैं। श्री खुंटेटा को वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में 31 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है, जिसमें घरेलू तथा अंतराष्ट्रीय बाजारों, से संसाधन संग्रहण निवेशक सेवा तथा कारपोरेट अभिशासन शामिल हैं। हमारे बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व वे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ("एनएचपीसी") में कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद पर थे तथा साथ ही मध्य प्रदेश में एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम नामतः नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन के बोर्ड में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। वे हमारी कंपनी में वित्त एवं लेखा के सभी पहलुओं के प्रभारी हैं।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, श्री हरिदास खुंटेटा के पास कंपनी में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 18760 इक्विटी शेयर तथा भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 इक्विटी शेयर हैं।

श्री गुलजीत कपूर, *निदेशक (तकनीकी)*

श्री गुलजीत कपूर, जिनकी आयु 58 वर्ष है, एक दिसंबर, 2008 से हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ से प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे आरजीजीवीवाई योजना के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के साथ साथ उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के सभी तकनीकी एवं प्रचालन पहलुओं के प्रभारी है। श्री कपूर को विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों अर्थात बीबीएमबी, पीएसईबी, पावरग्रिड एवं आरईसी में काम का 38 वर्ष का अनुभव है। कंपनी के निदेशक (तकनीकी)का पद ग्रहण करने से पूर्व वे कंपनी में महाप्रबंधक (पारेषण एवं वितरण) के रूप में कार्यरत थे। वह 14 सितंबर, 2005 को कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। 15 सितंबर, 2007 को कंपनी में स्थायी रूप से आमेलित हुए। कंपनी में कार्यभार ग्रहण से पूर्व वे पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआरएल) में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार श्री गुलजीत कपूर के पास अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कंपनी के 12160 इक्विटी शेयर तथा भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री देवेन्द्र सिंह, *निदेशक सरकारी नामिती निदेशक*

श्री देवेन्द्र सिंह, जिनकी आयु 46 वर्ष है, वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जहां वे ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊर्जा संरक्षण, मांग पक्ष प्रबंधन तथा वितरण के प्रभारी हैं। उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वे वर्ष 1987 से हरियाणा संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं और लगभग 21 वर्ष से सिविल सेवा में हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने उपायुक्त गुड़गांव, हरियाणा, उपायुक्त करनाल, निदेशक उद्योग तथा प्रबंध निदेशक, हरियाणा आपूर्ति और विपणन परिसंघ के पद पर भी कार्य किया है। वह हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। आपने निदेशक, मंडल में 29 अगस्त, 2007 को कार्यभार ग्रहण किया।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार श्री देवेन्द्र सिंह के पास कंपनी में भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 100 इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री वेणुगोपाल एन. धूत, *स्वतंत्र निदेशक*

श्री वेणुगोपाल एन. धूत, जिनकी आयु 58 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में 20 दिसम्बर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह वीडियोकॉन कंपनी समूह के संप्रवर्त्तकों में से एक हैं और उन्होंने वीडियोकॉन समूह की उन्नति तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वह 30 वर्ष से अधिक समय से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। वह भारत के एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे तथा उड़ीसा में औद्योगिक विकास के मुद्दों के संबंध में उड़ीसा सरकार के सलाहकार हैं। उन्होंने मराठवाड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद भी संभाला हुआ है।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार श्री वेणुगोपाल एन. धूत के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर धारित थे।

डॉ. एम. गोविन्द राव, *स्वतंत्र निदेशक*

डॉ.एम. गोविन्द राव, जिनकी आयु 62 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में 20 दिसम्बर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने संबलपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा से अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। इस समय वह राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक हैं। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। उनके विगत पदों में निदेशक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर (1998-2002) तथा अध्येता, रिसर्च स्कूल ऑफ पेसिफिक एंड एशियन स्टडीज, आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी, केनबरा, आस्ट्रेलिया (1995-1998) के पद शामिल हैं। डॉ. गोविन्द राव के पास अनेक परामर्शी भूमिकाएं हैं, जिनमें अध्यक्ष, वैट संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समिति (2005-06), अध्यक्ष, सेवाओं के कराधान संबंधी विशेषज्ञ समूह (2000-01), सदस्य, बहुस्तरीय आयोजना संबंधी विशेषज्ञ समिति, योजना आयोग, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार तथा अध्यक्ष, वित्तीय संसाधन समूह, बिहार विकास परिषद, बिहार सरकार की भूमिकाएं शामिल हैं। वे साऊथ एशिया नेटवर्क ऑफ इकानॉमिक रिसर्च इंस्टीटयूशन्स (एसएनईआई) की संचालन समिति के सदस्य भी हैं। डॉ. गोविन्द राव, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा यूएनडीपी के परामर्शदाता रहे हैं। वह भारतीय रिजर्व बैंक के दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। वह नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के भी स्वतंत्र निदेशक हैं।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, डॉ. एम. गोविन्द राव के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर धारित थे।

श्री पी. आर. बालासुब्रमणियन, *स्वतंत्र निदेशक*

श्री पी. आर. बालासुब्रमणियन, जिनकी आयु 65 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में 20 दिसम्बर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह फैलो ऑफ दी इंडियन काउंसिल ऑफ आरबिट्रेशन, नई दिल्ली के सदस्य भी हैं। श्री बालासुब्रमणियन को विद्युत और औद्योगिक क्षेत्र में 39 वर्ष का अनुभव प्राप्त है तथा इन्होंने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में पांच वर्ष तक निदेशक (ऊर्जा) के पद पर कार्य किया है। हमारे बोर्ड में शामिल होने से पहले वह फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। उन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में तथा एटॉमिक एनर्जी एस्टेबलिशमेंट तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी कार्य किया है। वह इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड (जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर धारित थे।

डॉ. देवी सिंह, *स्वतंत्र निदेशक*

डॉ. देवी सिंह, जिनकी आयु 57 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में 7 जनवरी, 2008 से स्वतंत्र निदेशक हैं। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में अध्येता रह चुके हैं। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्त, वित्त प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विशेषज्ञ के रूप में अनुभव सहित कुल 31 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त है। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के निदेशक हैं। उन्होंने प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह प्रबंधन संकाय, मैकगिल विश्वविद्यालय मान्ट्रियल में और विकासशील देशों, लजुबलियाना, सलोवेनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केन्द्र में अभ्यागत प्राचार्य रहे हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में भी प्राचार्य रहे हैं। उन्हें वर्ष 2000 में अमरीकन बायोग्राफिकल इंस्ट्रीटयूट, यूएसए में "मैन ऑफ दि मिलेनियम अवार्ड " से सम्मानित किया गया था।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, डॉ. देवी सिंह के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर धारित थे।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
शेयरधारक,

आपके निदेशक मंडल को लेखापरीक्षित लेखों के विवरणों सहित 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की चालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

1. कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य बातें

1.1 पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वर्ष 2008-09 के संबंध में कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैः-

विवरण	2008-09 (रुपए करोड़ में)	2007-08 (रुपए करोड़ में)
स्वीकृत ऋण	40745.84*	46770.00*
संवितरण (आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी सहित)	22277.86	16304.00
वसूलियां	9796.97	9042.00
कुल प्रचालनात्मक आय	4757.17	3378.21
कर पूर्व लाभ	1920.11	1312.42
कर पश्चात् लाभ	1272.08	860.15

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी को छोड़कर

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

इस वर्ष के संबंध में कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत, अर्थात 3378.21 करोड़ रुपए से बढ़कर 4757.17 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में कर पूर्व लाभ 46 प्रतिशत, अर्थात 1312.42 करोड़ रुपए से बढ़कर 1920.11 करोड़ रुपए और कर पश्चात् लाभ 48 प्रतिशत बढ़कर, अर्थात 860.15 करोड़ रुपए से 1272.08 करोड़ रुपए हो गया।

1.3 लाभांश

मार्च, 2009 में भुगतान किए गए 2 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 के लिए 2.50 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश करते हुए आपके निदेशकों को हर्ष हो रहा है। पिछले वर्ष अदा किए गए 3.00 रुपए प्रति शेयर के लाभांश की तुलना में इस वर्ष के संबंध में कुल लाभांश 4.50 रुपए प्रति शेयर होगा। इस वर्ष कुल अदा किए जाने वाले लाभांश की राशि 386.397 करोड़ रुपए होगी।

श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, श्री वी. एस. संपत, सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 2008-09 के लिए रु. 140.50 करोड़ के अंतरिम लाभांश का चैक प्रदान करते हुए।

2. स्वीकृत ऋण

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी को छोड़कर आरईसी ने पिछले वर्ष में 46770.00 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 40745.84 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋणों का राज्य-वार एवं श्रेणी-वार विवरण संलग्न **सारणी 1 एवं 2** में दिया गया है। स्थापना से 31.03.2009 तक की गई स्वीकृतियों की संचयी राशि 221098.72 करोड़ रुपए थी। इसमें आरजीजीवीवाई की सब्सिडी शामिल है। वर्ष 2008-09 के अंत तक स्वीकृत ऋण की राज्य-वार संचयी स्थिति संलग्न **सारणी-3** में दी गई है।

3. संवितरण

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी सहित पिछले वर्ष में 16304 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 22277.86 करोड़ रुपए की कुल राशि संवितरित की गई। स्थापना से लेकर 31.03.2009 तक, आरजीजीवीवाई के अधीन सब्सिडी को छोड़कर, संवितरित संचयी राशि 92400.65 करोड़ रुपए थी। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार संचयी एवं बकाया आंकड़ों के राज्य-वार संवितरण एवं वर्ष के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा अदायगी का विवरण संलग्न **सारणी-4** में दिया गया है।

4. वसूलियां

4.1 पिछले वर्ष के दौरान 9002.73 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान वसूली के लिए देय राशि 9788.90 करोड़ रुपए थी। इस आंकड़े में चूककर्ता उधारकर्ताओं से प्राप्त राशि शामिल थी। वर्ष 2008-09 के दौरान पहले वर्ष के 9042 करोड़ रुपए की तुलना में कंपनी ने कुल 9796.97 करोड़ रुपए की राशि वसूल की।

4.2 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 201.70 करोड़ रुपए की अतिदेय राशि में से 30.06.2009 तक 64.42 करोड़ रुपए की वसूली पहले ही की जा चुकी है।

4.3 कंपनी अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) को शून्य स्तर पर लाने का गंभीर प्रयास कर रही है। दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सकल गैर-अनर्जक परिसंपत्तियां 68.89 करोड़ रुपए (अर्थात सकल ऋण परिसंपत्तियों का 0.14 प्रतिशत) थी जबकि दिनांक 31.03.2008 को यह राशि 316.18 करोड़ रुपए (सकल ऋण परिसंपत्तियों का 0.82 प्रतिशत) थी। इसके अलावा, 68.89 करोड़ रुपए में से लगभग 38 करोड़ रुपए की गैर-अनर्जक परिसंपत्तियां चालू वित्त वर्ष 2009-10 में दिनांक 30.06.2009 तक परिसमाप्त कर दी गई हैं।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अलग-अलग		समेकित	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
सकल आय	4931.28	3537.66	4936.55	3541.25
कर-पूर्व लाभ	1920.11	1312.42	1922.36	1315.12
मूल्यह्रास	1.36	1.39	1.37	1.39
आयकर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	648.03	452.27	648.83	453.19
निवल लाभ/ कर पश्चात् लाभ	1272.08	860.15	1273.53	861.93

विनियोजन :				
विशेष आरक्षित कोष में अंतरण	340.00	255.00	340.00	255.00
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित कोष में अंतरण	80.00	58.00	80.00	58.00
अंतरिम लाभांश	171.73	-	171.73	-
अंतरिम लाभांश पर लाभांश कर	29.19	-	29.19	-
लाभांश				
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	214.67	257.60	214.72	257.60
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर लाभांश कर	36.48	43.78	36.49	43.78
सामान्य आरक्षित कोष में अंतरण	255.00	140.00	256.00	140.00
अग्रेनीत शेष	145.01	105.77	145.40	107.55

5.2 प्राधिकृत तथा प्रदत्त शेयर पूंजी

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 1200 करोड़ रुपए और 858.66 करोड़ रुपए है।

5.3 संसाधन जुटाना

कंपनी ने वर्ष 2008-09 के दौरान बाजार से 14,894.89 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। इसमें वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों के रूप में 1,750 करोड़ रुपए, पूंजी लाभ कर छूट प्राप्त बांडों के रूप में 2,525.23 करोड़ रुपए तथा गैर-प्राथमिकता क्षेत्रक बांडों के रूप में 8,930.20 करोड़ रुपए, वाणिज्यिक दस्तावेज (सीपी) के माध्यम से 1,232.81 करोड़ रुपए तथा क्रेडिटांसटैट फर वीडरऑफ्ब (केडब्ल्यू), जर्मनी से (यूरो 22.02 मिलियन, भारतीय रुपए 140.02 करोड़ के बराबर) एवं जापान इंटरनेशनल कोआप्रेशन एजेंसी (जेआईसीए) से (जापानी येन 6.68 बिलियन, भारतीय रुपए 316.63 करोड़ के बराबर) सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में शामिल हैं। कंपनी की घरेलू ऋण लिखतों को "एएए" क्रेडिट रेटिंग अर्थात क्रिसिल, केयर, फिच और आईसीआरए-क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों द्वारा समनुदेशित उच्चतम रेटिंग मिलना जारी रहा।

नकद उधार सुविधाएं

दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए कंपनी ने विभिन्न बैंकों से 1030 करोड़ रुपए के रूप में नकद उधार की भी व्यवस्था की है।

5.4 सावरेन रेटिंग

कंपनी को मूडी तथा फिच जैसी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से भारत को मिली सावरेन रेटिंग के समतुल्य अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो क्रमशः 'बीएए3' और 'बीबीबी' है।

5.5 उधार की लागत

वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार केवल आरईसी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अंतर्गत बांड जारी करके धन जुटाने के पात्र थे। इससे उधार की लागत कम स्तर पर बनाए रखने में सहायता मिली। वर्ष 2008-09 के दौरान निधियों की समग्र वार्षिकीकृत औसत लागत 9.30 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप आरईसी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण देने में समर्थ है।

5.6 विमोचन और पूर्व-भुगतान

वर्ष के दौरान कंपनी ने भारत सरकार को 17.18 करोड़ रुपए की राशि लौटाई। इसने गैर-प्राथमिकता/ प्राथमिकता क्षेत्र बांड धारकों को देय 68.58 करोड़ रुपए की कुल राशि भी विमोचित की। इसके अलावा, 2838.04 करोड़ रुपए के पूंजी लाभ कर छूट वाले तथा 6.94 करोड़ रुपए के इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड भी विमोचित किए। कंपनी ने बैंकों से 1861.76 करोड़ रुपए के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण भी विमोचित किए।

5.7 विदेशी मुद्रा अर्जन तथा खर्च संबंधी ब्यौरे

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खर्च संबंधी विवरण ''लेखों पर टिप्पणियों'' अनुसूची 17 की लेखा टिप्पणियों की मद 15 में दिए गए हैं, जो वार्षिक लेखों का भाग हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की।

5.8 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर कंपनी के कुल संसाधन 52082.72 करोड़ रुपए थे। इसमें 858.66 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी, 5331.42 करोड़ रुपए की प्रारक्षित एवं अधिशेष राशि, 44935.96 करोड़ रुपए की भारतीय जीवन बीमा निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों से ऋण तथा बाजार से उधार और 956.68 करोड़ रुपए की आस्थगित कर देयता शामिल है। 51381.45 करोड़ रुपए की निधियां दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण सहायता देने में और 80.90 करोड़ रुपए की स्थायी परिसंपत्तियों में लगाई गई। इनमें से 1004.86 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और निवल चालू परिसपंत्तियों में (-) 384.49 करोड़ रुपए का शेष रहा।

वर्ष 2008-09 के दौरान वसूल न किए जाने योग्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के रूप में 3610.62 लाख रुपए की रकम आय के रूप में पुनरांकित की गई। ऋण परिसंपत्तियों की वसूली और उच्चीकरण के कारण हाल के वर्षों में आगे ऐसा करना अपेक्षित नहीं था।

6. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में आपके निदेशक प्रमाणित करते हैं कि:-

(i) वार्षिक खाते तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया और पूंजी विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिए गए;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया और ऐसे फैसले एवं आकलन किए, जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हों, ताकि कंपनी को उक्त अवधि के लाभ एवं हानि खाते तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप यथेष्ट लेखा रिकार्ड के अनुसरण के लिए यथोचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक खाते कार्यरत प्रतिष्ठान के आधार (गोइंग कंसर्न बेसिस) पर तैयार किए हैं।

7. वित्तीय क्रियाकलाप

आरईसी गांवों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है। इस संबंध में की गई विभिन्न पहलों का वर्णन नीचे किया गया है:-

7.1 विद्युत उत्पादन

वर्ष 2008-09 में कंपनी ने 20 नवीन विद्युत उत्पादन/ आर एवं एम ऋण तथा तीन अतिरिक्त ऋण सहायता स्वीकृत की हैं, जिनका कुल वित्तीय परिव्यय 21525.31 करोड़ रुपए था, जिनमें से अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समूह वित्तपोषण भी शामिल है। वर्ष 2002-03 से 31.03.2009 तक कंपनी ने ताप विद्युत तथा जल विद्युत उत्पादन/आर एवं एम परियोजनाओं के लिए 79527 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। कंपनी

ने चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 2008-09 के दौरान 7850.56 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत ऋणों का क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:-

	ऋणों की संख्या	ऋण राशि (रुपए करोड़ों में)
राज्य क्षेत्र		
नए ऋण	12	**17783.31**
अतिरिक्त ऋण	3	
प्राइवेट क्षेत्र		
नए ऋण	5	**3742.00**
अतिरिक्त ऋण	0	
जोड़	**20**	**21525.31**

7.2 पारेषण तथा वितरण

कंपनी ने अपने (टी एंड डी) पारेषण एवं वितरण पोर्टफोलियो के अंतर्गत देश में नवीन अवसंरचना का सृजन करने तथा पारेषण एवं वितरण तंत्र के अंतर्गत पहले से विद्यमान अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी। वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत की व्यवस्था करने तथा साथ ही ए टी एंड सी क्षतियों को कम करने के देश के लक्ष्य के समनुरूप, आरईसी पारेषण तंत्र के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए तथा और भी महत्त्वपूर्ण, वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की योजनाओं का वित्तपोषण करता आ रहा है।

7.3 तंत्र सुधार एवं थोक ऋण

वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 317 तंत्र सुधार योजनाएं तथा थोक ऋण योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें 14511.49 करोड़ रुपए का ऋण परिव्यय था। इसमें ये शामिल थे : (i) विद्युत मंत्रालय के त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत जवाबी वित्तपोषण, जिसमें 155.51 करोड़ रुपए का ऋण परिव्यय शामिल था, (ii) ट्रांसफार्मर कैपेसिटर तथा मीटर जैसे आवश्यक उपकरणों की संस्थापना द्वारा वितरण प्रणाली में निवेश का वित्तपोषण करने के लिए 791.91 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली 28 योजनाएं, (iii) निम्न वोल्टेज वितरण को उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीसी) में रूपांतरित करने के लिए 1040.57 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली 18 योजनाएं; (iv) वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए 3763.59 करोड़ रुपए वाली 154 योजनाएं; और (v) पारेषण तंत्र सुधारने के लिए 8759.91 करोड़ रुपए की 117 योजनाएं।

7.4 पंपसेट ऊर्जायन

वर्ष के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 188743 विद्युत सिंचाई पंपसेटों का ऊर्जायन किया गया। वर्ष के दौरान इस श्रेणी में 874.39 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली कुल 77 नई योजनाएं स्वीकृत की गई। दिनांक 31.03.2009 तक राज्य-वार एवं संचयी स्थिति का विवरण संलग्न **सारणी-5** में दिया गया है।

7.5 पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में क्रियाकलाप

पारेषण एवं वितरण कार्यक्रम के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों को वर्ष 2008-09 में 25 करोड़ रुपए की ऋण सहायता संवितरित की गई जबकि इससे पहले वाले वर्ष के दौरान 41.27 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की गई थी। तंत्र सुधार श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के लिए क्रमशः 18.79 करोड़ रुपए और 18.87 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की दो योजनाओं के लिए मंजूर की गई।

8. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)-ग्रामीण विद्युत संरचना और आवास विद्युतीकरण योजना' प्रारंभ की, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों में सभी आवासों को विद्युत की अधिगम्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) का लक्ष्य प्राप्त करना था। यह योजना आरईसी के जरिये क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल आवास को एक बत्ती कनेक्शन

8.1 ग्रामों और गरीबी रेखा से नीचे के आवासों का विद्युतीकरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 5000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी वाली चरण-1 की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आरंभिक अनुमोदन दिया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए 9733 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत परियोजनाओं की लागत वाली 180699 ग्रामों (68763 अविद्युतीकृत और 111936 विद्युतीकृत ग्रामों) के विद्युतीकरण की 235 परियोजनाएं मंजूर की गई थी।

इसके बाद सभी आवासों के विद्युतीकरण, लगभग 1.15 लाख अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण और 2009 तक गरीबी रेखा से नीचे के 2.34

करोड़ आवासों को बिजली के कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में इन स्कीमों को जारी रखने के लिए 28000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी मंजूर की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा 16268 करोड़ रुपए की लागत वाली 290875 ग्रामों (49383 अविद्युतीकृत और 241492 विद्युतीकृत ग्रामों) के लिए 327 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन दसवीं पंचवर्षीय योजना और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण संलग्न **सारणी-6** में दिया गया है।

स्कीम के अंतर्गत, यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2008-09 के दौरान 48,533 ग्रामों (12056 अविद्युतीकृत तथा 36477 विद्युतीकृत ग्रामों सहित) के लिए निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 30.84 लाख आवासों सहित 36.22 लाख ग्रामीण आवासों को कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

संचयी रूप से, स्कीम के अंतर्गत 31.03.2009 तक 1,37,488 ग्रामों (59882 अविद्युतीकृत और 77606 विद्युतीकृत ग्रामों) में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 53.78 लाख ग्रामीण आवासों को कनेक्शन दे दिए गए हैं।

वर्ष 2008-09 के दौरान, 2007-08 तक अविद्युतीकृत ग्रामों और गरीबी रेखा से नीचे के आवासों और 31.03.2009 तक संचयी उपलब्धियों के संबंध में राज्यवार विवरण संलग्न **सारणी-7** में दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की आरजीजीवीवाई योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सामाजिक-आर्थिक अखंडता को गणतंत्र दिवस परेड 2009 के अवसर पर प्रदर्शित करती हुई पहली बार आरईसी की झांकी

8.2 विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी)

8.2.1 आरजीजीवीवाई के अंतर्गत डीडीजी

आरजीजीवीवाई उन ग्रामों के लिए जहां ग्रिड संयोजकता व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं हैं, बायोमास, बायोगैस, मिनी हाइड्रो तथा सौर इत्यादि से डीडीजी की व्यवस्था करती है।

डीडीजी तंत्र लोड केन्द्रों के नजदीक लघु विद्युत उत्पादन इकाई है ।

स्कीम के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए आरजीजीवाई के अंतर्गत 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें राज्य या स्थानीय करों की राशि शामिल नहीं है, जिसका वहन संबंधित राज्य/राज्य यूटिलिटी द्वारा किया जाएगा। परियोजना की 10 प्रतिशत लागत का अंशदान राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा किया जाएगा ।

11वीं योजना के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

आरजीजीवाई के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.1.2009 को जारी कर दिए गए हैं।

8.2.2 नवीकरणीय/डीडीजी परियोजनाओं की प्रोन्नति में आरईसी का योगदान

अभी तक आरईसी ने विभिन्न नवीकरणीय परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। दिनांक 31.3.2009 के अनुसार जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं तथा चालू परियोजनाएं

क्रम सं.	विवरण	क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं	चालू परियोजनाएं	कुल
(i)	स्वीकृत ऋण का मूल्य (करोड़ रुपए)	548.14	80.73	628.87
(ii)	अभी तक किया गया संवितरण (करोड़ रुपए)	268.74	78.34	347.08
(iii)	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य (करोड़ रुपए)	907.90	180.11	1088.01
(iv)	परियोजनाओं से मेगावाट बिजली	152.70	36.60	189.30
(v)	परियोजनाओं की संख्या	13	08	21

8.3 मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मानीटरिंग

यह कंपनी राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणालियों में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रही है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देशनों और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों के द्वारा व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी विद्युत वितरण के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास का प्रयोग करते हुए नए परिवर्तनों की लगातार खोज करती रही है। कंपनी ने हाल ही में एकल चरण वितरण ट्रांसफार्मरों, बैटरी एवं बैटरी चार्जर, आंतरिक वायरिंग, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और विद्युत मीटरों संबंधी तकनीकी विनिर्देशन जारी किए हैं/उन्हें अद्यतन किया है।

आरजीजीवीवाई की 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन चरणीय गुणवत्ता नियंत्रण के अनुसार इस वित्त वर्ष के दौरान आरईसी को गुणवत्ता मानीटर (आरक्यूएम) नियुक्त किया गया है, जिसके अधीन देश के 24 राज्यों की 327 परियोजनाएं आती हैं। इन सभी आरक्यूएम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 126 आरजीजीवीवाई परियोजना सामग्री का निरीक्षण किया है ताकि उपस्करों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, कंपनी को आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के लिए तीन चरणीय गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल के अनुसार मंत्रालय के स्तर पर आरजीजीवीवाई की 11वीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए 'राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों' की नियुक्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय की ओर से आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार, कंपनी ने 'राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों' की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है जो अंतिम रूप दिए जाने की अवस्था में है।

9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कारोबार विकास

9.1 जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) (जो पहले जेबीआईसी था)

(i) कंपनी ने जेआईसीए के साथ एक करार किया जिसके अनुसार 20.629 बिलियन जापानी येन लगभग 784 करोड़ रुपए, जिसकी विनिमय दर 31.3.2006 को 100 येन बराबर 3801 रुपए था, का ऋण मिलना था।

यह करार ग्रामीण विद्युत वितरण बैक बौन (आरईडीबी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण पैकेज के अधीन था । इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अलग-अलग राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटी द्वारा 749, 33/11केवी नए सब-स्टेशन और 510 सब-स्टेशनों के उच्चीकरण के कार्यान्वयन की व्यवस्था थी। 446.60 करोड़ रुपए का संचयी संवितरण उप-उधारकर्ताओं को किया जा चुका है और दिनांक 31.3.2009 तक जेआईसीए से 408.40 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया जिसके परिणामतः 405, 33/11केवी नए सब- स्टेशनों और 31.3.2009 तक 270 सब-स्टेशनों के उच्चीकरण का कार्य किया गया है।

(ii) कंपनी ने हरियाणा राज्य में अंतर्राज्य पारेषण प्रणालियों के सुदृढीकरण के लिए हरियाण विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) द्वारा राज्य में पारेषण तंत्र परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 20,902 बिलियन जापानी येन (10.03.2008 की स्थिति के अनुसार 100 येन बराबर 39.86 रुपए की विनिमय दर से) लगभग 33 करोड़ रुपए के ओडीए ऋण के लिए 10.3.2008 के जेआईसीए के साथ एक द्वितीय ऋण करार निष्पादित किया है। वित्तिय वर्ष 2008-09 के दौरान जेआईसीए से ऋण आहरण और परियोजना कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। उप-उधारकर्ताओं को 28 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया और दिनांक 31.3.2009 तक जेआईसीए से 28 करोड़ रुपए की ऋण राशि ली गई।

9.2 भारत जर्मन द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

(i) कंपनी ने केएफडब्ल्यू-ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम-1 के अधीन 70 मिलियन यूरो (लगभग 418 करोड़ रुपए जिसकी विनिमय दर 8.8.2006 को 1 यूरो बराबर 59.74 रुपए थी) के ओडीए ऋण के लिए केएफडब्ल्यू के साथ दिनांक 8.8.2006 को एक ऋण करार किया है ताकि आंध्र प्रदेश साउद्रण पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड 'एपीएसपीडीसीएल' द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के चितूर और कड़प्पा जिलों में उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) का कार्यान्वयन किया जा सके। संचयी संवितरण के लिए 224.57 करोड़ रुपए के रूप में उप-उधारी की गई और दिनांक 31.3.2009 तक केएफडब्ल्यू से 185.78 करोड़ रुपए की ऋण राशि ली गई।

(ii) कंपनी ने केएफडब्ल्यू के साथ 70 मिलियन यूरो के ओडीए ऋण के लिए (जो लगभग 466.13 करोड़ रुपए, जिसकी विनिमय दर दिनांक 16.3.2009 को 1 यूरो बराबर 66.59 रुपए है) समझौता किया । यह ऋण हरियाणा राज्य में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ऊर्जा दक्षता एचवीडीएस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केएफडब्ल्यू-ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम 2 के लिए लिया गया था। इस परियोजना के प्रारंभिक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं और केएफडब्ल्यू से वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण लेने का कार्य शुरू करने की संभावना है ।

9.3 एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)

एडीबी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पारेषण और वितरण तंत्र की वित्त व्यवस्था के लिए दिनांक 27.11.08 को आरईसी को 225 मिलियन अमेरिकन डालर उधार देने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है। ऋण संबंधी दस्तावेज वित्त वर्ष 2009-10 में पूरे किए जाने की संभावना है और वित्त वर्ष 2009-10 से ऋण लिए जाने की संभावना है ।

9.4 स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम)

एपीएसपीडीसीएल की एचवीडीएस परियोजना के संबंध में 4 परियोजना डिजाइन प्रलेखों (पीडीडी) की कंपनी द्वारा वित्त व्यवस्था की जा रही है। यह वित्त व्यवस्था आरईसी-केएफडब्ल्यू ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम-1 के अधीन की जा रही है। इसमें मेजबान देश ने नामित राष्ट्रीय प्राधिकारी अर्थात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से जनवरी, 2009 में अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ताकि सीडीएम के अधीन कार्बन क्रेडिट उपलब्ध हो सके। यह अनुमोदन भारतीय विद्युत वितरण क्षेत्र में अपने किस्म का पहला अनुमोदन है ।

9.5 कारोबार विकास

9.5.1 आरईए, तंजानिया सरकार का प्रतिनिधि मण्डल

कंपनी ने रूरल एनर्जी एजेंसी (आरईए), तंजानिया सरकार के शिष्टमंडल के 19 मार्च, 2009 को मेजबानी की है। यह शिष्टमंडल भारत और बंगलादेश के अध्ययन दौरे पर था ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में व्यावसायिक विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जा सके । आरईसी ने विद्युत मंत्रालय की आरजीजीवीवाई कार्यक्रम की नोडल एजेंसी होने के कारण इसमें सहायता की है । आरईसी ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक ऊर्जा सेवाओं को बढाने और उन्नत पहुंच की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में रोल मॉडल के रूप में उभर रही है। इस शिष्टमंडल ने ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं वाली आरजीजीवीवाई परियोजना को भी देखा है ।

9.5.2 भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स)

कंपनी के पहले विद्युत विनिमय केन्द्र ने जिसे भारतीय ऊर्जा विनिमय केन्द्र कहते हैं, जून, 2008 से कार्य आरंभ किया है। आरईसी भी उसका एक सह-प्रमोटर है और इस उद्यम में उसके 4.68 प्रतिशत इक्विटी हैं। आईईएक्स के मुख्य प्रमोटर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड (एफटीआईएल) और पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) हैं। आईईएक्स को सीईआरसी का अनुमोदन 9 जून, 2008 को प्राप्त हुआ जिसके बाद इस कार्यालय ने काम करना शुरू किया। यह बिजली बाजार में एक दिन आगे के सौदे करता है। आईईएक्स भारत का पहला देशव्यापी, स्वचालित और ऑन लाइन विद्युत व्यापार प्लेटफार्म है। आईईएक्स एक विशिष्ट कार्यालय है जो प्रभावी कीमत का प्रकटन और कीमत जोखिम प्रबंधन में सक्षम है।

9.5.3 अधिमान्य ग्राहक नीति

इस कंपनी ने अधिमान्य उपभोक्ताओं के लिए नीति बनाकर अपने विशिष्ट ग्राहकों पर ध्यान देने के लिए एक कदम और बढ़ाया है । आरईसी में ऐसी यूटिलिटी के ब्याज दर में छूट देने की नीति पहले से ही विद्यमान है जो विनिर्दिष्ट अवधि में थोक कारोबार करते हैं । वर्तमान नीति में उपभोक्ताओं को सुविधाएं देने और उनका आभार व्यक्त करने पर ध्यान देने के बजाए उनके लिए मूल्यांकन का एक मापदण्ड तय किया है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है । आरईसी भारत में और भारत से बाहर दोनों जगह चुनिंदा ग्राहकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रायोजित करेगा ।

10. ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली

10.1 कंपनी एकीकृत ओरकल प्रणाली पर आधारित ईआरपी लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत सभी बड़े-बड़े कारोबार शामिल किए गए हैं । मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट (एमडीआई) गुड़गांव की परामर्शी सेवाओं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की तकनीकी परामर्शी सेवाओं सहित भागीदारी का कार्यान्वयन कर रही है। इस अवधि के दौरान 'जैसा है' प्रक्रिया अध्ययन, 'जैसा होना चाहिए' मॉडयूल परीक्षण, एकीकरण परीक्षण, गैप-फिट विश्लेषण तथा फंक्शनल डिजाइन और कस्टमाइजेशन और उपभोक्ता स्वीकार्यता परीक्षण (यूएटी) जैसे चरणों को पूरा किया गया। डाटा आंकड़े अंतरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और ऋण तथा दावों के सिवाय सभी फंक्शनल मॉडयूलों के लिए गो-लिव शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न स्तर के 250 अंत प्रयोक्ताओं को 76 दिनों का ईआरपी संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।

10.2 ईआरपी प्रचालन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी सुविधा के कार्यान्वयन करने के भाग के रूप में शिमला के सिवाय सभी कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए ईआरपी डेटा सेंटर और एमपीएलएस-वीपीएन आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) को चालू करने का कार्य पूरा कर लिया है ।

10.3 कारपोरेट कार्यालय, स्कोप कांप्लेक्स और पालिका भवन, नई दिल्ली पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लेन) एकीकृत किया गया है । लेन पूरे देश में फैले सभी 17 आंचलिक/परियोजना कार्यालयों और एक प्रशिक्षण केन्द्र (सायर) में लगा दिया गया है ।

10.4 कंपनी की वेबसाइट को हिंदी/अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है । उन्नत कारपोरेट इंटरानेट को कार्यालय में ही विकसित किया गया है, जिसमें अधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण विशेषताएं है और इसे जुलाई, 2008 में आरंभ कर दिया गया था।

11. केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

11.1 केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र के इंजीनियरों तथा प्रबंधकों एवं विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरईसी के तत्वावधान में वर्ष 1979 में हैदराबाद में की गई थी। सायर विद्युत क्षेत्र के पारेषण एवं वितरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है।

11.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़े देश भर के गांवों में वितरण प्रबंधन का फ्रैंचाइजिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने ''राष्ट्रीय फ्रैंचाइजी प्रशिक्षण कार्यक्रम'' का प्रशिक्षण देने के लिए सायर को चुना है। ये प्रशिक्षण क्रियाकलाप 2011-12 तक जारी रहेंगे। वर्ष 2008-09 के दौरान सायर ने 'टेरी' के सहयोग से आरजीजीवीवाई के अतंर्गत ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण : ग्रामीण विद्युतीकरण वितरण फ्रैंचाइजिंग'' पर 50 कार्यक्रम आयोजित किए।

11.3 सायर ने फ्रैंचाइजी कार्यक्रमों के अलावा वितरण सुधार संवर्धन और प्रबंधन (डीआरयूएम) पर 11 कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनमें विद्युत सुरक्षा प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन और दुर्घटना निवारण वितरण; कारोबार में वित्तीय प्रबंधन; वाणिज्यिक कौशल, कर्मचारी अभिप्रेरणा और नैतिक विकास, उपभोक्ता संतुष्टि, संप्रेषण और आउटरीच शामिल हैं। ड्रम परियोजना सचिवालय के एमआईएस के अनुसार पूरे देश में ड्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले 13 प्रशिक्षण संस्थानों में से सायर एक सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन प्रशिक्षण संस्थान है और उसने अधिकतम संख्या में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है।

11.4 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने सायर को ''समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम'' आयोजित करने का आदेश दिया था। वितरण क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों के ऐसे सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिन्हें सबसे पहले ग्राहकों से मिलना पड़ता है। उन्हें अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने का कौशल विकास और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अधीन देश के लगभग 75,000 समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारी 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रशिक्षित किए जाएंगे। इस सबंध में दो प्रायोगिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से एक ''फ्रैंचाइजीज का राष्ट्रीय क्षमता निर्माण'' पर था, जो लखनऊ में आयोजित किया गया और दूसरा समूह 'ग' और 'घ' (लाइनमेन और तकनीशियन) ''कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम'' जो दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड के लिए गुड़गांव में आयोजित किया गया।

11.5 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी नोडल एजेंसी होने के कारण आरईसी के कार्यपालकों के लिए दो आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, यथा ''ईआरपी पैकेज के कार्यान्वयन संबंधी परिवर्तन प्रबंधन'' और ''आरजीजीवीवाई परियोजनाओं का मानीटरन'' विषयों पर आयोजित किए गए।

11.6 विद्युत व्यापार और टैरिफ - एबीटी परिदृश्य; विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा प्रबंधन और संरक्षण; बिजली की चोरी - तकनीकी और कानूनी उपाय; वितरण प्रणाली में आरईसी के विनिर्देशन, मानक और निर्माण परिपाटियां, विपणन प्रौद्योगिकी में नए विकास, वितरण आटोमेशन; स्विच-गियर और प्रोटेक्शन; ईएसएएआर और जीएएपी के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र का लेखाकरण; विद्युत और वितरण ट्रांसफार्मर; विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधन; विद्युत खरीद करार और विद्युत रिएक्टर सुधार - रिएक्टिव प्रतिपूर्ति जैसे विषयों पर 11 नियमित/ खुले कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

11.7 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आईटीईसी/ एससीएएपी के अधीन 6 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 4 से 8 सप्ताह की अवधि के इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषयों का प्रशिक्षण दिया गया :

(i) विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणाली की सर्वोत्तम परिपाटी;

(ii) ईएचवी उप-प्रणालियों की योजना, डिजाइन और उत्थापन;

(iii) विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रबंधन और प्रौद्योगिकी;

(iv) विकासशील देशों में विद्युत क्षेत्र की योजना और प्रबंधन;

(v) विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन और ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबंधन; और

(vi) विद्युत वितरण परियोजना वित्तपोषण और लेखाकरण प्रणाली।

इन कार्यक्रमों में मारीशस, मलावी, थाईलैंड, जिंबाब्वे, तुर्की, भूटान, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, तन्जानिया, घाना, आदि विभिन्न देशों से प्रतिभागी आए थे।

11.8 सायर ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (आईपीई) के सहयोग से नीति वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन और विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली विषयों पर भी तीन कार्यक्रम आयोजित किए और प्रतिभागियों के लाभ के लिए आईपीई की सर्वोत्कृष्ट संकाय संसाधनों की सेवाएं उपलब्ध की।

11.9 सायर ने ''विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा लेखाकरण और लेखापरीक्षा - नीतियां और तकनीक'' और ''उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस)'' शीर्षक विषयों पर केएफडब्ल्यू, जर्मनी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन भी 7 कार्यक्रम आयोजित किए।

11.10 इसके अलावा, कर्नाटक राज्य की विद्युत यूटीलिटियों अर्थात केपीटीसीएल, बेस्कॉम, हेसकॉम, जेस्कॉम और सेस्कॉम के सतर्कता संबंधी कार्यपालकों और पुलिस अधिकारियों के लिए ''बिजली की चोरी - चोरी और कानूनी उपाय'' विषय पर उपभोक्ता-विशिष्ट/ टेलर-मेड पांच कार्यक्रम आयोजित किए।

11.11 सायर ने एनटीपीसी के एनईएससीएल के 25 कार्यपालकों के एक बैच के लिए ''आरजीजीवीवाई परियोजनाओं का मानीटरन'' विषय पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

11.12 नोडल एजेंसी के रूप में दो राष्ट्रीय कार्यक्रमों, अर्थात् ''राष्ट्रीय फ्रैंचाइजी प्रशिक्षण कार्यक्रम'' और ''समूह ग और घ कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम'' नामक दो राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न विद्युत यूटीलिटीज के साथ नोडल एजेंसी के रूप में सायर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सायर उपर्युक्त दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एमआईएस भी बनाए रखेगा और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार उनके सफल कार्यान्वयन का समन्वय करेगा।

11.13 कुल मिलाकर, वर्ष 2008-09 के दौरान सायर ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 98 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 2767 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

क्रम सं.	विवरण	कार्यक्रमों की सं.	प्रतिभागियों की सं.
1.	टी ओ टी संबंधी कार्यक्रमः ग्रामीण विद्युत वितरण फ्रैंचाइजिंग (टेरी के सहयोग से)	50	1494
2.	फ्रैंचाइजिंग कार्यक्रम से भिन्न ड्रम कार्यक्रम	11	333
3.	अन्य - समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों और फ्रैंचाइजी के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण	2	79
4.	आंतरिक कार्यक्रम	2	40
5.	नियमित/ खुले कार्यक्रम	11	179
6.	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	6	65
7.	आईपीई के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम	3	35
8.	प्रायोजित कार्यक्रम	13	542
	जोड़	**98**	**2767**

वर्ष 1979 में स्थापित किए जाने के बाद से सायर की यह सर्वोत्तम उपलब्धि है।

11.14 सायर को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा हैदराबाद में निरीक्षण की बैठक का समन्वय करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी अभिनिर्धारित किया गया। इस उप-समिति ने 19 से 20 जनवरी, 2009 के दौरान हैदराबाद स्थित 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया, जिनमें भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ, केंद्रीय भूजल बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, शुष्क भूमि कृषि संबंधी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान शामिल थे। सायर ने सफलतापूर्वक इस बैठक का संचालन किया और संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति के अध्यक्ष से उन्हें प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

12. जोखिम प्रबंधन

12.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें अन्य बातों के अलावा परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, व्युत्पन्न तथा अतिशेष निधियों का निवेश शामिल है। वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) सीएमडी के नेतृत्वाधीन कार्य कर रही है, जो बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी है। आल्को में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) तथा वित्त, विद्युत उत्पादन तथा टी एवं डी प्रभागों के महाप्रबंधक भी शामिल हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (आल्को) नकदी ब्याज दरों तथा मुद्रा दरों से जुड़े जोखिम की मानीटरिंग करती है। नकदी जोखिम को नकदी अंतर विश्लेषण की सहायता से मानीटर किया जाता है। रोकड़ अंतर विश्लेषण के आधार पर समिति ने विभिन्न कार्यनीतियों के सम्मिश्र के माध्यम से नकदी जोखिम का प्रबंधन किया, जैसे अनुमोदित संवितरण तथा परिपक्वता देयताओं पर आधारित भावी संसाधन संग्रहण कार्यक्रम। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन भी ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है।

12.2 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधारों से सम्बद्ध जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक **व्युत्पाद नीति** सुव्यवस्थित की है। कंपनी विनिमय दर तथा ब्याज दर को शामिल करने के लिए विभिन्न लिखतों के जरिए व्युत्पन्न लेन-देन करती है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया विदेशी मुद्रा देयताएं 33.50 बिलियन जापानी येन तथा 29.61 मिलियन यूरो है, जिन्हें पूर्णतया सुरक्षित कर लिया गया है।

13 आईएसओ 9001 : 2000 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

कंपनी ने दावा प्रक्रिया क्रियाकलापों के लिए निगम कार्यालय के 6 प्रमुख प्रभागों और पूरे भारत में सभी परियोजना कार्यालयों में आईएसओ 9001 : 2000/ आईएसओ 9001 : 2008 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को क्रियान्वित कर लिया है।

14. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी के कार्यपालकों को व्यावसायिक बनाने और संगठन में युवा व्यावसायिकों को लाने के लिए कंपनी में वर्ष के दौरान खुले विज्ञापन के माध्यम से चार कार्यपालकों और कैंपस भर्ती के माध्यम से तीन कार्यपालकों को नियुक्त किया गया। वित्त वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर अर्थात् दिनांक 31.03.2009 को कुल कार्मिकों की 681 थी, जिनमें 351 कार्यपालक और 330 गैर-कार्यपालक थे।

14.1 अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के समूह-वार विवरण नीचे दिए गए हैं :

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	316 (294)	25(28)	6(6)
ख	148(183)	22(22)	4(4)
ग	112(115)	19(20)	1(1)
घ	105(107)	31(33)	4(5)
कुल जोड़	**681(699)**	**97(103)**	**15(16)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तदनुरूप स्थिति दर्शाते हैं)

14.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों को अपने दायित्व निष्पादित करने में समर्थ बनाने के लिए अनेकों कौशलों से, जिनमें उनका नवीकरण शामिल है, सुसज्जित करने के माध्यम के रूप में, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास को वर्ष के दौरान प्राथमिक स्थान दिया जाना जारी रहा। आकलित आवश्यकताओं के आधार पर तथा उन्हें पूरा करने के माध्यम के रूप में, कंपनी ने देश में तथा विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि के लिए 97 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संस्थान में ही संचालन किया गया, जिनमें 298 कर्मचारियों ने भाग लिया। इनमें सायर, हैदराबाद में केवल आरईसी कर्मचारियों के लिए संचालित एक कार्यक्रम शामिल था। कुल मिलाकर, इन पहलुओं ने कंपनी को समझौता ज्ञापन लक्ष्यों से कहीं अधिक उपलब्धि हासिल करने में समर्थ बनाया। इस अवधि में हमने समझौता ज्ञापन के 1000 श्रम दिवसों के लक्ष्य की तुलना में 1688 श्रम दिवसों का लक्ष्य प्राप्त किया। वैश्विक परिदृश्य के विकास में उन्हें समर्थ बनाने के लिए कई अधिकारियों को विश्व के विभिन्न देशों में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया, जिनमें जापान, ब्रिटेन, कोरिया, इटली, बंग्लादेश आदि शामिल हैं।

14.3 कर्मचारी कल्याण

कंपनी ने वर्ष के दौरान कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में कई कदम उठाए। इनमें कारपोरेट कार्यालय और आंचलिक कार्यालय/परियोजना कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/उनके परिवारों के आश्रित सदस्यों को बेहतर चिकित्सा उपचार मुहैया कराना शामिल है। इसके लिए ''सीधी अदायगी''

योजना के अधीन 17 और अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया है (जिनमें मेट्रो श्रृंखला के अस्पताल भी शामिल हैं)।

14.4 महिला प्रकोष्ठ

कंपनी के महिला प्रकोष्ठ ने शुक्रवार, 6 मार्च, 2009 को (8 मार्च, 2009 को रविवार था) अंतरराष्ट्रीय कामकाजी महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) मनाया।

14.5 औद्योगिक संबंध

कंपनी में सभी स्तरों पर स्वस्थ, सद्भावनापूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे।

14.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

15. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन कर्मचारियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2008-09 या उसके भाग के दौरान कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति नियोजित नहीं किया गया, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अतर्गत आता हो।

16. सतर्कता क्रियाकलाप

16.1 सतर्कता प्रभाग, जिसका प्रधान मुख्य सतर्कता अधिकारी (जो प्रकार्यात्मक निदेशक के स्तर का है) है, जो ''निवारक सतर्कता'' पर बल देने का लगातार प्रयास करता है ताकि प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके और स्वेच्छा के लिए कम से कम गुंजाइश रहे। यह प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से संबंधित मामलों में शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए अनुशासन लागू करने को सुनिश्चित करता है।

16.2 कंपनी के सतर्कता गठन में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी और तीन प्रबंधक/ अधिकारी हैं। हालांकि यह गठन छोटा है, लेकिन यह कार्यात्मक प्रभागों के साथ बातचीत करके कंपनी के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने में प्रभावी प्रबंधकीय तंत्र है, जिससे नीतियों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया जाता है/ प्रलेखों को भी तैयार किया जाता है। इस समय कंपनी के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कोई मामला नहीं है। वित्तीय वर्ष के अंत में तीन अनुशासनिक मामले और दो शिकायतें लंबित हैं।

16.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2008 के दौरान प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार लाने की शुरुआत करने पर बल दिया गया है और लोकहित प्रकटन तथा सूचना देने वाले की रक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 के अधीन शिकायतें करने के लिए, जिसे व्हिसल ब्लोअर संकल्प के रूप में जाना जाता है, जैसे शिकायत निवारण के लिए उपभोक्ता नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है और शिकायतकर्ता को नुकसान से बचाया जाता है। इस अवसर पर कारपोरेट कार्यालय/ आंचलिक/ परियोजना कार्यालयों और केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

16.4 केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए कंपनी के संवेदनशील पदों की पहचान की गई है और उसकी सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को दे दी गई है। मानव संसाधन विभाग को सलाह दी गई है कि वह लम्बे समय से इन पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को बदलते रहें।

16.5 सतर्कता के प्रतिकूल प्राप्त सूचना की सावधानी से समीक्षा की गई। सतर्कता प्रभाग ने ऐसी कार्यालय प्रणाली और प्रक्रिया को सुचारु और सुदृढ़ करने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं, जहां प्रणाली की असफलता ध्यान में आई है। इस प्रक्रिया में जब कभी केंद्रीय सतर्कता आयोग से समय-समय पर प्राप्त सभी महत्त्वपूर्ण पत्रों और सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्रों को आंचलिक कार्यालयों, परियोजना कार्यालयों/ केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद की सूचना के लिए कंपनी के इंटरानेट पर नियमित रूप से डाला जाता है। सतर्कता प्रभाग इन परिपत्रों में दिए गए अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

16.6 निगरानी के रूप में, सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने 6 आंचलिक/ परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया था। कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी के 95 प्रतिशत से अधिक मामलों की संवीक्षा की गई थी और जहां कहीं आवश्यक था, उसका स्पष्टीकरण मांगा गया।

16.7 सतर्कता प्रभाग के कार्य-निष्पादन की आरईसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा लगातार की जाने वाली समीक्षा के अतिरिक्त आरईसी के निदेशक मंडल, मुख्य सतर्कता अधिकारी, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा भी की जाती है। यह समीक्षा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हैं।

17. राजभाषा का कार्यान्वयन

17.1 राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उपलब्धियों का यह एक अन्य वर्ष है। कंपनी ने राजभाषा विभाग द्वारा इस वर्ष के अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों में से अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त किया है। यह अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हिंदी टिप्पणी और पत्राचार में दिखाई गई रुचि के परिणामस्वरूप हुआ। कंपनी को भारतीय राजभाषा विकास संस्थान द्वारा ''राजभाषा श्री सम्मान'' से सम्मानित किया गया।

17.2 सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कारपोरेट कार्यालय में आठ हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 122 कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने के लिए इंटरनेट पर मानक फार्मेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधा कंपनी के सभी कंप्यूटरों में उपलब्ध की गई है। इस वर्ष के दौरान सभी कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रशासनिक शब्दावली के अलावा तकनीकी और वित्तीय शब्दावली तथा आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं ताकि सभी अधिक से अधिक सुविधा और प्रभावी तरीके से हिंदी में कार्य कर सकें। पुस्तकालय के बजट में से इस वर्ष हिंदी की पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक का उपयोग किया गया है। हिंदी कार्य सहित कंपनी के क्रियाकलापों के बारे में मासिक 'ई-दर्पण' आंतरिक परिचालन के लिए प्रकाशित किया गया।

17.3 वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं, जिनमें राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाए गए।

17.4 संसदीय राजभाषा समिति ने कारपोरेट कार्यालय में दिनांक 8.4.2008 को आरईसी के हिंदी कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और दिनांक 20.01.2009 को हैदराबाद में स्थित केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान का निरीक्षण किया। कारपोरेट कार्यालय के राजभाषा प्रभाग ने भी 6 आंतरिक प्रभागों और 6 परियोजना कार्यालयों का इस वर्ष के दौरान निरीक्षण किया। परियोजना कार्यालयों के कुछ निरीक्षणों के दौरान मंत्रालय के वरिष्ठतम अधिकारी भी उपस्थित थे।

17.5 कंपनी ने दिनांक 01.09.2008 से 15.09.2008 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े के दौरान मध्यम स्तर के अधिकारियों और गैर-कार्यपालकों के लिए 9 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की। केवल महाप्रबंधकों/ कार्यपालक निदेशकों के लिए हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। श्री अशोक

चक्रधर (मुख्य अतिथि), श्रीमती अलका सिन्हा, सुप्रसिद्ध कवयित्री और श्री आई.सी.पी. केशरी, संयुक्त सचिव (विद्युत मंत्रालय) भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी में भारत सरकार की सभी प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया जा चुका है। नराकास के तत्वावधान में दिनांक 27.10.2008 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कंपनी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। सभी प्रकाशन, रिपोर्टें, ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां, मेलर्स, टेंडर आदि द्विभाषी रूप से जारी किए गए। संसदीय राजभाषा समिति के अनुदेशों के अनुसार 20 मैनुअल अद्यतन किए गए और द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए गए।

18. विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 2007-08 के लिए विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के रूप में कंपनी के कार्य-निष्पादन को उत्कृष्ट बताया गया। वर्ष 1993-94 से यह लगातार पंद्रहवां वर्ष था, जब कंपनी को उत्कृष्ट श्रेणी प्रदान की गई। वर्ष 2008-09 में भी कंपनी ने समझौता ज्ञापन के सभी लक्ष्यों और उनके कार्य-निष्पादन को पूरा करके उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है।

19. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार दी जाने वाली सूचना, सूचीकरण करार और स्टॉक एक्सचेंज, भारत सरकार के दिशानिर्देश आदि **इस रिपोर्ट के साथ नीचे दिए अनुसार अनुबंध हैं:-**

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन वर्ग की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन के संबंध में कंपनी की रिपोर्ट	II
कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी निगमित सुशासन संबंधी प्रमाणपत्र	III
सहायक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(ङ) के अनुसरण में विवरण	IV
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)	V

20. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी एक नीति कंपनी द्वारा अपनाई गई है। इस नीति के विवरण आरईसी की वेबसाइट, अर्थात् ww.recindia.nic.in पर दिए गए हैं।

बिहार में बाढ़ के कारण हुई विनाशकारी विपत्ति की प्रतिक्रिया में आरईसी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2.5 करोड़ रुपए प्रदान किए। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, श्री सुशील कुमार शिंदे, माननीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार को चैक सौंपते हुए।

21. निदेशक मंडल

21.1 श्री बाल मुकंद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवंबर, 2008 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) नहीं हैं।

21.2 कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(2) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति ने श्री गुलजीत कपूर को निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने दिनांक 1 दिसंबर, 2008 से अपना कार्यभार संभाल लिया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255(1) और (2) के साथ पठित कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(2) और 82(3) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे और शेष 6 निदेशक चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा, अनुच्छेद 82(3) के अनुसार जिन निदेशकों को चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होना है, उन्हें कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साधारण बैठक में नियुक्त किया जाएगा।

तदनुसार, श्री गुलजीत कपूर को निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे कंपनी की अगली वार्षिक साधारण बैठक में शेयरहोल्डरों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

21.3 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार श्री एच.डी. खुंटेटा, कंपनी के निदेशक (वित्त) का कार्यकाल दिनांक 04.05.2009 को समाप्त हो गया है। कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82 (2) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति ने श्री एच.डी. खुंटेटा का कार्यकाल निदेशक (वित्त) के रूप में दिनांक 04.05.2009 से उनकी अधिवर्षिता की आयु की तारीख तक अर्थात 31.07.2012 तक अथवा अगला आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

21.4 कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(4) के प्रावधानों के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशक, यथा डॉ. एम. गोविन्द राव और श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन कंपनी की अगली वार्षिक साधारण बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे और वे पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव दे सकते हैं।

22. सहायक कंपनियां

इस कंपनी ने विशेष कारोबार संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए चार सहायक कंपनियों का गठन किया है। इन कंपनियों के नाम और नियंत्री कंपनी की स्टेक में इन कंपनियों की प्रतिशतता इस प्रकार है:-

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	स्वामित्व के हित के लिए अनुपात
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	100 प्रतिशत
2.	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	100 प्रतिशत
3.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल) (आरईसीटीपीसीएल के पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी)	100 प्रतिशत
4.	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल) (आरईसीटीपीसीएल के पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी)	100 प्रतिशत

22.1 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसीटीपीसीएल ने आरईसी को सौंपी गई दो पारेषण परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता के चयन का कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया है। आरईसीटीपीसीएल को प्रक्रिया में सहायता करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता और बोली प्रक्रिया परामर्शदाता नियुक्त किए जा चुके हैं। तत्पश्चात्, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के अधीन दो परियोजनाएं विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) नामतः (i) नार्थ कर्णपुरा

ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल) और (ii) तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल) भी बाद में स्थापित किए गए हैं। इन एसपीवी का सीईआरसी द्वारा विकासकर्ता को लाइसेंस प्रदान करने के बाद पारेषण प्रणाली के पारेषण सेवा प्रदायक (टीएसपी) में विलय कर दिया जाएगा।

दो पारेषण परियोजनाओं के लिए अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) दिनांक 06.10.2008 को जारी किया गया था। नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 13 बोलीदाताओं ने अपने आरएफक्यू प्रस्ताव प्रस्तुत किए और तलचर-II ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 15 बोलीदाताओं ने अपने आरएफक्यू प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें दिसंबर, 2008 में खोला गया था। उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं के लिए आरएफक्यू का मूल्यांकन करने के बाद चुनाव के आधार पर आरएफपी जारी करने के लिए दिनांक 08.05.2009 को 6 बोलीदाताओं को पत्र जारी किए गए, जिनके नाम हैं : एस्सार पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एल एंड टी ट्रांस्को, रिलायंस पावर, लैंको-दीपक कंसोर्टियम एण्ड स्टरलाइट टेक्नोलॉजी।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

चूंकि आरईसी टीपीसीएल तथा इसकी दो सहायक कंपनियों नामतः एनकेटीसीएल तथा टीटीसीएल ने अभी वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, इन कंपनियों के लिए लाभ और हानि लेखा 31 मार्च, 2009 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए तैयार नहीं किए गए हैं। उसके स्थान पर, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय विवरण तैयार किए गए हैं।

31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए इन कंपनियों के प्रासंगिक व्यय के विवरण के अनुसार कुल व्यय निम्नानुसार है-

क्रम सं.	कंपनी का नाम	31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए निर्माण के दौरान कुल प्रासंगिक व्यय (आंकड़े रुपए में)	अभ्युक्ति
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)		आरईसी टीपीसीएल द्वारा उपगत 201,70,313 रुपए का कुल व्यय इसकी दो सहायक कंपनियों एनकेटीसीएल और टीटीसीएल को आबंटित किया गया है।
2.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल)	118,75,059	इसमें आरईसी टीपीसीएल द्वारा आबंटित 115,65,910 रुपए शामिल हैं।
3.	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल)	86,35,176	इसमें आरईसी टीपीसीएल द्वारा आबंटित 86,04,403 रुपए शामिल हैं
	जोड़	**205,10,235**	

22.2 आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

इस वर्ष के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अधीन टर्न-की आधार पर सौंपे गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के तृतीय पक्षकार गुणवत्ता मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए यूपीसीएल, एमएसईडीसीएल, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, डीजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, एचपीएसईबी, यूएचबीवीएनएल, एपीईपीडीसीएल, एमईएसईबी नामक 13 डिस्कॉमों और आंध्र प्रदेश की 4 आरई सहकारी समितियों से आदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें नौ राज्यों के 71 जिलों के लगभग 34,934 गांव आते हैं और जिनकी संचयी परियोजना लागत लगभग 1868 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर आरईसीपीडीसीएल लगभग 31 करोड़ रुपए परामर्श शुल्क प्राप्त करेगा।

31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आरईसीपीडीसीएल द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के निर्माण कार्य के अधीन लगभग 7000 ग्रामों और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एफआरपी के अधीन 144 फीडरों का तृतीय पक्षकार निरीक्षण पूरा किया गया।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने 5.27 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की और कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात लाभ के रूप में क्रमशः 2.22 करोड़ रुपए और 1.42 करोड़ रुपए प्राप्त किए।

23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन करने के लिए कार्रवाई की है। एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और सूचना के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई की जा सके। आरईसी की वेबसाइट को अद्यतन किया गया है तथा उसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1(ख) के अधीन यथापेक्षित सभी 17 मदों के संबंध में जानकारी दी गई है।

आरईसी में आरटीआई तंत्र

कारपोरेट कार्यालय :

(क) विभागीय अपीलीय प्राधिकारी
श्री रमा रमण,
कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण)

(ख) जन-सूचना अधिकारी
श्री बी.आर रघुनंदन,
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

(ग) सहायक जन-सूचना अधिकारी
श्री ए.पी.एस.मनोचा,
मुख्य प्रबंधक (विधि एवं आरटीआई)

24. अदावाकृत शेयरों का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 शेयरों के नये पब्लिक ऑफर जारी किए हैं, जिनमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों के नये इश्यू हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इतनी ही संख्या में दूसरे शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव दिया है।

दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, अदावाकृत शेयरों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

क्रम सं.	ब्यौरे	मामलों की सं.	शामिल शेयरों की सं.
1.	शेयरधारकों की कुल संख्या और दिनांक 01.04.2008 को बकाया अदावाकृत शेयर	4557	453023
2.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए संपर्क किया	3898	397004
3.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए	3898	397004
4.	शेयरधारकों की कुल संख्या और 31.03.2009 को बकाया अदावाकृत शेयर	659	56019

इन शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक बंद रहेगा, जब तक ऐसे शेयरों के वास्तविक स्वामी इन शेयरों का दावा नहीं कर लेते हैं।

25. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को निरंतर चौथे वर्ष वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों की लेखापरीक्षा की है। तदनुसार, **इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैः**

(क) 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण;

(ख) 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

(ग) एनबीएफसी कंपनियों के लिए लेखापरीक्षित तुलनपत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अनुबंध;

(घ) 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण;

(ड.) कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट।

26. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की दिनांक 30.06.2009 की टिप्पणियां **संलग्न हैं**। उसमें यह बताया गया है कि लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना उनकी जानकारी में नहीं आई है, जिसके लिए उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करनी पड़े अथवा अनुपूरक रिपोर्ट तैयार करनी पड़े।

27. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अधीन वित्तीय विवरण/दस्तावेज

सहायक कंपनियों के संबंध में वित्तीय विवरण तथा अन्य दस्तावेज कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सम्मिलित किए गए हैं।

28. आभार

निदेशक मंडल, विशेष रूप से विद्युत एवं वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से कंपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में प्राप्त उनके सतत् सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभारी है।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत संगठनों और अन्य उधारकर्ताओं को कंपनी में उनके द्वारा लगातार रुचि और विश्वास प्रकट करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक आरईसी शयेरों और बांडों में सम्मानित निवेशकों, कंपनी के निधि संग्रहण कार्यक्रमों में बैंकों, जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान एंड एशियन डेवलेपमैंट बैंक (एडीबी) के (पहले जीबीआईसी) की सतत् सहायता तथा सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, लगातार अगले वर्ष भी उत्कृष्ट निष्पादन के विगत रिकार्डों को पार करने तथा अपेक्षाकृत अधिक सफलता हासिल करने और भारत सरकार द्वारा कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिलाने में समर्थ बनाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी प्रशंसा और सराहना करते हैं तथा उन्हें धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

नई दिल्ली
दिनांक : 15 जुलाई, 2009

(पी. उमा शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सारणी - 1

आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2008-09 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	ऋण की राशि (रुपए लाखों में)	लाभान्वित (संख्या में)			
				पंपसेट	दलित बस्तियां	गांव	आवास
ए.	**पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं**						
1	आंध्र प्रदेश	70	57670	-	-	-	-
2	अरूणाचल प्रदेश	1	1879	-	-	-	-
3	गुजरात	3	16387	-	-	-	-
4	हरियाणा	26	135624	-	-	-	-
5	हिमाचल प्रदेश	5	4039	-	-	-	-
6	जम्मू व कश्मीर	16	9717	-	-	-	-
7	झारखंड	2	98487	-	-	-	-
8	कर्नाटक	21	53861	-	-	-	-
9	केरल	9	45531	-	-	-	-
10	मध्य प्रदेश	0	0	-	-	-	-
11	महाराष्ट्र	77	408165	-	-	-	-
12	मिजोरम		0	-	-	-	-
13	नागालैंड	1	1887	-	-	-	-
14	उड़ीसा	23	44068	-	-	-	-
15	पंजाब	18	143079	-	-	-	-
16	राजस्थान	61	160539	-	-	-	-
17	तमिलनाडु	55	262255	-	-	-	-
18	उत्तर प्रदेश	49	111714	-	-	-	-
19	उत्तरांचल	4	32426	-	-	-	-
20	पश्चिम बंगाल	4	16396	-	-	-	-
	उप-जोड़ (ए)	**445**	**1603724**	-	-	-	-
बी	**विद्युत उत्पादन परियोजनाएं**						
1	आंध्र प्रदेश	2	267000	-	-	-	-
2	छत्तीसगढ़	1	^88000	-	-	-	-
3	जम्मू व कश्मीर	0	^16500	-	-	-	-
4	झारखंड	1	19600	-	-	-	-
5	कर्नाटक	2	252500	-	-	-	-
6	केरल	1	16544	-	-	-	-
7	मध्य प्रदेश	2	345200	-	-	-	-
8	महाराष्ट्र	3	298000	-	-	-	-
9	पंजाब	2	^40487	-	-	-	-
10	तमिलनाडु	3	808700	-	-	-	-
	उप-जोड़ (बी)	**17**	**#2152531**	-	-	-	-
सी	**लघु अवधि ऋण**						
1	बिहार	1	5000	-	-	-	-
2	पंजाब	1	30000	-	-	-	-
3	तमिलनाडु	2	60000	-	-	-	-
4	उत्तर प्रदेश	10	115000	-	-	-	-
	उप-जोड़ (सी)	**14**	**210000**	-	-	-	-
डी	**आरजीजीवीवाई परियोजनाएं**						
1	अरूणाचल प्रदेश	1	2261.78	-	-	146	6680
2	छत्तीसगढ़	3	53552.60	-	-	3884	302946
3	जम्मू व कश्मीर	1	1696.22	-	-	170	5960
4	हिमाचल प्रदेश	2	1412.32	-	-	519	2112
5	मध्य प्रदेश	3	11982.71	-	-	2379	259096
6	राजस्थान	1	20995.86	-	-	1898	73818
	उप-जोड़ (डी)	**11**	***91901**	**-**	**-**	****8996**	*****650612**
ई	**आईसी एंड डी परियोजनाएं**						
1	आंध्र प्रदेश	0	^^5549	-	-	-	-
2	हरियाणा	15	73765	-	-	-	-
3	मध्य प्रदेश	0	^^1360	-	-	-	-
4	महाराष्ट्र	0	^^172	-	-	-	-
	उप-जोड़ (ई)	**15**	**80846**	-	-	-	-
एफ	**डीडीजी परियोजनाएं**						
1	आंध्र प्रदेश	1	1153	-	-	-	-
2	हरियाणा	1	2560	-	-	-	-
3	मिजोरम	0	^^^5593	-	-	-	-
4	उड़ीसा	0	^^^844	-	-	-	-
5	पश्चिम बंगाल	2	8143	-	-	-	-
	उप-जोड़ (एफ)	**4**	**18293**	-	-	-	-
कुल जोड़ (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)		**506**	**4157295**	**-**	**-**	****8996**	*****650612**
घटाएं: आरजीजीवीवाई के अधीन सब्सिडी (जो आरजीजीवीवाई के अधीन स्वीकृत रकम के 90 प्रतिशत के बराबर है)			**82711**				
निवल मंजूरी जिसमें आरजीजीवीवाई के अधीन दी गई सब्सिडी शामिल नहीं है।			**4074584**				

^ इसमें छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर और पंजाब की पहले ही स्वीकृत तीन परियोजनाओं के लिए दी गई अतिरिक्त ऋण स्वीकृति शामिल है।
# इसमें पहले ही स्वीकृत तीन परियोजनाओं के लिए दी गई 50448 लाख रुपए की अतिरिक्त ऋण सहायता शामिल है।
* राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन स्वीकृत परियोजना लागत में पूंजीगत सब्सिडी और ऋण भी शामिल है।
** इसमें अविद्युतीकृत, विद्युत-विहीन और विद्युतीकृत दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं। (इसमें 1725 अविद्युतीकृत और विद्युतविहीन गांव शामिल हैं।)
*** बीपीएल आवास शामिल है
^^ इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 26 परियोजनाओं के लिए दी गई अतिरिक्त ऋण स्वीकृति शामिल है।
^^^ इसमें उड़ीसा और मिजोरम के लिए पहले ही स्वीकृत दो परियोजनाओं के लिए दी गई अतिरिक्त ऋण मंजूरी शामिल है।

सारणी - 2

आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2008-09 के दौरान स्वीकृत श्रेणी-वार परियोजनाएं

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि (रु. लाखों में)	लाभान्वित (संख्या)			
					पंपसेट	दलित बस्तियां	गांव	आवास
ए	पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं							
1	परियोजना: गहन विद्युतीकरण	पी:आईई	51	65136	–	–	–	–
2	विशेष परियोजना कृषि: पंपसेट ऊर्जायन	एसपीए:पीई	77	87439	–	–	–	–
3	परियोजना: तंत्र सुधार	पी:एसआई-वितरण	154	376359	–	–	–	–
4	परियोजना: तंत्र सुधार	पी:एसआई-वितरण (एचवीडीएस)	18	104057	–	–	–	–
5	एपीडीआरपी	एपीडीआरपी	0	15551	–	–	–	–
6	तंत्र सुधार मीटर (वितरण)	एसआई:मीटर	2	6223	–	–	–	–
7	तंत्र सुधार: ट्रांसफार्मर (वितरण)	एसआई:ट्रांसफार्मर	20	66739	–	–	–	–
8	तंत्र सुधार: पैनल/कंडेक्टर कैपेसिटर (वितरण)	एसआई: पेनल/ कैपेसिटर	6	6229	–	–	–	–
9	परियोजना: तंत्र सुधार	पी:एसआई-ट्रांसमिशन	117	875991	–	–	–	–
10	तंत्र सुधार: पावर ट्रांसफार्मर	पावर ट्रांसफार्मर	–	–	–	–	–	–
	उप-जोड़		**445**	**1603724**	–	–	–	–
बी	परियोजना: विद्युत उत्पादन	पी: उत्पादन	17	#2152531	–	–	–	–
सी	लघु अवधि ऋण	एसटीएल	14	210000	–	–	–	–
डी	आरजीजीवीवाई	पी:आरएचएचई	11	*91901	–	–	**8996	***650612
ई	आईसी एंड डी परियोजनाएं	आईसी एंड डी	15	^80846	–	–	–	–
एफ	डीडीजी परियोजनाएं	डीडीजी	4	^^18293	–	–	–	–
	कुल जोड़ (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)		**506**	**4157295**	–	–	**8996	***650612
	घटाएं: आरजीजीवीवाई के अधीन सब्सिडी (जो आरजीजीवीवाई के अधीन स्वीकृत रकम के 90% के बराबर है)			**82711**				
	कुल स्वीकृति, जिसमें आरजीजीवीवाई के अधीन दी गई सब्सिडी शामिल नहीं			**4074584**	–	–	–	–

\# इसमें छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर और पंजाब की पहले ही स्वीकृत तीन परियोजनाओं के लिए दी गई 50448 लाख रुपए की अतिरिक्त ऋण सहायता शामिल है।

* राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन स्वीकृत परियोजना लागत में पूंजीगत सब्सिडी और ऋण शामिल है।

** इसमें अविद्युतीकृत, विद्युत-विहीन और विद्युतीकृत दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं (इसमें 1725 अविद्युतीकृत/ विद्युतविहीन गांव शामिल हैं)।

*** बीपीएल आवास शामिल है।

^ इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 26 परियोजनाओं हेतु पहले ही स्वीकृत तीन परियोजनाओं के लिए दी गई अतिरिक्त ऋण स्वीकृति शामिल है।

^^ इसमें उड़ीसा और मिजोरम के लिए पहले ही स्वीकृत दो परियोजनाओं के लिए दी गई अतिरिक्त ऋण मंजूरी शामिल है।

सारणी - 3

आरईसी परियोजनाओं के अधीन 31.3.2009 तक गत 39 वर्षों के दौरान संचयी राज्यवार मंजूरी

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर ऋण राशि
1	आंध्र प्रदेश	6082	2151642
2	अरुणाचल प्रदेश	228	195816
3	असम	446	213585
4	बिहार	1752	398527
5	छत्तीसगढ़	37	482364
6	दिल्ली	31	441806
7	गोवा	16	2007
8	गुजरात	1925	1307859
9	हरियाणा	1438	679560
10	हिमाचल प्रदेश	490	196616
11	जम्मू व कश्मीर	588	252148
12	झारखंड	39	403184
13	कर्नाटक	2931	1092860
14	केरल	1754	508816
15	मध्य प्रदेश	5281	981236
16	महाराष्ट्र	5624	2733816
17	मणिपुर	151	39528
18	मेघालय	114	75364
19	मिजोरम	76	38583
20	नगालैंड	118	28661
21	उड़ीसा	1707	572624
22	पंजाब	1571	1342872
23	राजस्थान	3823	1733103
24	सिक्किम	44	14137
25	तमिलनाडु	3724	2211689
26	त्रिपुरा	181	63295
27	उत्तर प्रदेश	3232	1525739
28	उत्तरांचल	91	346850
29	पश्चिम बंगाल	1483	1134898
30	डीवीसी	1	48726
31	निजी उत्पादन	25	880443
32	सीसीआई-निजी पार्टी	0	1519
33	नीपको	0	10000
	जोड़	**45003**	**22109872**

सारणी - 4

वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रम-वार संवितरण एवं कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.03.2009 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पारेषण एवं वितरण	विद्युत उत्पादन	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	एसटीएल/ ऋण पुनर्वित्त	वर्ष 2008-09 के लिए कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2008-09 के अंत में बकाया
								वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	85600	101079	1037	0	187716	1284930	64248	575924	709006
2	अरुणाचल प्रदेश	376	496	933	0	1805	22009	1291	9513	12496
3	असम	0	0	5297	0	5297	32911	0	4645	28266
4	बिहार	0	0	6569	0	6569	57518	2756	22336	35182
5	छत्तीसगढ़	0	58750	0	0	58750	286061	15301	48719	237342
6	गोवा	0	0	0	0	0	1479	0	1479	0
7	गुजरात	3302	71514	679	0	75495	612089	44541	439829	172260
8	हरियाणा	59194	53599	302	0	113095	379290	14802	131014	248276
9	हिमाचल प्रदेश	3766	44700	790	0	49256	191853	8616	75774	116079
10	जम्मू व कश्मीर	2363	0	1852	0	4215	92420	2294	40117	52303
11	झारखंड	9853	0	11807	0	21660	124684	0	15334	109350
12	कर्नाटक	25536	0	629	0	26165	402029	12992	268940	133089
13	केरल	0	8515	0	0	8515	338668	12196	284966	53702
14	मध्य प्रदेश	6288	9346	2195	0	17829	226467	6724	139467	87000
15	महाराष्ट्र	107729	134848	2243	0	244820	1154596	87845	587475	567121
16	मणिपुर	0	0	412	0	412	15840	103	3069	12771
17	मेघालय	0	0	109	0	109	41400	46	12167	29233
18	मिजोरम	0	2488	799	2500	5787	23935	66	4658	19277
19	नगालैंड	2123	0	580	0	2703	14415	709	6342	8073
20	उड़ीसा	4882	611	9743	0	15236	116743	3185	91553	25190
21	पंजाब	64659	66375	546	0	131580	738837	38790	332397	406440
22	राजस्थान	223596	3500	2968	16500	246564	1129232	55467	464897	664335
23	सिक्किम	0	24295	444	0	24739	69500	175	2826	66674
24	तमिलनाडु	47852	104126	-13	60000	211965	643469	21887	184058	459411
25	त्रिपुरा	0	0	335	0	335	11390	0	10547	843
26	उत्तर प्रदेश	7460	24779	712	125000	157951	697759	97942	362006	335753
27	उत्तरांचल	0	0	697	0	697	238947	14715	33695	205252
28	पश्चिम बंगाल	14154	76035	6280	0	96469	288581	5245	20879	267702
29	पवन ऊर्जा	0	0	0	0	0	3013	0	158	2855
	जोड़	**668733**	**785056**	**57945**	**204000**	**1715734**	**9240065**	**511936**	**4174784**	**5065281**
	आरजीजीवीवाई सब्सिडी					512052				
	कुल जोड़					**2227786**				

सारणी - 5

आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत 2008-09 के दौरान ऊर्जायित पंपसेटों तथा 31.03.2009 तक संचयी स्थिति

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 के दौरान उपलब्धि	31.03.2009 तक संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	81036	1734629
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3	असम	–	1922
4	बिहार	–	113354
5	दिल्ली	–	–
6	गोवा	–	–
7	गुजरात	–	420456
8	हरियाणा	–	223928
9	हिमाचल प्रदेश	17	5935
10	जम्मू व कश्मीर	1202	10627
11	झारखंड	–	–
12	कर्नाटक	–	862387
13	केरल	–	340882
14	मध्य प्रदेश	–	1054106
15	छत्तीसगढ़	–	–
16	महाराष्ट्र	69746	1795059
17	मणिपुर	–	29
18	मेघालय	–	58
19	मिजोरम	–	–
20	नगालैंड	–	164
21	उड़ीसा	–	63015
22	पंजाब	142	483826
23	राजस्थान	1817	489907
24	सिक्किम	–	–
25	तमिलनाडु	34783	1046670
26	त्रिपुरा	–	1530
27	उत्तर प्रदेश	–	379544
28	उत्तराखंड	–	–
29	पश्चिम बंगाल	–	82202
	जोड़	**188743**	**9110230**

सारणी - 6

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं	राज्य	दसवीं योजना में स्वीकृत परियोजनाएं							ग्यारहवीं योजना में स्वीकृत परियोजनाएं							कुल स्वीकृत परियोजनाएं						
		परि-योजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युती-कृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	परि-योजनाओं की कुल लागत	परि-योजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युती-कृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	परि-योजनाओं की कुल लागत	परि-योजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युती-कृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	कुल स्वीकृत परियोज-नाओं की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	आंध्र प्रदेश	17	17	0	21623	3166161	2114317	648.15	9	5	0	5858	787967	477823	191.94	26	22	0	27481	3954128	2592140	840.09
2	अरुणाचल प्रदेश	2	2	237	321	7230	4377	43.30	14	14	1892	1435	69177	36433	494.39	16	16	2129	1756	76407	40810	537.69
3	असम	3	3	903	1746	190663	148971	158.03	20	20	7622	11584	1224165	842685	1501.97	23	23	8525	13330	1414828	991656	1660.00
4	बिहार	26	25	17125	0	843499	843499	1495.80	17	13	6086	6651	5178537	1918956	1480.09	43	38	23211	6651	6022036	2762455	2975.89
5	छत्तीसगढ़	3	3	117	3504	270085	122326	148.94	11	11	1015	12829	1015460	654839	956.27	14	14	1132	16333	1285545	777165	1105.21
6	गुजरात	3	3	0	2409	243397	188471	60.84	22	22	0	15525	1352456	766679	299.59	25	25	0	17934	1595853	955150	360.43
7	हरियाणा	4	4	0	1075	116814	49198	48.48	14	14	0	4910	452872	174875	148.92	18	18	0	5985	569686	224073	197.40
8	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1118	2531	647	25.02	11	11	93	9548	33948	11801	180.23	12	12	93	10666	36479	12448	205.25
9	जम्मू व कश्मीर	3	3	103	1444	99088	59731	97.62	11	11	180	4606	196133	76999	538.31	14	14	283	6050	295221	136730	635.93
10	झारखंड	13	13	8727	4379	1469520	942319	1287.67	9	9	11010	3243	1456740	749478	1374.94	22	22	19737	7622	2926260	1691797	2662.61
11	कर्नाटक	17	17	49	21152	1319939	631828	375.39	7	6	83	6743	516464	220442	186.32	24	23	132	27895	1836403	852270	561.71
12	केरल	1	1	0	38	23799	17834	19.75	0	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	38	23799	17834	19.75
13	मध्य प्रदेश	8	8	115	9653	565912	311295	395.57	24	24	691	24441	2087624	1064947	1137.77	32	32	806	34094	2653536	1376242	1533.34
14	महाराष्ट्र	4	4	0	4052	355590	262538	78.86	30	30	6	36240	2278152	1613853	634.58	34	34	6	40292	2633742	1876391	713.44
15	मणिपुर	2	2	186	270	25136	14447	64.07	2	2	309	457	51131	34741	91.69	4	4	495	727	76267	49188	155.76
16	मेघालय	2	2	174	797	41495	23676	45.99	5	5	1769	2739	147153	92771	244.42	7	7	1943	3536	188648	116447	290.41
17	मिजोरम	2	2	90	209	15331	8618	41.75	6	6	47	361	29003	18799	62.50	8	8	137	570	44334	27417	104.25
18	नगालैंड	2	2	12	279	21701	14290	16.25	9	9	93	873	121291	55610	94.92	11	11	105	1152	142992	69900	111.17
19	उड़ीसा	4	4	2602	4637	598625	335080	434.10	27	26	15293	24355	4259667	2850783	3141.01	31	30	17895	28992	4858292	3185863	3575.11
20	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	11840	405023	148860	154.59	17	17	0	11840	405023	148860	154.59
21	राजस्थान	25	24	1705	15608	1009310	699951	453.23	16	10	2783	19233	1221077	1050400	803.76	41	34	4488	34841	2230387	1750351	1256.99
22	सिक्किम	2	2	16	158	10320	3724	26.09	2	2	9	260	17846	7734	31.01	4	4	25	418	28166	11458	57.10
23	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	12416	1692235	545511	447.41	26	26	0	12416	1692235	545511	447.41
24	त्रिपुरा	1	1	48	72	20548	13119	19.57	3	3	112	570	208211	181611	111.89	4	4	160	642	228759	194730	131.46
25	उत्तर प्रदेश	64	65	30802	3287	1694075	1120648	2719.51	0	0	0	0	0	0	0.00	64	65	30802	3287	1694075	1120648	2719.51
26	उत्तरांचल	13	13	1469	14105	357309	281615	643.89	0	0	0	0	0	0	0.00	13	13	1469	14105	357309	281615	643.89
27	पश्चिम बंगाल	13	13	4283	0	145918	97847	385.03	15	4	290	24775	3828087	2601887	1959.60	28	17	4573	24775	3974005	2699734	2344.63
	जोड़	**235**	**234**	**68763**	**111936**	**12613996**	**8310366**	**9732.90**	**327**	**300**	**49383**	**241492**	**28630419**	**16198517**	**16268.12**	**562**	**534**	**118146**	**353428**	**41244415**	**24508883**	**26001.02**

सारणी - 7

उपलब्धियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2007-08 तक उपलब्धि		2008-09 तक उपलब्धि		संचयी उपलब्धि	
		अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	आंध्र प्रदेश	–	833404	–	945368	–	1778772
2	असम	84	–	651	32718	735	32718
3	बिहार	13362	67820	3098	474277	16460	542097
4	छत्तीसगढ़	–	15302	50	75592	50	90894
5	गुजरात	–	78317	–	116310	–	194627
6	हरियाणा	–	6907	–	16930	–	23837
7	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	392	–	392
8	जम्मू व कश्मीर	–	4062	46	3924	46	7986
9	झारखंड	1259	2826	4933	243830	6192	246656
10	कर्नाटक	47	374736	11	226046	58	600782
11	केरल	–	6596	–	3394	–	9990
12	मध्य प्रदेश	15	1099	69	76026	84	77125
13	महाराष्ट्र	–	56287	–	145715	–	202002
14	मणिपुर	36	1300	57	2056	93	3356
15	मेघालय	–	–	90	1264	90	1264
16	उड़ीसा	–	72	1427	144056	1427	144128
17	राजस्थान	1628	255378	158	237727	1786	493105
18	तमिलनाडु	–	–	–	296	–	296
19	उत्तर प्रदेश	26985	447264	695	251575	27680	698839
20	उत्तरांचल	1226	83181	175	50111	1401	133292
21	पश्चिम बंगाल	3184	59219	596	37181	3780	96400
	कुल	**47826**	**2293770**	**12056**	**3084788**	**59882**	**5378558**

अनुबंध-I

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण समझौते के खंड 49(IV)(च) के अनुसरण में)

1. औद्योगिक ढ़ांचा

वित्तीय वर्ष 2009 में विद्युत उत्पादन 704.45 से बढ़कर 723.56 बिलियन यूनिट (बीयू) अर्थात 2.71 प्रतिशत बढ़ गया जबकि इसी अवधि के दौरान मांग 739.35 बिलियन यूनिट से बढ़कर 774.32 बिलियन यूनिट हो गई। इस प्रकार वार्षिक ऊर्जा की कमी 11 प्रतिशत बढ़ गई। यह पिछले छह वर्ष में सबसे ज्यादा कमी थी क्योंकि इससे पहले वर्ष यह कमी 9.9 प्रतिशत रही थी। लेकिन वर्ष 2009 में, व्यस्ततम समय में यह कमी घटकर 12 प्रतिशत हो गई, जबकि इससे पहले वाले वर्ष यह 16.6 प्रतिशत थी। विद्युत संबंधी कार्यदल ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सकल विद्युत मांग 1038 बिलियन यूनिट (बीयू) बताई है और व्यस्ततम समय में यह मांग लगभग 151000 मेगावाट दर्शाई है। बिजली की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्षमता संवर्द्धन का लक्ष्य 78577 मेगावाट रखा गया है। विद्युत उद्योग के मुख्य तीन संघटकों में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण शामिल है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

विद्युत उत्पादन

11वीं योजना के प्रथम दो वित्त वर्षों में अधिष्ठापित क्षमता 147965.4 मेगावाट से बढ़कर 15635.4 मेगावाट हो गई।

(मेगावाट)

क्षेत्र	10वीं योजना के अंत (2007) में अधिष्ठापित क्षमता	31.03.2009 को अधिष्ठापित क्षमता	11वीं योजना में अब तक अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि	11वीं योजना (2012) में क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य
राज्य	70096	76115.70	6019.70	27952
केंद्रीय	45121	48971.00	3850.00	39865
प्राइवेट	17113	22878.70	5765.70	10760
जोड़	**132330**	**147965.40**	**15635.40**	**78577**

भारत में विद्युत आपूर्ति उद्योग की एक विशेषता भारी मात्रा में कैप्टिव (आबद्ध) विद्युत उत्पादन है, जिसकी स्थापना इस्पात और एल्युमीनियम जैसे ऊर्जा गहन उद्योगों द्वारा की गई है। विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कैप्टिव विद्युत उत्पादक अतिरिक्त विद्युत ग्राहकों को बेच सकते हैं।

11वीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल धनराशि 4,108,960 मिलियन रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से केंद्रीय क्षेत्र के लिए 2,020,670 मिलियन रुपए, राज्य क्षेत्र के लिए 1,237,920 मिलियन रुपए और प्राइवेट क्षेत्र के लिए 850,370 मिलियन रुपए की अनुमानित निधि की जरूरत होगी।

पारेषण

10वीं योजना के अंत तक देश में कुल पारेषण लाइनों की संख्या लगभग 1.98 लाख सर्किट किलोमीटर है। 11वीं योजना के पहले दो वित्तीय वर्षों में कुल लगभग 23239 सर्किट किलोमीटर लाइनें चालू की जा चुकी हैं। इसी प्रकार सबस्टेशन ट्रांसफोर्मेशन क्षमता 10वीं योजना के अंत में 2.62 लाख एमवीए से बढ़कर वित्त वर्ष 2009 के अंत में 3.06 लाख एमवीए हो गई। ग्याहवीं योजना अवधि के दौरान कुल निधि आवश्यकता के रूप में 1,400,000 मिलियन रुपए का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से केंद्रीय क्षेत्र के लिए 750,000 मिलियन रुपए और राज्य क्षेत्र के लिए 650,000 मिलियन रुपए की आवश्यकता होगी।

पारेषण प्रणाली के विकास में समुचित अंतः-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि अखिल भारतीय ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड तंत्र को समेकित और दुरूस्त किया जा सके। भारत सरकार की पारेषण की प्रस्तावित योजना में 2012 तक पारेषण तंत्र में 60,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक की वृद्धि करके चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका आशय यह है कि एकीकृत ग्रिड 2012 तक 100,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति करेगी और देश में उत्पादित बिजली के 60 प्रतिशत का संवहन करेगी। ''पारेषण उच्च मार्ग'' का सृजन करके वित्त वर्ष 2012 तक विद्यमान अंतः-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता को 30,000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2007 में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने एक स्कीम आरंभ की ताकि प्रमुख पारेषण परियोजनाओं में प्राइवेट क्षेत्र से निवेश आमंत्रित किए जा सकें, जिसके परिणामस्वरूप प्राइवेट विकासकर्ताओं को "बनाओ, मालिक बनो और चलाओ'' के आधार पर पारेषण सेवा प्रदाता बनाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने इस आधार पर क्रियान्वित की जाने वाली 14 पारेषण संबद्ध परियोजनाओं की पहचान की है, जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

वितरण

भारत सरकार ने एपीडीआरपी स्कीम पुनः शुरू करके वितरण सुधारों पर दुबारा बल दिया है, जो अब निष्पादन पर आधारित होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली विकास हेतु ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल निधि आवश्यकता के रूप में 2,870,000 मिलियन रुपए का अनुमान लगाया गया है, जिसमें त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) स्कीमें शामिल हैं। लेकिन, इस क्षेत्र में किए गए सुधार राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सरकार की यूटिलिटीज की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण सीमित हो गए और परिणामस्वरूप वितरण तंत्र का उच्चीकरण नहीं हो पाया।

इस समस्या के समाधान के लिए भूतपूर्व एपीडीआरपी को 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित एपीडीआरपी) के रूप में जारी रखा गया। इस कार्यक्रम में अब क्षतियों में निरंतर कमी के रूप में वास्तविक, प्रदर्शनीय कार्य-निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों अर्थात कस्बों और नगरों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त अधिक मांग के गहन जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ उच्च लोड में घरेलू और औद्योगिक फीडरों को कृषि के फीडरों से पृथक किया जाएगा। उच्च वोल्टता वाली वितरण प्रणाली (11 केवी) भी शुरू की जाएगी। आर-एपीडीआरपी के **भाग-क** का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र के लिए बेसलाइन डाटा तैयार करना है, जिसमें उपभोक्ता सूचीकरण, जीआईएस मैपिंग, वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडर्स की मीटरिंग और सभी वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों के लिए स्वचालित डाटा लॉगिंग और एससीएडीए/ डीएमएस प्रणाली आदि भी शामिल हैं। इसके **भाग-ख** का

उद्देश्य 11 केवी स्तर के सब-स्टेशनों, ट्रांसफार्मरों/ ट्रांसफार्मर केंद्रों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, और 11 केवी के स्तर तथा उससे नीचे के स्तर की लाइनों का कंडक्टर बदलना और अंतिम मील दूरी के पूरे मूल सुविधा ढांचे का उच्चीकरण है।

भारत सरकार आर-एपीडीआरपी योजनाओं के भाग-क के लिए 100 प्रतिशत ऋण मुहैया कराएगी और आर-एपीडीआरपी योजनाओं के भाग-ख के लिए 25 प्रतिशत तक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत तक) ऋण मुहैया कराएगी, जिनके लिए निधियां पीएफसी/ आरईसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसी परियोजना के भाग-ख के लिए भारत सरकार के ऋण की समस्त रकम निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपेक्षित बेसलाइन डाटा प्रणाली स्थापित करने और तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसियों के द्वारा विधिवत सत्यापित किए जाने के बाद अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दी जाएगी। भाग-ख के लिए दिए गए ऋणों का 50 प्रतिशत तक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत), पांच वर्ष की अवधि में स्थायी आधार पर तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसियों द्वारा विधिवत सत्यापन किए जाने पर भाग-ख परियोजनाओं के लिए परियोजना क्षेत्र में 15 प्रतिशत तक कुल एटी एंड सी क्षतियों को घटाने का लक्ष्य प्राप्त करने पर पांच समान किस्तों में अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

आर-एपीडीआरपी में कार्य-निष्पादन उन्मुखी उपलब्धियों पर प्रोत्साहन दिए जाने से संभावना है कि वितरण मूल सुविधाओं में निवेश बढ़ेगा, जिसके परिणामतः क्षति कम करने का उद्देश्य तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण नीति संबंधी कार्य

हाल के वर्षों में भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।, जिससे प्राइवेट निवेश बढ़ा है। शुरूआत **विद्युत अधिनियम, 2003** से की गई, जिसने बिजली क्षेत्र को शासित करने वाले विधायी ढांचे को संशोधित कर दिया और जिसने बड़े स्तर की विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी आकर्षित करने की शुरूआत की। फरवरी, 2005 में **राष्ट्रीय बिजली नीति** अधिसूचित की गई । इसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैः (i) अगले पांच वर्षों में सभी आवासों के लिए बिजली तक पहुंच; (ii) ऊर्जा और व्यस्ततम कमी पर काबू पाना तथा वर्ष 2012 तक विद्युत की मांग पूर्णतया पूरी करना; (iii) विनिर्दिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं गुणवत्ता वाली विद्युत की कुशल तरीके से तथा वाजिब दरों पर आपूर्ति; (iv) वर्ष 2012 तक एक यूनिट/आवास/दिन की न्यूनतम आवश्यकता खपत की एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करना; (v) बिजली क्षेत्र में घाटे की जगह मुनाफा कमाना एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता; और (vi) उपभोक्ता हितों की रक्षा। जनवरी, 2006 में अधिसूचित **राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति** के उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ताओं को उचित दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रशुल्क निर्धारण हेतु विनियामक दृष्टिकोण में निरंतरता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। बिजली के लिए जुलाई, 2005 में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी काम आरंभ कर दिया है। विद्युत क्षेत्र में दक्षता लाने और इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए **विद्युत वितरण सुधारों** की एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई थी। मार्च, 2003 में ''त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)'' नामक एक योजना अनुमोदित की थी, जिसे सितंबर, 2008 में पुनर्गठित-आर-एपीडीआरपी के रूप में फिर शुरू किया गया। इसे निष्पादन आधारित और वित्तीय रूप से आकर्षक बनाया गया। **ग्रामीण विद्युतीकरण नीति** अगस्त, 2006 में अधिसूचित की गई। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। ग्रामीण विद्युतीकरण नीति का मूल उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योगों इत्यादि में उत्पादक लाभों हेतु एक निवेश के रूप में बिजली उपलब्ध करवा कर तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत लगभग 1.15 लाख अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 2.34 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों को निशुल्क बिजली कनेक्शन और देश के सभी ग्रामीण आवासों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना है। स्कीम का उद्देश्य विद्युत संवितरण ढांचे में (i) प्रत्येक ब्लॉक में पर्याप्त क्षमता का कम से कम एक 33/11(अथवा 66/11केवी) केवी उप-केंद्र के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी); (ii) किसी भी गांवों अथवा पुरवा(वों) में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई); और (iii) विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) और बायोमास, बायो ईंधन, बायो गैस, मिनि हाइड्रो, जियो थर्मल और सौर जैसे पारंपरिक या नवीकरणयोग्य या गैर-पारंपरिक स्रोतों से ऐसे ग्रामों को बिजली की आपूर्ति करना, जहां ग्रिड की संयोज्यता व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है। पूंजीगत व्यय में 90 प्रतिशत की सब्सिडी आरईसी जो संपूर्ण देश में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है के माध्यम से दी जा रही है, परियोजना क्षेत्र के ग्रामीण आवासों में गरीबी रेखा से नीचे के आवासों को इस योजना के अधीन बिजली के कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। ग्रामीण वितरण के प्रबंधन का कार्य फ्रैंचाइजी के माध्यम से किया जा रहा है, जो गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), उपभोक्ताओं की संस्था, पंचायत संस्थान, सहकारी या व्यक्तिगत उद्यमी हो सकता है। इस योजना में त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र बनाया गया है, जिसके लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आरंभ में अनुमोदित की गई थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 28,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी मंजूर की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इसके परिणामतः ग्रामीण भारत में बिजली उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा निवेश बन गया है।

2. अवसर

भारत सरकार का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत क्षेत्र में लगभग 10316 बिलियन भारतीय रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है, जिसमें विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने, विद्यमान विद्युत संयंत्रों की मरम्मत और अनुरक्षण, पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे का विस्तार और उच्चीकरण, केंद्रीकृत वितरित उत्पादन आदि के लिए अपेक्षित निधि शामिल है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम और भी अधिक है। अतः विद्युत बुनियादी सुविधा परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, जोकि भविष्य में भी इसी प्रकार बने रहेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम के अधीन मानीटरिंग और निधियों की उपलब्धता के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी, ग्रामीण विद्युतीकरण के सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी को निभाता रहेगा और ''2012 तक सभी के लिए बिजली'' के महा अभियान में योगदान देता रहेगा।

3. उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

प्रमुख सरकारी वित्तीय संस्थान के रूप में यह कंपनी राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों और प्राइवेट क्षेत्र को ब्याज सहित ऋण देता है ताकि विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सभी क्षेत्रों का विकास किया जा सके। कंपनी ने ऋण नीति पहले ही तैयार कर ली है और इसे लगातार आशोधित/अद्यतन/विस्तारित किया जाता है ताकि इसे विद्युत यूटिलिटियों की ऋण आवश्यकताओं की बढ़ती मांग के अनुकूल बनाया जा सके।

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने 40745.84 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की है (जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन दिए गए 827.11 करोड़ रुपए की सब्सिडी शामिल नहीं है)। कंपनी के प्रचालन क्षेत्र को बढ़ाते हुए सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार 22277.86 करोड़ रुपए (जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन दिए गए 5120.52 करोड़ रुपए की सब्सिडी शामिल है), का संवितरण किया है ताकि विद्युत क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था की जा सके। कंपनी द्वारा दी गई मंजूरी का मुख्य घटक विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए दी गई 21525.31 करोड़ रुपए की मंजूरी है। इसके अलावा, पारेषण और वितरण योजनाओं के लिए 16037.24 करोड़ रुपए, अल्पकालिक ऋण के रूप में 2,100 करोड़ रुपए, आईसी एंड डी परियोजनाओं के लिए 808.46 करोड़ रुपए, डीडीजी परियोजनाओं के लिए 182.93 करोड़ रुपए और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 91.90 करोड़ रुपए (जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए दी गई 827.11 करोड़ रुपए की सब्सिडी शामिल नहीं है) की मंजूरी दी गई। संवितरण में विद्युत उत्पादन के लिए 7850.56 करोड़ रुपए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 5699.97 करोड़ रुपए (जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए दी गई 5120.52 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी शामिल है), पारेषण और वितरण की स्कीमों के लिए 6,687.33 करोड़ रुपए और अल्पकालिक ऋण के रूप में 2,040 करोड़ रुपए शामिल हैं।

4. खतरे, जोखिम एवं चिंताएं

वर्ष के दौरान विद्यमान प्रतिकूल आर्थिक वातावरण में किफायती तरीके से संसाधन जुटाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था और कंपनी ने कुल मिलाकर इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। आर्थिक मंदी विद्युत क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकी और पात्र उधारकर्ताओं द्वारा अपनी परियोजनाओं के लिए पूंजी और ऋण लेने की क्षमता बनी रही। राज्य विद्युत बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति चिंता का विषय बनी रही, हालांकि उन्होंने सुधार की प्रक्रिया अपनाई है।

5. दृष्टिकोण

कई वर्षों के कार्य की कठोर नीति के कारण विद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में दर्शाई गई प्रगति यह संकेत देती है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 78577 मेगावाट के क्षमता संवर्धन लक्ष्य से वास्तविक उपलब्धियां पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से काफी ज्यादा हो सकती हैं। ये क्रियाकलाप बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दर्शाए गए लक्ष्य के अनुरूप पहले ही शुरू हो चुके हैं और इससे भी 1.55 लाख मेगावाट अधिक हो गई है। वर्तमान प्रौद्योगिकियों को लागू करने और ग्रामीण विद्युतीकरण में निवेश करने के साथ-साथ पारेषण और वितरण क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश से हमें भारत में विद्युत क्षेत्र में लगातार प्रगति करने की दिशा मिली है। पिछलें वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़ गई है, जो इस समय विश्व की औसत खपत से कम है। विद्युत क्षेत्र ऐसा प्रमुख घटक है, जो समग्र अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए सबसे आवश्यक बुनियादी जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्ज्वल है और विद्युत क्षेत्र द्वारा नई ऊंचाइयां छूने की संभावना है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

निगम ने प्रबंधन की नीतियों का पालन करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखेबाजी और त्रुटियों को रोकने एवं उनका पता लगाने, लेखा रिकार्डों की सत्यता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित, जहां तक संभव हो सके, अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में विभिन्न नीतियां एवं पद्धतियां तैयार की हैं। निगम में एक अलग आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग है, जो प्रबंधन द्वारा तैयार नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रचालनों के सभी क्षेत्र कवर करता है। यह प्रभाग भुगतान और व्यय की जांच-पड़ताल करने, गलतियों का पता लगाने और उन्हें रोकने तथा निगम के वित्तीय और तकनीकी रिकार्डों की जांच करने, लेन-देन और प्रचालनों की परिशुद्धता तथा दक्षता में सुधार लाने में सहायता करता है।

देश के विभिन्न भागों में स्थित आंचलिक कार्यालयों/ परियोजना कार्यालयों, सीआईआरई और निगम मुख्यालय में निगम के विभिन्न प्रभागों की द्विवार्षिक, वार्षिक और अर्द्धवार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है।

7. प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन के वित्तीय-निष्पादन पर चर्चा

वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत ऋण 40745.84 करोड़ रुपए था जबकि इससे पहले वाले वर्ष (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन सब्सिडी को छोड़कर) 46770 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान वितरण भी बढ़कर 22277.86 करोड़ रुपए हो गया जबकि पिछले वर्ष (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन सब्सिडी सहित) 16304 करोड़ रुपए था।

वर्ष 2008-09 के दौरान वसूल की जाने वाली रकम 9788.90 करोड़ रुपए थी जबकि इससे पिछले वर्ष के दौरान यह 9002.73 करोड़ रुपए थी। इन आंकड़ों में चूक करने वाले उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली रकम शामिल है। कंपनी ने वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 9796.97 करोड़ रुपए की वसूली की थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान 9041.99 करोड़ रुपए की वसूली की थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रचालन आय में 1378.95 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की, जो कि वर्ष 2007-08 के दौरान 3378.21 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 4757.17 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी का कर पूर्व लाभ 2007-08 के 1312.42 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 के दौरान 1920.11 करोड़ रुपए था। कंपनी का निवल लाभ 1272.08 करोड़ रुपए था, जोकि गत वर्ष 860.15 करोड़ रुपए की तुलना में 411.93 करोड रुपए अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2009 के अनुसार कंपनी की नेटवर्थ 6190 करोड़ रुपए थी।

8. नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं

कंपनी के कार्यपालकों में व्यावसायिकता लाने के लिए और उसमें युवा कार्यपालकों को शामिल करने के लिए वर्ष के दौरान खुले विज्ञापन के माध्यम से कंपनी में चार कार्यपालक और कैंपस भर्ती के माध्यम से तीन कार्यपालक नियुक्त किए गए। वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर कुल जनशक्ति 681 थी, जिसमें 351 कार्यपालक और 330 अकार्यपालक शामिल हैं।

कंपनी ने देश में और देश से बाहर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में 97 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, कंपनी में ही 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 298 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में सीआईआरई, हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम भी शामिल है, जो केवल आरईसी के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था। वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए कई अधिकारियों को जापान, यू.के., कोरिया, जिनेवा, इटली, बंगलादेश आदि विभिन्न देशों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भेजा गया।

कारपोरेट कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों/ परियोजना कार्यालयों में कर्मचारियों/ उनके आश्रित परिवार को बेहतर चिकित्सा उपचार मुहैया कराने के लिए कारपोरेशन ने 17 और अस्पतालों को अपनी ''सीधे

अदायगी'' योजना के अधीन शामिल किया है (जिनमें मेट्रो श्रृंखला के अस्पताल भी शामिल हैं)।

9. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी एक नीति बनाई है। नीति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

नीति

''एक उत्तरदायी निगमित संस्था बने रहना, जिसका उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और समग्र समाज सहित सभी हितधारकों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान है।''

उद्देश्य और लक्ष्य

एक उत्तरदायी निगमित संस्था के रूप में कंपनी निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित कर सतत विकास अवधारणा का अनुसरण करते हुए अपने हितधारकों की आशाओं को पूरा करने के लिए लगातार अवसरों की खोज करती रहेगी :-

(1) उचित हस्तक्षेप और चुनिंदा आधार पर सहायता से वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडलों के प्रदर्शन की सुविधा प्रदान करना ताकि वैसे ही कंही भी प्रस्तुत किए जा सकें।

(2) कार्यकुशलता विकास और प्रशिक्षण सहित ग्रामीण उद्यमों और आजीविका का संवर्धन।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में साझा सुविधा केंद्रों/ उत्पादन केंद्रों को विकास सहायता प्रदान करना।

(4) लघु उद्यम संवर्धन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का संवर्धन एवं विकास।

(5) पर्यावरण सुरक्षा हेतु सतत प्रयास करना।

(6) खेल-कूद को बढ़ावा देना।

(7) कर्मचारियों और उनके परिवारों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देना।

(8) समुदाय विकास के सार्थक कार्यक्रम आरंभ करना।

(9) समाज के अत्यंत पिछड़े और सीमांत वर्गों की व्यावसायिक, तकनीकी और उच्चतर शिक्षा के प्रयासों में सहायता देना।

(10) प्राकृतिक संकट/आपदाओं के समय राहत/पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय/स्थानीय प्रयासों में सहायता देना।

अनिवार्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलाप

(i) समय-समय पर लागू तथा भारत सरकार से प्राप्त विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(ii) समय-समय पर लागू तथा भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों (दृष्टिहीनता, विकलांगता आदि जैसी विभिन्न अशक्तता से पीड़ित) को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(iii) विभिन्न सांविधिक प्रावधानों अथवा अन्यथा कंपनी की नीतियों के अंतर्गत समय-समय पर यथा लागू अनुसार निगम के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि योजना, उपदान के भुगतान के अंतर्गत लाभों के रूप में आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

(iv) कंपनी की विभिन्न नीतियों अथवा विभिन्न कानूनों के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों में उल्लिखित के अनुसार विभिन्न रोगों, अशक्तता से बचाव सहित कर्मचारियों और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यक सुविधा प्रदान करना।

(v) विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत लागू अथवा कंपनी द्वारा समय-समय पर तय नियमों के अनुसार मातृत्व लाभ देने के संदर्भ में निगम की महिला कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक उपाय प्रदान करना।

अनुबंध-II

निगमित सुशासन की रिपोर्ट

एक सूचीबद्ध कंपनी और एक अच्छे निगमित एंटिटी के रूप में यह कंपनी विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व पर आधारित अच्छी निगमित परिपाटियों के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे स्थायी दीर्घकालिक समृद्धि और लाभकारिता प्राप्त करने के लिए अपने सभी हितधारकों में विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त हो।

सूचीबद्ध करार के अनुसार, निगमित सुशासन के प्रावधानों का पालन करने के साथ-साथ सरकारी कंपनी के रूप में सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का भी यह कंपनी अनुसरण करती है।

निगमित सुशासन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है और निगमित सुशासन के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र भी अलग से संलग्न किया गया है।

1. निगमित सुशासन संहिता पर निगम की विचारधारा

आरईसी अपने सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा करने, उनको प्रोन्नत एवं संरक्षण करने तथा उपयुक्त पारदर्शी प्रणाली द्वारा समर्थित अच्छे निगमित सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी ग्रामीण और शहरी जनता के रहन-सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करने हेतु भी प्रतिबद्ध है।

आरईसी देशभर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और वितरण तंत्र संबंधी परियोजनाओं को प्रवर्तित करने तथा वित्तपोषित करने के लिए ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने वाले प्रतिस्पर्धात्मक एवं विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल की संरचना :

आरईसी के निदेशक मंडल में 8 (आठ) सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 3(तीन) प्रकार्यात्मक निदेशक हैं और पांच गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक हैं, जिनमें से एक भारत सरकार का नामिती है और चार स्वतंत्र निदेशक हैं।

इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

प्रकार्यात्मक निदेशक:

श्री पी. उमा शंकर	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)
श्री एच.डी. खुंटेटा	-	निदेशक (वित्त)
श्री गुलजीत कपूर	-	निदेशक (तकनीकी)

गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक:

श्री देवेन्द्र सिंह	-	सरकारी नामिती निदेशक
श्री वेणुगोपाल एन. धूत	-	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. एम. गोविन्द राव	-	स्वतंत्र निदेशक
श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन	-	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. देवी सिंह	-	स्वतंत्र निदेशक

(ख) गैर-प्रकार्यात्मक निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण:

निदेशक मंडल ने दिनांक 23.03.2009 को आयोजित अपनी बैठक में मंडल/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आरईसी के निदेशक मंडल के अंशकालिक गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क की अदायगी को नीचे दिए अनुसार संशोधित किया है:-

क्रम सं.	ब्यौरे	प्रति बैठक पूर्व-संशोधित शुल्क	प्रति बैठक संशोधित बैठक शुल्क
1.	निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए	12,000/- रुपए	15,000/- रुपए
2.	समिति की बैठक में भाग लेने के लिए	10,000/- रुपए	15,000/- रुपए

(ग) निदेशक मंडल और समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान दिनांक 28.04.2008, 26.05.2008, 09.07.2008, 28.07.2008, 11.09.2008, 23.09.2008, 24.10.2008, 08.12.2008, 22.12.2008, 27.01.2009, 21.02.2009 और 23.03.2009 को निदेशक मंडल की 12 बैठकें आयोजित की गई।

निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल चार माह से कम का था। निदेशक मंडल को कंपनी में उपलब्ध सभी संगत सूचना तक पूरी तरह पहुंच है, जिसमें सूचीबद्ध करार में निर्धारित सूचना भी शामिल थी।

(ii) वर्ष 2008-09 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया, पिछली वार्षिक साधारण बैठक की उपस्थिति, अन्य निदेशकों की संख्या (सरकारी लिमिटेड कंपनियों में)/ समितियों की सदस्यता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति और शेयरहोल्डर शिकायत समिति (आरईसी से भिन्न) का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें		पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति (24.09.2008 को आयोजित)	दिनांक 31.03.2009 को अन्य निदेशक पदों की संख्या	दिनांक 31.03.2009 को अन्य समितियों के सदस्यों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12	12	हां	3	शून्य	शून्य
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त)	12	11	हां	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री बाल मुकंद, निदेशक (तकनीकी) (दिनांक 30.11.2008 तक)	7	6	हां	शून्य	शून्य	शून्य

4.	श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी) (दिनांक 01.12.2008 से)	5	5	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक	12	9	हां	1	शून्य	शून्य
6.	श्री वेणुगोपाल एन. धूत, स्वतंत्र निदेशक	12	1	नहीं	10	1	1
7.	डॉ. एम. गोविन्द राव, स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	1	शून्य	शून्य
8.	श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन, स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	1	शून्य	शून्य
9.	डॉ. देवी सिंह, स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	3	1	शून्य

निदेशक मंडल के सदस्यों में से कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है।

(iii) लागू कानूनों का अनुपालन

निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी पर लागू कानूनों और ऐसे लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की एक संकेतक सूची की पहचान की थी। इसके अलावा, दिनांक 21.02.2009 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल ने उसमें दिए गए फार्मेट की समीक्षा की, जिसमें लागू सांविधिक अनुपालनों की प्रकृति के वास्तविक विवरण और तिमाही के दौरान उनके अनुपालन की तारीख/ विवरण भी दिए गए हैं। निदेशक मंडल ने प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के आधार पर लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा की और दिनांक 31.03.2009 तक ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें पालन न किया गया हो।

(घ) आचरण संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शिता की प्रक्रिया बढ़ाने के कंपनी के मिशन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए आचरण संहिता तैयार की है। इस आचरण संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट, अर्थात् www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

सूचीबद्ध करार के खंड 49 के अधीन अपेक्षित घोषणा

''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण संहिता'' के अधीन आने वाले सभी सदस्य वित्त वर्ष 2008-09 के लिए उपर्युक्त आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि करते हैं।

ह./-
(पी. उमा शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ङ) इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने गोपनीयता बनाए रखने और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का दुरुपयोग रोकने के लिए एक व्यापक इनसाइडर ट्रेडिंग निवारक संहिता तैयार की है। कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और पदनामित कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि वह कंपनी में अपने कार्यचालन के दौरान प्राप्त ऐसी सूचना की गोपनीयता की सुरक्षा करे और कंपनी में अपने पद का दुरुपयोग न करे तथा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी से संबंधित सूचना अथवा अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करे। संहिता में कंपनी के शेयरों से संबंधित कार्य करने और अनुपालन न करने के परिणामों के संबंध में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और प्रकटीकरणों के संबंध में दिशानिर्देश का उल्लेख किया गया है। कंपनी सचिव आंतरिक व्यापार रोकने संबंधी संहिता का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी है। इस संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार, जब भी कोई मूल्य संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई थी, तब व्यापार खिड़की (ट्रेडिंग विंडो) बंद कर दी गई थी। व्यापार खिड़की बंद करने के बारे में सभी कर्मचारियों को सूचना समय से पहले जारी कर दी गई थी और जब खिड़की बंद हो जाए, तब कंपनी के शेयरों का लेन देन रोकने के लिए उपयुक्त घोषणाएं भी की गई थीं।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियां इस प्रकार हैं :

- लेखापरीक्षा समिति
- डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति
- आरईसी ऋणों के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति
- शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति
- ऋण समिति
- मानव संसाधन संबंधी उप-समिति

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) वर्तमान लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. एम. गोविन्द राव	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त), कार्यकारी निदेशक (आंतरिक लेखापरीक्षा) और सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित अधिकारी है।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:

(क) कंपनी अधिनियम की धारा 292ए के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ख) सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लिखित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) 2007के निगमित सुशासन दिशानिर्देशों का चरणबद्ध रूप में अनुपालन करना;

(ग) कंपनी की लेखा परीक्षा न की गई/ लेखापरीक्षित तिमाही/ छमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना और/अथवा रिकार्ड में शामिल करना।

वर्ष 2008-09 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 10.05.2008, 25.05.2008, 28.07.2008, 24.10.2008, 27.01.2009 और 18.03.2009 को 6 बैठकें आयोजित की गई। वर्ष 2008-09 के दौरान जिन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, उनका विवरण इस प्रकार है

निदेशक का नाम और पदनाम	समिति में पद	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. एम. गोविन्द राव, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	6	6
श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	6
डॉ. देवी सिंह, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	6

डॉ. एम. गोविन्द राव, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, दिनांक 24.09.2008 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण सभा में शेयरहोल्डरों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित थे।

3.2 डिबेंचरों के अलावा उधार लेने संबंधी उप-समिति

डिबेंचरों को छोड़कर उधार लेने संबंधी निदेशक मंडल की उप-समिति का गठन निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 29.04.2005 की बैठक में किया। डिबेंचरों को छोड़कर उधार लेने संबंधी निदेशक मंडल की उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल है। वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नही हुई।

3.3 आरईसी ऋणों के लिए उधार दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 21.07.2006 को आयोजित अपनी बैठक में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के ऋणों के उधार की दरों की समीक्षा करने के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति का गठन किया था। इस उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

इन बैठकों का कोरम 2 निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल है। वर्ष के दौरान इस उप-समिति की दिनांक 09.04.2008, 03.07.2008, 09.07.2008, 23.07.2008, 08.08.2008, 03.09.2008, 24.09.2008, 01.10.2008, 21.10.2008, 13.01.2009 और 21.01.2009 (स्थगित बैठक) को 11 बैठकें (जिनमें एक स्थगित बैठक भी शामिल है) आयोजित की गईं ।

3.4 शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति

(i) शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति का गठन

दिनांक 30.11.2008 से श्री बाल मुकंद की अधिवर्षिता और उनके स्थान पर दिनांक 01.12.2008 से श्री गुलजीत कपूर की नियुक्ति के कारण दिनांक 22.12.2008 को शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया। यह समिति शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र न मिलने, घोषित लाभांश आदि के प्राप्त न होने जैसे शेयरहोल्डरों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य विशेष रूप से देखती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह सरकारी नामिती निदेशक हैं। शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री देवेन्द्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान शेयरहोल्डरों/ निवेशकों की लंबित शिकायतों की शिकायत प्रक्रिया और स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 26.05.2008, 28.07.2008, 24.10.2008 और 27.01.2009 को शेयरहोल्डरों और निवेशकों की शिकायत समिति की चार बैठकें आयोजित की गई।

(ii) शेयरहोल्डरों/ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष में सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरहोल्डरों/ निवेशकों की शिकायतों की सूचना इस प्रकार है:-

दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि में इक्विटी शेयर/ सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित शेयरहोल्डरों/ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:-

वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतें	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	2054
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2053*
दिनांक 31.03.2009 को लंबित शिकायतें	शून्य

* इसमें एक ऐसी लंबित शिकायत शामिल नहीं है, जो असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित है।

3.5 ऋण समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 26.05.2008 को आयोजित अपनी बैठक में ऋण समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन निम्नलिखित ऋणों की स्वीकृति के लिए किया गया है:-

(i) केंद्रीय/राज्य सरकारी विद्युत यूटिलिटीज को 20,000 करोड़ रुपए तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अंदर प्रत्येक मामले में 150 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए तक; और

(ii) प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटीज को 4000 करोड़ रुपए तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अंदर प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए तक।

ऋण समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

इस समिति का कोरम तीन निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष और सरकारी नामिती निदेशक शामिल है।

इस वर्ष के दौरान इस समिति की दिनांक 09.07.2008, 22.07.2008, 28.07.2008, 05.09.2008, 24.09.2008, 11.12.2008, 06.01.2009, 27.01.2009 और 23.03.2009 को 9 बैठकें आयोजित की गई।

3.6 मानव संसाधन संबंधी उप-समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 09.07.2008 को आयोजित अपनी बैठक में मानव संसाधन संबंधी उप-समिति का गठन किया। इसका गठन मानव संसाधन नीतियों के विकास, समीक्षा और संशोधन करने के लिए किया गया था, जिसमें पावर फाइनेंस कारपोरेशन, एनटीपीसी आदि जैसे सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के अनुसार मोटे तौर पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ/ सुविधाओं से संबंधित नीतियां भी शामिल हैं। समिति निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

मानव संसाधन संबंधी उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्री विनोद बिहारी, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) इस समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित होने वाले अधिकारी हैं। इस समिति का कोरम दो सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान इस समिति की दिनांक 08.12.2008 और 18.03.2009 को दो बैठकें आयोजित की गई।

3.7 पारिश्रमिक समिति

वर्तमान में आरईसी की संस्था अंतर्नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और/या अन्य भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः 2008-09 में इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित नहीं की गई।

तथापि, निगमित सुशासन संहिता के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

(क) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ	कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	जोड़
1.	श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9,50,117	2,91,027	38,588	12,79,732
2.	श्री एच. डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त)	9,93,765	4,59,410	6,13,500	20,66,675
3.	श्री बाल मुकंद, पूर्व निदेशक (तकनीकी) (30.11.2008 से निदेशक नहीं रहे)	6,66,844	14,02,496*	6,32,394	27,01,734
4.	श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी) (01.12.2008 से नियुक्त)	3,38,636	2,31,234	-	5,69,870

* 30.11.2008 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री बाल मुकंद, निदेशक नहीं रहे। उन्हें दिए गए अन्य लाभों में सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ भी शामिल हैं।

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:-

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	
1.	श्री वेणुगोपाल एन धूत*	1	-	1
2.	डॉ. एम. गोविन्द राव	1,47,000	60,000	2,07,000
3.	श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन	1,47,000	80,000	2,27,000
4.	डॉ. देवी सिंह	1,47,000	80,000	2,27,000

* श्री वी.एन. धूत वर्ष के दौरान बैठक में उपस्थित होने के लिए मानदेय अदायगी के रूप में प्रति बैठक केवल एक रुपया ले रहे है।

(ग) श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक होने के कारण कंपनी से कोई पारिश्रमिक और बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

3.8 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 28.07.2008 को आयोजित बैठक में शेयर अंतरण समिति का गठन किया था। प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में *500 इक्विटी शेयर* से अधिक शेयरों के वास्तविक विभाजन/ संकलन और अंतरण के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।

शेयर अंतरण समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री बी.आर. रघुनंदन	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	महाप्रबंधक (वित्त) - संसाधन

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर तक शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/ समेकन के लिए प्राप्त अनुरोधों का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

4. सहायक कंपनियां

सूचीकरण करार के खंड 49 में परिभाषित के अनुसार कंपनी की कोई 'महत्त्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी' नहीं है। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त आरईसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए थे। सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों की आरईसी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी।

5. वार्षिक साधारण बैठक

संख्या	वर्ष	अवस्थिति	तारीख एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
37वीं	2005-06	पंजीकृत कार्यालय, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	22 सितंबर, 2006, अपराह्न 4.00 बजे	नहीं
38वीं	2006-07	पंजीकृत कार्यालय, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	27 सितंबर, 2007, अपराह्न 3.00 बजे	नहीं
39वीं	2007-08	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010	24 सितंबर, 2008, पूर्वाह्न 10.00 बजे	नहीं नहीं

6. डाक मत पत्र

आरईसी के संस्था ज्ञापन (एमओए) के मुख्य उद्देश्यों के खंड में संशोधन करने के लिए कंपनी का डाक मत पत्रों के जरिए विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि संस्था ज्ञापन के विद्यमान खंड III (क) के उपखंड 9 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त उप-खंड 10 अंतःस्थापित किया जा सके।

''(10) ऐसे क्रियाकलापों के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना, जिनका वित्तीय परियोजनाओं (जिनमें ये शामिल हैं लेकिन यहीं तक सीमित नहीं) के साथ फारवर्ड और/या बैकवर्ड लिंकेज हो, जैसे विद्युत परियोजनाओं में ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कोयला और अन्य खनन क्रियाकलाप, विद्युत क्षेत्र के लिए अन्य ईंधन की आपूर्ति की व्यवस्था का विकास और ऐसी अन्य सक्षम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना, जो विद्युत क्षेत्र का तेजी से और प्रभावी ढंग से विकास करने के लिए अपेक्षित हों।''

श्री संजीव ग्रोवर, एफसीए, एफसीएस, व्यावसायिक कंपनी सचिव, नई दिल्ली, को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मत पत्र से किए गए मतदान की प्रक्रिया को संचालित कर सकें और सदस्यों से भरे हुए मत पत्र फार्म प्राप्त कर सकें और उनकी संवीक्षा कर सकें।

डाक मत पत्र प्रक्रिया का संचालन करने हेतु अपनाई गई/अपनाई जाने वाली कार्यविधि इस प्रकार है:-

क्रम सं.	ब्योरे	समय-अनुसूची
1.	निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव को संपूर्ण डाक मत पत्र प्रक्रिया की जिम्मेदारी के लिए प्राधिकृत करने संबंधी निदेशक मंडल का संकल्प	25.05.2009
2.	डाक मत पत्र की प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद संवीक्षक की नियुक्ति	15.07.2009 तक
3.	वार्षिक साधारण बैठक की सूचना प्रेषित करने का कार्य शुरू करना, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए और डाक मत पत्र नियमावली, 2001 के अनुसार डाक मत पत्रों के जरिए कार्य किया जाएगा।	01.08.2009
4.	डाक मत पत्र के साथ बैठक की सूचना के प्रेषण का कार्य पूरा करना	08.08.2009
5.	संवीक्षक द्वारा डाक मत पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख	07.09.2009
6.	संवीक्षक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करना	15.09.2009
7.	वार्षिक साधारण बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा परिणाम घोषित करना	19.09.2009
8.	अध्यक्ष द्वारा उस कार्यवृत्त पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना, जिसमें मत पत्रों का परिणाम दर्ज किया गया हो।	18.10.2009 तक
9.	कंपनी (डाक मत पत्र द्वारा संकल्प पारित करना) नियमावली, 2001 के नियम 5(ङ) के अधीन संवीक्षक द्वारा रखे जाने वाले मत पत्रों, रजिस्टरों और अन्य संबंधित कागज पत्रों को संवीक्षक द्वारा अध्यक्ष को लौटाना।	20.10.2009
10.	नामित प्राधिकारी को मत पत्र सौंपना।	23.10.2009

7. प्रकटन

(i) संबंधित पार्टियों अर्थात प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन से संबंधित कोई अत्यंत महत्त्वपूर्ण लेनदेन नहीं है, जिनसे कंपनी के हितों के साथ कोई भारी विवाद उत्पन्न हो सकता हो। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। इस संबंध में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है।

(ii) व्हिसल ब्लोअर नीति अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। कंपनी को इस संबंध में नीति अभी तैयार करनी है।

(iii) कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के पास जाने के लिए मना नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी ने निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल सभी सुझाई गई मदें अपनाई हैं।

(v) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्त्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेनों के संबंध में निदेशक मंडल को सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ : कंपनी शेयरों का कार्य व्यवहार करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक कार्य-व्यवहार करना, जिनकी या जिनके संबंधियों की प्रबंधन में शेयरधारिता हो।

(vi) प्राप्त घोषणा-पत्रों के अनुसार कंपनी के निदेशकों के बीच परस्पर संबंध नहीं हैं।

गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने/नहीं अपनाए जाने संबंधी सूचना नीचे दी जा रही है:-

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

1. **निदेशक मंडल :** कंपनी के प्रमुख एक प्रकार्यात्मक अध्यक्ष हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल सभी स्वतंत्र निदेशक पहली बार दिसंबर, 2007/ जनवरी, 2008 में नियुक्त किए गए थे और कुल मिलाकर नौ वर्ष की अवधि से आगे इसमें वृद्धि होने का प्रश्न नहीं उठता।

2. **पारिश्रमिक समिति :** निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्णय कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कंपनी की वित्त वर्ष 2008-09 के संबंध में कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है।

3. **लेखापरीक्षा आपत्ति :** कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है।

4. **निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण देना :** यह आवश्यकता आधारित है।

5. **निदेशक मंडल के गैर-प्रकार्यात्मक सदस्यों के मूल्यांकन की प्रणाली :** इस समय ऐसी कोई प्रणाली नहीं है।

6. **व्हिसल ब्लोअर नीति :** कंपनी द्वारा अभी तैयार नहीं की गई है।

7. **संप्रेषण के साधन :**

   निगम के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं और दि इकनोमिक टाइम्स, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स (हिंदी) इत्यादि जैसे वित्तीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम निगम की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

   कंपनी निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से भी अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ संपर्क बनाए रखती है।

कंपनी के संबंध में सारी महत्त्वपूर्ण सूचना का कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षित लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निगमित सुशासन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संबंधी रिपोर्ट शामिल होती है, जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सभी सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार अपेक्षित श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री एच.डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 25 मई, 2009 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष तब प्रस्तुत किया गया था जब 31.03.2009 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर विचार किया गया।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

(i) 2008-09 की वार्षिक साधारण बैठक

दिनांक	तारीख	स्थान
19 सितंबर, 2009	11.00 बजे पूर्वाह्न	एयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010

(ii) वित्तीय वर्ष 2008-09

(iii) (क) अंतरिम लाभांश का विवरणः

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 और कंपनी (लाभ का आरक्षित निधि में अंतरण) के साथ पठित कंपनी संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 104 के अनुसरण में कंपनी ने वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 2 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य पर) का अंतरिम लाभांश अदा किया।

(ख) अंतिम लाभांश का विवरणः

निदेशक मंडल ने दिनांक 25 मई, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2008-09 के लिए 2.50 रुपए प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य पर) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश दिनांक 19.09.2009 को आयोजित की जाने वाली आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरहोल्डरों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) 4.50 प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य पर) होगा।

(iv) खाता बंदी की तारीख :

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 5 सितंबर, 2009 से 19 सितंबर, 2009 तक (जिसमें दोनों दिन शामिल हैं) बंद रखे जाएंगे।

(v) अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए रिकार्ड तारीख

वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए रिकार्ड तारीख 4 सितंबर, 2009 है।

(vi) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

क्रम सं.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कोड
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	आरईसीलिमिटेड
2.	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532955

(vii) स्टॉक कोड : आईएनई020बी01018

(viii) बाजार मूल्य आंकड़े

बीएसई

मास	उच्च (रुपए)	निम्न (रुपए)	बंद होने के समय मूल्य (रुपए)
अप्रैल, 08	126.25	101.60	122.40
मई, 08	125.90	106.55	107.15
जून, 08	108.90	83.00	83.90
जुलाई, 08	94.60	72.60	87.95
अगस्त, 08	96.90	82.00	87.05
सितंबर, 08	96.35	74.10	80.80
अक्तूबर, 08	85.20	55.00	66.20
नवंबर, 08	73.25	53.55	54.60
दिसंबर, 08	74.80	54.05	73.00
जनवरी, 09	84.10	72.00	80.25
फरवरी, 09	89.70	76.00	79.40
मार्च, 09	99.10	76.10	96.20

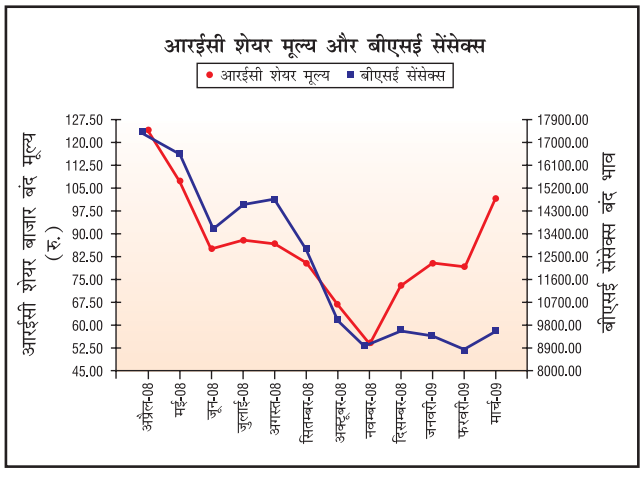

एनएसई

मास	उच्च (रुपए)	निम्न (रुपए)	बंद होने के समय मूल्य (रुपए)
अप्रैल, 08	126.20	101.10	122.55
मई, 08	125.90	106.10	107.20
जून, 08	108.80	83.05	83.70
जुलाई, 08	94.50	72.00	87.75
अगस्त, 08	97.10	81.90	87.15
सितंबर, 08	94.90	67.10	81.25
अक्तूबर, 08	84.95	56.00	65.95
नवंबर, 08	73.00	53.00	54.90
दिसंबर, 08	79.00	54.10	72.90
जनवरी, 09	84.60	72.10	80.10
फरवरी, 09	89.60	75.10	78.75
मार्च, 09	98.95	75.55	96.10

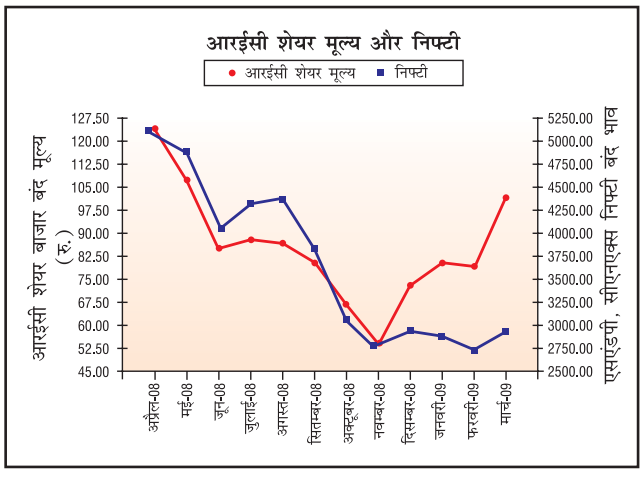

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लाट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, मढ़ापुर,
हैदराबाद-500081, भारत, दूरभाष : 91 40 23420815-824
फैक्स : 91 40 23420814, ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvy.com

(x) शेयर अंतरण प्रणाली

फिजिकल सेग्मैंट वाले शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी अंतरिती से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और इनका अंतरण ज्ञापन आदि तैयार करता है। प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक फिजिकल शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे ही अनुमोदित किया जाता है।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में, **प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के** वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/समेकन हेतु अनुरोध के अनुमोदन के लिए शेयर अंतरण एवं निवेशक सेवा समिति भी गठित की गई है।

सुश्री सविता ज्योति, व्यावसायिक कंपनी सचिव, हैदराबाद सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि 31 मार्च, 2009 को एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ धारित वास्तविक रूप में शेयरों की कुल संख्या और डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या, कुल निर्गत/ प्रदत्त पूंजी के अनुरूप है।

(xi) शेयरधारिता का वितरण

- 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या	रकम	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	363290	98.76%	32660097	326600970	3.80%
5001-10000	2219	0.60%	1688794	16887940	0.20%
10001-20000	979	0.27%	1425547	14255470	0.17%
20001-30000	353	0.10%	865935	8659350	0.10%
30001-40000	175	0.05%	616660	6166600	0.07%
40001-50000	155	0.04%	715518	7155180	0.08%
50001-100000	296	0.08%	2146249	21462490	0.25%
100001 और उससे अधिक	375	0.10%	818541200	8185412000	95.33%
जोड़	**367842**	**100.00%**	**858660000**	**8586600000**	**100.00%**

• **31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का प्रतिरूप**

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति*	702540000	81.82%
बैंक	2526330	0.29%
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	2167822	0.25%
विदेशी संस्थागत निवेशक	29415036	3.43%
निगमित निकाय	13040211	1.52%
अनिवासी भारतीय	445391	0.05%
बीमा कंपनियां	5697131	0.66%
निवासी व्यक्ति	39280785	4.57%
न्यास	94744	0.01%
निकासी सदस्य	415715	0.05%
म्युचुअल फंड	62169824	7.25%
भारतीय वित्तीय संस्थान	867011	0.10%
जोड़	**858660000**	**100.00%**

* जिनमें भारत के राष्ट्रपति के 7 नामितियों द्वारा धारित 700 शेयर भी शामिल हैं।

(xii) शेयरों का डिमेटीरियलाइजेशन

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार डिमेटीरियलाइज्ड और फिजिकल रूप में धारित शेयरों की संख्या:-

श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
फिजिकल	5583	9029	नगण्य
एनएसडीएल	254760	846013212	98.53%
सीडीएसएल	107499	12637759	1.47%
जोड़	**367842**	**858660000**	**100.00%**

(xiii) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए गए हैं।

(xiv) संयंत्र की अवस्थिति : लागू नहीं

(xv) पत्राचार के लिए पता

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, भारत

(xvi) कंपनी सचिव और लोक प्रवक्ता

श्री बी.आर. रघुनंदन
दूरभाष : 91 11 24367305
फेक्स : 91 11 24362039
ई-मेलः brraghu@recl.nic.in

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

हमने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण के खंड 49 और सरकारी उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई)के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 7.2.1 में उल्लेख किया गया है, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा निगमित सुशासन के अनुपालन की जांच कर ली है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का अनुपालन किया है, जिनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण के खंड 49 और सरकारी उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई)के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 7.2.1 में उल्लेख किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी के अपेक्षानुसार हमने समीक्षा की है और यह देखा गया है कि निगम द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार किसी भी निवेशक की कोई शिकायत एक माह से अधिक की अवधि के लिए लंबित नहीं थी।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता अथवा दक्षता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन नहीं है, जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते **जी.एस. माथुर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सुरेश चन्द्र)
भागीदार,
सदस्यता सं. 082023
दिनांक : 18.06.2009
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2009 के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपए में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
निधियों के स्त्रोत			
शेयरधारकों की निधियां:			
पूंजी	1	**85,866.00**	85,866.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	**533,142.00**	450,904.80
		619,008.00	536,770.80
ऋण निधियां:			
प्रतिभूत ऋण	3	**3,761,365.25**	2,942,195.13
अप्रतिभूत ऋण	4	**732,230.45**	486,083.51
		4,493,595.70	3,428,278.64
आस्थगित कर देयता	8	**95,668.52**	81,707.82
योग		**5,208,272.22**	4,046,757.26
निधियों का उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां:	5		
सकल ब्लॉक		**7,110.87**	8,383.36
घटाएं मूल्यह्रास		**1,447.62**	1,357.78
निवल ब्लॉक		**5,663.25**	7,025.58
चालू पूंजीगत कार्य		**2,427.04**	764.49
निवेश	6	**100,486.36**	114,739.70
ऋण	7	**5,138,144.58**	3,931,651.18
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम:	9		
नकदी तथा बैंक शेष		**188,604.14**	125,303.79
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**45,839.00**	49,911.99
ऋण तथा अग्रिम		**114,478.38**	62,038.29
		348,921.52	237,254.07
घटाएं: वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान:	10		
देयताएं		**243,670.95**	148,656.92
प्रावधान		**143,699.58**	96,020.84
		387,370.53	244,677.76
निवल चालू परिसंपत्तियां		**(38,449.01)**	(7,423.69)
कुल		**5,208,272.22**	4,046,757.26

लेखा पर टिप्पणियां **17**

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखे का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

सुरेश चन्द्र
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक वित्त

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रुपए में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालन आय (निवल)	11	**475,717.01**	337,821.94
अन्य आय	12	**17,410.79**	15,944.16
योग		**493,127.80**	353,766.10
व्यय			
ब्याज तथा अन्य प्रभार	13	**288,734.95**	206,365.09
स्थापना व्यय	14	**8,722.35**	9,230.01
प्रशासन व्यय	15	**2,240.55**	1,823.77
बॉण्ड/ऋण लिखत निर्गम व्यय	16	**979.50**	910.36
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		**237.05**	3,999.34
निवेशों में ह्रास हेतु प्रावधान		**105.34**	0.00
मूल्यह्रास		**136.16**	138.55
योग		**301,155.90**	222,467.12
पूर्वावधि मदों से पूर्व वर्ष हेतु लाभ		**191,971.90**	131,298.98
पूर्वावधि समायोजन - व्यय/(आय) (निवल)		**(38.73)**	56.65
कर पूर्व लाभ		**192,010.63**	131,242.33
कर हेतु प्रावधान			
कर - चालू वर्ष		**50,688.31**	37,380.10
- पिछले वर्ष		**2.15**	-
आस्थगित कर - चालू वर्ष		**13,960.70**	7,741.03
अनुषंगी लाभ कर		**151.71**	106.55
योग		**64,802.87**	45,227.68
कर पश्चात् तथा विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**127,207.76**	86,014.65
विनियोजनः			
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित को अंतरित		**34,000.00**	25,500.00
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित		**8,000.00**	5,800.00
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		**17,173.20**	-
कारपोरेट लाभांश कर			
- अंतरिम लाभांश		**2,918.58**	-
प्रस्तावित लाभांश		**21,466.50**	25,759.80
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**3,648.23**	4,377.88
सामान्य आरक्षित को अंतरित		**25,500.00**	14,000.00
तुलन-पत्र में ले जाया गया अधिशेष		**14,501.25**	10,576.97
योग		**127,207.76**	86,014.65
प्रत्येक 10/- रुपए के प्रति शेयर पर आधारभूत तथा कम की गई अर्जन-राशि रुपए में [लेखे पर टिप्पणी देखें (अनुसूची-17)]		**14.81**	10.94

लेखा पर टिप्पणियां **17**

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखे का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

सुरेश चन्द्र
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक वित्त

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई, 2009

अनुसूची '1' शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
प्राधिकृत		
10 रुपए प्रत्येक के 1200,000,000 (पिछले वर्ष 1200,000,000) इक्विटी शेयर	**120,000.00**	120,000.00
निर्गत, अंशदत्त तथा प्रदत्त		
10 रुपए प्रत्येक के 858,660,000 (पिछले वर्ष 858,660,000) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**85,866.00**	85,866.00
योग	**85,866.00**	85,866.00

अनुसूची '2' आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रुपए में)

	01.04.2008 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2009 को अंत शेष
क) पूंजीगत आरक्षित (यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	**10,500.00**
ख) प्रतिभूति प्रीमियम*	71,980.53	235.95	-	**72,216.48**
ग) वित्त वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	5,173.77	-	-	**5,173.77**
घ) वित्त वर्ष 1997-98 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	244,606.00	34,000.00	-	**278,606.00**
च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(viiए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित	26,369.13	8,000.00	-	**34,369.13**
छ) सामान्य आरक्षित	79,387.38	25,600.00	-	**104,887.38**
ज) अधिशेष	12,887.99	14,501.25	-	**27,389.24**
योग	**450,904.80**	**82,237.20**	**-**	**533,142.00**

* पिछले वर्ष में प्रदत्त अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संबंध में निवल राशि को शेयर प्रीमियम खाते में फिर से शामिल करके दर्शाया गया है।

अनुसूची '3' प्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
बैंक/संस्थानों से सावधि ऋण (प्राप्य राशि के प्रति प्रतिभूत)	**205,325.00**	232,200.00
भारतीय जीवन बीमा से ऋण (प्राप्य राशि के प्रति प्रतिभूत)	**335,000.00**	350,000.00
बॉण्ड के द्वारा ऋण (संचयी तथा गैर-संचयी)		
(प्राप्य राशि के प्रति प्रभार द्वारा प्रतिभूत तथा/महाराष्ट्र और दिल्ली में अचल संपत्ति जोकि प्राइवेट प्लेसमैंट की शर्तों और संबंधित न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार है)		
I. करमुक्त प्रतिभूत बॉण्ड		
क) दीर्घावधि ऋण		
41वीं श्रृंखला - 22.02.2010 को सममूल्य पर 8.25% विमोच्य	**7,500.00**	7,500.00
53वीं श्रृंखला - 23.03.2011 को सममूल्य पर 7.10% विमोच्य	**5,000.00**	5,000.00
II. करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड		
64वीं श्रृंखला - 27.09.2009 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**15,000.00**	15,000.00
66वीं श्रृंखला - 31.01.2010 को सममूल्य पर 6.00% विमोच्य	**13,900.00**	13,900.00
69वीं श्रृंखला - 23.01.2014 को सममूल्य पर 6.05% विमोच्य	**66,920.00**	66,920.00
72वीं श्रृंखला - 18.08.2011 को सममूल्य पर 6.60% विमोच्य	**38,570.00**	38,570.00

73वीं श्रृंखला - 08.10.2014 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**23,390.00**	23,390.00
75वीं श्रृंखला - 17.03.2015 को सममूल्य पर 7.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
77वीं श्रृंखला - 30.06.2015 को सममूल्य पर 7.30% विमोच्य	**98,550.00**	98,550.00
78वीं श्रृंखला - 31.01.2016 को सममूल्य पर 7.65% विमोच्य	**179,570.00**	179,570.00
79वीं श्रृंखला - 14.03.2016 को सममूल्य पर 7.85% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
80वीं श्रृंखला - 20.03.2016 को सममूल्य पर 8.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
81वीं श्रृंखला - 20.01.2017 को सममूल्य पर 8.85% विमोच्य	**31,480.00**	31,480.00
82वीं श्रृंखला - 28.09.2017 को सममूल्य पर 9.85% विमोच्य	**88,310.00**	88,310.00
83वीं श्रृंखला - 28.02.2018 को सममूल्य पर 9.07% विमोच्य	**68,520.00**	68,520.00
84वीं श्रृंखला - 04.04.2013 को सममूल्य पर 9.45% विमोच्य	**100,000.00**	-
85वीं श्रृंखला - 13.06.2018 को सममूल्य पर 9.68% विमोच्य	**50,000.00**	-
86वीं श्रृंखला - 24.07.2013 को सममूल्य पर 10.75% विमोच्य	**72,790.00**	-
86-ए श्रृंखला - 29.07.2018 को सममूल्य पर 10.70% विमोच्य	**50,000.00**	-
86बी-I श्रृंखला - 14.08.2011 को सममूल्य पर 10.95% विमोच्य	**92,420.00**	-
86बी-II श्रृंखला - 14.08.2013 को सममूल्य पर 10.90% विमोच्य	**35,410.00**	-
86बी-III श्रृंखला - 14.08.2018 को सममूल्य पर 10.85% विमोच्य	**43,200.00**	-
87-I श्रृंखला - 30.09.2013 को सममूल्य पर 10.90% विमोच्य	**37,020.00**	-
87-II श्रृंखला - 30.09.2018 को सममूल्य पर 10.85% विमोच्य	**65,740.00**	-
87ए-I श्रृंखला - 24.10.2013 को सममूल्य पर 11.35% विमोच्य	**24,970.00**	-
87ए-II श्रृंखला - 24.10.2018 को सममूल्य पर 11.20% विमोच्य	**3,640.00**	-
87ए-III श्रृंखला - 24.10.2018 को सममूल्य पर 11.15% विमोच्य	**6,180.00**	-
87बी श्रृंखला - 03.11.2011 को सममूल्य पर 11.75% विमोच्य	**94,090.00**	-
87सी-I श्रृंखला - 26.05.2010 को सममूल्य पर 11.45% विमोच्य	**22,910.00**	-
87सी-II श्रृंखला - 26.11.2010 को सममूल्य पर 11.45% विमोच्य	**59,150.00**	-
87सी-III श्रृंखला - 26.11.2013 को सममूल्य पर 11.50% विमोच्य	**86,000.00**	-
88वी श्रृंखला - 15.01.2019 को सममूल्य पर 8.65% विमोच्य	**149,500.00**	-
पूंजीगत लाभ बॉण्ड (सममूल्य पर विमोच्य)		
श्रृंखला-I	**1,552.60**	3,349.70
श्रृंखला-II	**1,639.40**	6,969.70
श्रृंखला-III	**6,502.30**	15,425.70
श्रृंखला-IV	**20,638.20**	35,930.90
श्रृंखला-V	**81,013.50**	333,474.18
श्रृंखला-VI	**449,421.30**	449,421.30
श्रृंखला-VI ए	**285,867.00**	285,867.00
श्रृंखला-VII	**340,274.40**	340,274.40
श्रृंखला-VIII	**252,523.30**	-
इंफ्रॉस्ट्रक्चर बॉण्ड (सममूल्य पर विमोच्य)		
श्रृंखला-I तथा II	**924.70**	1,503.00
श्रृंखला-III	**533.55**	649.25
श्रृंखला-IV	**420.00**	420.00
बॉण्ड आवेदन राशि	**-**	100,000.00
कुल प्रतिभूत ऋण	**3,761,365.25**	2,942,195.13
अगले वर्ष के अंतर्गत चुकौती/विमोचन हेतु नियत	**990,348.69**	397,302.46

अनुसूची सं.-3 की टिप्पणियां:-

क) 37,61,365.25 लाख रुपए के प्रतिभूत ऋण में निम्न शामिल हैं:-

(1) 1,28,880 लाख रुपए की राशि के 87ए एवं बी श्रृंखला के करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड के प्रभार का पंजीकरण लंबित है; तथा

(2) 3,17,560 लाख रुपए की राशि के 87सी तथा 88वीं श्रृंखला के करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड के बंधक/मालबंधन विलेख के निष्पादन तथा प्रभारों के सृजन की औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।

ख) 64वीं, 66वीं, 72वीं, तथा 87ए-II श्रृंखला के बॉण्ड में 5 वर्षों के अंत में अर्थात क्रमशः 27.09.2007, 31.01.2008, 18.08.2009 तथा 24.10.2013 को पुट/कॉल का विकल्प था। 64वीं तथा 66वीं श्रृंखला से क्रमशः 27.09.2007, तथा 31.01.2008 को बॉण्ड धारकों द्वारा पुट विकल्प का उपयोग करते हुए 90 करोड़ रुपए तथा 135 करोड़ रुपए के बॉण्डों को विमोचित किया गया था।

(ग) 69वीं, 73वीं तथा 77वीं श्रृंखलाएं क्रमशः 6वें,7वें, 8वें, 9वें तथा 10वें वर्ष में सममूल्य पर 5 समान किश्तों पर विमोच्य है।

(घ) 75वीं श्रृंखला के बॉण्ड 5½ वर्षों से 10 वर्षों तक एसटीआरआरपी के द्वारा अर्द्धवार्षिक 10 समान किश्तों पर विमोच्य होंगे।

(च) 78वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं, 83वीं, 85वीं, 86ए, 86बी-III, 87-II, 87ए-III तथा 88वीं श्रृंखला 10 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 31.01.2016, 14.03.2016, 20.03.2016, 20.01.2017, 28.09.2017, 28.02.2018, 13.06.2018, 29.07.2018, 14.08.2018, 30.09.2018, 24.10.2018 तथा 15.01.2019 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(छ) 84वीं, 86वीं, 86बी-II, 87-I तथा 87सी-III श्रृंखला 5 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 04.04.2013, 24.07.2013, 14.08.2013, 30.09.2013 तथा 26.11.2013 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ज) 86बी-I तथा 87बी श्रृंखला 3 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 14.08.2011 तथा 03.11.2011 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(झ) 87ए-I श्रृंखला के बॉण्ड में 3 वर्षों की समाप्ति पर अर्थात 24.10.2011 को पुट/कॉल करने के विकल्प हैं।

(ट) 87सी-I श्रृंखला 18 महीनों की समाप्ति पर अर्थात 26.05.2010 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ठ) 87सी-II श्रृंखला 24 महीनों की समाप्ति पर अर्थात् 26.11.2010 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ड) 440 लाख रुपए तथा 20 लाख के बॉण्ड 31.03.2009 को क्रमशः आरईसी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट तथा आरईसी उपदान निधि द्वारा धारित हैं।

(ढ) पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड को 3/5/7 वर्षों की अवधि हेतु अर्द्धवार्षिक/वार्षिक रूप से देय 5.15% से 8.70% की दर पर तथा संचित/बिना संचित विकल्पों के साथ जारी किया जाता है। इन बॉण्डों में 3/5 वर्ष के अंत में पुट/कॉल का विकल्प होता है। वर्तमान वर्ष (08-09) में क्रम 8 पर जारी पूंजीगत लाभ छूट बॉण्ड की अवधि 3 वर्ष है जो 5.75% (30.10.08 तक) तथा तदनुपरांत 6.25% की वार्षिक दर से देय है। इंफ्रॉस्ट्रक्चर बॉण्ड को 6.00% से 9.00% की वार्षिक दर पर देय विभिन्न ब्याज दरों के मध्य 3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया गया है। इन बॉण्डों में आबंटन की तिथि से 3/5 वर्ष की समाप्ति पर पुट विकल्प होता है।

अनुसूची '4' अप्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
भारत सरकार से ऋण	**6,474.48**	8,192.48
सावधि ऋण		
(क) बैंकों से दीर्घावधि ऋण	**274,780.00**	211,280.00
(ख) बैंकों से अल्पावधि ऋण	**130,000.00**	112,800.00
विदेशी मुद्रा ऋण		
(क) दीर्घावधि		
ईसीबी-बैंकों से सिंडिकेट किया गया ऋण	**87,026.32**	87,026.32
जेबीआईसी ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**43,941.29**	13,033.02
केएफडब्ल्यू ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**18,400.36**	4,785.69
कमर्शियल पेपर	**129,500.00**	-
बॉण्डों के द्वारा ऋण		
दीर्घावधि		
(क) गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत		
18वीं श्रृंखला - 12.12.2008 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**-**	6,858.00
21वीं श्रृंखला - 29.12.2009 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**6,908.00**	6,908.00
22वीं श्रृंखला - 27.12.2010 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**4,900.00**	4,900.00
23वीं श्रृंखला-I - 05.12.2011 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**2,265.00**	2,265.00
23वीं श्रृंखला-II - 21.02.2012 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**3,035.00**	3,035.00
(ख) अन्य बॉण्ड		
74वीं श्रृंखला - 31.12.2014 को सममूल्य पर 7.22% विमोच्य	**25,000.00**	25,000.00
कुल अप्रतिभूत ऋण	**732,230.45**	486,083.51
अगले एक वर्ष में पुनः भुगतान/विमोचन हेतु देय	**325,388.00**	30,679.00

टिप्पणी:- रुपए 2.00 लाख के बॉण्ड 31.03.2009 को आरईसी लिमिटेड सीपी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

अनुसूची-5 - 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का सार

(लाख रुपए में)

स्थायी परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				निवल ब्लॉक	
	01.04.2008 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2009 के अनुसार	01.04.2008 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान निपटाया/बट्टे खाते में डाला गया	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
फ्रीहोल्ड भूमि	4,673.87	-	*1,485.00	**3,188.87**	-	-	-	**-**	**3,188.87**	4,673.87
पट्टे पर भूमि	145.51	-	-	**145.51**	12.79	1.40	-	**14.19**	**131.32**	132.72
भवन	2,193.93	22.19	-	**2,216.12**	464.15	34.09	-	**498.24**	**1,717.88**	1,729.78
फर्नीचर एवं जुड़नार	403.16	164.95	2.99	**565.12**	255.56	27.90	0.40	**283.06**	**282.06**	147.60
ईडीपी उपस्कर	539.01	42.56	52.81	**528.76**	348.09	48.18	45.72	**350.55**	**178.21**	190.92
कार्यालय उपस्कर	312.45	22.36	2.89	**331.92**	180.42	13.92	0.20	**194.14**	**137.78**	132.03
वाहन	94.38	12.62	-	**107.00**	77.27	4.87	-	**82.14**	**24.86**	17.11
कम मूल्य की परिसंपत्तियां -फर्नीचर	7.41	1.70	-	**9.11**	7.41	1.70	-	**9.11**	**-**	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - ईडीपी	0.96	0.41	-	**1.37**	0.96	0.41	-	**1.37**	**-**	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - कार्यालय उपस्कर	9.15	3.09	-	**12.24**	9.15	3.09	-	**12.24**	**-**	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)	3.54	1.31	-	**4.85**	1.98	0.60	-	**2.58**	**2.27**	1.56
कुल योग	8,383.36	271.19	1,543.69	**7,110.87**	1,357.78	136.16	46.32	**1,447.62**	**5,663.25**	7,025.58
पिछले वर्ष	6,755.42	1,633.57	5.63	**8,383.36**	1,218.46	142.52	3.21	**1,357.78**	**7,025.58**	5,536.96
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	764.49	1,764.59	102.04	**2,427.04**	-	-	-	**-**	**2,427.04**	764.49
पिछले वर्ष	826.01	180.59	242.11	**764.49**	-	-	-	**-**	**764.49**	826.01

टिप्पणीः अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में बाहर से खरीदे गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये एएस-26 के अनुसार हैं।

*ये आंकड़े उस भूमि के है जो पिछले वर्ष फ्रीहोल्ड दिखाई गई थी लेकिन अधिकार पत्र मिलने तक इस साल पूंजी हस्तांतरित कर दी गई है। इसमें पूंजीगत अग्रिम शामिल है।

अनुसूची '6' निवेश

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
दीर्घावधि (अनुद्धृत)		
गैर-व्यापार निवेश		
मध्य प्रदेश सरकार के 8% के पावर बॉण्ड-II जो 1.04.05 से 30 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में परिपक्व होंगे। (4716 लाख रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 21 बॉण्ड) (पिछले वर्ष 4716 लाख रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 24 बॉण्ड)	**99,036.00**	113,184.00
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड रुपए 9.09 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड की 1,44,70,381 यूनिटें	**1,315.36**	1,420.70
(पिछले वर्ष रुपए 9.818 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड का 1,44,70,381 यूनिटें) (अंकित मूल्य प्रति यूनिट 10 रुपए है)		
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में निवेश 10/- रुपए प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर	**125.00**	125.00
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, अनुषंगी कंपनी में निवेश 10 रुपए प्रत्येक के प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**5.00**	5.00
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, अनुषंगी कंपनी में निवेश 10 रुपए प्रत्येक के प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**5.00**	5.00
चालू निवेश (अनुद्धृत)		
म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश	**-**	-
योग	**100,486.36**	114,739.70

अनुसूची '7' ऋण

(लाख रुपए में)

		31.03.2009 के अनुसार		31.03.2008 के अनुसार
(1) राज्य विद्युत बोर्ड/निगम, सहकारी समितियां तथा राज्य सरकार				
(क) अप्रतिभूत, अच्छे माने गए तथा संबंधित राज्य सरकार की गारंटी वाले		**2,093,859.39**		1,907,561.52
(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**1,753.81**		15,564.37	
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**1,717.68**	**36.13**	3,999.39	11,564.98
(2) राज्य विद्युत बोर्ड/निगम (संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/ निगम के साथ सामान के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत) अच्छे माने गए		**2,390,960.36**		1,639,950.32
(3) अन्य (मूर्त परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
(क) अच्छे माने गए		**291,026.32**		125,481.68
(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**5,135.42**		16,054.05	
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**3,083.04**	**2,052.38**	4,174.90	11,879.15
(4) अन्य (अप्रतिभूत) - अच्छे माने गए		**282,546.15**		156,870.93
उप योग (1 से 4)		**5,060,480.73**		3,853,308.58
(i) ऋणों पर प्रोद्भूत तथा देय ब्याज		**1,827.98**		2,523.59
(ii) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज		**75,835.87**		75,819.01
कुल योग		**5,138,144.58**		3,931,651.18

अनुसूची '8' आस्थगित कर देयता (परिसंपत्तियां)

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
अथ शेष	**81,707.82**	73,966.79
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	**13,960.70**	7,741.03
योग	**95,668.52**	81,707.82

अनुसूची '9' चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए में)

				31.03.2009 के अनुसार		31.03.2008 के अनुसार
I.	**चालू परिसंपत्तियां**					
क)	**नकदी तथा बैंक शेष:**					
	(1) हस्तगत/ट्रांजिट में नकदी/चैक (डाक तथा अग्रदाय सहित)			**0.29**		0.26
	(2) चालू खातों में - भारतीय रिजर्व बैंक में			**1.85**		78.96
	- अधिसूचित बैंको में			**32,170.79**		24,913.49
	- अधिसूचित बैंको में (आरजीजीवीवाई योजना हेतु)			**659.89**		58,752.76
	- अधिसूचित बैंको में (एजी तथा एसपी योजनाओं हेतु निधि)			**55.95**		3,719.06
	(3) अधिसूचित बैंकों के साथ जमा खातों में			**155,715.37**		37,839.26
	योग (क)			**188,604.14**		125,303.79
ख)	**अन्य चालू परिसंपत्तियां**					
	(1) सावधि जमा पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज			**136.16**		80.71
	(2) प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज					
	- ऋणों पर			**45,169.58**		45,249.76
	- सरकारी प्रतिभूतियों पर			**-**		4,014.41
	- कर्मचारियों को ऋण पर			**222.38**		208.18
	(3) रा.बि.बो./सरकारी विभागों से वसूली योग्य	**101.95**			330.20	
	घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**-**	**101.95**		180.20	150.00
	(4) भारत सरकार से वसूली योग्य - आरजीजीवीवाई व्यय	**208.93**			208.93	
	- अन्य	**-**	**208.93**		-	208.93
	योग (ख)		**45,839.00**			49,911.99
II.	**ऋण तथा अग्रिम**					
क)	**ऋण**					
	(1) कर्मचारी (प्रतिभूत)			**238.53**		271.01
	(2) कर्मचारी (अप्रतिभूत)			**853.41**		117.77
ख)	**अग्रिम**					
	(अच्छे माने गए अप्रतिभूत)					
	(1) नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य			**526.74**		982.82
	(2) वाणिज्य पेपर पर पूर्वदत्त वित्तीय प्रभार			**4,083.72**		-
	(3) अग्रिम आयकर एवं टीडीएस			**108,775.66**		60,666.40
	(4) प्राप्य आयकर (बॉण्ड)			**0.32**		0.29
	योग (ग)			**114,478.38**		62,038.29
	योग-(क+ख+ग)			**348,921.52**		237,254.07

अनुसूची'10' चालू देयताएं और प्रावधान

(लाख रुपए में)

			31.03.2009 के अनुसार		31.03.2008 के अनुसार
1)	**चालू परिसंपत्तियां**				
	नकदी तथा बैंक शेष:				
अ)	**चालू देयताएं**				
	(क) अग्रिम प्राप्तियां		**2,525.41**		934.36
	(ख) अन्य देयताएं		**4,226.04**		8,548.32
	- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के देय				
	(ग) (1) संवितरण हेतु भारत सरकार से अनुदान	**1,460,887.62**		919,899.56	
	(2) आरजीजीवीवाई अनुदान पर ब्याज	**3,633.68**		-	
	योग	**1,464,521.30**		919,899.56	
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**(1,359,454.04)**		(848,044.01)	
	अवितरित अनुदान		**105,067.26**		71,855.55
	(घ) प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज				
	- बॉण्डों पर	**117,683.76**		54,009.44	
	- सरकारी/एलआईसी ऋणों पर	**12,841.89**	**130,525.65**	12,488.16	66,497.60
	(च) बॉण्ड तथा सरकारी ऋणों पर दावा नहीं किया गया ब्याज तथा मूलधन				
	- ब्याज	**1,243.49**		709.52	
	- मूलधन	**83.10**	**1,326.59**	111.57	821.09
	योग (अ)		**243,670.95**		148,656.92
ब)	**प्रावधान**				
	(क) आयकर		**109,648.13**		58,993.44
	(ख) स्टाफ हित लाभ		**4,819.63**		3,643.43
	(ग) उपदान		**974.96**		207.88
	(घ) प्रोत्साहन तथा अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		**1,791.40**		2,204.37
	(च) धन कर		**33.82**		0.20
	(छ) अनुषंगी लाभ कर		**36.09**		17.00
	(ज) प्रस्तावित लाभांश		**21,466.50**		25,759.80
	(झ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**3,648.23**		4,377.88
	(ट) वेतन परिशोधन		**1,280.00**		816.84
	(ठ) आकस्मिक व्यय		**0.82**		-
	योग-(ब)		**143,699.58**		96,020.84
	योग-(अ+ब)		**387,370.53**		244,677.76

अनुसूची '11' प्रचालन आय

(लाख रुपए में)

			31.03.2009 को समाप्त वर्ष		31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क.	**ऋण देने के प्रचालनों पर**				
	ऋणों पर ब्याज				
	-दीर्घावधि वित्तपोषण	**438,541.59**		307,560.77	
	घटाएं: समय पर भुगतान/पूर्णता आदि हेतु छूट	**1,346.05**	**437,195.54**	1,799.56	305,761.21
	-अल्पावधि वित्तपोषण		**29,297.94**		30,290.22
			466,493.48		336,051.43
ख.	**दीर्घावधि पट्टा राजस्व**		**544.60**		-
ग.	**प्रसंस्करण शुल्क, एकमुश्त शुल्क, सेवा प्रभार आदि**		**1,343.18**		1,310.38
घ.	**पूर्व भुगतान प्रीमियम**		**353.64**		-
च.	**आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन हेतु एजेंसी प्रभार**		**6,982.11**		460.13
	योग		**475,717.01**		337,821.94

अनुसूची '12' अन्य आय

(लाख रुपए में)

		31.03.2009 को समाप्त वर्ष		31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क. निवेश/जमा प्रचालनों पर				
जमा पर ब्याज	**3,718.69**		6,449.97	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**8,704.32**	**12,423.01**	9,243.36	15,693.33
(टीडीएस 961.78 लाख रुपए, गत वर्ष 491.58 लाख रुपए)				
ख. अन्य आय				
वापिस किए गए अशोध्य ऋणों हेतु प्रावधान		**3,610.62**		-
विनिमय दर में अंतर		**1,142.17**		-
वापस डाला गया अधिक प्रावधान		**0.37**		18.35
स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज		**49.62**		28.31
अनुषंगी कंपनियों से ब्याज		**16.21**		4.54
जोखिम निधि में निवेश पर लाभांश		**11.02**		33.02
विविध आय		**156.70**		142.32
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		**1.07**		0.41
जोखिम निधि में वापस डाले गए निवेशों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		**-**		23.88
योग		**17,410.79**		15,944.16

अनुसूची '13' ब्याज तथा अन्य प्रभार

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
निम्न से ब्याज		
- सरकारी ऋण	**534.07**	660.84
- आरईसी बॉण्ड	**203,485.20**	137,112.06
- बैंक/वित्तीय संस्थान	**73,794.15**	62,434.99
- बाहरी वाणिज्यिक ऋण	**7,712.49**	4,898.71
- कमर्शियल पेपर	**2,134.76**	-
	287,660.67	205,106.60
विनिमय दरों में अंतर	**-**	959.53
एआरईपी सब्सिडी पर ब्याज	**122.22**	148.60
गारंटी शुल्क	**797.45**	25.65
अन्य वित्तीय प्रभार	**154.61**	124.71
योग	**288,734.95**	206,365.09

अनुसूची '14' स्थापना व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**5,226.13**	6,566.87
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा व्यय	**1,144.31**	1,233.47
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**1,466.36**	435.48
स्टाफ कल्याण व्यय	**885.55**	994.19
योग	**8,722.35**	9,230.01

अनुसूची '15' प्रशासन व्यय

(लाख रुपए में)

		31.03.2009 को समाप्त वर्ष		31.03.2008 को समाप्त वर्ष
किराया-कार्यालय		**175.16**		210.62
दरें तथा कर		**40.68**		22.48
विद्युत तथा जल प्रभार		**54.91**		48.29
बीमा प्रभार		**4.44**		2.79
मरम्मत तथा अनुरक्षण				
भवन	**242.32**		292.92	
अन्य	**29.53**	**271.85**	37.06	329.98
मुद्रण तथा स्टेशनरी		**192.50**		73.70
यात्रा तथा वाहन				
- निदेशक	**55.53**		44.99	
- अन्य	**468.24**	**523.77**	430.96	475.95
डाक, तार तथा टेलीफोन		**106.56**		108.59
प्रचार एवं संवर्धन व्यय		**202.75**		146.73
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**23.11**		15.25
विविध व्यय		**324.66**		264.47
परामर्शी प्रभार		**73.53**		113.50
दान तथा धर्मार्थ		**246.59**		10.20
(प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को प्रदत्त, गत वर्ष शून्य)				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**0.04**		1.22
योग		**2,240.55**		1,823.77

अनुसूची '16' बॉण्ड/ऋण लिखत निर्गम पर व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
बॉण्ड हैंडलिंग प्रभार	**321.29**	535.77
बॉण्ड ब्रोकरेज खाता	**366.68**	102.99
बॉण्ड स्टॉम्प ड्यूटी	**21.05**	6.01
अन्य	**270.48**	265.59
योग	**979.50**	910.36

अनुसूची '17' लेखाओं पर टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है: (लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
(क) निगम के समक्ष दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है (31.03.2009 को माध्यस्थम मामलों समेत विभिन्न अदालतों में लंबित 3,460.53 लाख रूपए सहित) (पिछले वर्ष 5,153.60 लाख रुपए सहित)।	**3,469.37**	6,331.37
(ख) संविदाओं की अनुमानित राशि जिसे अभी पूंजी खाते में निष्पादित नहीं किया गया है एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया।	**1,165.97**	360.21
(ग) अन्य	**134,263.00**	56,489.00

उपरोक्त(क)में संदर्भित राशि न्यायालय/माध्यस्थम मामलों के निपटान में परिणाम पर निर्भर करती है।

उपरोक्त 1(ग) में राशि, निगम द्वारा स्वीकृत ऋण लेकर बिजली उत्पादन उपकरणों की खरीद हेतु साख-पत्र के खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को उनके कर्जदारों के संबंध में जारी आश्वासन-पत्रों को संदर्भित करती है।

2. वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निगम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई की दिनांक 31.01.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं.12/डी2 01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, उनको अस्थायी परिसंपत्तियों के रख-

रखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (आई)सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

3. कुछ ग्रामीण विद्युत (आरई) सहकारी समितियों द्वारा विशेष आरक्षित कोष के सृजन में कुल 500.89 लाख रुपए की राशि (पिछले वर्ष - 501.18 लाख रुपए) की कमी पाई गई है और इन समितियों के साथ विशेष निधि के सृजन पर संपर्क किया जा रहा है।

4 कुछ कर्जदारों से बाकी राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

5. बॉण्डों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आयकर प्रावधानों के अनुसार बॉण्डधारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर कर काट लिया जाता है, क्योंकि ऐसे बॉण्ड मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं।

6. निगम द्वारा लिए गए कुछ परिसर आदि के संबंध में 3,996.51 लाख रुपए (पिछले वर्ष 5,792.70 लाख रुपए) की राशि हेतु हस्तांतरण विलेख की औपचारिकताएं पूर्ण करने की प्रक्रिया में हैं।

7. लेखा नीति सं.11.2 के अनुसार 31.3.2009 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंटस खातों में (संस्थागत और 54 ईसी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड दोनों के लिए) शेष राशि 5,025.32 लाख रुपए (गत वर्ष 12,045.48 लाख रुपए) है।

8. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य तरीके से वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

9. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत यथा अपेक्षित क्षति हानि हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार लेखांकन मानक-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

10. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की ओर कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

11. इस वर्ष कोई बॉण्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं.6/3/2001-सीएल-5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर सृजित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. वर्ष के दौरान कंपनी ने अदला-बदली स्वैप (केवल कूपन) कारोबार के कारण 420.16 लाख रुपए (पिछले वर्ष 953.32 लाख रुपए) अर्जित किए हैं जिसके कारण लेनदारी की लागत में उस सीमा तक कमी आई है।

निगम ने केवल अदला-बदली कारोबार तथा विदेशी मुद्रा अदला-बदली कारोबार के विभिन्न कूपन में प्रवेश किया है। 31.03.2009 को उपरोक्त अदला-बदली कारोबार के संबंध में बाजार स्थिति का निवल मार्क 24,271.25 लाख रुपए (अनुकूल) है।

13. **निदेशकों का पारिश्रमिक:**

(लाख रुपए में)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष	31.3.2008 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**44.33**	40.87
अनुलब्धियां/प्रतिपूर्ति	**15.18**	14.97
सेवानिवृत्ति लाभ	**6.70**	1.45
योग	**66.21**	57.29

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार रुपए 780/- प्रति माह के मासिक प्रभार के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

ऋण तथा अग्रिमों के रूप में निगम के निदेशकों द्वारा देय 10.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष 0.81 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान इनसे अधिकतम बकाया राशि 14.17 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1.89 लाख रुपए) थी।

14. **लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:-**

(लाख रुपए में)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष	31.3.2008 को समाप्त वर्ष
(क) लेखापरीक्षा शुल्क-चालू वर्ष	**16.79**	13.14
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	**2.25**	0.25
(ग) व्ययों की प्रतिपूर्ति	**1.75**	1.29
(घ) अन्य सेवाओं के लिए भुगतान *(आईपीओ प्रमाणीकरण हेतु भुगतान सहित)	**2.32**	15.57*
योग	**23.11**	30.25

15. **विदेशी मुद्रा में व्यय: -**

(लाख रुपए में)

विवरण	**31.03.2009 के अनुसार**	31.03.2008 के अनुसार
रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक परामर्शी शुल्क	**शून्य**	1.06
ब्याज	**161.66**	241.08
वित्त प्रभार	**79.03**	97.75
अन्य प्रभार	**53.22**	103.79
योग	**293.91**	443.68

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 के पैरा 4(ग) और पैरा 4(घ) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी सूचना या तो शून्य है अथवा लागू नहीं है।

16. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-27 के अंतर्गत संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी ।

निवेश में 1,447.04 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,447.04 लाख रुपए) शामिल हैं जोकि केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड (एसआईबी फंड) जोखिम पूंजीगत निधि' की यूनिटों में कंपनी के योगदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	**निधि में योगदान**	**निवास का देश**	**स्वामित्व का अनुपात**
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	1,447.04 लाख रुपए	भारत	9.74%

भविष्य में अंशदान की कोई वचनबद्धता नही है।

17. संबंधित पक्ष प्रकटन:

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

श्री पी. उमा शंकर,	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)
श्री बाल मुकन्द	निदेशक (तकनीकी) (30.11.2008 तक)
श्री गुलजीत कपूर,	निदेशक (तकनीकी) (01.12.2008 से)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक टिप्पणी संख्या 13 में दर्शाया गया है ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों से प्राप्य अग्रिम टिप्पणी संख्या 13 में दर्शाया गया है।

ख. अन्य संबंधित पक्ष जिनके साथ कारोबार विद्यमान है:-

	अनुषंगी कंपनी	संबंध
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड	अनुषंगी
2.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	अनुषंगी

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी:

1.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	साथी अनुषंगी
2.	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	साथी अनुषंगी

ग. अनुषंगियों से प्राप्य ऋण तथा अग्रिम

(लाख रुपए में)

अनुषंगी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम राशि	
	31.03.09	31.03.08	31.03.09	31.03.08
1. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड	193.16	30.80	193.16	30.80
2. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	3.78	71.85	71.85	71.85
3. नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	3.27	2.96	3.27	2.96
4. तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.44	0.40	0.44	0.40

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कारोबार:

(लाख रुपए में)

कारोबार की प्रकृति	अनुषंगी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
1. ऋण तथा अग्रिम	111.21 (पिछले वर्ष 71.85 लाख)	
2. अप्रतिभूत ऋण	शून्य (पिछले वर्ष 30.80 लाख)	8.01 (पिछले वर्ष 0.81 लाख)
3. पारिश्रमिक	66.21 (पिछले वर्ष 57.29 लाख)	

18. त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत सब्सिडी:-

निगम द्वारा एक ब्याज सब्सिडी निधि खाता चलाया जा रहा है और दिनांक 23.09.1997 के भारत सरकार के पत्र संख्या अ.शा.सं.32024/17/97-पीएफसी तथा दिनांक 07.03.2003 के का.ज्ञा.सं. 32024/23/2001-पीएफसी के अनुसार निर्दिष्ट दरों पर गणना किए गए निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी, वास्तविक पुनर्भुगतान समय तालिका, स्थगन अवधि तथा चुकौती की अवधि कुछ भी हो, का दावा कर रहा है। निर्दिष्ट दर और आहरण के समय आकलित अवधि तथा वास्तविक के मध्य अंतर का पता संबंधित योजना के अंत में ही लगाया जा सकता है।

19. लेखांकन मानक-26 "अमूर्त परिसंपत्तियां " में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण:-

1. परिशोधन दर — 20% यदि परिसंपत्ति का मूल्य 5000 रूपए अथवा कम है तो 100%।
2. परिशोधन पद्धति — सीधी रेखा।

मिलान वक्तव्य

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
3. सकल कैरिंग राशि	**4.86**	3.54
4. संचित मूल्यह्रास	**2.59**	1.98
5. सकल कैरिंग राशि - प्रारम्भिक शेष	**3.54**	3.54
6. घटाएं - संचित मूल्यह्रास	**1.98**	1.30
7. कैरिंग राशि	**1.56**	2.24
8. वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1.31**	शून्य
9. घटाएं - वर्ष के दौरान परिशोधन	**0.60**	0.68
10. तुलन-पत्र की तिथि को कैरिंग राशि	**2.27**	1.56

20. निगम आय पर करों हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक संख्या 22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान कर रहा है। वर्ष के दौरान निगम ने आस्थगित कर देयता के रूप में 13960.70 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7741.02 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

31.03.2009 को आस्थगित कर देयता के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं -

(लाख रुपए में)

विवरण	31.09.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
विलंबित कर परिसंपत्तियां		
अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**482.37**	427.96
चिकित्सा अवकाश हेतु प्रावधान	**198.29**	42.96
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	**263.28**	263.28
निवेशों में गिरावट पर प्रावधान	**44.76**	8.95
अन्यों हेतु प्रावधान	**144.68**	2,759.64
	1,133.38	3,502.79
आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	**345.15**	310.46
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आरक्षित	**96,456.74**	84,900.14
योग	**96,801.89**	85,210.60
निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्ति	**(95,668.51)**	(81,707.81)
31.3.09 को आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**(81,707.81)**	(73,966.79)
लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित वर्ष हेतु निवल देयता	**(13,960.70)**	(7,741.02)

21. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी लेखांकन मानक संख्या 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना निम्नानुसार की गई है:-

(लाख रुपए में)

	31.09.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
अंश		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर पश्चात लाभ	**127,207.76**	86,014.18
हर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**858,660,000**	786,374,301
प्रति शेयर आधारभूत तथा कम किया गया अर्जन (रुपए प्रति शेयर)	**14.81**	10.94

22. कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) जिन पर ऋण बकाया थे अथवा जिनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा गांरटी दी गई थी, की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्संरचना की गई थी और उनके स्थान पर नए निकायों का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप पूर्व एसईबी की देयताएं निगमों, नए निकायों और राज्य सरकारों के मध्य अंतरण समझौतों के निष्पादन पर नए निकायों को अंतरित की गई हैं।

23. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन पर आरईसी की देयताओं के निपटान का मुद्दा एमपीएसईबी और सीएसईबी के बीच होने पर उनके मध्य देयताओं को बांटने के संबंध में एक कानूनी विवाद है, जिसके परिणामस्वरूप सीएसईबी लगभग 16000 लाख रुपए + प्रोद्भूत होने वाले ब्याज वापसी का दावा कर रहा है जो एमपीएसईबी द्वारा अदा किया जाएगा।

24. 2006-07 तक आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन पर व्यय किए गए 643.98 लाख रुपए को उसके अनुदान से की गई जमा पर प्राप्त ब्याज से समायोजित कर लिया गया है और विद्युत मंत्रालय को तदनुसार सूचित किया गया है। प्रबंधन मानता है कि यह राशि अभी भारत सरकार से प्राप्य है।

25. कारपोरेशन के कर्मचारियों का वेतन परिशोधन 01 जनवरी, 2007 से किया जाना है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परिशोधित वेतनमानों (अनुलब्धियां सहित) के लंबित अंतिम के परिकलन के अनुसार वर्ष के दौरान परिशोधित वेतन के बकायों के समक्ष, औसत वेतन के आधार पर रूपए 463.16 लाख का अनुमानित अतिरिक्त प्रावधान (गत वर्ष रुपए 816.84 लाख) किया गया है तथा तदनुसार अकार्यपालक कर्मचारियों, जिनके लिए ऐसी कोई अधिसूचना उपलब्ध नहीं है किंतु उन्हें भी ऐसी अधिसूचना के अनुसार बकाया देने के लिए विचारा गया है, सहित वेतन परिशोधन हेतु वेतन के समक्ष रुपए 1,280 लाख का संचयी प्रावधान किया गया है। अनुमानित परिशोधित वेतन के आधार पर कर्मचारियों के लाभ का बीमांकित मूल्यांकन कर लिया गया है।

26. लेखांकन मानक-29 में यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 की यथास्थिति	31.03.2008 की यथास्थिति
(क) अंतरिम लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**17,173.20**	शून्य
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**17,173.20**	शून्य
अंत शेष	**शून्य**	शून्य
(ख) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**25,759.80**	17,700.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**–**	25,759.80
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**25,759.80**	17,700.00
अंत शेष		25,759.80
(ग) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**4,377.88**	3,008.12
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2,918.58**	4,377.88
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**7,296.46**	3,008.12
अंत शेष	**शून्य**	4,377.88

27. निगम ने एएस-15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" को अपनाया है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

(क) भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमेय प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2009 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

(ख) उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम का सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और निपटान लाभ हैं जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है।

(घ) यात्रा छुट्टी रियायत (एलटीसी)

कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को छुट्टी यात्रा रियायत उपलब्ध कराने के लिए निगम की एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

(च) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारियों तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकिक मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

28. लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नानुसार है:-

लाभ तथा हानि खातों में मान्यकृत व्यय:-

लाख रुपए में

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)
क) चालू सेवा लागत	**116.14**	112.34	**46.79**	35.05	**0.72**	0.66
ख) ब्याज लागत	**110.43**	104.19	**128.48**	108.02	**1.07**	1.17
ग) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**(135.04)**	(110.00)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) लाभ एवं हानि खातों में मान्यकृत बीमांकित (लाभ) हानि	**(65.04)**	111.36	**385.24**	433.61	**3.26**	4.74
च) पूर्व सेवा लागत	**948.48**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
छ) लाभ एवं हानि खातों में मान्यकृत व्यय	**974.96**	217.89	**560.51**	576.68	**5.05**	6.57

तुलन-पत्र में मान्यकृत राशि:-

लाख रुपए में

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)
क) वर्ष की समाप्ति पर बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**2,640.04**	1,577.53	**2,244.78**	1,835.43	**17.48**	15.30
ख) वर्ष की समाप्ति पर योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1,672.62**	1,368.88	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ग) अंतर (ख - क)	**(967.42)**	(208.65)	**2,244.78**	(1,835.43)	**(17.48)**	(15.30)
घ) वास्तविक अधि- प्रत्याशित से अधिक खर्च	**(6.19)**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
च) मान्यकृत निवल परिसंपत्तियां/(देयता)* (उपदान न्यास की)	**(967.42)***	(208.65)	**(2,244.78)**	(1,835.43)	**(17.48)**	(15.30)

परिभाषित लाभ/बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:-

लाख रुपए में

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)
क) अवधि के प्रारंभ में बाध्यता का चालू मूल्य	**1,577.53**	1,302.44	**1,835.43**	1,350.27	**15.29**	14.58
ख) ब्याज लागत	**110.42**	104.19	**128.48**	108.02	**1.07**	1.16
ग) पूर्व सेवा लागत	**948.48**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) चालू सेवा लागत	**116.14**	112.34	**46.79**	35.05	**0.72**	0.67
च) प्रदत्त लाभ	**(41.29)**	(52.80)	**(151.17)**	(91.52)	**(2.86)**	(5.86)
छ) निवल बीमांकित लाभ/हानि	**(71.24)**	111.36	**385.24**	433.61	**3.26**	4.74
ज) अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**2,640.04**	1,577.53	**2,244.77**	1,835.43	**17.48**	15.29

योजनागत परिसंपत्तियों के स्पष्ट मूल्य में परिवर्तन:-

लाख रुपए में

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)
क) अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य *(उपदान न्यास के)	**1,577.53***	1,302.44	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ख) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**135.03**	110.00	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ग) कंपनी का वास्तविक अंशदान	**7.54**	9.24	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) प्रदत्त लाभ	**(41.29)**	(52.80)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
च) योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**(6.19)**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
छ) 31.03.2009 को योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	**1,672.62**	1,368.88	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य

31.03.2009 को लागत पर योजनागत परिसंपत्तियों (उपदान) का विवरण:

लाख रुपए में

विवरण	उपदान	
	(31.03.09)	(31.03.08)
क) भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र तथा राज्य दोनों)	**805.96**	685.32
ख) कारपोरेट बॉण्ड	**707.43**	567.20
ग) अन्य	**29.61**	20.15
योग	**1,543.00**	1,272.67

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान ट्रस्ट में रुपए 974.96 लाख (गत वर्ष रुपए 169.90 लाख), पीआरएमएफ में रुपए 409.34 लाख (गत वर्ष रुपए 485.16 लाख), तथा ओडीआरबी में रुपए 2.19 लाख (गत वर्ष रुपए 15.30 लाख) के अंशदान के समक्ष देयता प्रदान की है।

कर्मचारी के अन्य हित:

वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए रुपए 160.09 लाख (गत वर्ष रुपए 644.49 लाख) तथा चिकित्सा अवकाश के लिए रुपए 583.36 लाख (गत वर्ष रूपए 126.39 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया तथा लाभ एवं हानि हेतु प्रभारित किया गया ।

'कर्मचारियों के हित' पर लेखांकन मानक-15 (परिशोधित 2005) के अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के आधार हेतु छुट्टी यात्रा रियायत को शामिल किया गया है। तदनुसार वर्ष के लिए रुपए 21.22 लाख की राशि का प्रावधान किया गया तथा लाभ एवं हानि खातों हेतु प्रभारित किया गया।

पीआरएमएफ पर एक प्रतिशत प्वाइंट की बढ़ोतरी/कमी होने के प्रभाव:

लाख रुपए में

विवरण	1% (+)	1% (-)
क) सेवा एवं ब्याज लागत	22.64	(19.10)
ख) पीबीओ (समापन)	174.70	(152.05)

बीमांकित पूर्वानुमान: लाख रुपए में

विवरण	उपदान	पीआरएमएफ
क) प्रयुक्त पद्धति	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
ख) छूट दर	7.00 (8.00)	7.00 (8.00)
ग) परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.56 (8.45)	शून्य
घ) भावी वेतनवद्धि	5.50 (5.50)	5.50 (5.50)

- लेखाकरण अवधि के दौरान परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर, प्रतिलाभ की अभिगृहीत दर है।
- पूर्वानुमान का सिद्धांत छूट पर तथा वेतन संवर्धन दर के अनुसार है। छूट दर साधारणतः एक अवधि में लेखाकरण तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता हो, पर आधारित है तथा वेतन संवर्धन दर में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपरोक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

29. भारत सरकार ने आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन हेतु आरईसी को एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के तहत प्राप्त निधियां विभिन्न एजेसिंयों को संवितरण करने के लिए एक पृथक बैंक खाते में रखा जाता है। अवितरित निधियों तथा उनसे अर्जित ब्याज को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान रुपए 658.95 लाख (गत वर्ष रुपए 158.08 लाख) के टीडीएस सहित रुपए 2,933.95 लाख (गत वर्ष रुपए 699.72 लाख) के अर्जित किए गए ब्याज को आरजीजीवीवाई के अनुदान लेखे में डाला गया है तथा आरईसी द्वारा ऐसे टीडीएस क्रेडिटों से अंततः सरकारी कोष के क्रेडिट को लाभ हुआ है।

30. वर्ष के दौरान निगम ने अपनी अधिशेष फंडों का निवेश लिक्विड स्कीम तथा लिक्विड प्लस स्कीम के पब्लिक म्यूच्युअल निधियों में किया। वर्ष के दौरान ही उसे निवेश से हटा लिया गया।

31. निगम के पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-17 के अनुसार एक से अधिक सूचना योग्य खंड नहीं है।

32. रुपए 5,00,000/- तक के क्रमशः 5.87 लाख रुपए तथा 0.96 लाख रुपए (रुपए 13.32 लाख की शुद्ध आय तथा रुपए 12.36 लाख का व्यय) के समतुल्य पूर्वदत्त व्यय तथा पूर्वावधि व्यय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों से प्रभारित किया गया है। स्वाभाविक लेखा शीर्ष से रुपए 5,00,000/- तक पूर्वावधि/पूर्वदत्त मदों को मान्य करने के लिए लेखांकन नीति में बदलाव के कारण पूर्वावधि तथा पूर्वदत्त मदों को क्रमशः रुपए 0.96 लाख घटा दिया तथा रुपए 5.87 लाख बढ़ा दिया गया है और इससे लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

33. पिछले वर्ष के आंकड़ो को जहाँ-कहीं आवश्यक हो, वर्तमान आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए उन्हें पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित / पुनः दर्ज किया गया है।

34. आंकड़ों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित (राउंड आफ) किया गया है।

35. अनुसूची 1 से 17 तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खातों का एक अभिन्न भाग है और उन्हें विधिवत अधिप्रमाणित किया गया है।

36. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-4 के अनुसार तुलन-पत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यापार की प्रोफाइल।

1. पंजीकरण ब्यौरे:

पंजीकरण संख्या	005095	राज्य कोड	55
तुलन-पत्र तिथिः	31	03	2009
	दिनांक	माह	वर्ष

राशि (लाख रुपए में)

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी — शून्य

3. निधियों को जुटाने तथा नियोजन की स्थिति

कुल देयताएं	52,08,272.22
कुल परिसंपत्तियां	52,08,272.22
निधियों के स्रोत	
प्रदत्त पूंजी	85,866.00
आरक्षित तथा अधिशेष	5,33,142.00
प्रतिभूत ऋण	37,61,365.25
अप्रतिभूत ऋण	7,32,230.45
विलंबित कर देयता	95,668.52

निधियों का उपयोगः	
निवल अचल परिसंपत्तियां	8,090.29
निवेश	1,00,486.36
(पूंजीगत डब्ल्यूआईपी सहित)	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां	(38,449.01)
ऋण	51,38,144.58
विलंबित कर परिसंपत्तियां	शून्य
विविध व्यय	शून्य
संचित हानि	शून्य

4. कंपनी का कार्य निष्पादन (लाख रुपए में)

कारोबार (टर्न-ओवर)	4,93,127.80
कुल व्यय	3,01,117.17
कर पूर्व लाभ	1,92,010.63
कर पश्चात लाभ	1,27,207.76
ईपीएस रुपए में	14.81
लाभांश दर	रू. 4.50 प्रति शेयर

(10/- रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर पर)

5. कंपनी के प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के जेनरिक नाम

मद कोड संख्या	लागू नहीं	वित्तीय सेवाएं

1 से 17 तक सभी अनुसूचियों पर हस्ताक्षर

तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खातों के भाग के रूप में अनुसूचियों और उक्त टिप्पणियों पर हस्ताक्षर ।

बी.आर.रघुनंदन	**एच.डी.खुंटेटा**	**पी.उमा शंकर**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सुरेश चन्द्र)
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.05.2009

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखांकन परम्परा** - वित्तीय विवरण को लेखांकन की प्रोदभवन पद्धति पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा आधार पर तैयार किया जाता है और ये भारत में सामान्यतः स्वीकार्य तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रस्तुतिकरण आवश्यकता का अनुपालन करते हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग** - वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किए जाने में प्रबंधन के द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। **वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच अंतर को परिणामों को कार्यान्वित होने की अवधि में मान्यकृत किया गया है।**

2. राजस्व मान्यता

निगम ने अपने स्वयं के विस्तृत विवेकसम्मत मानदंडों का निरूपण किया है जोकि व्यापक रूप से एनबीएफसी हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों पर आधारित हैं। लेखांकन आरईसी के इन विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान किए जाने हेतु इनकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

2.1 आय मान्यता

ऐसी गैर-अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, जहाँ ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के गैर-अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे उलट दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (1) आरईसी की लागत तथा व्यय (2) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दण्डात्मक ब्याज (3) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (4) मूलधन की चुकौती, सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जाता है, इस क्रम में विनियोजित किया जाता है।

ऐसे ऋणों के संबंध में जहाँ शर्तों पर पुनः बातचीत/पुनः निर्धारण/पुनः संरचना चल रही हो, आय की पहचान उपचय आधार पर तब की जाती है जब संगत रूप से यह आशा की जाती है कि कर्जदार से देयों की प्राप्ति में कोई अनिश्चितता नहीं है और कानूनी रूप से बाध्यकारी एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है तथा तदनुरूपी समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पुनर्विचार-विमर्श अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संरचना शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है।

आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय की संवितरित राशि के अनुपात में आर्थिक सहायता/ऋण के संवितरण के समय पहचान की जाती है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण /प्रावधान के मानदंड

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण के किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामतः -

(1) मानक परिसंपत्ति

(2) उप-मानक परिसंपत्ति

(3) संदिग्ध परिसंपत्ति

(4) हानि परिसंपत्ति

विवेकसम्मत मानदंडों तथा प्रावधान किए जाने के मानदंडों के उपयोग के प्रयोजन हेतु -

1. राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को ऋण-वार लिया जाता है।
2. अन्य निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को कर्जदार-वार लिया जाता है।

2.3 ऋण के प्रति प्रावधान

खरीदे गए तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:-

(i) **हानि परिसंपत्तियां** - समूची परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाए के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा।

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां-**

(क) सुरक्षा के रूप में जिस वसूले जा सकने वाले मूल्य पर आरईसी का एक विधिक अधिकार है उस पर 100% प्रावधान जोकि अग्रिम द्वारा उस वस्तु के वसूले न जा सकने वाले मूल्य जितना होना चाहिए। वसूले जाने वाले मूल्य का अनुमान एक वास्तविक आधार पर लगाया जाना चाहिए; केन्द्र/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की गारंटी से कवर अथवा केंद्रीय योजना आबंटन में से कटौती हेतु राज्य सरकार के उपक्रम अथवा किसी राज्य सरकार को दिया गया ऋण प्रतिभूत माना जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) को निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाना चाहिए:-

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
1 वर्ष तक	20%
1 से 3 वर्ष	30%
3 वर्ष से अधिक	50%

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां** - 10% का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

कोई परिसंपत्ति जिसे पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा पुनः संरचित किया गया है वह एक उप-मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारण या पुनः संरचना से पूर्व थी, एक संदेहास्पद परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो। उक्त परिसंपत्ति पर उसे अद्यतन किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

3. स्थायी परिसंपत्ति

स्थायी परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रो-राटा आधार पर मुहैया कराया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के रूप में 16.12.1993 से पूर्व पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को तब प्रचलित दरों पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा प्रभारित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक होने पर बजाए उसे क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर करने के, संपूर्ण माह के लिए प्रभारित किया जाता है।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई 5000/- रुपए तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टेवाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

एक अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को आएंगे। इन परिसंपत्तियों को 5 वर्ष की अवधि हेतु परिशोधित किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेशों को लागत रहित प्रावधान, यदि कोई हो, पर ऐसे निवेश के मूल्य में कमी के लिए किया जाता है। वर्तमान निवेश को लागत अथवा स्पष्ट मूल्य, जो कोई भी हो, पर किया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा विलंबित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुट-पुट लाभ कर शामिल है (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और विलंबित कर प्रभार अथवा ऋण (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभावों को दर्शाने वाला) को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विलंबित कर प्रभार अथवा ऋण और तदनुरूपी विलंबित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है जिन्हें तुलन-पत्र तिथि को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है जहाँ तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसमें से उक्त विलंबित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता हो।

8. परिसंपत्तियों को क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो क्षति हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान की पहचान तब की जाती है जब कंपनी में किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव है कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र तिथि पर बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बॉण्ड/ऋण निर्गम

10.1 बॉण्ड द्वारा निधियों को जुटाने पर हुए व्यय को बॉण्ड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10.2 निगम बॉण्ड के संबंध में ब्याज वारंट के भुगतान के प्रति अपनी बाध्यता को नामित ब्याज वारंट बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये नामित लेखे बहियों में प्रदर्शित नहीं होते बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाये जाने में हुआ व्यय वर्ष, जिसमें व्यय हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित है सिवाय वाणिज्य पेपरों पर छूट/ब्याज के, जो कि उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिसमें कर पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा प्रोदभवन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

12. पूर्वावधि/पूर्वदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए पहले के वर्षों हेतु पता लगाई गई ब्याज आय/मूलधन की चुकौती और वर्ष के दौरान निर्धारित राशि को, पता लगाए गए/निर्धारित किए गए वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

12.2 प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपए से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का पता बीमांकित मूल्यांकन पर लगाया जाता है और इसका वित्तपोषण पृथक रूप से किया जाता है।

13.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ को संबंधित सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में गैर-छूट वाली राशि पर एक प्रभार माना जाता है।

13.3 नियोजन के बाद तथा अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभों की पहचान किसी कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने वाले लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में की जाती है। इस व्यय की पहचान बीमांकन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करते हुए निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर की जाती है। रोजगार के बाद और अन्य दीर्घावधि लाभों को बीमांकित लाभ एवं हानि के संबंध में लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित किया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

14.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन को प्रारम्भ में कारोबार की तारीख के दिन विद्यमान विनिमय दर में दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण/देयताओं को वर्ष के अंत में विद्यमान विनिमय दर के संदर्भ में परिवर्तित किया जाता है।

15. सरकार से निधि/अनुदान

अवितरित निधियों के प्राप्त अनुदान के आगामी संवितरणों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी निधियों से जहां कहीं ब्याज अर्जित किया जाता है, उसे संबंधित अनुदान खाते में, (यदि अनुदान में ऐसी शर्त रखी गई हो) अथवा "अन्य आय" में डाला जाएगा।

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 को समाप्त वर्ष		31.03.2008 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:				
कर पूर्व निवल लाभ	**192,010.63**		131,242.33	
निम्नलिखित हेतु समायोजन:				
1. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**(1.03)**		0.81	
2. सामान्य आरक्षित से अंतरण	–		(163.79)	
3. मूल्यह्रास	**136.16**		138.55	
4. निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**105.34**		(23.88)	
5. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**237.05**		3,994.34	
6. अधिक प्रावधान-बट्टेखाते में डाला गया	**(0.37)**		(18.35)	
7. ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' की यूनिटों में निवेश की बिक्री/आय पर लाभ	**(11.02)**		(33.02)	
8. विनिमय दर अंतर में लाभ	**(1,142.17)**		959.53	
9. प्रतिभूति प्रीमियम को अंतरित राशि	**235.95**		–	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभ:	**191,570.54**		136,096.52	
बढ़ोतरी/कमी:				
1. ऋण		**(1,206,730.45)**		(725,735.42)
2. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**4,072.99**		(18,676.12)	
3. अन्य ऋण तथा अग्रिम	**(4,330.83)**		(807.25)	
4. वर्तमान देयताएं	**63,796.96**		63,917.48	
प्रचालनों से नकदी बाह्य प्रवाह	**(951,620.79)**		(545,204.79)	
1. आयकर की अग्रिम अदायगी	**(48,109.26)**		(74,962.20)	
2. प्रदत्त धन कर	**(2.15)**		(0.15)	
3. प्रदत्त अनुषंगी लाभ कर	**(132.62)**		(106.55)	
प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(999,864.82)**		(620,273.69)
ख. प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह:				
1. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	**13.40**		1.61	
2. स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम अदायगी सहित)	**(448.74)**		(1,567.94)	
3. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पावर बॉण्ड-2 का विमोचन	**14,148.00**		4,716.00	
4. ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' फंड की यूनिटों में निवेश	–		(194.81)	
5. ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' फंड की यूनिटों में निवेश पर आय	**11.02**		379.86	
6. अनुषंगी कंपनी आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं.लि. के शेयरों में निवेश	–		(5.00)	
7. अनुषंगी कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कं.लि. के शेयरों में निवेश	–		–	
8. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयरों में निवेश	–		(125.00)	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**13,723.68**		3,204.72
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बॉण्ड निर्गम	**1,380,733.12**		607,392.38	
2. बॉण्डों का विमोचन	**(526,546.00)**		(359,593.94)	
3. बैंकों/वित्तीय सस्थानों से सावधि ऋण/एसटीएल जुटाना	**537,463.31**		437,250.00	
4. बैंकों/वित्तीय सस्थानों से सावधि ऋण/एसटीएल की चुकौती	**(498,638.31)**		(300,650.00)	
5. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना	**45,665.12**		16,676.53	
6. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (धन वापसी का निवल)	**544,621.74**		390,289.91	
7. अनुदानों का संवितरण	**(511,410.03)**		(335,941.46)	
8. सरकारी ऋण की चुकौती	**(1,718.00)**		(1,855.96)	
9. प्रदत्त अंतिम लाभांश	**(25,759.80)**		(17,700.00)	
10. अंतिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**(4,377.88)**		(3,008.12)	
11. शेयरों का निर्गम	–		79,786.53	
12. कमर्शियल पेपरों का निर्गम	**129,500.00**		–	
13. प्रदत्त अंतरिम लाभांश	**(17,173.20)**		–	
14. अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**(2,918.58)**		–	
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी-अंत:-प्रवाह		**1,049,441.49**		512,645.87
नकदी तथा नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी		**63,300.35**		(104,423.10)
1 अप्रैल 2008 को नकदी तथा नकदी समकक्ष		**125,303.79**		229,726.89
31 मार्च 2009 को नकदी तथा नकदी समकक्ष		**188,604.14**		125,303.79
नकदी तथा नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी		**63,300.35**		(104,423.10)

टिप्पणी: पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो पुन: व्यवस्थित तथा पुन: समूहबद्ध किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

सुरेश चन्द्र
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक वित्त

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2009

31 मार्च 2009 के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विवेकसम्मत मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 के अनुच्छेद 9बीबी, जो आरईसी लिमिटेड पर लागू हैं, के अनुसार अपेक्षित विवरण)

(लाख रुपए में)

विवरण	बकाया राशि	अतिदेय राशि	
देयता पक्षः			
एनबीएफसी द्वारा उपयोग किए गए ऋण एवं अग्रिम			
उन पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज सहित			
(क) डिबेंचर्स/बॉण्डः			
(i) प्रतिभूत	3,221,040.25	–	
(ii) अप्रतिभूत	42,108.00	–	
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	149,367.97	–	
(ग) भारत सरकार से सावधि ऋण	6,474.48	–	
(घ) वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण	335,000.00	–	
(च) बैंकों से सावधि ऋण	610,105.00	–	
(छ) बैंक से ओवरड्राफ्ट	–	–	
(ज) बैंकों से नकद क्रेडिट	–	–	
(झ) कमर्शियल पेपर	129,500.00	–	
परिसंपत्ति पक्षः			
प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा			
(क) प्रतिभूत	4,782,735.30		
(ख) अप्रतिभूत	282,546.14		
सभी पट्टा परिसंपत्तियों, भाड़े-पर-स्टॉक तथा ऋण एवं अग्रिमों का कर्जदार समूह-वार वर्गीकरणः			
		प्रावधानों के निवल की राशि	
श्रेणी	**प्रतिभूत**	**अप्रतिभूत**	**योग**
1. संबंधित पक्ष			
(क) अनुषंगी कंपनियां	–	200.64	200.64
(ख) उसी समूह की कंपनियां	–	–	–
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	–	–	–
2. संबंधित पक्षों के अलावा	4,782,735.30	282,546.14	5,065,281.44
योग	4,782,735.30	282,746.78	5,065,482.08
अन्य सूचना			
विवरण			राशि
(i) सकल गैर-अनर्जक परिसंपत्तियां			
(क) संबंधित पक्ष			–
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा			6,889.23
(ii) निवल गैर-अनर्जक परिसंपत्तियां			
(क) संबंधित पक्ष			–
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा			2,088.51
(iii) ऋणों के तुष्टीकरण में उपार्जित परिसंपत्ति			–

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

सुरेश चन्द्र
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक वित्त

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई, 2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2009 के संलग्न तुलन-पत्र और 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि वित्तीय विवरण में गलत बयानी न हो। लेखापरीक्षा में परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के अनुसार यथा अपेक्षित तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश, 2003 (यथासंशोधित) के अनुसार निगम पर जितना लागू हो सकता है उसके अनुरूप उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण अनुबंध में संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:-

   i) अपनी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

   ii) हमारी राय में और जहां तक इन बहियों की जांच से पता चलता है कि कंपनी द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपयुक्त खाता बहियां ठीक ढंग से रखी गई हैं;

   iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण निगम की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

   iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं;

   v) भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं.2/5/2001-सीएल.वी के द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है;

   vi) हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों विशेषकर अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 31, जो कंपनी के निवल लाभ पर बिना किसी प्रभाव के पूर्वदत्त तथा पूर्व अवधि व्ययों के संबंध में आर्थिक सीमाओं में वृद्धि करने के द्वारा लेखांकन नीति में परिवर्तन से संबंधित हैं, के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार आवश्यक सूचनाएं अपेक्षित तरीके से तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एक सही और वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा निम्नलिखित बातें इन पर लागू हैं:

      क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलाप।

      ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ; तथा

      ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह।

कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सुरेश चन्द्र)
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.05.2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(31 मार्च 2009 को **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के खातों के विवरण पर उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ '3' में उल्लिखित)

1. क) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का अभिलेख रखा है।

   ख) कंपनी के पास अपनी स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन का एक चरणबद्ध कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए युक्तिसंगत है। इस कार्यक्रम के अनुसार, अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा सारभूत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। ऐसे सत्यापन पर पायी गई विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से निपटान किया गया है।

   ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का कोई सारभूत निपटान नहीं किया गया है।

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी की कोई माल-सूची नहीं है।

3. क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध अपनी 2 अनुषंगी कंपनियों तथा आरईसी-टीपीसीएल की दो साथी अनुषंगी कंपनियों, में गैर-जमानती ऋण प्रदान किया है। ऐसी कंपनियों को दिए गए ऋण की वर्ष के दौरान अधिकतम राशि रुपए 268.72 लाख और वर्ष के अंत में ऐसे ऋणों का शेष रुपए 200.65 लाख था। मूलधन पर ब्याज तथा चुकौती के संबंध में कोई शर्त नहीं है। हालांकि, टी एंड डी योजना के लिए लागू रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के सामान्य उधार देने के आधार पर ब्याज का दावा किया गया है। अतः उक्त कंपनी के हित के प्रति प्रथम दृष्ट्या हानिकर नहीं है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) के खंड 4(iii)(च) तथा (छ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण कंपनी के आकार और व्यवसाय के अनुरूप हैं। तथापि कुछ क्षेत्रों में, ऋण लेखाकरण; कुछ मामलों में ऋण मूल्य निर्धारण का दर्जा निर्धारण नीति से संबंधित न होना; उचित ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित करते हुए टी एंड डी उधार मानकों की समीक्षा करना; ऋण दस्तावेजों की स्थिति के संबंध में नियंत्रण रिकार्ड अपनाना; विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों का संवितरण एवं उपयोग; दिए गए ऋणों पर लगाए गए प्रभारों हेतु खोज रिपोर्ट प्राप्त करने सहित विभिन्न **एसईबी/डिस्कॉम/ट्रांसकोस/जेनकोस** को प्रदत्त ऋण की मॉनीटरिंग जैसे वित्तीय मामलों में आंतरिक नियंत्रण मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों या संस्थाओं के साथ कोई कारोबार संबंधी लेन-देन नहीं किया है।

6. कंपनी ने जनता से ऐसी कोई जमा स्वीकार नहीं की है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए के उपबंध अथवा इसके अंतर्गत तैयार नियमावली से संबधित उपबंध लागू होते हों।

7. निगम का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न विभागों की समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

8. हमारे ज्ञान तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के उत्पाद/सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) का खंड 4 (viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

9. क) कंपनी, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रही है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर तथा धन कर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि, 31.03.2009 को बकाया नहीं थी, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक बकाया हो।

   ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क एवं उपकर से संबंधित ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे विवाद के कारण जमा न करवाया गया हो।

10. कंपनी को कोई संचयी हानि नहीं हुई है। हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) का खंड 4 (x) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने तुलन-पत्र की तारीख तक किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बांडधारकों को देय राशि की चुकौती करने में चूक नहीं की।

12. कंपनी ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, ट्रांसमिशन, वितरण तथा उत्पादन कंपनियों, जिनमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादक शामिल हैं, को शेयर अथवा अन्य किसी प्रतिभूति को रेहन रखकर संपार्श्विक प्रतिभूति सहित प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋण के संबंध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों का अनुरक्षण किया है।

13. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी चिट फंड या निधि म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) के खंड 4 (xiii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों से किसी प्रकार का लेन-देन या व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) के खंड 4 (xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

15. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण जिस प्रयोजन के लिए लिया गया, उसी के लिए इसका उपयोग किया गया।

17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच करने पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि नियोजन/निवेश के लिए नहीं किया गया है।

18. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को अधिमानी शेयर आबंटित नहीं किए हैं।

19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी ने प्रत्येक 10 लाख रुपए के 99302 संस्थागत बांड तथा प्रत्येक 10,000/- रुपए के 2,525,233 पूंजीगत लाभ कर छूट बांड जारी किए थे। कंपनी ने संस्थागत तथा पूंजीगत लाभ कर छूट बांड के संबंध में प्रतिभूति को वर्तमान परिसंपत्तियों (बही ऋण) पर प्रभार और मुंबई तथा दिल्ली में कंपनी की अचल संपत्तियों पर कानूनी रेहन के रूप में सृजित किया है।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के द्वारा कोई राशि नहीं जुटाई है। परिणामस्वरूप जुटाये गये धन के अंतिम उपयोग का प्रकटीकरण का यह खंड लागू नहीं होता है।

21. वित्तीय विवरणों का वास्तविक एवं सही मत प्रकट करने के उद्देश्य के लिए निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा की गई कोई धोखाधड़ी की घटना नहीं हुई है और न ही उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है।

कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सुरेश चन्द्र)
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.05.2009

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
स्कोप कांप्लेक्स, कोर-4,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 की अपेक्षा के अनुसार निगम पर लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट देते हैं:

1. निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1ए में दिए गए प्रावधान के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन किया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.02.1998 को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया है और जिसका पंजीकरण संख्या 14000011 है।

2. दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना संख्या 134 से 140 के अनुसार एनबीएफसी विनियमों में संशोधन के अनुसार सरकारी कंपनियों को अस्थायी परिसंपत्तियों और आरक्षित निधियों के अनुरक्षण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा सार्वजनिक निक्षेपों को स्वीकार करने एवं विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है।

3. कंपनी ने वर्ष 2008-09 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की हैं। निगम के निदेशक मंडल ने 23.02.2006 को हुई अपनी 299वीं बोर्ड बैठक में सार्वजनिक जमा स्वीकार करने, कंपनी को सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी से बदलकर सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी बनाने और तदनुसार तत्संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक आवेदन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।

4. निगम ने दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी पर लागू लेखाकरण मानकों और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया है। आय की मान्यता, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता एवं प्रकटन मानदंड निगम की लेखांकन नीतियों में दिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप हैं, जो कि लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उससे संबद्ध अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अधीन हैं।

कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सुरेश चन्द्र)
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.06.2009

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के खातों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

रूरल इलेक्ट्रीफिकाशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नामक व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। यह बताया गया है कि दिनांक 25 मई, 2009 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंधित कागजपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कार्मिकों से पूछताछ तथा तदनुसार कुछ चुने हुए लेखाकरण रिकार्ड की जांच तक ही मुख्य रूप से सीमित रही है। लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में नहीं आई है, जिसके आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दे सकूं या पूरक लेखापरीक्षा कर सकूं।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2009

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनियों से संबंधित विवरण

सहायक कंपनी का नाम	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड#	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड#
1. सहायक कंपनी के वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख	31.03.2009	31.03.2009	31.03.2009	31.03.2009
2. तारीख जब वे सहायक कंपनी बनी थीं	08.01.2007	12.07.2007	23.04.2007	01.05.2007
3. दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर				
क) सं. और अंकित मूल्य	प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर
ख) शेयरधारिता की सीमा	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
4. जहां तक नियंत्री कंपनी के सदस्यों का संबंध है, सहायक कंपनियों के लाभ/ हानि की निवल कुल रकम				
क) जिन पर नियंत्री कंपनी के लेखों में कार्रवाई नहीं की गई:-				
(i) 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया*	14,214,497 रुपए (कर-पश्चात् लाभ)	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया*	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया*
(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	शून्य	17,788,587 रुपए (कर पश्चात लाभ)	शून्य	शून्य
ख) जिन पर नियंत्री कंपनी के खातों में कार्रवाई की गई:				
(i) 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) नियंत्री कंपनी की सहायक कंपनियां बनने की तारीख से सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* चूंकि कंपनी ने अपना कारोबार अभी शुरू नहीं किया है, इसलिए इस वर्ष में उसने कोई लाभ नहीं कमाया है।

इन कंपनियों के 100 प्रतिशत शेयर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित हैं, जो इस कंपनी की सीधे सहायक कंपनी हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में ये कंपनियां भी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन की सहायक कंपनियां हैं।

बी.आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सहायक कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को लेखापरीक्षित लेखों सहित 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

प्रचालनों की समीक्षा

आरईसीटीपीसीएल ने आरईसी को सौंपी गई दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन का कार्य अपने हाथ में लिया है। आरईसीटीपीसीएल को इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए तकनीकी परामर्शदाताओं और बोली प्रक्रिया परामर्शदाताओं को पहले ही नियुक्त कर दिया गया है। इसके पश्चात, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के अधीन दो परियोजना विशेष एसपीवाई, अर्थात (i) नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल); और (ii) तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड भी गठित किए गए हैं। सीईआरसी द्वारा विकासकर्ता को लाइसेंस दिए जाने के बाद इन एसपीवी को ट्रांसमिशन प्रणाली के ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के साथ मिला दिया जाएगा। दो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) 06.10.08 को जारी किए गए थे। उत्तरी कर्णपुरा ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 13 बोलीदाताओं ने अपने अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) प्रस्ताव प्रस्तुत किए और तलचर-II ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए 15 बोलीदाताओं ने अपने अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो दिसंबर, 2008 में खोले गए। 6 बोलीदाताओं को उपर्युक्त विषय संबंधी आरएफक्यू का मूल्यांकन करने के बाद चयन के आधार पर आरएफपी के संबंध में दिनांक 08.05.2009 को पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये सफल बोलीदाता हैं : एस्सार पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एल एंड टी ट्रंस्को, रिलायंस पावर, लैंको-दीपक कंसोर्टियम एंड स्टरलाइट टेक्नोलॉजी।

पूंजीगत ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5,00,000 रुपए (केवल पांच लाख रुपए) है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

कंपनी ने अभी अपना वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है, इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। इसके स्थान पर निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण तैयार किया गया है, जो इस प्रकार है:-

(आंकड़े रुपए में)

ब्यौरे	रकम
कुल व्यय (वेतन और अन्य स्थापना व्यय, प्रशासन व्यय और आरईसी द्वारा आबंटित ब्याज भी शामिल है)	21,297,234
घटाएं : अन्य आय (आवधिक जमा पर ब्याज और वसूल की गई दस्तावेजों की लागत)	1,126,921
निवल व्यय	20,170,313
घटाएं : दो पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कंपनियों को किया गया आबंटन (अलग-अलग सहायक कंपनियों को आबंटित प्रत्यक्ष व्यय और समान अनुपात में आबंटित अप्रत्यक्ष व्यय):	
(क) उत्तरी कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	(-)11,565,910
(ख) तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	(-)8,604,403
तुलनपत्र में अग्रेनीत शेष (पूंजीगत चालू कार्य)	शून्य

निदेशक मंडल

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति / पुनः नियुक्ति की तारीख	सेवा में न रहने की तारीख
1.	श्री पी. उमाशंकर	अध्यक्ष	01.03.2008	पद पर बने हुए हैं
2.	श्री रमा रमण	निदेशक	08.01.2007/02.07.2008	पद पर बने हुए हैं
3.	श्री पी.जे. ठक्कर	निदेशक	08.01.2007/ 02.07.2008	पद पर बने हुए हैं
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक	27.12.2008	पद पर बने हुए हैं
5.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक	08.01.2007/ 02.07.2008	26.12.2008

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 और 256 के प्रावधानों के अनुसार श्री पी.जे. ठक्कर आगामी वार्षिक साधारण बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और वे पात्र हैं अतः पुनर्नियुक्ति के लिए अपने आपको प्रस्तुत करेंगे।

निदेशक मंडल ने श्री अजीत कुमार अग्रवाल की निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है, जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम निदेशकों की सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, परंतु इसके संबंध में आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स रतन विनोद अनिल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स को इस कंपनी के 31 मार्च, 2009 को समाप्त दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उक्त अवधि के कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षित लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ लगाई गई है।

कर्मचारियों के विवरण

इस कंपनी में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है, जिसकी आय निर्धारित रकम से अधिक हो। अतः कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन यथानिर्धारित कर्मचारियों के विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी, अवशोषण, अंगीकरण और नवीकरण, विदेशा मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह

कंपनी ने अभी अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित या खर्च नहीं की है।

जमा राशियां

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण अनुच्छेद 217(2 क क) के अंतर्गत

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2 क क) के अनुसरण में, निदेशक प्रभावशील प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

(क) वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ख) उन्होंने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सकें;

(ग) उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(घ) उन्होंने विद्यमान व्यवस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

सराहना

निदेशक, पूर्व निदेशक श्री गुलजीत कपूर द्वारा कंपनी में सेवारत रहने के दौरान किए गए सभी बहुमूल्य योगदान की बहुत सराहना करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के संबंध में कंपनी के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ लगाई गई हैं।

आभार

निदेशकगण, कर्मचारियों और बैंकरों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षक, मैसर्स रतन विनोद अनिल एंड कंपनी और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(पी. उमाशंकर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.7.09

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

(रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्णतया स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(आंकड़े रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
निधियों का स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां:			
शेयर पूंजी	1	**500,000**	500,000
आरक्षित तथा अधिशेष		**-**	-
ऋण निधियां:			
प्रतिभूति ऋण		**-**	-
अप्रतिभूति ऋण		**-**	-
जोड़		**500,000**	**500,000**
निधियों का उपयोग			
अचल परिसंपत्तियां:			
सकल ब्लॉक		**-**	-
घटाएं: मूल्यह्रास		**-**	-
निवल ब्लॉक		**-**	-
जारी पूंजीगत कार्य		**-**	-
निवेश	2	**1,000,000**	1,000,000
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	3		
नकदी तथा बैंक शेष		**104,966**	999,275
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**760**	-
ऋण तथा अग्रिम		**21,248,918**	1,524,909
		21,354,644	2,524,184
घटाएं: वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	4		
वर्तमान देयताएं		**21,921,528**	3,091,068
प्रावधान		**-**	-
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		**(566,884)**	(566,884)
विविध व्यय		**66,884**	66,884
(उसे बट्टे खाते में न डालने या समायोजित नहीं किए जाने तक)			
जोड़		**500,000**	**500,000**
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	5		
लेखाओं पर टिप्पणियां	6		

अनुसूची 1 से 6 लेखे के अभिन्न भाग हैं

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रतन विनोद अनिल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार	सुबोध गर्ग	पी.जे. ठक्कर	ए.के. अग्रवाल
भागीदार	मु.का.अ.	निदेशक	निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.05.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण

(आंकड़े रुपयों में)

विवरण	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
(क) प्रत्यक्ष व्यय:		
सर्वेक्षण प्रभार - उत्तरी कर्णपुरा	**6,296,504**	-
सर्वेक्षण प्रभार - तलचर - II	**3,276,231**	-
परामर्श प्रभार - उत्तरी कर्णपुरा	**273,035**	-
परामर्श प्रभार - तलचर - II	**361,800**	-
उप-जोड़ (क)	**10,207,570**	-
(ख) अप्रत्यक्ष व्यय		
आरईसी द्वारा आबंटित वेतन और अन्य स्थापना व्यय	**5,729,119**	927,710
आरईसी द्वारा आबंटित प्रशासनिक व्यय	**1,374,989**	222,654
बैठक और सम्मेलन	**-**	697,758
सांविधिक लेखापरीक्षकों का शुल्क	**27,575**	11,236
लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया फुटकर व्यय	**5,000**	-
विज्ञापन व्यय	**2,590,316**	-
मुद्रण और लेखन सामग्री	**19,765**	5,650
पुस्तकें और पत्रिकाएं	**1,025**	-
अतिथि-सत्कार व्यय	**7,700**	-
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	**9,152**	-
विविध व्यय	**12,017**	-
बैंक प्रभार	**750**	725
आरईसी को देय ब्याज (टीडीएस 270,325/- रुपए-पिछले वर्ष शून्य)	**1,312,256**	159,176
उप-जोड़ (ख)	**11,089,664**	2,024,909
कुल व्यय (क)+(ख)	**21,297,234**	2,024,909
(ग) अन्य आय:		
आवधिक जमा पर प्राप्त ब्याज (टीडीएस 3696/- रुपए-पिछले वर्ष शून्य)	**16,921**	-
प्राप्त प्रलेख लागत - उत्तरी कर्णपुरा	**540,000**	-
प्राप्त प्रलेख लागत - तलचर - II	**570,000**	-
उप-जोड़ (ग)	**1,126,921**	-
कुल व्यय (क)+(ख)-(ग)	**20,170,313**	2,024,909
घटाए: आबंटित		
नार्थ ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**11,565,910**	1,012,455
तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**8,604,403**	1,012,454
उप-जोड़	**20,170,313**	2,024,909
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष (सीडब्ल्यूआईपी)	**-**	-

अनुसूची 1 से 6 लेखे के अभिन्न भाग हैं

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रतन विनोद अनिल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार	सुबोध गर्ग	पी.जे. ठक्कर	ए.के. अग्रवाल
भागीदार	मु.का.अ.	निदेशक	निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.05.2009

अनुसूची '1' - शेयर पूंजी

(आंकड़े रुपयों में)

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
प्राधिकृत		
10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	**500,000**	500,000
निर्गत, अंशदत्त और प्रदत्त		
10 रुपए प्रत्येक के 50,000 पूर्णत: प्रदत इक्विटी शेयर	**500,000**	500,000
जोड़	**500,000**	500,000

अनुसूची '2' - निवेश

(आंकड़े रुपयों में)

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
दीर्घकालिक (अनुधृद्धत)		
अव्यापारिक निवेश		
सहायक कंपनियां:		
उत्तरी कर्णपुरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**500,000**	500,000
10 रुपए प्रत्येक के 50,000 पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर		
तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**500,000**	500,000
10 रुपए प्रत्येक के 50,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर		
जोड़	**1,000,000**	1,000,000

अनुसूची '3' - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(आंकड़े रुपयों में)

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
I चालू परिसंपत्तियां		
(क) रोकड़ और बैंक शेष		
अनुसूचित बैंक के चालू खाते में	**4,966**	999,275
अनुसूचित बैंक के जमा खाते में	**100,000**	-
जोड़ (क)	**104,966**	999,275
(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन आवधिक जमा पर देय नहीं	**760**	-
जोड़ (ख)	**760**	-
जोड़ (क) + (ख)	**105,726**	999,275

II ऋण एवं पेशगियां		
(ग) पेशगियां		
(अप्रतिभूत लेकिन वसूली-योग्य)		
सहायक कंपनियों से प्राप्त होने वाली रकम		
उत्तरी कर्णपुरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**12,103,365**	712,455
तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**9,141,857**	812,454
बैंक द्वारा आवधिक जमा पर दिए गए ब्याज		
पर स्रोत पर कर की कटौती	**3,696**	-
जोड़ (ग)	**21,248,918**	1,524,909
जोड़ (क)+(ख)+ (ग)	**21,354,644**	2,524,184

अनुसूची '4' - वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(आंकड़े रुपयों में)

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
(क) वर्तमान देयताएं		
लेखापरीक्षकों को पारिश्रामिक	**24,735**	11,236
स्रोत पर कर की कटौती	**534,598**	-
सर्वेक्षण प्रभार	**2,046,008**	-
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (नियंत्री कंपनी)	**19,316,187**	3,079,832
जोड़ (क)	**21,921,528**	3,091,068
(ख) प्रावधान		
प्रावधान	-	-
जोड़ (ख)	-	-
जोड़ (क) + (ख)	**21,921,528**	3,091,068

अनुसूची '5' : महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

लेखांकन परंपरा - वित्तीय विवरण को लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा आधार पर तैयार किया जाता है और ये भारत में सामान्यतः स्वीकार्य तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की संगत प्रस्तुतीकरण आवश्यकता का अनुपालन करते हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल होती है।

3. मूल्यहास

3.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर यथानुपात आधार पर मुहैया कराया जाता है।

3.2 वर्ष के दौरान क्रय/ बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति का उपयोग यदि 15 दिन से अधिक होने पर उस क्रय/ बिक्री की तिथि से मूल्यानुसार आधार पर प्रभारित करने के संपूर्ण माह के लिए किया जाता है।

3.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई 5000 रुपए तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से मुहैया करवाया जाता है।

4. किया जा रहा पूंजीगत कार्य

सर्वेक्षण/अध्ययन/अन्वेषण/परामर्श/प्रशासन/मूल्यह्रास/ब्याज पर किए गए खर्च को किए जा रहे पूंजीगत कार्य के रूप में समझा जाएगा।

5. चालू देयताएं

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (नियंत्री कंपनी) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (जो आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की नियंत्री कंपनी है), के द्वारा किया जाता है और इसे चालू देयताओं के रूप में समझा जाता है। उनके द्वारा नियोजित निधि पर ब्याज लगाया जाता है।

6. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय और गैर-रोकड़ प्रकृति के लेन-देनों और पूर्व अथवा भावी नकद प्राप्तियों और भुगतान की किसी आस्थगन अथवा प्रोद्भवन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाहों को पृथक्कृत किया जाता है।

अनुसूची '6' : लेखे पर टिप्पणियां

1. यह कंपनी 08 जनवरी, 2007 को निगमित की गई थी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 05 फरवरी, 2007 को जारी किया गया था। यह कंपनी एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जो प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य, मार्ग के अभिनिर्धारण, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, भूमि अर्जन की प्रक्रिया की शुरूआत करने, यदि अपेक्षित हो, वन अनापत्ति प्राप्त करने के लिए निगमित की गई है। यह पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए बोली प्रक्रिया आदि भी संचालित करती है।

2. यह कपंनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), भारत सरकार का उद्यम, की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। कपंनी के मुख्य प्रबंधन-कार्मिक अंशकालिक आधार पर तैनात आरईसी के कर्मचारी हैं। कंपनी द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को कोई प्रबंध पारिश्रामिक अदा नहीं किया जाता है। ऐसे मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पृथक्करण की तारीख
1.	श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं निदेशक	01.03.2008	पद पर बने हुए हैं
2.	श्री रमा रमण	निदेशक	08.01.2007	पद पर बने हुए हैं
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक	08.01.2007	26.12.2008
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक	27.12.2008	पद पर बने हुए हैं
5.	श्री प्रकाश जे. ठक्कर	निदेशक	08.01.2007	पद पर बने हुए हैं

कंपनी में कार्यरत अन्य कार्मिक भी नियंत्री कंपनी से हैं। श्री राम रमण, निदेशक और कंपनी में कार्यरत अन्य कार्मिकों को नियंत्री कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है और उसे नियंत्री कंपनी के प्रशासनिक व्यय के भाग के रूप में सहायक कंपनी को आबंटित किया जाता है। इस कंपनी के प्रशासनिक व्यय में नियंत्री कंपनी द्वारा किया जाने वाला आनुपातिक और आबंटित सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल है।

3. कंपनी से संबंधित भुगतान नियंत्री कंपनी द्वारा किए जाते हैं और स्रोत पर कर की कटौती और सीमित लाभ कर और यथा लागू उसे जमा करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन कंपनी की ओर से नियंत्री कंपनी द्वारा किया जाता है।

4. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किए गए व्यय पर आरईसी को ब्याज अदा करेगा। आरईसी लिमिटेड द्वारा दिए गए आरक्षित ऋण पर देय ब्याज का हिसाब पारेषण और वितरण स्कीम के लिए लागू रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की सामान्य ऋण दर के आधार पर रखा जाता है।

5. नियंत्री कंपनी के साझा कर्मचारी/ स्थापना लागत और प्रशासन व्यय का हिसाब नियंत्री कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर विभाजित किया गया है:

सहायक कंपनी (आरईसीटीपीसीएल) के लिए पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने वाले नियंत्री कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्णकालिक आधाार पर कंपनी के कर्मचारियों की कुल लागत को व्यय के रूप में समझा गया है जबकि सहायक कंपनी के लिए आंशिक रूप से कार्य करने वाले नियंत्री कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में इन कर्मचारियों द्वारा बिताए गए अनुमानित समय के अनुसार अंशकालिक आधार पर कर्मचारियों की कुल लागत की प्रतिशतता को नियंत्री कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए लागत अनुपात विवरण के आधार पर व्यय के रूप में समझा गया है।

सहायक कंपनी की ओर से नियंत्री कंपनी द्वारा खर्च की गई लागत पर ब्याज पारेषण और वितरण योजनाओं के लिए लागू नियंत्री कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की सामान्य उधार दर के आधार पर दिया जाता है।

नियंत्री कंपनी के प्रशासनिक ऊपरी व्यय का आबंटन नियंत्री कंपनी के ऐसे कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर किया जाता है, जो सहायक कंपनी में कार्य कर रहे हों। इसमें इन कर्मचारियों द्वारा बिताए गए अनुमानित समय के अनुसार नियंत्री कंपनी के कुल ऊपरी लागत और कुल मूल वेतन के अनुपात द्वारा गुना किया जाता है।

6. चूंकि कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, अत: कोई लाभ-हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। लाभ हानि लेखे के स्थान पर निर्माण अवधि के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय का विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग 2 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और उसे तुलनपत्र के अनुबंध के रूप में लगाया गया है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए खर्च को निर्माण अवधि के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के रूप में माना गया है। इसके अलावा, चूंकि यह कंपनी इन खर्चों को अपनी दो सहायक कंपनियों, अर्थात् नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए कर रही है, अत: यह व्यय वर्ष के अंत में इसकी दो सहायक कंपनियों के लिए आबंटित किया गया है। संबंधित सहायक कंपनियों के लिए सीधा व्यय भी आबंटित किया गया है, जिसके संबंध में यह व्यय किया गया है। इन दोनों सहायक कंपनियों को अप्रत्यक्ष व्यय भी एकसमान अनुपात में आबंटित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के गठन से संबंधित दाखिल करने/ विधिक फीस पर किए गए व्यय और कंपनी के निगमन के पूर्व किए गए सभी व्यय को प्रारंभिक व्यय के

रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसे पांच वर्षों में कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद बट्टे खाते डाला जाएगा।

7. कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अनुसार लागू सभी लेखाकरण मानकों का पालन किया है।

8. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई बकाया देयता नहीं है।

9. पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित रकम, जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, 4,089,315 रुपए है (पिछले वर्ष - शून्य)।

10. विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।
विदेशी मुद्रा में आय - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।

11. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक

	2008-09	पिछला वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	25,000	10,000
सेवा कर	2,575	1,236
व्यय की प्रतिपूर्ति	5,000	शून्य

12. आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

13. लेखाकरण मानक-18 के अनुसार प्रकटन-संबद्ध पार्टी प्रकटन।

क. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सभी मुख्य निर्णय आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जहां रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के नामिती नियंत्रण रखते हैं।

कंपनी के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण इस प्रकार है:

कंपनी को देय चालू देयताएं :

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	नाम	2008-09		2007-08	
		वर्ष के अंत में बकाया शेष, जिसमें उस पर लगने वाले ब्याज सहित	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	वर्ष के अंत में बकाया शेष, जिसमें उस पर लगने वाले ब्याज सहित	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
1.	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	19,316,187	19,316,187	3,079,832	3,079,832

ख. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की दो सहायक कंपनियां हैं, अर्थात् (i) नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड; और (ii) तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसमें प्रत्येक 5,00000/- रुपए का इक्विटी अंशदान है।

संबंधित सहायक कंपनियों से वसूल की जाने वाली रकम का विवरण इस प्रकार है:

सहायक कंपनियों से वसूल किया जाने वाला अग्रिम :

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	नाम	2008-09		2007-08	
		वर्ष के अंत में बकाया शेष, जिसमें उस पर लगने वाले ब्याज सहित	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	वर्ष के अंत में बकाया शेष, जिसमें उस पर लगने वाले ब्याज सहित	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
1.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12,103,365	12,103,365	712,455	712,455
2.	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	9,141,857	9,141,857	8,12,454	8,12,454

14. तुलन-पत्र के साथ और कंपनी के सामान्य कारोबार लाभ के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार अपेक्षित प्रकटन अनुबंध के रूप में संलग्न है।

15. नियंत्रक कंपनी को वर्ष के अंत में देय बकाया शेष 19,316,187 रुपए (पिछले वर्ष 3,079,832 रुपए) के वर्गीकरण से संबंधित महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 5 (अनुसूची 5) इस वर्ष के दौरान बदल दी गई है। इस प्रकार देय रकम को पिछले वर्ष में आरक्षित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया था जबकि अब चालू वर्ष में चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

16. जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहीकृत/ पुन: व्यवस्थित/ पुन: दर्ज किया गया है ताकि चालू वित्त वर्ष के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना की जा सके।

तुलन-पत्र और निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण के भाग बनाए जाने वाली अनुसूचियों और उपयुक्त महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति और लेखा टिप्पणियों पर हस्ताक्षर।

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रतन विनोद अनिल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार	सुबोध गर्ग	पी.जे. ठक्कर	ए.के. अग्रवाल
भागीदार	मु.का.अ.	निदेशक	निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.05.2009

परिशिष्ट

कपंनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार सूचना तुलन-पत्र का सार और कंपनी का सामान्य कारोबार विवरण

1.	**पंजीकरण विवरण:**			
	राज्य कोड :	55		
	पंजीकरण संख्या	यू40101डीएल2007जीओआई157558		
	तुलन-पत्र की तारीख:	31 दिनांक	03 माह	2009 वर्ष
				रकम रुपयों में
2.	**वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी:**			
	पब्लिक इश्यू			-
	राइट इश्यू			-
	बोनस इश्यू			-
	प्राइवेट प्लेसमेंट			-
3.	**निधियों के संचलन और नियोजन की स्थिति:**			
	कुल देयताएं			22,421,528
	कुल परिसंपत्तियां			22,421,528
	निधियों का स्रोत:			
	प्रदत्त पूंजी			500,000
	आरक्षित और अधिशेष			-
	प्रतिभूत ऋण			-
	अप्रतिभूत ऋण			-
	आस्थगित कर देयता			-
	निधियों का अनुप्रयोग:			
	निवल स्थायी परिसंपत्तियां (चालू कार्यपूंजी सहित)			-
	निवेश			1,000,000
	निवल चालू परिसंपत्तियां			(566,884)
	ऋण			-
	संचित हानियां			-
	विविध व्यय			66,884
	आस्थगित कर संपत्तियां			-
4.	**कंपनी का कार्य निष्पादन:**			
	कारोबार			-
	कुल व्यय			-
	कर-पूर्व लाभ			-
	कर-पश्चात लाभ			-
	ईपीएस रुपए में			-
	लाभांश दर			-
5.	**कपंनी के प्रमुख उत्पाद/सेवा का सामान्य नाम:**			
	मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)			-

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रतन विनोद अनिल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार	सुबोध गर्ग	पी.जे. ठक्कर	ए.के. अग्रवाल
भागीदार	मु.का.अ.	निदेशक	निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.05.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(आंकड़े रुपयों में)

विवरण	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह:		
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास	-	-
ख. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह:		
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	-	-
चालू पूंजीगत कार्य	-	-
निवेश	-	(1,000,000)
प्रारंभिक व्यय	-	(66,884)
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह:		
शेयर पूंजी	-	500,000
वर्तमान देयताएं	**18,830,460**	3,091,068
अप्रतिभूत ऋण	-	-
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**(760)**	
ऋण और पेशगियां	**(19,724,009)**	(1,524,909)
रोकड़ और समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**(894,309)**	**999,275**
1 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**999,275**	-
31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**104,966**	999,275
रोकड़ और समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**(894,309)**	**999,275**

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रतन विनोद अनिल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार	सुबोध गर्ग	पी.जे. ठक्कर	ए.के. अग्रवाल
भागीदार	मु.का.अ.	निदेशक	निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.05.2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड

1. हमने **आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय तथा उससे संलग्न उसी अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। चूंकि इस कंपनी ने अभी अपना कार्य शुरू नहीं किया है, अतः 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में लाभ-हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।

   ये वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

   हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध में कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है;

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

(iv) हमारी राय में तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं;

(v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं.2/5/2001-सीएल वी द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार टिप्पणियों और लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण तथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के बारे में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते है:

   (क) दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति कंपनी के कार्यकलाप के तुलनपत्र के मामले में;

   (ख) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए किए गए व्यय हेतु निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय दर्शाते हुए विवरण के मामले में; और

   (ग) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते रतन विनोद अनिल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अनिल कुमार)
भागीदार,
सदस्यता सं.084295

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 मई, 2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए लेखे पर हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हम निम्नानुसार वर्णन करते है:

1 (क) इस कंपनी ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार को कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण मंजूर नहीं किया है, जिनका नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हो। लेकिन इसके पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां अर्थात् नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों के कारण ऋण दिया गया है जिसे तुलन- पत्र में ऋणों के रूप में दिखाया गया है । वर्ष के अंत में शेष के दौरान अधिकतम शेष का विवरण इस प्रकार है:-

कंपनी	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12,103,365	12,103,365
तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	9,141,857	9,141,857

1 (ख) इस कंपनी ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार को कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है, जिनका नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हो। लेकिन नियंत्रक कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिए गए

विभिन्न खर्चों के कारण उसके नाम में तुलन-पत्र में चालू देयताएं दिखाई गई हैं। वर्ष के अंत में शेष रकम और वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि रु. 19,316,187 है।

2. कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है।

3 (क) यह कंपनी अविवादित सांविधिक देयताओं को, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, उप-कर और अन्य सांविधिक देयताएं भी शामिल हैं, समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है। यदि नियंत्री कंपनी द्वारा किसी कंपनी से संबंधित अदायगी की जाती है तो उनके द्वारा जारी की गई अदायगी के संबंध में सांविधिक देयताएं नियंत्री कंपनी द्वारा जमा की जाती हैं।

3 (ख) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति उपर्युक्त सांविधिक बकाए के संबंध में देय कोई अविवादित राशि उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

4. लेखापरीक्षा के दौरान हमारी जानकारी में कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं आया। इसके अतिरिक्त हमें जैसा सूचित किया गया, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा/ सूचित किया है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के दौरान पैरा सं I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX और XX के उपबंध लागू नहीं हैं।

कृते रतन विनोद अनिल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अनिल कुमार)
भागीदार,
सदस्यता सं.084295

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 मई, 2009

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। यह बताया गया कि दिनांक 12 मई, 2009 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से यह निर्णय लिया है कि मैं **आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009** को समाप्त वर्ष के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करूं और इस प्रकार कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जून, 2009

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

(रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनियों के संबंधित विवरण

क्र.सं.	विवरण	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	तलचर – II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
1	को समाप्त सहायक कंपनी का वित्तीय वर्ष	31-03-2009	31-03-2009
2	तारीख जिस दिन से वे सहायक कंपनी बनी	23-04-2007	01-05-2007
3.	दिनांक 31 मार्च, 2009 को कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर		
(क)	संख्या और अंकित मूल्य	प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर
(ख)	धारण की सीमा	100 %	100 %
4.	जहां तक धारक कंपनी के सदस्यों का संबंध है सहायक कंपनियों के लाभ/(हानि) की निवल कुल राशि		
(क)	धारक कंपनी के लेखे में नहीं लिया गया		
(i)	31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं*	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं*
(ii)	सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं*	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं*
(ख)	धारक कंपनी के लेखे में लिया गया:		
(i)	31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य
(ii)	सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	शून्य	शून्य

* चूंकि कंपनी ने अभी तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है इसलिए इसने वर्ष के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं किया है।

सुबोध गर्ग
मु.का.अ.

प्रकाश जे. ठक्कर
निदेशक

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक

तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को लेखापरीक्षित लेखों सहित 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

प्रचालनों की समीक्षा

आरईसी टीपीसीएल (तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की नियंत्रक कंपनी) ने दिनांक 06.10.2008 को अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) जारी किया है। 15 बोलीदाताओं ने तलचर-II ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो दिसंबर, 2008 में खोले गए। 6 बोलीदाताओं को उपर्युक्त विषय संबंधी आरएफक्यू का मूल्यांकन करने के बाद चयन के आधार पर आरएफपी के संबंध में दिनांक 08.05.2009 को पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये सफल बोलीदाता हैं : एस्सार पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एल एंड टी ट्रांस्को, रिलायंस पावर, लैंको-दीपक कंसोर्टियम और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी।

पूंजीगत ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रुपए (केवल पांच लाख रुपए) है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

कंपनी ने अभी वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है, इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। इसके स्थान पर निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण तैयार किया गया है। दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष की अवधि के दौरान कुल 8,635,176 रुपए का व्यय किया गया था।

लाभांश का भुगतान

अभी कंपनी को अपना कारोबार शुरू करना है और लाभ कमाना है, इसलिए लाभांश की कोई रकम नहीं है।

निदेशक मंडल

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	सेवा में न रहने की तारीख
1.	श्री पी.जे. ठक्कर	अध्यक्ष	01.05.2007	पद पर बने हुए हैं
2.	श्रीमती वल्ली नटराजन	निदेशक	01.05.2007	पद पर बनी हुई हैं
3.	श्रीमती हरिन्दर कौर चानी	निदेशक	01.05.2007	पद पर बनी हुए हैं

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 और 256 के प्रावधानों के अनुसार श्रीमती वल्ली नटराजन आगामी वार्षिक आम बैठक में क्रमानुसार सेवानिवृत्त हो जाएंगी और पात्र होते हुए वह पुनर्नियुक्ति के लिए अपने आपको प्रस्तुत करेंगी।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को इस कंपनी के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उक्त अवधि के कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

जमा राशियां

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

(क) वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है ;

(ख) उन्होंने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकसम्मत हैं और वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते है;

(ग) उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखने हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(घ) उन्होंने विद्यमान व्यवस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के संबंध में कंपनी के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

आभार

निदेशकगण, कर्मचारियों और बैंकरों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षक, अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(पी.जे. ठक्कर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.07.2009

तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के पूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषगी कंपनी)

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

आंकड़े रुपयों में

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
निधियों का स्रोत			
शेयरधारक निधि:			
शेयर पूंजी	1	**500,000**	500,000
ऋण निधियां:			
जमानती ऋण		**-**	-
गैर-जमानती ऋण		**-**	-
जोड़		**500,000**	500,000
निधियों का प्रयोग			
अचल परिसंपत्तियां:			
सकल ब्लॉक		**-**	-
घटाएं: मूल्यह्रास		**-**	-
निवल ब्लॉक		**-**	-
चालू पूंजीगत कार्य	2	**9,658,962**	1,023,786
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	3		
रोकड़ और बैंक शेष		**12,738**	499,700
ऋण और अग्रिम		**-**	-
		12,738	499,700
घटाएं: चालू देयताएं और प्रावधान	4		
चालू देयताएं		**9,208,849**	1,060,635
प्रावधान		**-**	-
निवल चालू परिसंपत्तियां		**(9,196,111)**	(560,935)
विविध व्यय		**37,149**	37,149
(उसे बट्टे खाते न डालने अथवा समायोजित नहीं किए जाने तक)			
जोड़		**500,000**	500,000
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	5		
लेखे पर टिप्पणियां	6		

अनुसूची 1 से 6 लेखे के अभिन्न अंग है।

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आदित्य कुमार शर्मा
भागीदार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

पी.जे. ठक्कर
अध्यक्ष

एच. कौर चानी
निदेशक

वल्ली नटराजन
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण

आंकड़े रुपयों में

विवरण	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
व्यय		
आरईसी-टीपीसीएल द्वारा आबंटित व्यय	**8,604,403**	1,012,454
मुद्रण और लेखन-सामग्री	**-**	550
बैंक प्रभार	**535**	300
सांविधिक लेखापरीक्षकों का शुल्क	**22,060**	8,427
लेखापरीक्षा के इतर व्यय की प्रतिपूर्ति	**3,000**	-
ब्याज (टीडीएस 1,067 रु. विगत वर्ष का शून्य)	**5,178**	2,055
तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष (सीडब्ल्यूआईपी)	**8,635,176**	1,023,786

अनुसूची 1 से 6 लेखे के अभिन्न अंग है।

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते अकिल एण्ड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आदित्य कुमार शर्मा
भागीदार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

पी.जे. ठक्कर
अध्यक्ष

एच. कौर चानी
निदेशक

वल्ली नटराजन
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2009

अनुसूची '1' - शेयर पूंजी

आंकड़े रुपयों में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	**500,000**	500,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक 10/- रुपए के पूर्णत: प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**500,000**	500,000
जोड़	**500,000**	500,000

अनुसूची '2' - चालू पूंजीगत कार्य

आंकड़े रुपयों में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
अथ शेष	**1,023,786**	-
जोडें: निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय विवरण से अंतरित चालू पूंजीगत कार्य	**8,635,176**	1,023,786
जोड़	**9,658,962**	1,023,786

अनुसूची '3' - चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपयों में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
चालू परिसंपत्तियां		
रोकड़ और बैंक शेष		
चालू खाते में	**12,738**	499,700
अनुसूचित बैंकों के पास		
जोड़	**12,738**	499,700

अनुसूची '4' - चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपयों में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
(क) चालू देयताएं		
बयाना राशि	**-**	200,000
स्रोत पर कर की कटौती	**3,339**	-
लेखापरीक्षकों का देय पारिश्रमिक	**19,788**	8,427
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी)	**9,141,857**	812,454
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी))	**43,865**	39,754
जोड़ (क)	**9,208,849**	1,060,635
(ख) प्रावधान		
प्रावधान	**-**	-
जोड़ (ख)	**-**	-
जोड़ (क) + (ख)	**9,208,849**	1,060,635

अनुसूची '5' : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

लेखाकरण परंपरा - वित्तीय विवरण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक लागत समझौता के अधीन और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2. **अचल परिसंपत्तियां**

स्थायी परिसंपत्तियां संग्रहीत मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में परिसंपत्तियों को उसके अभिप्रेत प्रयोग के उपयुक्त कार्य दशा में लाने के लिए हुई कोई लागत शामिल है।

3. **मूल्यह्रास**

3.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अधीन निर्धारित दरों पर सीधी रेखा विधि पर यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

3.2 वर्ष के दौरान बेची/ खरीदी गई परिसंपत्तियों पर खरीद/बिक्री की तारीख से उसी आनुपातिक आधार पर प्रभारित करने की बजाय उस स्थिति में यदि परिसंपत्तियों का उपयोग 15 दिन से अधिक समय तक किया गया हो, पूरे माह के संबंध में मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

3.3 वर्ष के दौरान 5,000/- रुपए तक की खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर पर प्रदान किया जाता है।

4. **चालू पंजीगत कार्य**

सर्वेक्षण/ अध्ययन/ अन्वेषण/ परामर्श/ प्रशासन/ मूल्यह्रास/ ब्याज पर किए गए व्यय को चालू पूंजीगत निर्माण कार्य माना गया है।

5. **चालू देयताएं**

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (जो आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की नियंत्रक कंपनी है), के द्वारा किया जाता है और इसे चालू देयताओं के रूप में समझा जाता है। उनके द्वारा नियोजित निधि पर ब्याज वसूला जाता है।

6. **रोकड़ प्रवाह विवरण**

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय और गैर-रोकड़ प्रकृति के लेन-देनों और पूर्व अथवा भावी नकद प्राप्तियों और भुगतान की किसी आस्थगन अथवा प्रोद्भवन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाहों को पृथक्कृत किया जाता है।

अनुसूची '6' : लेखाओं पर टिप्पणियां

1. यह कंपनी 1 मई, 2007 को निगमित की गई थी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2007 को जारी किया गया था। यह कंपनी एक विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल परपज वेहिकल) है, जो प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य, मार्ग के अभिनिर्धारण, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, भूमि अर्जन की प्रक्रिया की शुरुआत करने, यदि अपेक्षित हो, वन अनापत्ति प्राप्त करने के लिए निगमित की गई है। यह पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए बोली प्रक्रिया आदि भी संचालित करती है।

2. यह कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी-टीपीसीएल) की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी है, जिसका पूर्ण स्वामित्व रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पास है। कंपनी के मुख्य प्रबंध कार्मिक अंशकालिक आधार पर तैनात आरईसी के कर्मचारी हैं। कंपनी द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को कोई प्रबंध पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है।

ऐसे मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के विवरण इस प्रकार हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पृथक्करण की तारीख
1.	श्री पी.जे. ठक्कर	अध्यक्ष एवं निदेशक	01.05.2007	पद पर बने हुए हैं
2.	श्रीमती वल्ली नटराजन	निदेशक	01.05.2007	पद पर बनी हुई हैं
3.	श्रीमती हरिन्दर कौर चानी	निदेशक	01.05.2007	पद पर बनी हुई हैं

कंपनी में कार्यरत अन्य कार्मिक भी आरईसी से हैं। कंपनी के लिए कार्यरत कार्मिकों से संबद्ध व्यय का भुगतान आरईसी द्वारा किया जाता है और धारक कंपनी के प्रशासन व्यय के रूप में नियंत्रक कंपनी (आरईसी-टीपीसीएल) को आबंटित किया जाता है, जिसे आगे आरईसी-टीपीसीएल द्वारा अपनी दो सहायक कंपनियों नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को समानुपात में आबंटित किया जाता है।

3. कंपनी से संबंधित भुगतान नियंत्रक कंपनी (आरईसी-टीपीसीएल) और उसकी होल्डिंग कंपनी आरईसी लि. द्वारा किए जाते हैं और स्रोत पर कर की कटौती और अनुषंगी लाभ कर और यथा लागू उसे जमा करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन कंपनी की ओर से नियंत्रक कंपनी द्वारा किया जाता है।

4. तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड उसके द्वारा किए गए व्यय पर आरईसी को ब्याज अदा करेगी। आरईसी लिमिटेड द्वारा दिए गए आरक्षित ऋण पर देय ब्याज का हिसाब पारेषण और वितरण स्कीम के लिए लागू रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की सामान्य उधारी दर के आधार पर रखा जाता है।

5. कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। लाभ-हानि लेखे के बजाय कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II की अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रासंगिक व्यय विवरण तैयार किया गया है और उसे तुलन-पत्र के साथ लगा दिया गया है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय को निर्माण अवधि का प्रासंगिक व्यय समझा गया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी-टीपीसीएल के खाते में वर्ष के अंत में आने वाले निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय को वर्ष के अंत में इसकी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आबंटित किया जाता है। अलग-अलग सहायक कंपनियों को प्रत्यक्ष व्यय आबंटित किया गया है, जिसके लिए व्यय किया गया है। अप्रत्यक्ष व्यय को दो सहायक कंपनियों में आनुपातिक आधार पर बराबर-बराबर बांटा गया है।

   इसके अतिरिक्त, कंपनी के गठन से संबंधित कागजात दायर करने/ विधिक फीस पर किए गए व्यय और कंपनी के निगमन के पूर्व किए गए सभी व्यय को प्रारंभिक व्यय के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसे पांच वर्षों में कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद बट्टे खाते डाला जाएगा।

6. कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सभी लागू लेखाकरण मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 का पालन किया है।

7. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई बकाया देयता नहीं है।

8. पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित रकम, जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, 1,600,144/- रुपए है (पिछले वर्ष - शून्य)।

9. विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।
   विदेशी मुद्रा में आय - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।

10. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक

	2008-09	पिछला वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	20,000	7500
सेवा कर	2060	927
व्यय की प्रतिपूर्ति	3,000	शून्य

11. आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

12. लेखाकरण मानक-18 के अनुसार प्रकटन-संबद्ध पार्टी प्रकटन :

    तलचर-II ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सभी मुख्य निर्णय आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जहां रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के नामिती नियंत्रण रखते हैं।

    नियंत्रक कंपनी के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण इस प्रकार है

    नियंत्रक कंपनी को देय चालू देयताएं :

(रकम रुपयों में)

क्रम सं.	नाम	2008-09		2007-08	
		वर्ष के अंत में बकाया शेष, जिसमें उस पर लगने वाले ब्याज सहित	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	वर्ष के अंत में बकाया शेष, जिसमें उस पर लगने वाले ब्याज सहित	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
1.	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	43,865	43,865	39,754	39,754
2.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	9,141,857	9,141,857	812,454	812,454

13. तुलन-पत्र के साथ और कंपनी के सामान्य कारोबार लाभ के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार अपेक्षित प्रकटन अनुबंध के रूप में संलग्न है।

14. वर्ष के अंत में बकाया के वर्गीकरण संबंधी लेखाकरण नीति सं. 5(अनुसूची 5) तथा नियंत्रक कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को देय 9,141,857/- रुपए (पिछले वर्ष 812,454/- रुपए) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को देय 43,865/- रुपए (विगत वर्ष 39,754/- रुपए) को वर्ष के दौरान बदल दिया गया है। इस प्रकार देय रकम को पिछले वर्ष में अप्रतिभूत ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया था जबकि अब चालू वर्ष में चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप भनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित/ पुनःनिर्मित किया गया है।

    तुलन-पत्र और निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण के भाग बनाए जाने वाली अनुसूचियों और उपयुक्त महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति और लेखा टिप्पणियों पर हस्ताक्षर।

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
अकिल एंड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

आदित्य कुमार शर्मा
भागीदार

पी.जे. ठक्कर
अध्यक्ष

एच. कौर चानी
निदेशक

वल्ली नटराजन
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

परिशिष्ट

कपंनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार सूचना तुलन-पत्र का सार और कंपनी का सामान्य कारोबार विवरण

1. पंजीकरण विवरण:

राज्य कोड :	55		
पंजीकरण संख्या :	यू40101डीएल2007जीओआई157558		
तुलन-पत्र की तारीख	31	03	2009
	दिनांक	माह	वर्ष

राशि रुपयों में

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी:	
पब्लिक इश्यू	-
राइट इश्यू	-
बोनस इश्यू	-
प्राइवेट प्लेसमेंट	-
3. निधियों के संचालन और नियोजन की स्थिति:	
कुल देयताएं	9,708,849
कुल परिसंपत्तियां	9,708,849
निधियों के स्रोत:	
प्रदत्त पूंजी	500,000
आरक्षित और अधिशेष	-
जमानती ऋण	-
गैर-जमानती ऋण	-
आस्थगित कर देयता	-
निधियों के अनुप्रयोग:	
निवल अचल परिसंपत्तियां (चालू कार्यपूंजी सहित)	9,658,962
निवेश	-
निवल चालू परिसंपत्तियां	(9,196,111)
ऋण	-
संचित हानियां	-
विविध व्यय	37,149
आस्थगित कर संपत्तियां	-
4. कंपनी का कार्य-निष्पादन	
कारोबार	-
कुल व्यय	-
कर-पूर्व लाभ	-

	कर-पश्चात् लाभ	-
	ईपीएस रुपए में	-
	लाभांश दर	-
5.	**कंपनी के प्रमुख उत्पाद/सेवा का सामान्य नाम:** मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	-

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार — कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते अकिल एंड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आदित्य कुमार शर्मा	पी.जे. ठक्कर	एच. कौर चानी	वल्ली नटराजन
भागीदार	अध्यक्ष	निदेशक	निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि का रोकड़ प्रवाह विवरण

आंकड़े रुपयों में

विवरण	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह:		
निर्माण के दौरान निम्नलिखित पर प्रासंगिक व्यय:	-	-
समायोजन के लिए:		
मूल्यह्रास	-	-
ख. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह:		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	-	-
चालू पूंजीगत कार्य	**(8,635,176)**	(1,023,786)
प्रारंभिक व्यय	**-**	(37,149)
ग. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
शेयर पूंजी	**-**	500,000
चालू देयताएं	**8,148,214**	1,060,635
गैर-जमानती ऋण	**-**	-
रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों में निवल वृद्धि/कमी	**(486,962)**	**499,700**
1 अप्रैल, 2008 के अनुसार रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**499,700**	-
30 जून, 2008 के अनुसार रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**12,738**	499,700
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**(486,962)**	**499,700**

हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार — कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते अकिल एंड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आदित्य कुमार शर्मा	पी.जे. ठक्कर	एच. कौर चानी	वल्ली नटराजन
भागीदार	अध्यक्ष	निदेशक	निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

1. हमने **तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय तथा उससे संलग्न उसी अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। चूंकि इस कंपनी ने अभी अपना कार्य शुरू नहीं किया है, अतः 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में लाभ-हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।

   ये वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

   हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध में कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय में तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

(v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001-सीएल वी द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार टिप्पणियों और लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण तथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के बारे में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते है:

   (क) दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति कंपनी के कार्यकलाप के तुलनपत्र के मामले में;

   (ख) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए किए गए व्यय हेतु निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय दर्शाते हुए विवरण के मामले में; और

   (ग) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते अकिल एंड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(आदित्य कुमार शर्मा)
भागीदार,
सदस्यता सं.085805

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए लेखे पर हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हम निम्नानुसार वर्णन करते है:

1 (क) इस कंपनी ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार को कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण मंजूर नहीं किया है, जिनका नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हो।

1 (ख) इस कंपनी ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार को कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है, जिनका नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हो। लेकिन आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की नियंत्रक कंपनी) के नाम में तुलन-पत्र में उनके किए गए विभिन्न व्यय के कारण उसके नाम में तुलनपत्र में चालू देयता दिखाई गई है। वर्ष के अंत में शेष रकम और वर्ष के दौरान अधिकतम रकम निम्नलिखित थी:-

कंपनी	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी)	9,141,857	9,141,857
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की नियंत्रक कंपनी)	43,865	43,865

2. कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है।

3 (क) यह कंपनी अविवादित सांविधिक देयताओं को, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, उप-कर और अन्य सांविधिक देयताएं भी शामिल हैं, समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है। यदि नियंत्रक कंपनी द्वारा किसी कंपनी से संबंधित अदायगी की जाती है तो उनके द्वारा जारी की गई अदायगी के संबंध में सांविधिक देयताएं नियंत्रक कंपनी द्वारा जमा की जाती हैं।

3 (ख) जैसा हमें स्पष्ट किया गया, 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति उपर्युक्त सांविधिक बकाए के संबंध में देय कोई अविवादित राशि उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

4. लेखापरीक्षा के दौरान हमारी जानकारी में कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं आया। इसके अतिरिक्त हमें जैसा सूचित किया गया, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा/ सूचित किया है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के दौरान पैरा सं I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX और XX के उपबंध लागू नहीं हैं।

कृते अकिल एंड शर्मा एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(आदित्य कुमार शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.085805

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया नामक व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। यह बताया गया कि दिनांक 19 मई, 2009 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से यह निर्णय लिया है कि मैं **तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009** को समाप्त वर्ष के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करूं और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.06..2009

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी)

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को लेखापरीक्षित लेखों सहित 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

प्रचालनों की समीक्षा

आरईसी टीपीसीएल (नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की नियंत्रक कंपनी) ने दिनांक 06.10.2008 को अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) जारी किया है। 13 बोलीदाताओं ने नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो दिसंबर, 2008 में खोले गए। 6 बोलीदाताओं को उपर्युक्त विषय संबंधी आरएफक्यू का मूल्यांकन करने के बाद चयन के आधार पर आरएफपी के संबंध में दिनांक 08.05.2009 को पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये सफल बोलीदाता हैं : एस्सार पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एल एंड टी ट्रांस्को, रिलायंस पावर, लैंको-दीपक कंसोर्टियम एंड स्टरलाइट टेक्नोलॉजी।

पूंजीगत ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 5,00,000 रुपए (केवल पांच लाख रुपए) है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

कंपनी ने अभी वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है, इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। इसके स्थान पर निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण तैयार किया गया है। दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष की अवधि के दौरान कुल 11,875,059 रुपए का व्यय किया गया था।

निदेशक मंडल

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	सेवा में न रहने की तारीख
1.	श्री गुलजीत कपूर	अध्यक्ष	23.04.2007	29.12.2008
2.	श्री पी.जे. ठक्कर	अध्यक्ष	30.12.2008	पद पर बने हुए हैं
3.	श्रीमती वल्ली नटराजन	निदेशक	23.04.2007	पद पर बनी हुए हैं
4.	श्रीमती हरिन्दर कौर चानी	निदेशक	23.04.2007	पद पर बनी हुई हैं

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 और 256 के प्रावधानों के अनुसार श्रीमती हरिन्दर कौर चानी आगामी वार्षिक साधारण बैठक में चक्रानुक्रम सेवानिवृत्त हो जाएंगी और वे पात्र हैं अतः पुनर्नियुक्ति के लिए अपने आपको प्रस्तुत करेंगी। निदेशक मंडल श्री पी.जे. ठक्कर को निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता है, जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम निदेशकों की सेवानिवृत्ति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा बशर्ते कि आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाए।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स एस एस ए एस एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को इस कंपनी के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उक्त अवधि के कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और रोकड़ प्रवाह विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

इस कंपनी में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है, जिसकी आय निर्धारित रकम से अधिक हो। अतः कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन यथानिर्धारित कर्मचारियों के विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अंगीकरण और नवाचार, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

कंपनी ने अभी अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, अतः कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण विवरण नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित या खर्च नहीं की है।

जमा राशियां

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

(क) वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है;

(ख) उन्होंने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकसम्मत हैं और वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सकें;

(ग) उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(घ) उन्होंने विद्यमान व्यवस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के संबंध में कंपनी के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

आभार

निदेशकगण, कर्मचारियों और बैंकरों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षक, एस एस ए एस एण्ड एसोसिएट्स और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(पी.जे. ठक्कर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.07.2009

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के पूर्णतया स्वामित्व की अनुषगी कंपनी)

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
निधियों के स्रोत			
शेयरधारक निधि:			
शेयर पूंजी	1	**500,000**	500,000
ऋण निधियां:			
जमानती ऋण		**-**	-
गैर-जमानती ऋण		**-**	-
जोड़		**500,000**	500,000
निधियों का प्रयोग:			
स्थायी परिसंपत्तियां:			
सकल ब्लॉक		**-**	-
घटाएं: मूल्यह्रास		**-**	-
निवल ब्लॉक		**-**	-
चालू पूंजीगत कार्य	2	**12,912,089**	1,037,030
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	3		
रोकड़ और बैंक शेष		**10,738**	499,700
ऋण और अग्रिम		**-**	243,000
		10,738	742,700
घटाएं: चालू परिसंपत्तियां और प्रावधान	4		
चालू देयताएं		**12,459,976**	1,316,879
प्रावधान		**-**	-
निवल चालू परिसंपत्तियां		**(12,449,238)**	(574,179)
विविध व्यय		**37,149**	37,149
(उसे बट्टे खाते न डालने अथवा समायोजित नहीं किए जाने तक)			
जोड़		**500,000**	500,000
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	5		
लेखे पर टिप्पणियां	6		

अनुसूची 1 से 6 लेखे के अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसएसएएस एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अल्पना सक्सेना
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-05-2009

पी.जे. ठक्कर
अध्यक्ष

वल्ली नटराजन
निदेशक

एच. कौर चन्नी
निदेशक

31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
व्यय		
आरईसी-टीपीसीएल द्वारा आबंटित व्यय	**11,565,910**	1,012,455
परामर्शी व्यय	**243,000**	-
मुद्रण और लेखन-सामग्री	**-**	550
बैंक प्रभार	**535**	300
सांविधिक लेखापरीक्षकों का शुल्क	**22,060**	8,427
लेखापरीक्षा के इतर व्यय की प्रतिपूर्ति	**5,000**	-
ब्याज (टीडीएस 7,942 रु. विगत वर्ष का शून्य)	**38,554**	15,298
तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष (सीडब्ल्यूआईपी)	**11,875,059**	1,037,030

अनुसूची 1 से 6 लेखे के अभिन्न अंग हैं

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसएसएएस एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अल्पना सक्सेना
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-05-2009

पी.जे. ठक्कर
अध्यक्ष

वल्ली नटराजन
निदेशक

एच. कौर चन्नी
निदेशक

अनुसूची '1' - शेयर पूंजी

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	**500,000**	500,000
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक 10/- रुपए के पूर्णत: प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**500,000**	500,000
जोड़	**500,000**	500,000

अनुसूची '2' - चालू पूंजीगत कार्य

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
अथ शेष	**1,037,030**	-
जोड़ें: निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय विवरण से अंतरित चालू पूंजीगत कार्य	**11,875,059**	1,037,030
जोड़	**12,912,089**	1,037,030

अनुसूची '3' - चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
I चालू परिसंपत्तियां		
(अ) रोकड़ और बैंक शेष:		
चालू खाते में		
अनुसूचित बैंक के पास	**10,738**	499,700
जोड़ - (अ)	**10,738**	**499,700**
II ऋण एवं अग्रिम		
(ख) अग्रिम:		
(गैर-जमानती, जो वसूली योग्य समझा गया)		
रोकड़ या वस्तु के रूप में वसूली योग्य पेशगी		
या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य	**-**	243,000
जोड़ - (ख)	**-**	**243,000**
जोड़	**10,738**	**742,700**

अनुसूची '4' - चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
(क) चालू देयताएं		
बयाना राशि	**-**	300,000
स्रोत पर कर की कटौती	**10,214**	-
लेखापरीक्षकों का देय पारिश्रमिक	**19,788**	8,427
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी		
लिमिटेड (नियंत्री कंपनी)	**12,103,365**	712,455
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड		
(आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी	**326,609**	295,997
लिमिटेड (नियंत्री कंपनी)		
जोड़ (क)	**12,459,976**	1,316,879
(ख) प्रावधान		
प्रावधान	**-**	-
जोड़ (ख)	**-**	-
जोड़ (क) + (ख)	**12,459,976**	1,316,879

अनुसूची 5 : महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार**

लेखांकन परंपरा - वित्तीय विवरण को लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा आधार पर तैयार किया जाता है और ये भारत में सामान्यत: स्वीकार्य तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की संगत प्रस्तुतीकरण आवश्यकता का अनुपालन करते हैं।

2. **स्थायी परिसंपत्तियां**

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल होती है।

3. **मूल्यह्रास**

3.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रोराटा आधार पर मुहैया कराया जाता है।

3.2 वर्ष के दौरान क्रय/ बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक होने पर बजाए उस क्रय/ बिक्री की तिथि से मूल्यानुसार आधार पर प्रभारित करने के संपूर्ण माह के लिए किया जाता है।

3.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई 5000 रुपए तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से मुहैया करवाया जाता है।

4. **चालू पूंजीगत कार्य**

सर्वेक्षण/अध्ययन/अन्वेषण/परामर्श/प्रशासन/मूल्यह्रास/ब्याज पर किए गए खर्च को किए जा रहे पूंजीगत कार्य के रूप में समझा जाएगा।

5. **चालू देयताएं**

परियोजना के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (नियंत्री कंपनी) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (जो आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की नियंत्री कंपनी है), के द्वारा किया जाता है और इसे चालू देयताओं के रूप में समझा जाता है। उनके द्वारा नियोजित निधि पर ब्याज लगाया जाता है।

6. **रोकड़ प्रवाह विवरण**

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय और गैर-रोकड़ प्रकृति के लेन-देनों और पूर्व अथवा भावी नकद प्राप्तियों और भुगतान की किसी आस्थगन अथवा प्रोद्भवन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाहों को पृथक्कृत किया जाता है।

अनुसूची 6 : लेखे पर टिप्पणियां

1. यह कंपनी 23 अप्रैल, 2007 को निगमित की गई थी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2007 को जारी किया गया था। यह कंपनी एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जो प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य, मार्ग के अभिनिर्धारण, सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, भूमि अर्जन की प्रक्रिया की शुरुआत करने, यदि अपेक्षित हो, वन अनापत्ति प्राप्त करने के लिए निगमित की गई है। यह पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए बोली प्रक्रिया आदि भी संचालित करती है।

2. यह कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी-टीपीसीएल) की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, जिसका पूर्ण स्वामित्व आगे रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पास है। कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक

अंशकालिक आधार पर तैनात आरईसी के कर्मचारी हैं। कंपनी द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को कोई प्रबंधन पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है।

ऐसे मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के विवरण इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	सेवा में न रहने की तारीख
1.	श्री गुलजीत कपूर	अध्यक्ष एवं निदेशक	23.04.2007	29.12.2008
2.	श्री पी.जे. ठक्कर	अध्यक्ष एवं निदेशक	30.12.2008	पद पर बने हुए हैं
3.	श्रीमती वल्ली नटराजन	निदेशक	23.04.2007	पद पर बनी हुए हैं
4.	श्रीमती हरिन्दर कौर चानी	निदेशक	23.04.2007	पद पर बनी हुई हैं

कंपनी में कार्यरत अन्य कार्मिक भी आरईसी से हैं। कंपनी के लिए कार्यरत कार्मिकों से संबद्ध व्यय का भुगतान आरईसी द्वारा किया जाता है और धारक कंपनी के प्रशासन व्यय के रूप में सहायक कंपनी (आरईसी-टीपीसीएल) को आबंटित किया जाता है, जिसे आगे आरईसी-टीपीसीएल द्वारा अपनी दो सहायक कंपनियों नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को समानुपात में आबंटित किया जाता है।

3. इस कंपनी से संबंधित अदायगियां नियंत्री कंपनी (आरईसी-टीपीसीएल) द्वारा की जाती हैं और मूल नियंत्री कंपनी आरईसी के स्रोत पर कर की कटौती और अनुषंगी लाभ कर और यथा लागू उसे जमा करने से संबंधित नियंत्री कंपनी द्वारा सांविधिक अपेक्षाओं का पालन भी नियंत्री कंपनी द्वारा किया जाता है और मूल नियंत्री कंपनी इन लेखों के संबंध में अदायगी भी करती है।

4. नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड उसके द्वारा किए गए व्यय पर आरईसी को ब्याज अदा करेगी। आरईसी लिमिटेड द्वारा दिए गए आरक्षित ऋण पर देय ब्याज का हिसाब पारेषण और वितरण स्कीम के लिए लागू रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की सामान्य उधारी दर के आधार पर रखा जाता है।

5. कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए कोई लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। लाभ-हानि लेखे के बजाय कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II की अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रासंगिक व्यय विवरण तैयार किया गया है और उसे तुलन-पत्र के साथ लगा दिया गया है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय को निर्माण अवधि का प्रासंगिक व्यय समझा गया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी-टीपीसीएल के खाते में वर्षांत में आने वाले निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय को वर्ष के अंत में इसकी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आबंटित किया जाता है। अलग-अलग सहायक कंपनियों को प्रत्यक्ष व्यय आबंटित किया गया है, जिसके लिए व्यय किया गया है। अप्रत्यक्ष व्यय को दो सहायक कंपनियों में आनुपातिक आधार पर बराबर-बराबर बांटा गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के गठन से संबंधित कागजात दायर करने/ विधिक फीस पर किए गए व्यय और कंपनी के निगमन के पूर्व किए गए सभी व्यय को प्रारंभिक व्यय के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसे पांच वर्षों में कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद बट्टे खाते डाला जाएगा।

6. कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सभी लागू लेखाकरण मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 का पालन किया है।

7. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई बकाया देयता नहीं है।

8. पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित रकम, जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, 2,489,171/- रुपए है (पिछले वर्ष - शून्य)।

9. विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।
   विदेशी मुद्रा में आय - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।

10. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक

	2008-09	पिछला वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	20,000	7,500
सेवा कर	2,060	927
व्यय की प्रतिपूर्ति	5,000	शून्य

11. आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

12. लेखाकरण मानक-18 के अनुसार प्रकटन-संबद्ध पार्टी प्रकटन :

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सभी मुख्य निर्णय आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाते हैं, जहां रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के नामिती नियंत्रण रखते हैं।

नियंत्री कंपनी के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण इस प्रकार है:-

नियंत्री कंपनी को देय चालू देयताएं :

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	नाम	2008-09		2007-08	
		वर्ष के अंत में बकाया शेष, जिसमें उस पर लगने वाले ब्याज सहित	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	वर्ष के अंत में बकाया शेष, जिसमें उस पर लगने वाले ब्याज सहित	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
1.	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	326,609	326,609	295,997	295,997
2.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	12,103,365	12,103,365	712,455	712,455

13. तुलन-पत्र के साथ और कंपनी के सामान्य कारोबार लाभ के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार अपेक्षित प्रकटन अनुबंध के रूप में संलग्न है।

14. वर्ष के अंत में बकाया के वर्गीकरण संबंधी लेखाकरण नीति सं. 5(अनुसूची 5) तथा नियंत्री कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड को देय 12,103,365/- रुपए (पिछले वर्ष 712,455/- रुपए) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को देय 326,609- रुपए (विगत वर्ष 295,997/- रुपए) को वर्ष के दौरान बदल दिया गया है। इस प्रकार देय रकम को पिछले वर्ष में अप्रतिभूत ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया था जबकि अब चालू वर्ष में चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित/ पुनःनिर्मित किया गया है।

तुलन-पत्र और निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय का विवरण के भाग बनाए जाने वाली अनुसूचियों और उपयुक्त महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति और लेखा टिप्पणियों पर हस्ताक्षर।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसएसएएस एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स

अल्पना सक्सेना
भागीदार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

पी.जे. ठक्कर
अध्यक्ष

वल्ली नटराजन
निदेशक

एच. कौर चन्नी
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-05-2009

परिशिष्ट

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार सूचना तुलन-पत्र का सार और कंपनी का सामान्य कारोबार विवरण

1.	**पंजीकरण विवरण:**			
	राज्य कोड	55		
	पंजीकरण संख्या	यू40101डीएल2007जीओआई157558		
	तुलन-पत्र की तारीख	31	03	2009
		दिनांक	माह	वर्ष
				रकम रुपए में
2.	**वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी:**			
	पब्लिक इश्यू			-
	राइट इश्यू			-
	बोनस इश्यू			-
	प्राइवेट प्लेसमेंट			-
3.	**निधियों के संचलन और नियोजन की स्थिति**			
	कुल देयताएं			12,959,976
	कुल परिसंपत्तियां			12,959,976
	निधियों का स्रोत:			
	प्रदत्त पूंजी			500,000
	आरक्षित और अधिशेष			-
	जमानती ऋण			-
	गैर-जमानती ऋण			-
	आस्थगित कर देयता			-
	निधियों का अनुप्रयोग:			
	निवल स्थायी परिसंपत्तियां (चालू कार्यपूंजी सहित)			12,912,089
	निवेश			-

	निवल चालू परिसंपत्तियां	(12,449,238)
	ऋण	-
	संचित हानियां	-
	विविध व्यय	37,149
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-
4.	**कपंनी का कार्य-निष्पादन:**	
	कारोबार	-
	कुल व्यय	-
	कर पूर्व लाभ	-
	कर पश्चात लाभ	-
	ईपीएस रुपए में	-
	लाभांश दर	-
5.	**कंपनी के प्रधान उत्पाद/सेवा का सामान्य नाम**	
	मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	-

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसएसएएस एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अल्पना सक्सेना
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-05-2009

पी.जे. ठक्कर
अध्यक्ष

वल्ली नटराजन
निदेशक

एच. कौर चन्नी
निदेशक

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह:		
प्रचालन के दौरान निम्नलिखित पर प्रासंगिक व्यय:	-	-
समायोजन के लिए		
मूल्यह्रास	-	-
ख. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह:		
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	-	-
चालू पूंजीगत कार्य	**(11,875,059)**	(1,037,030)
प्रारंभिक व्यय	-	(37,149)
ग. वित्त व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
शेयर पूंजी	-	500,000
चालू देयताएं	**11,143,097**	1,316,879
गैर-जमानती ऋण	-	-
ऋण और अग्रिम तथा वर्तमान परिसंपत्तियां	**243,000**	(243,000)
रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों में निवल वृद्धि/कमी	**(488,962)**	499,700
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		
1 अप्रैल, 2008 के अनुसार रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**499,700**	-
31 मार्च, 2009 के अनुसार रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**10,738**	499,700
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**(488,962)**	499,700

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसएसएएस एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अल्पना सक्सेना
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 19-05-2009

पी.जे. ठक्कर
अध्यक्ष

वल्ली नटराजन
निदेशक

एच. कौर चन्नी
निदेशक

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

1. हमने **नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय तथा उससे संलग्न उस अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इस कंपनी ने अभी अपना कार्य शुरू नहीं किया है, अतः 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में लाभ-हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।

ये वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखपरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

   हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध में कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

4. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है;

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

(iv) हमारी राय में तुलनपत्र, निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय और रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं;

(v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001-सीएल वी द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है;

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार टिप्पणियों और लेखाकरण नीतियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण तथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के बारे में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैः

   (क) दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति कंपनी के कार्यकलाप के तुलनपत्र के मामले में;

   (ख) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए किए गए व्यय हेतु निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय दर्शाते हुए विवरण के मामले में; और

   (ग) उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते एस एस ए एस एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अल्पना सक्सेना)
भागीदार,
सदस्यता सं.095837

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के लिए लेखे पर हमारी समतारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हम निम्नानुसार वर्णन करते हैः

1 (क) इस कंपनी ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार को कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण मंजूर नहीं किया है, जिनका नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हो।

1 (ख) इस कंपनी ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार से कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है, जिनका नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हो। लेकिन आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (नियंत्री कंपनी) और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

की नियंत्री कंपनी) के नाम में तुलन-पत्र में उनके किए गए विभिन्न व्यय के कारण उसके नाम में तुलनपत्र में चालू देयता दिखाई गई है। वर्ष के अंत में शेष रकम और वर्ष के दौरान अधिकतम रकम निम्नलिखित थी:-

कंपनी	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (नियंत्री कंपनी)	12,103,365	12,103,365
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की नियंत्री कंपनी)	326,609	326,609

2. कंपनी के आकार के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है।

3(क) यह कंपनी अविवादित सांविधिक देयताओं को, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, उप-कर और अन्य सांविधिक देयताएं भी शामिल हैं, समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है। यदि नियंत्री कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और नियंत्री कंपनी की नियंत्री कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन इस कंपनी से संबंधित अदायगी की जाती है तो उनके द्वारा जारी की गई अदायगी के संबंध में सांविधिक देयताएं नियंत्री कंपनी द्वारा जमा की जाती हैं।

3(ख) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति उपर्युक्त सांविधिक बकाए के संबंध में देय कोई अविवादित राशि उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

4. लेखापरीक्षा के दौरान हमारी जानकारी में कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं आया। इसके अतिरिक्त हमें जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा/ सूचित किया है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के दौरान पैरा सं. I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX और XX के उपबंध लागू नहीं हैं।

कृते एस एस ए एस एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अल्पना सक्सेना)
भागीदार,
सदस्यता सं.095837

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के **31 मार्च, 2009** को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नामक व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। यह बताया गया कि दिनांक 19 मई, 2009 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से यह निर्णय लिया है कि मैं **नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009** को समाप्त वर्ष के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करूं और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.06..2009

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को लेखापरीक्षित लेखों सहित 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2009 और 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के संबंध में कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है:-

(आंकड़े रुपए में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
सकल आय	52,704,793	35, 932,882
कर पूर्व लाभ	22,285,540	26,948,322
कराधान के लिए प्रावधान	8,071,043	9,159,735
कर पश्चात लाभ	14,214,497	17,788,587

क. पूंजीगत ढांचा

पूंजी	राशि रुपए में
प्राधिकृत पूंजी	200,000,000
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी	500,000

ख. आरक्षित निधि में अंतरित

कंपनी के विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम में से 10,000,000 रुपए सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने का प्रस्ताव है।

लाभांश की अदायगी

कंपनी के कार्य निष्पादन के आधार पर निदेशकों को 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में सदस्यों को लाभांश के अनुमोदन के लिए 10 रुपए प्रति शेयर (10 रुपए के मूल्य पर 100 प्रतिशत) के लाभांश की सिफारिश करने में प्रसन्नता हो रही है।

प्रचालनों की समीक्षा

कंपनी का यह दूसरा वित्त वर्ष है और आपके निदेशकों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2008-09 में लाभकारी कारोबार जारी रखा और 52,704,793/- रुपए की कुल आय अर्जित की है तथा कर पश्चात निवल लाभ 14,214,497/- रुपए रहा है। वास्तव में, प्रचालन का यह पहला पूरा वर्ष है और कंपनी विद्यमान परियोजनाओं के कार्य निष्पादन को पूरा कर पाई है और उसे 31 करोड़ रुपए से अधिक का नया कारोबार मिला है।

समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लगभग 7000 गांवों और 144 फीडरों का तृतीय पक्षकार निरीक्षण किया गया है।

इस अवधि के दौरान कंपनी को 9 राज्यों के 71 जिलों के 34934 गांवों का तृतीय पक्षकार निरीक्षण करने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसकी संचयी परियोजना लागत 1868 करोड़ रुपए है। इससे कंपनी को 13 वितरण कंपनियों से लगभग 31 करोड़ रुपए की सकल आय प्राप्त होगी। इन वितरण कंपनियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

क. उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड
ख महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
ग. वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी
घ. दक्षिण गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
ड. पश्चिम गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
च उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
छ. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
ज. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
झ. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
ञ. हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड
ट. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ठ. आंध्र प्रदेश ईस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
ड. मेघालय राज्य बिजली बोर्ड
ढ़ चार आरई सहकारी समितियां

नई पहलें

निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. **गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन :** समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन करने के लिए कंपनी ने कुछ प्रतिष्ठित एजेंसियों से फील्ड/ आंकड़े एकत्र करने का कार्य बाहर से कराने का निर्णय लिया है और ग्राहक को विश्लेषणात्मक रिपोर्टें देने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वितरण नेटवर्क (आरजीजीवीवाई/एफआरपी) के तृतीय पक्षकार निरीक्षण कार्य के लिए सहयोगी के रूप में कुछ एजेंसियों को सूची में शामिल करने का कार्य पूरा किया गया है ताकि कार्य का निष्पादन तेजी से हो सके। ऊर्जा लेखापरीक्षा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, वितरण फ्रैंचाइजी, विकेंद्रीकृत वितरण केंद्र (डीडीजी), स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम), वितरण स्वचालन आदि जैसे अन्य कार्यों के लिए और एजेंसियों को सूची में शामिल करने की योजना है।

2. **ग्राहक के साथ समझौता ज्ञापन :** ग्राहकों से बड़ी मात्रा में आदेश प्राप्त करने के लिए कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञता से संबंधित डिस्कॉमों के सभी कार्यों को सौंपने/ बाहर से करवाने के लिए डिस्कॉमों के साथ समझौता ज्ञापन किया जा रहा है। इस दिशा में उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है। इस प्रकार के समझौता ज्ञापनों के लिए अन्य वितरण कंपनियों से भी चर्चा की जा रही है। इससे कंपनी को काफी कारोबार मिलेगा।

3. **कारोबार का विविधीकरण :** कंपनी ने 'विद्युत क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी' में संयुक्त रूप से/साथ-साथ परियोजनाओं पर कार्य करने और संशोधित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम, भाग क के लिए मैसर्स एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश और मैसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। स्वचालित विद्युत मीटर रीडिंग (एएमआर), बिलिंग स्वचालन, ऊर्जा उपयोग विश्लेषण आदि से संबंधित ऐसे प्रस्ताव विचारार्थ डिस्कॉमों को भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यह कंपनी का नए किस्म का कारोबार होगा और इससे कंपनी की वृद्धि होगी।

गुणवत्ता

कंपनी ने हमेशा ग्राहक को गुणवत्ता आश्वासन देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गुणवत्ता अनुरक्षण के संबंध में कई स्तरों पर जांच की जाती है। कंपनी ग्राहकों को गुणवत्ता तृतीय पक्षकार निरीक्षण रिपोर्ट भी दे रही है, जिसके आधार पर अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, एमएसईडीसीएल, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड जैसे ग्राहकों से बार-बार आदेश प्राप्त हो रहे हैं।

निदेशक मंडल

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति / पुनः नियुक्ति की तारीख	सेवा में न रहने की तारीख
1.	श्री पी. उमाशंकर	अध्यक्ष	01.03.2008	पद पर बने हुए हैं
2.	श्री रमा रमण	निदेशक	12.07.2007/21.07.2008	पद पर बने हुए हैं
3.	श्री संजीव गर्ग	निदेशक	10.08.2007/21.07.2008	पद पर बने हुए हैं
4.	श्री डी.एस. अहलुवालिया	निदेशक	04.04.2008/21.07.2008	पद पर बने हुए हैं

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 और 256 के प्रावधानों के अनुसार श्री रमा रमण आगामी वार्षिक साधारण बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वे पात्र है, अतः पुनर्नियुक्ति के लिए अपने आपको प्रस्तुत करेंगे।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स सत्येंद्र जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को इस कंपनी के 31 मार्च, 2009 को समाप्त दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उक्त अवधि के कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों की आशोधित रिपोर्ट के साथ रोकड़ प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

इन लेखापरीक्षिकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई अर्हताओं/टिप्पणियों की आरईसी के प्रबंधक वर्ग द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(3) के अधीन यथापेक्षित दिए गए पैरा-वार उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

इस कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जिसकी आय निर्धारित रकम से अधिक हो। अतः कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन यथानिर्धारित कर्मचारियों के विवरण दिया जाना आवश्यक नही है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अंगीकरण और नवाचार, विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं। कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित या खर्च नहीं की है।

जमा राशियां

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण अनुच्छेद 217(2 क क) के अंतर्गत

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2 क क) के अनुसरण में, निदेशक प्रभावशील प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

(क) वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ख) उन्होंने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेक सम्मत हैं और वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते है;

(ग) उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम,

1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(घ) उन्होंने विद्यमान व्यवस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

कार्मिक

पूरे वर्ष के दौरान नियोक्ता और कर्मचारियों के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं। कंपनी में ऐसा स्वस्थ कार्य वातावरण बना रहा कि कर्मचारी सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा अग्रसर रहने के लिए प्रेरित रहे हैं। निदेशकगण, कर्मचारियों द्वारा प्रबंधक वर्ग को दिए गए सहयोग और उनमें जताए गए विश्वास के लिए उनकी सराहना भी करना चाहते हैं। क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण गुणवत्ता, कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास आपके प्रबंधक वर्ग की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के संबंध में कंपनी के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

आभार

निदेशकगण, कर्मचारियों और बैंकरों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षक, सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी उनके बहुमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(पी.उमा शंकर)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.07.2009

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के प्रबंधन वर्ग द्वारा दिए गए पैरा-वार उत्तर

क्रम सं.	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन वर्ग का उत्तर
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पैरा (1)	राजस्व की पहचान करने के संबंध में कंपनी की लेखाकरण नीति भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण परामर्शी आय होते हुए राजस्व को 83 लाख रुपए अधिक बताया गया है और आरक्षित निधि और अधिशेष को इसी हद तक अधिक बताया गया है। यदि परामर्शी आय को राजस्व के रूप में समझा जाता, तो यह 420 लाख रुपए होता और आरक्षित निधि और अधिशेष 231 लाख रुपए हो गया होता।	नोट किया। लेखाकरण मानकों के अनुसार लेखाकरण नीति की समीक्षा की जाएगी।
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध पैरा (7)	हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं है।	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग, आरईसी (नियंत्री कंपनी) वर्ष 2009-10 के दौरान अपने वार्षिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की लेखापरीक्षा को शामिल कर लिया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(पी. उमा शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.07.2009

आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
(रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
निधियों का स्रोत			
शेयरहोल्डरों की निधियां:			
शेयर पूंजी	1	**500,000**	500,000
आरक्षित एवं अधिशेष	2	**31,418,109**	**17,788,587**
आस्थगित कर देयता		**2,669**	-
ऋण निधियां :			
जमानती ऋण		-	-
गैर-जमानती ऋण		-	-
जोड़		**3,190,778**	**18,288,587**
निधियों की प्रायोज्यता			
स्थायी परिसंपत्तियां :			
सकल ब्लॉक	3	**1,061,767**	-
घटाएं : मूल्यहास		**91,471**	-
निवल ब्लॉक		**970,296**	-
पूंजीगत चालू कार्य		-	-
निवेश		-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगियां	4		
रोकड़ और बैंक शेष		**22,166,653**	24,239,760
विविध देनदार		**11,070,975**	-
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**256,652**	226,540
ऋण और पेशगियां		**15,496,894**	9,816,207
जोड़		**48,991,174**	**34,282,507**
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान	5		
चालू देयताएं		**9,411,760**	8,002,259
प्रावधान		**8,628,932**	9,159,735
जोड़		**18,040,692**	17,161,994
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		**30,950,482**	**17,120,513**
विविध व्यय		-	1,168,074
(बट्टेखाते में न डालने या समायोजित न किए जाने तक)			
जोड़		**31,920,778**	**18,288,587**
महत्वपूर्ण लेखांकरण नीतियां	8		
लेखों पर टिप्पणियां	9		

अनुसूची 1 से 9 रिपोर्ट के लेखा का अभिन्न भाग हैं

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार जैन
सदस्यता सं. 072783
भागीदार

बी.पी. यादव
सीईओ

डी.एस. अहलुवालिया
निदेशक

संजीव गर्ग
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.05.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के संबंध में लाभ और हानि लेखा

आंकड़े रुपए में

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2009 को समाप्त अवधि	31.03.2008 को समाप्त अवधि
आय			
परामर्शी आय		**50,343,225**	35,494,220
अन्य आय		**2,361,568**	438,662
कुल आय		**52,704,793**	35,932,882
व्यय			
परियोजना व्यय	6	**25,441,213**	8,335,674
स्थापना और प्रशासनिक व्यय	7	**3,723,192**	356,868
मूल्यहास		**91,471**	-
प्रारंभिक व्यय, जो बट्टेखाते में डाला गया		**1,168,074**	292,018
कुल व्यय		**30,423,950**	8,984,560
वर्ष का लाभ		**22,280,843**	26,948,322
पिछली अवधि का समायोजन (निवल)		**4,697**	-
कर पूर्व लाभ		**22,285,540**	26,948,322

कराधान के लिए प्रावधान		
- चालू कर	**7,969,215**	9,159,735
- आस्थगित कर	**2,669**	-
- अनुषंगी लाभ कर	**99,159**	-
कर पश्चात् लाभ	**14,214,497**	17,788,587
विनियोजन		
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**10,000,000**	-
प्रस्तावित लाभांश	**500,000**	-
लाभांश कर	**84,975**	-
लाभ और हानि लेखे का निवल शेष	**3,629,522**	**17,788,587**
प्रति शेयर आय (10 रुपए का मूल और		
कम किया गया) (रुपए में)	**284.29**	355.77

अनुसूची 1 से 9 रिपोर्ट के लेखा का अभिन्न भाग हैं

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार — कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार जैन	बी.पी. यादव	डी.एस. आहलुवालिया	संजीव गर्ग
सदस्यता सं. 072783	सीईओ	निदेशक	निदेशक
भागीदार			

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.05.2009

अनुसूची '1' : शेयर पूंजी

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10 रुपए के 20,000,000 इक्विटी शेयर	**200,000,000**	200,000,000
जारी किए गए अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**500,000**	500,000
जोड़	**500,000**	500,000

अनुसूची '2' : आरक्षित निधियां और अधिशेष

आंकड़े रुपए में

विवरण	ब्यौरे	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
सामान्य आरक्षित निधि			
आरंभिक शेष			
जोड़े : वर्ष के दौरान अंतरित	**10,000,000**	**10,000,000**	-
लाभ और हानि लेखे			
प्रारंभिक शेष	**17,788,587**		
जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित	**3,629,522**	**21,418,109**	17,788,587
जोड़		**31,418,109**	17,788,587

अनुसूची '3' : 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.08 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2009 के अनुसार	01.04.08 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान/ बट्टेखाते	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
कैमरा	0	500300	0	500300	0	12080	0	12080	488220	0
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	0	34200	0	34200	0	5130	0	5130	29070	0
फर्नीचर और फिटिंग	0	82363	0	82363	0	68267	0	68267	14096	0
जीपीएस	0	444904	0	444904	0	5994	0	5994	438910	0
कुल जोड़		**1061767**		**1061767**	**0**	**91471**		**91471**	**970296**	**0**
पूंजीगत चालू कार्य	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
पिछले वर्ष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुसूची '4' : चालू परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगियां

आंकड़े रुपए में

विवरण	ब्यौरे	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
I चालू परिसंपत्तियां			
(क) रोकड़ और बैंक शेष:			
(i) अनुसूचित बैंकों के चालू खाते में	**666,653**		4,239,760
(ii) अनुसूचित बैंकों के जमा खातों में	**21,500,000**	**22,166,653**	20,000,000
(ख) विविध देनदार			-
(i) 6 माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण : वसूली योग्य समझा गया- संदिग्ध समझा गया-	-		
(ii) अन्य ऋण- वसूली योग्य समझा गया	**11,070,975**	**11,070,975**	-
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां			
(i) सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज (कुल टीडीएस 80124 रु. का निवल)	**256,652**		226,540
(ii) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**-**	**256,652**	-
जोड़		**33,494,280**	24,466,300
II ऋण और पेशगियां			
(क) ऋण		-	-
(ख) पेशगियां:			
(जमानती)			
(i) अग्रिम आय कर		**10,199,319**	9,525,000
(ii) वसूली योग्य टीडीएस		**2,835,611**	58,776
(iii) सेवा कर (सेनवैट)		**701,559**	232,431
(वसूली योग्य समझा गया पर गैर-जमानती)			
(iv) आपूर्तिकर्ता		**1,743,405**	-
(v) किराया		**11,000**	-
(vi) कर्मचारी		**6,000**	-
जोड़:		**15,496,894**	9,816,207
कुल जोड़		**48,991,174**	34,282,507

अनुसूची '5' : चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपए में

विवरण	ब्यौरे	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
(क) चालू देयताएं		-	
(i) ऋणदाता व्यय			
लघु उद्योग उपक्रमों को देय राशि	**0**		-
अन्य	**1,862,306**		597,778
(ii) बयाने की राशि जमा	**617,200**		40,000
(iii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (नियंत्री कंपनी)	**377,786**		7,184,935
(iv) अन्य देयताएं	**1,880,242**		96,727
(v) भुगतान योग्य स्रोत पर कर कटौती(टीडीएस)	**61,556**		-
(vi) देय सेवा कर परंतु भुगतान योग्य नहीं	**4,612,670**		82,819
जोड़ क		**9,411,760**	8,002,259
(ख) प्रावधान			
आय कर	**7,969,215**	-	9,159,735
भुगतान योग्य एफबीटी	**74,742**	-	-
प्रस्तावित लाभांश	**500,000**	-	-
भुगतान योग्य लाभांश कर	**84,975**	-	-
जोड़ ख		**8,628,932**	9,159,735
जोड़ (क+ख)		**18,040,692**	17,161,994

अनुसूची 6 : परियोजना व्यय

आंकड़े रुपए में

विवरण	ब्यौरे	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
प्राप्त परामर्शी सेवाओं के लिए शुल्क		4,292,547	2,887,897
टीपीआई के लिए जनशक्ति भाड़े पर लेने की लागत		11,582,432	-
आरईसी तैनात कर्मचारियों के वेतन के लिए आबंटित		5,246,568	4,393,362
आरईसी द्वारा आबंटित प्रशासन संबंधी उपरि व्यय		1,245,989	1,054,415
अन्य परियोजना व्यय		3,073,677	-
जोड़		25,441,213	8,335,674

अनुसूची 7 : स्थापना और प्रशासन संबंधी व्यय

आंकड़े रुपए में

विवरण	ब्यौरे	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
आरईसी द्वारा आबंटित प्रशासन संबंधी उपरि व्यय		904,233	-
आरईसी से तैनात कर्मचारियों के वेतन हेतु आबंटित		1,743,702	-
सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी			
-सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	40,000		
-कर लेखापरीक्षा शुल्क	25,000	65,000	33,708
बैठक और सम्मेलन संबंधी व्यय		90,748	-
परामर्शी प्रभार		96,000	8,989
अन्य विविध व्यय		823,509	314,171
जोड़		3,723,192	356,868

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

लेखाकरण समझौता - वित्तीय विवरण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक लागत समझौता के अधीन और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2. **स्थायी परिसंपत्तियां**

स्थायी परिसंपत्तियां संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में परिसंपत्तियों को उसके अभिप्रेत प्रयोग के उपयुक्त कार्य दशा में लाने के लिए हुई कोई लागत शामिल है।

3. **मूल्यह्रास**

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अधीन निर्धारित दरों पर सीधी रेखा विधि पर यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है। मूल्यह्रास के रूप में उन परिसंपत्तियों पर पूरी रकम दी गई है, जिन्हें 5000 रुपए मूल्य तक में इस वर्ष के दौरान खरीदा गया था। इस वर्ष के दौरान बेची/ खरीदी गई परिसंपत्तियों पर खरीद/बिक्री की तारीख से उसी आनुपातिक आधार पर प्रभारित करने की बजाय यदि परिसंपत्तियों का उपयोग 15 दिन से अधिक समय तक किया गया हो, पूरे माह के संबंध में मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

4. **नियंत्रक कंपनी द्वारा खर्च किया गया व्यय**

हमारी कंपनी की ओर से नियंत्री कंपनी द्वारा किए गए व्यय को वास्तविक आधार पर स्वीकार किया गया है और उसे नियंत्री कंपनी को देय चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5. **रोकड़ प्रवाह विवरण**

अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रवाह की सूचना दी गई है।

6. **राजस्व स्वीकार्यता**

6.1 आय और व्यय को उपचयन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

6.2 परामर्शी शुल्क को परामर्शी संविदा की शर्तों के आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया गया है बशर्ते कि ऐसे शुल्क की देयता और प्राप्ति को अलग मद के रूप में तय किया गया हो और परामर्शी संविदा में परिभाषित कार्य के क्षेत्र से जोड़ा गया हो। लेकिन संविदा की शर्तों के अनुसार आरंभिक/ अग्रिम शुल्क को क्रियाकलापों के संचलन और परामर्शी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित संसाधनों पर तत्काल आय के रूप में स्वीकार किया गया है।

6.3 **एकमुश्त संविदा के मामले में :**

(i) उस बीजक (बिल) के अनुसार, जो संविदा की शर्तों के अनुसार तैयार किया गया है।

(ii) यदि अदायगी अग्रिम रूप से प्राप्त की जाती है, भले ही कार्य की प्रगति कुछ भी हो, तो परामर्शी आय को क्रियाकलापों के संचलन और परामर्शी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित संसाधनों पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

6.4 परामर्शी शुल्क को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है, जिसमें सेवा कर अधिनियम, 1994 के अधीन देय रकम के रूप में वसूल किए गए सेवा कर की रकम शामिल नहीं है।

अनुसूची 9 : लेखाओं पर टिप्पणियां

1. यह कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक अंशकालिक आधार पर तैनात नियंत्रक कंपनी (आरईसी लिमिटेड) के कर्मचारी हैं। कंपनी द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों को कोई प्रबंधन पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है। ऐसे मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के विवरण इस प्रकार हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र देने की तारीख
1.	श्री रमा रमण	निदेशक	12.07.2007	सेवारत
2.	श्री संजीव गर्ग	निदेशक	10.08.2007	सेवारत
3.	श्री डी.एस. आहलुवालिया	निदेशक	04.04.2008	सेवारत
4.	श्री पी. उमाशंकर	अध्यक्ष	01.03.2008	सेवारत

2. हमारी कंपनी संबंधी किए जाने वाले व्यय के संबंध में, जिसे नियंत्रक कंपनी द्वारा खर्च किया गया है, लागू अनुषंगी लाभ कर और उस पर जमा के बारे में सांविधिक अपेक्षाएं इस कंपनी की ओर से नियंत्रक कंपनी द्वारा पूरी की जाती हैं। लेकिन आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा सीधे अदा किए गए व्यय को अनुषंगी लाभ कर के लिए हिसाब में लिया जाएगा और तदनुसार उसके संबंध में कर की देयता अदा की जाएगी।

3. नियंत्रक कंपनी के सामान्य कर्मचारियों/ स्थापना की लागत और प्रशासन संबंधी व्यय को निम्नलिखित आधार पर नियंत्री कंपनी द्वारा आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है

नियंत्रक कंपनी के ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जो सहायक कंपनी (आरईसीपीडीसीएल) के लिए पूर्णकालिक आधार पर कार्य कर रहे हैं, पूर्णकालिक आधार पर कर्मचारियों के कंपनी की कुल लागत को व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है जबकि सहायक कंपनी के लिए आंशिक रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल लागत की प्रतिशतता इन कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए अनुमानित समय के अनुसार नियंत्रक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए लागत अनुपात विवरण के आधार पर व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है।

हमारी कंपनी की ओर से नियंत्रक कंपनी द्वारा खर्च की गई लागत पर ब्याज का प्रावधान उधारों की औसत लागत (आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के अधीन उधार के सिवाय नियंत्रक कंपनी) पर किया गया है।

नियंत्रक कंपनी के प्रशासनिक उपरि व्यय आबंटन को हमारी कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कुल मूल वेतन के आधार पर हिसाब में लिया गया है, जिसे कुल उपरि व्यय लागत और नियंत्रक कंपनी के कुल मूल वेतन से गुणा किया गया है।

4. कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लागू होने वाले सभी लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया है।

5. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई देयता बकाया नहीं है।

6. देनदारों और लेनदारों के शेष की अभी पुष्टि की जानी है।

7. इस वर्ष के दौरान खरीदे गए कम्प्यूटर साफ्टवेयरों का व्यय पांच वर्ष में दिखाया जाएगा।

8. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अधीन यथा अपेक्षित विदेशी मुद्रा लेन-देन प्रकटीकरण के बारे में सूचना शून्य है।

9. आंकड़ों को निकटतम रुपए में पूरा लिखा गया है।

10. लेखाकरण मानक-18 के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटन इस प्रकार किया गया है

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन की पूर्णतः स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी है। आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णयों पर आरईसी का नामिती नियंत्रण रखता है। नियंत्रक कंपनी के साथ संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं किए जाते हैं। लेकिन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के कारण व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे दिए अनुसार की गई है:-

संबंधित पक्षकार का नाम	2008-09		2007-08	
	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
आरईसी लिमिटेड	377,786	7,184,935	7,184,935	7,184,935

11. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा "आय पर करों का लेखाकरण" संबंधी जारी किए लेखाकरण मानक-22 का अनुपालन करते हुए आस्थगित कर लेखाकरण किया गया है, जो इस प्रकार है:-

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
आस्थगित कर देयता		
• मूल्यह्रास	2669	शून्य
निवल आस्थिगत कर देयता	2669	शून्य
अवधि के दौरान आस्थगित कर व्यय	2669	शून्य

12. कंपनी के निदेशकों और अन्य अधिकारियों से प्राप्त होने वाली पेशगियों की देय राशिः

अधिकारी का पदनाम/ श्रेणी	31.03.2009 के अनुसार	वर्ष 2008-09 के दौरान अधिकतम रकम	31.03.2008 को यथास्थिति	वर्ष 2007-08 के दौरान अधिकतम रकम
अध्यक्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपनी सचिव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

13. जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया/ पुनः दर्ज किया गया/ पुनः व्यवस्थित किया गया।
14. लेखाकरण मानक-26 के अनुसार पिछले वर्ष की समाप्ति पर परिशोधित नहीं किए जा सके प्रारंभिक व्यय को इस वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार	कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार जैन
सदस्यता सं. 072783
भागीदार

बी.पी. यादव, सीईओ	डी.एस. आहलुवालिया, निदेशक	संजीव गर्ग, निदेशक

कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IV के अनुसार तुलन-पत्र का सार और कंपनी के सामान्य कारोबार का विवरण

1. पंजीकरण विवरण
पंजीकरण संख्या	यू40101डीएल2007जीओ1165779
तुलन-पत्र की तारीख	31 (तारीख) 03 (मास) 2009 (वर्ष)

(रकम लाख रुपए में)

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी	0
3. निधियों के संचलन और नियोजन की स्थिति	
कुल देयताएं	500
कुल परिसंपत्तियां	500
निधियों का स्रोत	
प्रदत्त पूंजी	5
आरक्षित एवं अधिशेष	314
जमानती ऋण	-
गैर-जमानती ऋण	-
आस्थगित कर देयताएं	-
निधियों की प्रयोज्यताः	
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	10
(जिसमें चालू कार्य संबंधी परिसंपत्तियां भी शामिल हैं)	
निवेश	-
निवल चालू परिसंपत्तियां	309
ऋण	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	
संचित हानि	-
विविध व्यय	0
4. कंपनी का कार्य-निष्पादन	
अन्य आय सहित कुल कारोबार	527
कुल व्यय	304
कर पूर्व लाभ	223
कर पश्चात लाभ	142
रुपयों में ईपीएस (10 रुपए के शेयर पर)	284
लाभांश दर	100 प्रतिशत
5. कंपनी के मुख्य उत्पाद/ सेवा का नाम	
परामर्शी	
मद कोड संख्या	लागू नहीं

1 से 9 तक की सभी अनुसूचियों पर हस्ताक्षर
इन अनुसूचियों पर किए गए हस्ताक्षर तुलन-पत्र और लाभ-हानि और उपर्युक्त टिप्पणियों के भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार	कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार जैन
सदस्यता सं. 072783
भागीदार

बी.पी. यादव, सीईओ	डी.एस. आहलुवालिया, निदेशक	संजीव गर्ग, निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.05.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि का रोकड़ प्रवाह विवरण

आंकड़े रुपए में

विवरण	31.03.2009 को समाप्त अवधि	31.03.2008 को समाप्त अवधि
क. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाहः		
निम्नलिखित के लिए कर पूर्व निवल लाभ और		
असाधारण क्रियाकलाप	**22,285,540**	26,948,322
समायोजन-		
मूल्यह्रास	**91,471**	-
प्रारंभिक व्यय, जो बट्टेखाते डाला गया	**1,168,074**	-
कार्यचालन पूंजी परिवर्तनों से पहले		
प्रचालन लाभ	**23,545,085**	26,948,322
वृद्धि (कमी)		
देनदार	**(11,070,975)**	-
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**(30,112)**	(226,540)
अन्य ऋण और पेशगियां	**(5,684,687)**	(9,816,207)
चालू देयताएं	**881,367**	17,161,994
प्रचालनों से रोकड़ प्रवाह	**7,644,678**	34,067,569
प्रावधान	**(8,656,018)**	(9,159,735)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल लाभ	**(1,011,340)**	24,907,834
ख. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह :	-	-
प्रारंभिक व्यय	-	(1,168,074)
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	**(1,061,767)**	-
ग. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहः		
शेयर पूंजी	-	500,000
रोकड़ और समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**(2,073,107)**	24,239,760
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (आरंभिक शेष)	**24,239,760**	0
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (अंतशेष)	**22,166,653**	24,239,760
रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों में निवल वृद्धि	**(2,073,107)**	24,239,760

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार	कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनिल कुमार जैन
सदस्यता सं. 072783
भागीदार

बी.पी. यादव, सीईओ	डी.एस. आहलुवालिया, निदेशक	संजीव गर्ग, निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.05.2009

आशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

हमने **मैसर्स आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड** के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के संबंध में लाभ-हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के साथ और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल थी।

ये वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी अपने द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणामत: लेखापरीक्षा रिपोर्ट को आशोधित किया गया है और पैरा संख्या 1 और (VI) III को जोड़ा गया है जबकि उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुबंध के पैरा संख्या 7 को संशोधित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ('आदेश') द्वारा यथापेक्षित हम अनुबंध में कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के संबंध में हम यह सूचित करते हैं कि :

1. राजस्व मान्यता के संबंध में कंपनी की लेखाकरण नीति इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण परामर्शी आय के रूप में राजस्व को 83 लाख रुपए अधिक बताया गया है और आरक्षित एवं अधिशेष आय भी उस सीमा तक अधिक बताई गई है। अगर इसे राजस्व माना जाता तो परामर्शी आय रुपए 420 लाख हो जाती और आरक्षित एवं अधिशेष रुपए 231 लाख हो जाता।

2. हम प्रतिवेदन करते हैं:-

i) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

ii) हमारी राय में और जहां ता इन बहियों की जांच से पता चलता है कि कंपनी द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपयुक्त खाता बहियां ठीक ढ़ंग से रखी गई हैं;

iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण निमग की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

iv) हमारी राय में उपयुक्त मद के आधार पर तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

v) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कोई भी निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के अयोग्य नहीं है।

vi) उपर्युक्त पैरा 1 में हमारी टिप्पणी और उसके परिणामत लेखों पर प्रभाग के आधार पर हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे यथा अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के बारे में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं:

I. दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति कंपनी के कार्यकलाप के तुलनपत्र के मामले में,

II. उस तारीख को समाप्त वर्ष के संबंध में लाभ का लाभ और हानि लेखा के मामले में,

III. रोकड़ प्रवाह के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरिण।

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अनिल कुमार जैन)
भागीदार
सदस्तया सं. 072783

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.07.2009

मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुबंध

यह दिनांक 31 मार्च, 2009 की यथास्थिति **आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड** के तुलनपत्र पर हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध है।

(1) **(क)** कंपनी ने पूरे ब्यौरे दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखे हैं, जिनमें उपलब्ध सूचना के आधार पर मात्रा का विवरण और स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी शामिल है।

(ख) जैसा हमें बताया गया है, प्रबंधक वर्ग ने चरणबद्ध आवधिक तरीके से स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार उचित है। ऐसे वास्तविक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके बाद आदेश कहा गया है) के पैरा 4(1)(ग) के संबंधी सिद्धांतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(2) कंपनी के पास कोई स्टॉक नहीं है, इसलिए, इस आदेश के खंड 11(क), (ख) और (ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(3) **(क)** कंपनी ने ऐसी किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकारों को जमानती या गैर-जमानती कोई ऋण मंजूर नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं, अतः इस आदेश का पैरा 4(iii) लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन आने वाले पक्षकारों से कोई ऋण नहीं लिया है।

(4) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं।

(5) **(क)** हमारे द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले लेन-देनों को इस रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली संविदा या करार के अनुसरण में लेन-देन किए गए हैं। वर्ष के दौरान प्रत्येक पक्षकार के संबंध में 5,00,000 रुपए तक के कुल लेन-देन उस कीमत पर किए गए हैं, जो उस समय ऐसे लेन-देनों के लिए उस स्थिति में चालू बाजार कीमत के अनुसार, जहां ऐसी बाजार कीमत उपलब्ध है, उचित है।

(6) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(vi) लागू नहीं है।

(7) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं बनाई है।

(8) हमें सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड रखना निर्धारित नहीं किया गया है।

(9) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक बकाए सहित अविवादित सांविधिक बकाए को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सांविकि बकाए के संबंध में कोई अविवादित देय राशि, जो उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2009 को बकाया रही हो, बकाया नहीं है।

(10) कंपनी की वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचयी हानियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय वर्ष तथा साथ ही तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानियां नहीं उठाई हैं।

(11) कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों और डिबेंचरधारियों को बकाए की वापसी-अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

(12) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बंधक द्वारा जमानत के आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(xii) लागू नहीं है।

(13) चिट फंड, निधि अथवा म्युचुअल बेनीफिट फंड/ सोसायटी पर लागू विशेष संविधि के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हैं, इसलिए पैराग्राफ 4(xiii) लागू नहीं है।

(14) हमारी राय में कंपनी किसी शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर अथवा अन्य निवेशों में लेन-देन अथवा व्यापार नहीं कर रही है, इसलिए पैराग्राफ 4(xiv) लागू नहीं है।

(15) हमें जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं/अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(16) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं लिया है।

(17) हमारी जांच के आधार पर अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रयोग दीर्घावधि निवेशों अथवा दीर्घकालिक निवेशों के रूप में जुटाई गई निधियों का प्रयोग अल्पावधि निवेशों पर नहीं किया गया है।

(18) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे रजिस्टर में शामिल पक्षकारों और कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

(19) कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(xix) लागू नहीं है।

(20) कंपनी ने पब्लिक इश्यू द्वारा कोई राशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश का पैराग्राफ 4(xx) लागू नहीं है।

(21) हमें जैसा सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला कंपनी की जानकारी में नहीं आया और न ही उसकी सूचना मिली।

कृते सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अनिल कुमार जैन)
भागीदार
सदस्तया सं. 072783

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.07.2009

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया नामक व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। दिनांक 1 जुलाई, 2009 की आशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि उन्होंने ऐसा किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से **आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2009** को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंधित कागजपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों से पूछताछ और कंपनी के कार्मिकों तथा तदनुसार कुछ चुने हुए लेखाकरण रिकार्ड की जांच तक ही मुख्य रूप से सीमित रही है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत आशोधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के मद्देनजर, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिणामतः जैसा इस रिपोर्ट के अनुबंध के पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 7 में दर्शाया गया है, ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं आई है, जिसके आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी दे सकूं या पूरक लेखापरीक्षा कर सकूं।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(सरोज पुन्हानी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.07.2009

31 मार्च 2009 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(लाख रुपए में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
निधियों के स्त्रोत			
शेयरधारकों की निधियां			
पूंजी	1	**85,866.00**	85,866.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	**533,456.19**	451,082.68
		619,322.19	536,948.68
ऋण निधियां:			
प्रतिभूत ऋण	3	**3,761,365.25**	2,942,195.13
अप्रतिभूत ऋण	4	**732,230.45**	486,083.51
		4,493,595.70	3,428,278.64
आस्थगित कर देयता	8	**95,668.55**	81,707.82
योग		**5,208,586.44**	4,046,935.14
निधियों का उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां:	5		
सकल ब्लॉक		**7,121.48**	8,383.36
घटाएं मूल्यह्रास		**1,448.53**	1,357.78
निवल ब्लॉक		**5,672.95**	7,025.58
चालू पूंजीगत कार्य		**2,652.74**	785.09
निवेश	6	**100,476.36**	114,729.70
ऋण	7	**5,138,144.58**	3,931,651.18
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम:	9		
नकदी तथा बैंक शेष		**188,829.67**	125,568.45
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**45,839.00**	49,911.99
ऋण तथा अग्रिम		**114,543.46**	62,032.87
		349,212.13	237,513.31
घटाएं: वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान:	10		
देयताएं		**243,787.86**	148,670.38
प्रावधान		**143,785.87**	96,112.44
		387,573.73	244,782.82
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		**(38,361.60)**	(7,269.51)
बट्टे खाते में न डालने की सीमा तक फुटकर व्यय		**1.41**	13.10
योग		**5,208,586.44**	4,046,935.14

लेखा पर टिप्पणियां **17**

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखे का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

सुरेश चन्द्र
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक वित्त

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रुपए में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालन आय (निवल)	11	475,717.01	337,821.94
अन्य आय	12	17,937.88	16,303.48
योग		493,654.89	354,125.42
व्यय			
ब्याज तथा अन्य प्रभार	13	288,734.95	206,365.09
स्थापना व्यय	14	8,909.75	9,284.49
प्रशासन व्यय	15	2,353.83	1,859.14
बॉण्ड/ऋण लिखत निर्गम व्यय	16	979.50	910.36
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		237.05	3,999.34
निवेशों में ह्रास हेतु प्रावधान		105.34	–
मूल्यह्रास		137.07	138.55
योग		301,457.49	222,556.97
पूर्वावधि मदों से पूर्व वर्ष हेतु लाभ		192,197.40	131,568.45
पूर्वावधि समायोजन - व्यय/(आय)(निवल)		(38.73)	56.65
कर पूर्व लाभ		192,236.13	131,511.80
कर हेतु प्रावधानः			
कर - चालू वर्ष		50,768.00	37,471.69
- पिछले वर्ष		2.15	–
विलंबित कर - चालू वर्ष		13,960.73	7,741.03
अनुषंगी लाभ कर		152.70	106.55
योग		64,883.58	45,319.27
कर पश्चात तथा विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		127,352.55	86,192.53
विनियोजनः			
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित को अंतरित		34,000.00	25,500.00
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित		8,000.00	5,800.00
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		17,173.20	–
कारपोरेट लाभांश कर		–	–
- अंतरिम लाभांश		2,918.58	–
प्रस्तावित लाभांश		21,471.50	25,759.80
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		3,649.08	4,377.88
सामान्य आरक्षित को अंतरित		25,600.00	14,000.00
तुलन-पत्र में ले जाया गया अधिशेष		14,540.19	10,754.85
योग		127,352.55	86,192.53
प्रत्येक 10/- रुपए के प्रति शेयर पर आधारभूत तथा कम की गई अर्जन-राशि रुपए में [लेखे पर टिप्पणी देखें (अनुसूची-17)]		14.83	10.96

लेखा पर टिप्पणियां 17

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखे का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

सुरेश चन्द्र
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक वित्त

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई, 2009

समेकित

अनुसूची '1' शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
प्राधिकृत		
10 रूपये प्रत्येक के 1200,000,000 (पिछले वर्ष 1200,000,000) इक्विटी शेयर	**120,000.00**	120,000.00
निर्गत, अंशदत्त तथा प्रदत्त		
10 रूपये प्रत्येक के 858,660,000 (पिछले वर्ष 858,660,000) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**85,866.00**	85,866.00
योग	**85,866.00**	85,866.00

अनुसूची '2' आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रुपए में)

	01.04.2008 को अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2009 को अंत शेष
क) पूंजीगत आरक्षित(यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	10,500.00
ख) प्रतिभूति प्रीमियम*	71,980.53	235.95	-	72,216.48
ग) वित्त वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	5,173.77	-	-	5,173.77
घ) वित्त वर्ष 1997-98 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	244,606.00	34,000.00	-	278,606.00
च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित	26,369.13	8,000.00	-	34,369.13
छ) सामान्य आरक्षित	79,387.38	25,600.00	-	104,987.38
ज) अधिशेष	13,065.87	14,537.56	-	27,603.43
योग	451,082.68	82,373.51	-	533,456.19

* पिछले वर्ष में प्रदत्त अतिरिक्त देनदारी के संबंध में निवल राशि को शेयर प्रीमियम खाते में फिर से शामिल करके दर्शाया गया है।

अनुसूची '3' प्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
बैंक/संस्थानों से सावधि ऋण (प्राप्य राशि के प्रति प्रतिभूत)	**205,325.00**	232,200.00
भारतीय जीवन बीमा से ऋण (प्राप्य राशि के प्रति प्रतिभूत)	**335,000.00**	350,000.00
बॉण्ड के द्वारा ऋण (संचयी तथा गैर-संचयी)		
(प्राप्य राशि के प्रति प्रभार द्वारा प्रतिभूत तथा/महाराष्ट्र और दिल्ली में अचल संपत्ति जोकि प्राइवेट प्लेसमेंट की शर्तों और संबंधित न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार है)		
क) दीर्घावधि ऋण		
I. करमुक्त प्रतिभूत बॉण्ड		
41वीं श्रृंखला - 22.02.2010 को सममूल्य पर 8.25% विमोच्य	**7,500.00**	7,500.00
53वीं श्रृंखला - 23.03.2011 को सममूल्य पर 7.10% विमोच्य	**5,000.00**	5,000.00
II. करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड		
64वीं श्रृंखला - 27.09.2009 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**15,000.00**	15,000.00
66वीं श्रृंखला - 31.01.2010 को सममूल्य पर 6.00% विमोच्य	**13,900.00**	13,900.00
69वीं श्रृंखला - 23.01.2014 को सममूल्य पर 6.05% विमोच्य	**66,920.00**	66,920.00
72वीं श्रृंखला - 18.08.2011 को सममूल्य पर 6.60% विमोच्य	**38,570.00**	38,570.00
73वीं श्रृंखला - 08.10.2014 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**23,390.00**	23,390.00

समेकित

75वीं श्रृंखला - 17.03.2015 को सममूल्य पर 7.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
77वीं श्रृंखला - 30.06.2015 को सममूल्य पर 7.30% विमोच्य	**98,550.00**	98,550.00
78वीं श्रृंखला - 31.01.2016 को सममूल्य पर 7.65% विमोच्य	**179,570.00**	179,570.00
79वीं श्रृंखला - 14.03.2016 को सममूल्य पर 7.85% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
80वीं श्रृंखला - 20.03.2016 को सममूल्य पर 8.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
81वीं श्रृंखला - 20.01.2017 को सममूल्य पर 8.85% विमोच्य	**31,480.00**	31,480.00
82वीं श्रृंखला - 28.09.2017 को सममूल्य पर 9.85% विमोच्य	**88,310.00**	88,310.00
83वीं श्रृंखला - 28.02.2018 को सममूल्य पर 9.07% विमोच्य	**68,520.00**	68,520.00
84वीं श्रृंखला - 04.04.2013 को सममूल्य पर 9.45% विमोच्य	**100,000.00**	-
85वीं श्रृंखला - 13.06.2018 को सममूल्य पर 9.68% विमोच्य	**50,000.00**	-
86वीं श्रृंखला - 24.07.2013 को सममूल्य पर 10.75% विमोच्य	**72,790.00**	-
86-ए श्रृंखला - 29.07.2018 को सममूल्य पर 10.70% विमोच्य	**50,000.00**	-
86बी-I श्रृंखला - 14.08.2011 को सममूल्य पर 10.95% विमोच्य	**92,420.00**	-
86बी-II श्रृंखला - 14.08.2013 को सममूल्य पर 10.90% विमोच्य	**35,410.00**	-
86बी-III श्रृंखला - 14.08.2018 को सममूल्य पर 10.85% विमोच्य	**43,200.00**	-
87-I श्रृंखला - 30.09.2013 को सममूल्य पर 10.90% विमोच्य	**37,020.00**	-
87-II श्रृंखला - 30.09.2018 को सममूल्य पर 10.85% विमोच्य	**65,740.00**	-
87ए-I श्रृंखला - 24.10.2013 को सममूल्य पर 11.35% विमोच्य	**24,970.00**	-
87ए-II श्रृंखला - 24.10.2018 को सममूल्य पर 11.20% विमोच्य	**3,640.00**	-
87ए-III श्रृंखला - 24.10.2018 को सममूल्य पर 11.15% विमोच्य	**6,180.00**	-
87बी श्रृंखला - 03.11.2011 को सममूल्य पर 11.75% विमोच्य	**94,090.00**	-
87सी-I श्रृंखला - 26.05.2010 को सममूल्य पर 11.45% विमोच्य	**22,910.00**	-
87सी-II श्रृंखला - 26.11.2010 को सममूल्य पर 11.45% विमोच्य	**59,150.00**	-
87सी-III श्रृंखला - 26.11.2013 को सममूल्य पर 11.50% विमोच्य	**86,000.00**	-
88वीं श्रृंखला - 15.01.2019 को सममूल्य पर 8.65% विमोच्य	**149,500.00**	-
पूंजीगत लाभ बॉण्ड (सममूल्य पर विमोच्य)		
श्रृंखला-I	**1,552.60**	3,349.70
श्रृंखला-II	**1,639.40**	6,969.70
श्रृंखला-III	**6,502.30**	15,425.70
श्रृंखला-IV	**20,638.20**	35,930.90
श्रृंखला-V	**81,013.50**	333,474.18
श्रृंखला-VI	**449,421.30**	449,421.30
श्रृंखला-VI ए	**285,867.00**	285,867.00
श्रृंखला-VII	**340,274.40**	340,274.40
श्रृंखला-VIII	**252,523.30**	-
इंफ्रॉस्ट्रक्चर बॉण्ड (सममूल्य पर विमोच्य)		
श्रृंखला-I तथा II	**924.70**	1,503.00
श्रृंखला-III	**533.55**	649.25
श्रृंखला-IV	**420.00**	420.00
बॉण्ड आवेदन राशि	**-**	100,000.00
कुल प्रतिभूत ऋण	**3,761,365.25**	2,942,195.13
अगले वर्ष के अंतर्गत पुनर्भुगतान/विमोचन हेतु नियत	**990,348.69**	397,302.46

अनुसूची सं0-3 की टिप्पणियां:-

क) 37,61,365.25 लाख रुपए के प्रतिभूत ऋण में निम्न शामिल हैं:-

(1) 1,28,880 लाख रुपए की राशि के 87ए एवं बी श्रृंखला के करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड के प्रभार का पंजीकरण लंबित है; तथा

(2) 3,17,560 लाख रुपए की राशि के 87सी तथा 88वीं श्रृंखला के करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड के बंधक/मालबंधन विलेख के निष्पादन तथा प्रभारों के सृजन की औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।

ख) 64वीं, 66वीं, 72वीं, तथा 87ए-II श्रृंखला के बॉण्ड में 5 वर्षों के अंत में अर्थात क्रमशः 27.09.2007, 31.01.2008, 18.08.2009 तथा 24.10.2013 को पुट/कॉल का विकल्प था। 64वीं तथा 66वीं श्रृंखला से क्रमशः 27.09.2007, तथा 31.1.2008 को बॉण्ड धारकों द्वारा पुट विकल्प का उपयोग करते हुए 90 करोड़ रूपए तथा 135 करोड़ रूपए के बॉण्डों को विमोचित किया गया था।

समेकित

(ग) 69वीं, 73वीं तथा 77वीं श्रृंखलाएं क्रमशः 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें तथा 10वें वर्ष में सममूल्य पर 5 समान किश्तों पर विमोच्य है।

(घ) 75वीं श्रृंखला के बॉण्ड 5½ वर्षों से 10 वर्षों तक एसटीआरआरपी के द्वारा अर्द्धवार्षिक 10 समान किश्तों पर विमोच्य होंगे।

(च) 78वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं, 83वीं, 85वीं, 86ए, 86बी-III,87-II, 87ए-III तथा 88वी श्रृंखला 10 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 31.01.2016, 14.03.2016, 20.03.2016, 20.01.2017, 28.09.2017, 28.02.2018, 30.09.2018, 24.10.2018 तथा 15.01.2019 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(छ) 84वीं,86वीं, 86बी-II, 87-I तथा 87सी-III श्रृंखला 5 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 04.04.2013, 24.07.2013, 14.08.2013, 30.09.2013 तथा 26.11.2013 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ज) 86बी-I तथा 87बी श्रृंखला 3 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 14.08.2011 तथा 03.11.2011 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(झ) 87ए-I श्रृंखला के बॉण्ड में 3 वर्षों की समाप्ति पर अर्थात 24.10.2011 को पुट/कॉल करने के विकल्प हैं।

(ट) 87सी-I श्रृंखला 18 महीनों की समाप्ति पर अर्थात 26.05.2010 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ठ) 87सी-II श्रृंखला 24 महीनों की समाप्ति पर अर्थात् 26.11.2010 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ड) 440 लाख रुपए तथा 20 लाख के बॉण्ड 31.03.2009 को क्रमशः आरईसी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट तथा आरईसी उपदान निधि द्वारा धारित हैं।

(ढ) पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड को 3/5/7 वर्षों की अवधि हेतु अर्द्धवार्षिक/वार्षिक रूप से देय 5.15% से 8.70% की दर पर तथा संचित/बिना संचित विकल्पों के साथ जारी किया जाता है। इन बॉण्डों में 3/5 वर्ष के अंत में पुट/कॉल का विकल्प होता है। वर्तमान वर्ष (08-09) में क्रम 8 पर जारी पूंजीगत लाभ छूट बॉण्ड की अवधि 3 वर्ष है जो 5.75% (30.10.08 तक) तथा तदनुपरांत 6.25% की वार्षिक दर से देय है। इंफ्रॉस्ट्रक्चर बॉण्ड को 6.00% से 9.00% की वार्षिक दर पर देय विभिन्न ब्याज दरों के मध्य 3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया गया है। इन बॉण्डों में आबंटन की तिथि से 3/5 वर्ष की समाप्ति पर पुट विकल्प होता है।

अनुसूची '4' अप्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
भारत सरकार से ऋण	**6,474.48**	8,192.48
सावधि ऋण		
(क) बैंकों से दीर्घावधि ऋण	**274,780.00**	211,280.00
(ख) बैंकों से अल्पावधि ऋण	**130,000.00**	112,800.00
विदेशी मुद्रा ऋण		
(क) दीर्घावधि		
ईसीबी-बैंकों से सिंडिकेट किया गया ऋण	**87,026.32**	87,026.32
जेबीआईसी ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**43,941.29**	13,033.02
केएफडब्ल्यू ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**18,400.36**	4,785.69
कमर्शियल पेपर 129,500.00	–	
बॉण्डों के द्वारा ऋण		
दीर्घावधि		
(क) गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत		
18वीं श्रृंखला - 12.12.2008 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**–**	6,858.00
21वीं श्रृंखला - 29.12.2009 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**6,908.00**	6,908.00
22वीं श्रृंखला - 27.12.2010 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**4,900.00**	4,900.00
23वीं श्रृंखला-1 - 05.12.2011 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**2,265.00**	2,265.00
23वीं श्रृंखला-2 - 21.02.2012 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**3,035.00**	3,035.00
(ख) अन्य बॉण्ड		
74वी श्रृंखला - 31.12.2014 को सममूल्य पर 7.22% विमोच्य	**25,000.00**	25,000.00
कुल अप्रतिभूत ऋण	**732,230.45**	486,083.51
अगले एक वर्ष में चुकौती/विमोचन हेतु देय	**325,388.00**	30,679.00

टिप्पणी:- 31.03.2009 को रुपए 2.00 लाख के बॉण्ड आरईसी लिमिटेड सीपी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

अनुसूची-5 - 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का समेकित सार

(लाख रुपए में)

स्थायी परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				निवल ब्लॉक	
	01.04.2008 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2009 के अनुसार	01.04.2008 को यथास्थिति	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान निपटाया/बट्टे खाते में डाला गया	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
फ्रीहोल्ड भूमि	4,673.87	-	*1,485.00	**3,188.87**	-	-	-	-	**3,188.87**	4,673.87
पट्टे पर भूमि	145.51	-	-	**145.51**	12.79	1.40	-	**14.19**	**131.32**	132.72
भवन	2,193.93	22.19	-	**2,216.12**	464.15	34.09	-	**498.24**	**1,717.88**	1,729.78
फर्नीचर एवं जुड़नार	403.16	165.77	2.99	**565.94**	255.56	28.58	0.40	**283.74**	**282.20**	147.60
ईडीपी उपस्कर	539.01	42.56	52.81	**528.76**	348.09	48.18	45.72	**350.55**	**178.21**	190.92
कार्यालय उपस्कर	312.45	31.81	2.89	**341.37**	180.42	14.10	0.20	**194.32**	**147.05**	132.03
वाहन	94.38	12.62	-	**107.00**	77.27	4.87	-	**82.14**	**24.86**	17.11
कम मूल्य की परिसंपत्तियां -फर्नीचर	7.41	1.70	-	**9.11**	7.41	1.70	-	**9.11**	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - ईडीपी	0.96	0.41	-	**1.37**	0.96	0.41	-	**1.37**	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - कार्यालय उपस्कर	9.15	3.09	-	**12.24**	9.15	3.09	-	**12.24**	-	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)	3.54	1.65	-	**5.19**	1.98	0.65	-	**2.63**	**2.56**	1.56
कुल योग	**8,383.36**	**281.80**	**1,543.69**	**7,121.48**	**1,357.78**	**137.07**	**46.32**	**1,448.53**	**5,672.95**	**7,025.58**
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी (पूंजीगत अग्रिमों सहित)	785.09	1,969.69	102.04	2,652.74	-	-	-	-	2,652.74	785.09

टिप्पणीः अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में बाहर से खरीदे गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये एएस-26 के अनुसार 5 वर्षों से अधिक के हैं।

*ये आंकड़े उस भूमि के हैं जो पिछले वर्ष फ्रीहोल्ड दिखाई गई थी लेकिन अधिकार-पत्र मिलने तक इस साल पूंजी हस्तांतरित कर दी गई है। (इसमें पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं)।

समेकित

अनुसूची '6' निवेश

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
दीर्घावधि (अनुद्धृत)		
गैर-व्यापार निवेश		
मध्य प्रदेश सरकार के 8% के पावर बॉण्ड-II जो 01.04.05 से 30 समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में परिपक्व होंगे। (4716 लाख रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 21 बॉण्ड) (पिछले वर्ष 4716 लाख रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 24 बॉण्ड)	**99,036.00**	113,184.00
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड रुपए 9.09 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड की 1,44,70,381 यूनिटें	**1,315.36**	1,420.70
(पिछले वर्ष रुपए 9.818 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड का 1,44,70,381 यूनिटें) (अंकित मूल्य प्रति यूनिट 10 रुपए है)		
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में निवेश 10/- रुपए प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर	**125.00**	125.00
वर्तमान निवेश (अनुद्धृत) **म्यूच्यूल फंड की यूनिटों में निवेश**	-	-
योग	**100,476.36**	114,729.70

अनुसूची '7' ऋण

(लाख रुपए में)

		31.03.2009 के अनुसार		31.03.2008 के अनुसार
(1) राज्य विद्युत बोर्ड/निगम, सहकारी समितियां तथा राज्य सरकार				
(क) अप्रतिभूत,अच्छे माने गए तथा संबंधित राज्य सरकार की गारंटी वाले		**2,093,859.39**		1,907,561.52
(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**1,753.81**		15,564.37	
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**1,717.68**	**36.13**	3,999.39	11,564.98
(2) राज्य विद्युत बोर्ड/निगम (संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/ निगम के साथ सामान के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत) अच्छे माने गए		**2,390,960.36**		1,639,950.32
(3) अन्य (मूर्त परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
(क) अच्छे माने गए		**291,026.32**		125,481.68
(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**5,135.42**		16,054.05	
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**3,083.04**	**2,052.38**	4,174.90	11,879.15
(4) अन्य (अप्रतिभूत) - अच्छे माने गए		**282,546.15**		156,870.93
उप योग (1 से 4)		**5,060,480.73**		3,853,308.58
(i) ऋणों पर प्रोद्भूत तथा देय ब्याज		**1,827.98**		2,523.59
(ii) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज		**75,835.87**		75,819.01
कुल योग		**5,138,144.58**		3,931,651.18

समेकित

अनुसूची '8' आस्थगित कर देयता (परिसंपत्तियां)

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
अथ शेष	**81,707.82**	73,966.79
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	**13,960.73**	7,741.03
योग	**95,668.55**	81,707.82

अनुसूची '9' चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए में)

		31.03.2009 के अनुसार		31.03.2008 के अनुसार
I. चालू परिसंपत्तियां				
क) नकदी तथा बैंक शेष:				
(1) हस्तगत/मार्गस्थ में नकदी/चैक (डाक तथा अग्रदाय सहित)		**0.29**		0.26
(2) चालू खातों में				
- भारतीय रिजर्व बैंक में		**1.85**		78.96
- अधिसूचित बैंको में		**32,177.74**		24,975.88
- अधिसूचित बैंको में (आरजीजीवीवाई योजना हेतु)		**659.89**		58,752.76
- अधिसूचित बैंको में (एजी तथा एसपी योजनाओं हेतु निधि)		**55.95**		3,719.06
(3) अधिसूचित बैंकों के साथ जमा खातों में		**155,933.95**		38,041.53
योग-(क)		**188,829.67**		125,568.45
ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां				
(1) सावधि जमा पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज		**136.16**		80.71
(2) प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज				
- ऋणों पर		**45,169.58**		45,249.76
- सरकारी प्रतिभूतियों पर		**-**		4,014.41
- कर्मचारियों को ऋण पर		**222.38**		208.18
(3) एसईबी/सरकारी विभागों से वसूली योग्य	**101.95**		330.20	
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**-**	**101.95**	180.20	150.00
(4) भारत सरकार से वसूली योग्य				
- आरजीजीवीवाई व्यय	**208.93**		208.93	
- अन्य	**-**	**208.93**	-	208.93
योग-(ख)		**45,839.00**		49,911.99
II. ऋण तथा अग्रिम				
क) ऋण				
(1) कर्मचारी (प्रतिभूत)		**238.53**		271.01
(2) कर्मचारी (अप्रतिभूत)		**853.47**		117.77
ख) अग्रिम				
(गैर जमानती लेकिन वसूली योग्य)				
(1) नकदी अथवा जिंस के रूप में एवं मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम		**461.37**		881.56
(2) वाणिज्यिक पेपर पर पूर्वदत्त वित्तीय प्रभार		**4,083.72**		-
(3) अग्रिम आयकर एवं टीडीएस		**108,906.05**		60,762.24
(4) वसूली योग्य आयकर (बॉण्ड)		**0.32**		0.29
योग (ग)		**114,543.46**		62,032.87
योग-(क+ख+ग)		**349,212.13**		237,513.31

समेकित

अनुसूची '10' चालू देयताएं और प्रावधान

(लाख रुपए में)

			31.03.2009 के अनुसार		31.03.2008 के अनुसार
1)	**चालू देयताएं**				
	(क) अग्रिम प्राप्तियां		**2,525.41**		934.36
	(ख) अन्य देयताएं		**4,342.95**		8,561.78
	- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों से प्राप्य				
	(ग) (1) संवितरण हेतु भारत सरकार से अनुदान	**1,460,887.62**		919,899.56	
	(2) आरजीजीवीवाई अनुदान पर ब्याज	**3,633.68**		-	
	योग	**1,464,521.30**		919,899.56	
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**(1,359,454.04)**		(848,044.01)	
	अवितरित अनुदान		**105,067.26**		71,855.55
	(घ) प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज				
	- बॉण्डों पर	**117,683.76**		54,009.44	
	- सरकारी/एलआईसी ऋणों पर	**12,841.89**	**130,525.65**	12,488.16	66,497.60
	(च) बॉण्ड तथा सरकारी ऋणों पर दावा नहीं किया गया ब्याज तथा मूलधन				
	- ब्याज	**1,243.49**		709.52	
	- मूलधन	**83.10**	**1,326.59**	111.57	821.09
	योग-(1)		**243,787.86**		148,670.38
2)	**प्रावधान**				
	(क) आयकर		**109,727.82**		59,085.04
	(ख) स्टाफ हित		**4,819.63**		3,643.43
	(ग) उपदान		**974.96**		207.88
	(घ) प्रोत्साहन तथा अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		**1,791.40**		2,204.37
	(च) धन कर		**33.82**		0.20
	(छ) अनुषंगी लाभ कर		**36.84**		17.00
	(ज) प्रस्तावित लाभांश		**21,471.50**		25,759.80
	(झ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**3,649.08**		4,377.88
	(ट) वेतन परिशोधन		**1,280.00**		816.84
	(ठ) आकस्मिक व्यय		**0.82**		-
	योग-(2)		**143,785.87**		96,112.44
	योग-(1+2)		**387,573.73**		244,782.82

अनुसूची '11' प्रचालन आय

(लाख रुपए में)

			31.03.2009 को समाप्त वर्ष		31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क.	**ऋण देने के प्रचालनों पर**				
	ऋणों पर ब्याज				
	-दीर्घावधि वित्त-पोषण	**438,541.59**		307,560.77	
	घटाएं: समय पर भुगतान/पूर्णता आदि हेतु छूट	**1,346.05**	**437,195.54**	1,799.56	305,761.21
	-अल्पावधि वित्त-पोषण		**29,297.94**		30,290.22
			466,493.48		336,051.43
ख.	**दीर्घावधि पट्टा राजस्व**		**544.60**		-
ग.	**प्रसंस्करण शुल्क, एकमुश्त शुल्क, सेवा प्रभार आदि**		**1,343.18**		1,310.38
घ.	**पूर्व भुगतान प्रीमियम**		**353.64**		-
च.	**आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन हेतु एजेंसी प्रभार**		**6,982.11**		460.13
	योग		**475,717.01**		337,821.94

समेकित

अनुसूची '12' अन्य आय

(लाख रुपए में)

		31.03.2009 को समाप्त वर्ष		31.03.2008 को समाप्त वर्ष
क. निवेश/जमा प्रचालनों पर				
जमा पर ब्याज	**3,718.69**		6,449.97	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**8,704.32**	**12,423.01**	9,243.36	15,693.33
(टीडीएस 961.78 लाख रुपए, गत वर्ष 491.58 लाख रुपए)				
ख. अन्य आय				
अशोध्य ऋणों के लिए रखा गया प्रावधान खाते में वापस डाला गया		**3,610.62**		-
विनिमय दर में अंतर		**1,142.17**		-
अधिक प्रावधान वापस डाला गया		**0.37**		18.35
स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज		**49.62**		28.31
अनुषंगी कंपनियों से ब्याज		**16.21**		4.54
जोखिम निधि में निवेश पर लाभांश		**11.02**		33.02
विविध आय		**683.79**		501.64
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		**1.07**		0.41
जोखिम निधि में किए गए निवेश के मूल्य में कमी की भरपाई के लिए किए गए प्रावधान को वापस खाते में डाला गया		**-**		23.88
योग		**17,937.88**		16,303.48

अनुसूची '13' ब्याज तथा अन्य प्रभार

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज-		
- सरकारी ऋण	**534.07**	660.84
- आरईसी बॉण्ड	**203,485.20**	137,112.06
- बैंक/वित्तीय संस्थान	**73,794.15**	62,434.99
- बाहरी वाणिज्यिक ऋण	**7,712.49**	4,898.71
- कमर्शियल पेपर	**2,134.76**	-
	287,660.67	205,106.60
विनिमय दरों में अंतर	**-**	959.53
एआरईपी सब्सिडी पर ब्याज	**122.22**	148.60
गारंटी शुल्क	**797.45**	25.65
अन्य वित्तीय प्रभार	**154.61**	124.71
योग	**288,734.95**	206,365.09

अनुसूची '14' स्थापना व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**5,413.53**	6,621.35
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा व्यय	**1,144.31**	1,233.47
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**1,466.36**	435.48
स्टाफ कल्याण व्यय	**885.55**	994.19
योग	**8,909.75**	9,284.49

समेकित

अनुसूची '15' प्रशासन व्यय

(लाख रुपए में)

		31.03.2009 को समाप्त वर्ष		31.03.2008 को समाप्त वर्ष
किराया-कार्यालय		**175.16**		210.62
दरें तथा कर		**40.68**		22.48
विद्युत तथा जल प्रभार		**54.91**		48.29
बीमा प्रभार		**4.44**		2.79
मरम्मत तथा अनुरक्षण				
भवन	**259.50**		292.92	
अन्य	**29.53**	**289.03**	37.06	329.98
मुद्रण तथा स्टेशनरी		**192.50**		73.70
यात्रा तथा वाहन				
- निदेशक	**55.53**		44.99	
- अन्य	**468.24**	**523.77**	430.96	475.95
डाक, तार तथा टेलीफोन		**106.56**		108.59
प्रचार एवं संवर्धन व्यय		**202.75**		146.73
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**23.76**		15.59
विविध व्यय		**376.22**		270.53
परामर्शी प्रभार		**117.42**		142.47
दान तथा धर्मार्थ		**246.59**		10.20
(प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को प्रदत्त, गत वर्ष शून्य)				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**0.04**		1.22
योग		**2,353.83**		1,859.14

अनुसूची '16' बॉण्ड/ऋण लिखत निर्गम पर व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
बॉण्ड हैंडलिंग प्रभार	**321.29**	535.77
बॉण्ड ब्रोकरेज खाता	**366.68**	102.99
बॉण्ड स्टॉम्प ड्यूटी	**21.05**	6.01
अन्य	**270.48**	265.59
योग	**979.50**	910.36

समेकित

अनुसूची '17' लेखे पर टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां निम्नलिखित हैं:-

अनुषंगी कंपनियों का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (आरटीपीसीएल)	भारत	100%
आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरपीडीसीएल)	भारत	100%
नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल) (आरटीपीसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)	भारत	100%
तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल) (आरटीपीसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)	भारत	100%

2. **प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)**

	2008-09	2007-08
कर पश्चात् निवल लाभ (लाख रुपए में)	**127,352.55**	86,192.53
इक्विटी शेयरधारकों के कारण हुआ निवल लाभ (लाख रुपए में)	**127,352.55**	86,192.53
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**858,660,000**	786,374,301
प्रति शेयर मूलभूत तथा कम किया गया अर्जन	**14.83**	10.96
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	**10**	10

3. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है:

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 के अनुसार	31.03.2008 के अनुसार
(क) निगम के समक्ष दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है (31.03.2009 को माध्यस्थम मामलों समेत विभिन्न अदालतों में लंबित 3460.53 लाख रुपए सहित) (पिछले वर्ष 5153.60 लाख रुपए सहित)।	**3,469.37**	6,331.37
(ख) संविदाओं की अनुमानित राशि जिसे अभी पूंजी खाते में निष्पादित नहीं किया गया है एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया।	**1,247.75**	408.21
(ग) अन्य	**134,263.00**	56,489.00

उपरोक्त (क) में संदर्भित राशि न्यायालय/माध्यस्थम मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

उपरोक्त 1(ग) में राशि, निगम द्वारा स्वीकृत ऋण लेकर बिजली उत्पादन उपकरणों की खरीद हेतु साख-पत्र के खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को उनके कर्जदारों के संबंध में जारी आश्वासन-पत्रों को संदर्भित करती है।

4. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(लाख रुपए में)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष	31.3.2008 को समाप्त वर्ष
(क) लेखापरीक्षा शुल्क-चालू वर्ष	**17.91***	13.59
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	**2.50**	0.25
(ग) व्ययों की प्रतिपूर्ति	**1.88***	1.29
(घ) अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (आईपीओ प्रमाणीकरण हेतु भुगतान सहित)	**2.32**	15.57
योग	**24.61**	30.70

* आरटीपीसीएल, एनकेटीसीएल तथा टीटीसीएल के लिए लेखापरीक्षकों का भुगतान (कुल राशि रूपए 0.85 लाख) को सीडब्ल्यूआईपी में लिया गया है।

5. वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निगम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई की दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस(पीडी), सीसी सं.12/डी2. 01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, उनको अस्थायी परिसंपत्तियों के रख-रखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (आई)सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

6. कुछ ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों द्वारा विशेष आरक्षित कोष के सृजन में कुल 500.89 लाख रुपए की राशि (पिछले वर्ष - 501.18 लाख रुपए) की कमी पाई गई है और इन समितियों के साथ विशेष निधि के सृजन पर संपर्क किया जा रहा है।

7. कुछ कर्जदारों से बाकी राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

8. बॉण्डों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आयकर प्रावधानों के अनुसार बॉण्डधारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय 'स्रोत पर कर काट लिया जाता है, क्योंकि ऐसे बॉण्ड मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं।

9. निगम द्वारा लिए गए कुछ परिसर आदि के संबंध में 3996.51 लाख रुपए (पिछले वर्ष 5792.70 लाख रुपए) की राशि हेतु हस्तांतरण विलेख की औपचारिकताएं पूर्णता की प्रक्रिया में हैं।

10. 31.3.2009 के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंकों में ब्याज वारंट खाते के संबंध में शेष (संस्थागत एवं 54ईसी तथा इंफ्रॉस्ट्रक्चर बॉण्ड दोनों) रूपए 5025.32 लाख (गत वर्ष रूपए 12,045.48 लाख) है।

11. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य तरीके से वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

12. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत यथापेक्षित क्षति हानि हेतु प्रावधान की आवयकता नहीं है क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार लेखांकन मानक-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

13. कंपनी की सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों की ओर कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

समेकित

14. इस वर्ष कोई बॉण्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं.6/3/2001-सीएल.5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर सृजित करने की कोई आवयकता नहीं है।

15. वर्ष के दौरान कंपनी ने अदला-बदली स्वैप (केवल कूपन) कारोबार के कारण 420.16 लाख रुपए (पिछले वर्ष 953.32 लाख रुपए) अर्जित किए हैं जिसे उस सीमा तक लेनदारी की लागत में कमी करके प्राप्त किया गया है।

निगम ने केवल अदला-बदली कारोबार तथा विदेशी मुद्रा अदला-बदली कारोबार के विभिन्न कूपन में प्रवेश किया है। 31.03.2009 को उपरोक्त अदला-बदली कारोबार के संबंध में बाजार स्थिति का निवल मार्क 24,271.25 लाख रुपए (अनुकूल) है।

16. निदेशकों का पारिश्रमिकः (लाख रुपए में)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष	31.3.2008 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**44.33**	40.87
अनुलाभ/प्रतिपूर्ति	**15.18**	14.97
सेवानिवृत्ति लाभ	**6.70**	1.45
योग	**66.21**	57.29

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार रूपए 780/- प्रति माह के मासिक प्रभार के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

ऋण तथा अग्रिमों के रूप में निगम के निदेशकों द्वारा देय 10.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष 0.81 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान इनसे अधिकतम बकाया राशि 14.17 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1.89 लाख रुपए) थी।

17. विदेशी मुद्रा में व्ययः - (लाख रुपए में)

विवरण	**31.3.2009 को समाप्त वर्ष**	31.3.2008 को समाप्त वर्ष
रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्शी शुल्क	**शून्य**	1.06
ब्याज	**161.66**	241.08
वित्त प्रभार	**79.03**	97.75
अन्य प्रभार	**53.22**	103.79
योग	**293.91**	443.68

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 के पैरा 4(ग) और पैरा 4(घ) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी सूचना या तो शून्य है अथवा लागू नहीं होती है।

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-27 के अंतर्गत संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी ।

18. निवेश में 1,447.04 लाख रुपए शामिल हैं जोकि केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड (एसआईबी फंड) संयुक्त उद्यम की यूनिटों में कंपनी के योगदान को दर्शाता है।

कम्पनी का नाम	**निधि में योगदान**	**निवास का देश**	**स्वामित्व का अनुपात**
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	1447.04 लाख रुपए	भारत	9.74%

भविष्य में अंशदान की कोई प्रतिबद्धता नहीं है।

19. त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत सब्सिडीः-

निगम एक ब्याज सब्सिडी निधि खाता चला रहा है और दिनांक 23.9.1997 के भारत सरकार के पत्र संख्या अ.शा.सं.32024/17/97-पीएफसी तथा दिनांक 7.3.2003 के का.ज्ञा.सं. 32024/23/2001-पीएफसी के अनुसार निर्दिष्ट दरों पर गणना किए गए निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी वास्तविक पुनर्भुगतान समय तालिका, स्थगन अवधि तथा चुकौती की अवधि कुछ भी हो का दावा कर रहा है। निर्दिष्ट दर और आहरण के समय आकलित अवधि तथा वास्तविक के मध्य अंतर का पता संबंधित योजना के अंत में ही लगाया जा सकता है।

20. लेखांकन मानक-26 "अमूर्त परिसंपत्तियां" में यथापेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण:-

1.	परिशोधन दर	20% यदि परिसंपत्ति का मूल्य 5000 रूपए अथवा कम है तो 100%।
2.	परिशोधन पद्धति	सीधी रेखा।

(लाख रुपए में)

मिलान वक्तव्य		**31.9.2009 की यथास्थिति**	31.3.2008 की यथास्थिति
3.	सकल कैरिंग राशि	**4.86**	3.54
4.	संचित मूल्यह्रास	**2.59**	1.98
5.	सकल कैरिंग राशि अथ शेष	**3.54**	3.54
	घटाएं - संचित मूल्यह्रास	**1.98**	1.30
	कैरिंग राशि	**1.56**	2.25
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1.31**	शून्य
	घटाएं - वर्ष के दौरान परिशोधन	**0.60**	0.68
	तुलन-पत्र की तिथि को कैरिंग राशि	**2.27**	1.56

21. निगम आय पर करों हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक संख्या 22 के अनुसार विलंबित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान कर रहा है। वर्ष के दौरान निगम ने विलंबित कर देयता के रूप में 13,960.72 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7741.03 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

31.3.2009 को विलंबित कर देयता के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं -

(लाख रुपए में)

विवरण	**31.9.2009 की यथास्थिति**	31.3.2008 की यथास्थिति
विलंबित कर परिसंपत्तियां		
अवकाश नकदीकरण	**482.37**	427.96
अस्वस्थता अवकाश हेतु प्रावधान	**198.29**	42.96
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	**263.28**	263.28
निवेशों में गिरावट पर प्रावधान	**44.76**	8.95
अन्यों हेतु प्रावधान	**144.68**	2,759.64
योग	**1,133.38**	3,502.79
विलंबित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	**345.17**	310.46
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आरक्षित	**96,456.74**	84,900.14
योग	**96,801.91**	85,210.60
निवल विलंबित कर (देयता)/परिसंपत्ति	**(95,668.53)**	(81,707.82)
31.3.2009 को विलंबित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**(81,707.81)**	(73,966.79)
लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित वर्ष हेतु निवल देयता	**(13,960.72)**	(7,741.03)

समेकित

22. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन पर आरईसी की देयताओं के निपटान का मुद्दा एमपीएसईबी और सीएसईबी के बीच होने पर उनके मध्य देयताओं को बांटने के संबंध में एक कानूनी विवाद है, जिसके परिणामस्वरूप सीएसईबी लगभग 16000 लाख रुपए + प्रोद्भूत होने वाले ब्याज वापसी का दावा कर रहा है जो एमपीएसईबी द्वारा अदा किया जाएगा।

23. कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) जिन पर ऋण बकाया थे अथवा जिनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा गांरटी दी गई थी, की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्संरचना की गई थी और उनके स्थान पर नए निकायों का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप पूर्व एसईबी की देयताएं निगमों, नए निकायों और/अथवा राज्य सरकारों के मध्य अंतरण समझौतों के निष्पादन पर नए निकायों को अंतरित की गई हैं।

24. कारपोरेशन के कर्मचारियों का वेतन परिशोधन 01 जनवरी, 2007 से किया जाना है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परिशोधित वेतनमानों (भत्तों सहित) के लंबित अंतिम परिकलन अनुसार वर्ष के दौरान परिशोधित वेतन के बकायों के समक्ष, औसत वेतन के आधार पर रूपए 463.16 लाख का अनुमानित अतिरिक्त प्रावधान (गत वर्ष रुपए 816.84 लाख) किया गया है तथा तदनुसार अकार्यपालक कर्मचारियों, जिनके लिए ऐसी कोई अधिसूचना उपलब्ध नहीं है किंतु उन्हें भी ऐसी अधिसूचना के अनुसार बकाया देने के लिए विचारा गया है, सहित वेतन परिशोधन हेतु वेतन के प्रति रूपए 1280 लाख का संचयी प्रावधान किया गया है। अनुमानित परिशोधित वेतन के आधार पर कर्मचारियों के लाभ का बीमांकित मूल्यांकन कर लिया गया है।

25. 2006-07 तक आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन पर व्यय किए गए 643.98 लाख रुपए को उसके अनुदान से किए गए जमा पर प्राप्त ब्याज से समायोजित कर लिया गया है और विद्युत मंत्रालय को तदनुसार सूचित किया गया है। प्रबंधन के अनुसार राशि अभी भारत सरकार से प्राप्य है।

26. लेखांकन मानक-29 में अपेक्षित प्रावधानों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

	31.03.2009 की यथास्थिति	31.03.2008 की यथास्थिति
(क) अंतरिम लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**17173.20**	शून्य
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**17173.20**	शून्य
अंत शेष	**शून्य**	शून्य
(ख) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**25759.80**	17700.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन		25759.80
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**25,759.80**	17,700.00
अंत शेष		25,759.80
(ग) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**4,377.88**	3,008.12
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2,918.58**	4,377.88
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**7,296.46**	3,008.12
अंत शेष	**शून्य**	4,377.88

27. निगम ने एएस-15(संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" को अपनाया है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं -

(क) भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमेय प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2009 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

(ख) उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्त-पोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और निपटान लाभ सुविधा हैं जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है।

(घ) यात्रा छुट्टी रियायत (एलटीसी)

कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को छुट्टी यात्रा रियायत उपलब्ध कराने के लिए निगम के पास एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

(च) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारियों तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नानुसार है :

लाभ तथा हानि लेखे में मान्यकृत व्ययः

लाख रूपए में

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)
क) चालू सेवा लागत	**116.14**	112.34	**46.79**	35.05	**0.72**	0.66
ख) ब्याज लागत	**110.43**	104.19	**128.48**	108.02	**1.07**	1.17
ग) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**(135.04)**	(110.00)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत बीमांकित (लाभ) हानि	**(65.04)**	111.36	**385.24**	433.61	**3.26**	4.74
च) पूर्व सेवा लागत	**948.48**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
छ) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत व्यय	**974.96**	217.89	**560.51**	576.68	**5.05**	6.57

समेकित

तुलन-पत्र में मान्यकृत राशिः-

लाख रूपए में

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)
क) वर्ष की समाप्ति पर बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**2,640.04**	1,577.53	**2,244.78**	1,835.43	**17.48**	15.30
ख) वर्ष की समाप्ति पर योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	**1,672.62**	1,368.88	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ग) अंतर (ख - क)	**(967.42)**	(208.65)	**2,244.78**	(1,835.43)	**(17.48)**	(15.30)
घ) वास्तविक अधि-प्रत्याशित से अधिक खर्च	**(6.19)**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
च) मान्यकृत निवल परिसंपत्ति/ (देयता)* (उपदान न्यास की)	**(967.42)***	(208.65)	**(2,244.78)**	(1,835.43)	**(17.48)**	(15.30)

परिभाषित लाभ/बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तनः-

लाख रूपए में

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)
क) अवधि के प्रारंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**1,577.53**	1,302.44	**1,835.43**	1,350.27	**15.29**	14.58
ख) ब्याज लागत	**110.42**	104.19	**128.48**	108.02	**1.07**	1.16
ग) पूर्व सेवा लागत	**948.48**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) वर्तमान सेवा लागत	**116.14**	112.34	**46.79**	35.05	**0.72**	0.67
च) प्रदत्त लाभ	**(41.29)**	(52.80)	**(151.17)**	(91.52)	**(2.86)**	(5.86)
छ) निवल बीमांकित लाभ/हानि	**(71.24)**	111.36	**385.24**	433.61	**3.26**	4.74
ज) अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**2,640.04**	1,577.53	**2,244.77**	1,835.43	**17.48**	15.29

योजनागत परिसंपत्तियों के स्पष्ट मूल्य में परिवर्तनः-

लाख रूपए में

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)	(31.03.09)	(31.03.08)
क) अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य * (उपदान न्यास के)	**1,577.53***	1,302.44	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ख) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**135.03**	110.00	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
ग) कंपनी का वास्तविक अंशदान	**7.54**	9.24	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
घ) प्रदत्त लाभ	**(41.29)**	(52.80)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
च) योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**(6.19)**	शून्य	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
छ) 31.3.2009 को योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	**1,672.62**	1,368.88	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य

31.3.2009 को लागत पर योजनागत परिसंपत्तियों (उपदान) का विवरणः

लाख रूपए में

विवरण	उपदान	
	(31.03.09)	(31.03.08)
क) भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्र तथा राज्य दोनों)	**805.96**	685.32
ख) कारपोरेट बॉण्ड	**707.43**	567.20
ग) अन्य	**29.61**	20.15
योग	**1,543.00**	1,272.67

वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने उपदान ट्रस्ट में रूपए 974.96 लाख (गत वर्ष रूपए 169.90 लाख), पीआरएमएफ में रूपए 409.34 लाख (गत वर्ष रूपए 485.16 लाख), तथा ओडीआरबी में रूपए 2.19 लाख (गत वर्ष रूपए 15.30 लाख) के अंशदान के प्रति देयता प्रदान की है।

कर्मचारी के अन्य हितः

वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यन के आधार पर वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए रूपए 160.09 लाख (गत वर्ष रूपए 644.49 लाख) तथा अस्वस्थता अवकाश के लिए रूपए 583.36 लाख (गत वर्ष रूपए 126.39 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया तथा लाभ एवं हानि हेतु प्रभारित किया गया ।

'कर्मचारियों के हित' पर लेखांकन मानक-15 (परिशोधित 2005) के अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के आधार हेतु छुट्टी यात्रा रियायत को शामिल किया गया है। तदनुसार वर्ष के लिए रूपए 21.22 लाख की राशि का प्रावधान किया गया तथा लाभ एवं हानि लेखे हेतु प्रभारित किया गया।

समेकित

पीआरएमएफ पर एक प्रतिशत की बढ़ोतरी/कमी होने के प्रभावः

लाख रूपए में

	विवरण	1% (+)	1% (-)
क)	सेवा एवं ब्याज लागत	22.64	(19.10)
ख)	पीबीओ (समापन)	174.70	(152.05)

बीमांकित पूर्वानुमानः

	विवरण	उपदान	पीआरएमएफ
क)	प्रयुक्त पद्धति	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
ख)	छूट दर	7.00 (8.00)	7.00 (8.00)
ग)	परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.56 (8.45)	शून्य
घ)	भावी वेतन वृद्धि	5.50 (5.50)	5.50 (5.50)

क. परिकलित अवधि के दौरान परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर, प्रतिलाभ की अभिगृहीत दर है।

ख. पूर्वानुमान का सिद्धांत छूट पर तथा वेतन संवर्धन दर के अनुसार है। छूट दर साधारणतः एक अवधि में लेखांकन तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता हो, पर आधारित है तथा वेतन संवर्धन दर में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपरोक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

28. निगम के पास भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-17 के अनुसार एक से अधिक सूचना योग्य खंड नहीं है।

29. भारत सरकार ने आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन हेतु आरईसी को एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के तहत प्राप्त निधियों को विभिन्न एजेन्सियों को वितरण करने के लिए एक पृथक बैंक खाते में रखा जाता है। अवितरित निधियों तथा उनसे अर्जित ब्याज को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान रूपए 658.95 लाख (गत वर्ष रूपए 158.08 लाख) के टीडीएस सहित रूपए 2933.95 लाख (गत वर्ष रूपए 699.72 लाख) के अर्जित किए गए ब्याज को आरजीजीवीवाई के अनुदान लेखे में डाला गया है तथा आरईसी द्वारा ऐसे टीडीएस क्रेडिटों से अंततः सरकारी कोष के क्रेडिट को लाभ हुआ है।

30. वर्ष के दौरान कारपोरेान ने अपनी अधिशेष निधियों का निवेा लिक्विड स्कीम तथा लिक्विड प्लस स्कीम के पब्लिक म्यूच्युअल निधियों में किया। वर्ष के दौरान ही उसे निवेश से हटा लिया गया।

31. रूपए 5,00,000/- तक के क्रमाः 5.87 लाख रूपए तथा 0.96 लाख रूपए (रूपए 13.32 लाख की शुद्ध आय तथा रूपए 12.36 लाख का व्यय) के समतुल्य पूर्वदत्त व्यय तथा पूर्वावधि व्यय को सामान्य लेखा शीर्षों से प्रभारित किया गया है। सामान्य लेखा शीर्ष से रूपए 5,00,000/- तक पूर्वावधि/पूर्वदत्त मदों को मान्य करने के लिए लेखांकन नीति में बदलाव के कारण पूर्वावधि तथा पूर्वदत्त मदों को क्रमशः रूपए 0.96 लाख घटा दिया तथा रूपए 5.87 लाख बढ़ा दिया गया है और इससे लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

32. साझा कर्मचारी/स्थापना लागत तथा अनुषंगी कंपनी के प्रशासन व्ययों को निम्नलिखित आधार पर नियंत्री कंपनी द्वारा विभाजित किया जाएगाः-

अनुषंगी कंपनियों हेतु पूर्णकालिक आधार पर नियंत्री कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों की कुल कंपनी लागत (सीटीसी) व्यय के रूप में मानी जाएगी जबकि अनुषंगी कंपनियों के लिए आंशिक रूप से कार्यरत नियंत्री कंपनी के कर्मचारियों द्वारा खर्च किए गए अनुमानित समय के अनुसार अशंकालिक आधार पर कर्मचारियों की कुल लागत के प्रतिशत को, नियंत्री कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गए लागत अनुपात ब्यौरे के आधार पर, व्यय के रूप में समझा जाएगा।

नियंत्री कंपनी द्वारा खर्च की गई लागत पर अनुषंगी कंपनी की ओर से, उधार-लेने की औसत लागत के अनुसार (आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत नियंत्री कंपनी के ऋण-लेने को छोड़कर) ब्याज उपलब्ध कराया गया है।

नियंत्री कंपनी के प्रशासनिक उपरिखर्च के आबंटन को अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के कुल मूल वेतन से कुल उपरिलागत तथा नियंत्री कंपनी के कुल मूल वेतन के अनुपात द्वारा गुणन करने के आधार पर लिया गया है।

33. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड ने अभी तक वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।

34. अनुषंगी कंपनियों से संबंधित व्यय भुगतानों, जिसे नियंत्री कंपनी द्वारा खर्च किया गया है, के मामले में अनुषंगी लाभ कर संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं तथा उनके लागू होने के रूप में, उसे अनुषंगी कंपनी की ओर से नियंत्री कंपनी द्वारा जमा किया जाएगा। हालांकि, अनुषंगी कंपनियों द्वारा व्यय का सीधा भुगतान करने को छुट-पुट लाभ कर में विचारा गया है तथा तदनुसार उस पर देयता का भुगतान हुआ है।

35. अनुषंगी कंपनी पूर्ण रूप से नियंत्री कंपनी के स्वामित्व में हैं। इन कंपनियों के मुख्य प्रबंधन कार्मिक अंशकालिक आधार पर नियुक्त नियंत्री कंपनी के कर्मचारी हैं।

ऐसे मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

1.	श्री रमा रमण	निदेशक
2.	श्री डी.एस. आहलुवालिया (04.04.2008 से)	निदेशक
3.	श्री संजीव गर्ग	निदेशक
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल (16.01.2009 से)	निदेशक
5.	श्री प्रकाश जे. ठक्कर	निदेशक

36. आंकड़ों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित (राउंड आफ) किया गया है।

37. अनुसूची 1 से 17 तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे का एक अभिन्न भाग है और उसे विधिवत् अभिप्रमाणित किया गया है।

बी.आर. रघुनंदन	**एच.डी. खुंटेटा**	**पी.उमा शंकर**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सुरेश चन्द्र)
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.05.2009

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रूपए में)

	31.03.2009 को समाप्त वर्ष		31.03.2008 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:				
कर पूर्व निवल लाभ	**192,233.49**		131,511.81	
निम्नलिखित हेतु समायोजन				
1. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**(1.03)**		0.81	
2. सामान्य आरक्षित से अंतरण	**-**		(163.79)	
3. मूल्यह्रास	**137.07**		138.55	
4. निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**105.34**		(23.88)	
5. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**237.05**		3,994.34	
6. अधिक प्रावधान-बट्टेखाते में डाला गया	**(0.37)**		(18.35)	
7. प्रारंभिक व्यय-बट्टेखाते में किया गया	**11.68**		-	
8. 'स्माल इज ब्यूटीफुल' की यूनिटों में निवेश की बिक्री/आय पर लाभ	**(11.02)**		(33.02)	
9. विनिमय दर अंतर में लाभ	**(1,142.17)**		959.53	
10. प्रतिभूति प्रीमियम को अंतरित राशि	**235.95**		-	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभः	**191,805.99**		136,366.00	
बढ़ोतरी/कमी:				
1. ऋण	**(1,206,730.45)**		(725,735.42)	
2. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**4,072.68**		(18,678.39)	
3. अन्य ऋण तथा अग्रिम	**(4,693.16)**		(923.10)	
4. वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	**64,100.43**		64,052.21	
प्रचालनों से नकदी बाह्य प्रवाह	**(951,444.51)**		(544,918.70)	
1. आयकर की अग्रिम अदायगी	**(48,109.26)**		(74,962.20)	
2. प्रदत्त धन कर	**(2.15)**		(0.15)	
3. प्रदत्त अनुषंगी लाभ कर	**(132.62)**		(106.55)	
प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(999,688.54)**		(619,987.60)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	**13.40**		1.61	
2. स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम अदायगी सहित)	**(664.46)**		(1,588.55)	
3. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पावर बॉण्ड-2 का विमोचन	**14,148.00**		4,716.00	
4. 'स्माल इज ब्यूटीफुल' फंड की यूनिटों में निवेश	**-**		(194.81)	
5. 'स्माल इज ब्यूटीफुल' फंड की यूनिटों में निवेश पर आय	**11.02**		379.86	
6. अनुषंगी कंपनी आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं.लि. के शेयरों में निवेश	**-**		-	
7. अनुषंगी कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कं.लि. के शेयरों में निवेश	**-**		5.00	
8. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयरों में निवेश			(136.68)	
9. प्रारंभिक व्यय	**-**		(1.41)	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**13,507.96**		3,181.02
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बॉण्ड निर्गम	**1,380,733.12**		607,392.38	
2. बॉण्डों का विमोचन	**(526,546.00)**		(359,593.94)	
3. बैंकों/वित्तीय सस्थानों से सावधि ऋण/एसटीएल जुटाना	**537,463.31**		437,250.00	
4. बैंकों/वित्तीय सस्थानों से सावधि ऋण/एसटीएल की चुकौती	**(498,638.31)**		(300,650.00)	
5. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना	**45,665.12**		16,676.53	
6. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (धन वापसी का निवल)	**544,621.74**		390,289.91	
7. अनुदानों का संवितरण	**(511,410.03)**		(335,941.46)	
8. सरकारी ऋण की चुकौती	**(1,718.00)**		(1,855.96)	
9. प्रदत्त अंतिम लाभांश	**(25,759.80)**		(17,700.00)	
10. अंतिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**(4,377.88)**		(3,008.12)	
11. शेयरों का निर्गम	**-**		79,786.53	
12. कमर्शियल पेपरों का निर्गम	**129,500.00**		-	
13. प्रदत्त अंतरिम लाभांश	**(17,173.20)**		-	
14. अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**(2,918.58)**		-	
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी-अंतर-प्रवाह		**1,049,441.49**		512,645.87
नकदी तथा नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी		**63,260.91**		(104,160.71)
1 अप्रैल 2008 को नकदी तथा नकदी समकक्ष		**125,566.18**		229,726.89
31 मार्च 2009 को नकदी तथा नकदी समकक्ष		**188,827.09**		125,566.18
नकदी तथा नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी		**63,260.91**		(104,160.71)

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो पुनः व्यवस्थित तथा पुनः समूहबद्ध किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

सुरेश चन्द्र
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी.खुंटेटा
निदेशक वित्त

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई, 2009

समेकित

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **समेकन के सिद्धांत**

ये समेकित वित्तीय विवरण रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी (कंपनी) और उसकी अनुषंगी कंपनियों से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया हैः

कंपनी तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर परिसंपत्तियों, देयताएं, आय तथा व्यय की समान मदों के बही मूल्य को आपस में जोड़कर मिश्रित किया गया है, जो कि लेखांकन मानक (एएस) 21- ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार अंतरा-समूह शेष तथा अंतरा-समूह लेन-देन को पूर्णतः समाप्त करके बनाए गए हैं।

जहां तक संभव है, समेकित वित्तीय विवरणों को समान लेन-देन और समानरूपी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एकरूपी लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है और उन्हें निगम के पृथक वित्तीय विवरणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. **अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

ये रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों और साथी अनुषंगी कंपनियों के एकल वित्तीय विवरणों में दी गई ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों'' में निर्धारित किए गए अनुसार है।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों पर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने मैसर्स रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष की अवधि के लिए उसके साथ संलग्न समेकित लाभ-हानि लेखे तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की भी लेखापरीक्षा की है। इन समेकित वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है तथा जिसे पृथक वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना घटकों के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि वित्तीय विवरण में गलत बयानी न हो। लेखापरीक्षा में परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरणों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) 21 'समेकित वित्तीय विवरण' की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

4. हमने कंपनी की अनुषंगियों, जिनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2009 को रुपए 2.88 करोड़ (पिछले वर्ष - रुपए 2.93 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष को रुपए 2.22 करोड़ (पिछले वर्ष - रुपए 2.69 करोड़) का कुल राजस्व दर्शाया गया है, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में सम्मिलित की गई राशि का संबंध है, यह पूर्णतः अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित है।

हमारी टिप्पणियों, तथा हमारी लेखापरीक्षा तथा अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने तथा घटकों की अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तथा हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक तथा निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

i) समेकित तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन समूह के कार्यकलाप।

ii) समेकित लाभ एवं हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन समूह का लाभ।

iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन समूह का नकदी प्रवाह।

कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सुरेश चन्द्र)
भागीदार
सदस्यता सं. 82023

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.05.2009

प्रबंधन

दल

श्री राजेश वर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री रमा रमण
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण/प्रशासन)

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मानव संसाधन)

श्री बी.पी. यादव
कार्यकारी निदेशक
(आं.ले.प./आई.टी.)

श्री कमल दयानी
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई)

श्री वी.के. अरोड़ा
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री बी.आर रघुनंदन
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

श्री पी.जे. ठक्कर
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री सुबोध गर्ग
महाप्रबंधक
(डीडीजी/मानव संसाधन)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री अशोक अवस्थी
महाप्रबंधक
(आईसी एंड डी/सीपी/बीडी/पी एंड सी/प्रशा.)

श्री संजीव गर्ग
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री सुनील कुमार
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री एस.एन. गायकवाड़
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री आर.के. मित्तल
महाप्रबंधक
(विधि)

श्री डी.एस. आहलुवालिया
आंचलिक प्रबंधक
(पश्चिमी अंचल)

श्री दिनेश कुमार
आंचलिक प्रबंधक
(मध्य अंचल)

श्री विनोद के. शर्मा
आंचलिक प्रबंधक
(उत्तरी अंचल)

श्री एस. घोष दस्तीदार
आंचलिक प्रबंधक
(पूर्वी अंचल)

श्री के.डी. चौधरी
आंचलिक प्रबंधक
(पूर्व मध्य अंचल)

श्री रमेश कोडे
आंचलिक प्रबंधक
(दक्षिणी अंचल)

आरईसी के कार्यालयों के पते

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
1	2	3	4	5
	कारपोरेट आफिस	कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	41020101	फैक्स : 011-24360644 ई-मेल : reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक आफिस			
क्र. सं.	आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंचलिक कार्यालय/परियोजना कार्यालय/राज्य एवं संघशासित क्षेत्र का अंचल/स्थान	पता	टेलीफोन नम्बर	फैक्स/ई-मेल
1.	**दक्षिणी अंचल** **हैदराबाद** आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी एवं तमिलनाडु	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7 हैदराबाद-500052	24014034 24014420 24016023 24018587	फैक्स : 040-24014235, ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2.	**पूर्वी अंचल** **कोलकाता** पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सिक्किम एवं झारखंड	आईसीएमएआरडी बिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14/2 सीआईटी स्कीम-VIII (एम) उल्टाडंगा, कोलकाता-700067	23566989 23567017 23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
3.	**पूर्व मध्य अंचल** **लखनऊ** बिहार, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश	19/8, इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ-226016	2716324 2716446 2717376	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recuppo@yahoo.co.in : zmlucknow@recl.nic.in
4.	**पश्चिमी अंचल** **मुंबई** महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, दमन व दीव, गुजरात दादर व नागर हवेली	51-बी, मित्तल टावर, पांचवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	22831004 22830985 22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
5.	**उत्तरी अंचल** **नई दिल्ली** हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जम्मू व कश्मीर, पंजाब हिमाचल प्रदेश	कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	41020101	फैक्स : 011-24360644 ई-मेल : reccorp@recl.nic.in
6.	**मध्य अंचल** **जबलपुर** मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा	जेडीए बिल्डिंग, मदन महल नागपुर रोड, जबलपुर-482001	2424696 2423994	फैक्स : 0761-2671124 ई-मेल : reccentralzone@yahoo.com : zmjabalpur@recl.nic.in
	परियोजना कार्यालय			
1.	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7 हैदराबाद-500052	24014034 24014420 24016023 24018587	फैक्स : 040-24014235, ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2.	असम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश	"श्रद्धा" एम.जी. रोड-जी.एस. रोड क्रासिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट) क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी-781005	2343712 2343713	फैक्स : 0361-2343712 ई-मेल : cpmpog@sify.com : poguwahati@recl.nic.in

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
1	2	3	4	5
3.	बिहार	'मौर्य लोक' कांप्लेक्स, ब्लॉक-सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना - 800001	2221131 2224596 2520023 (नि)	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : recpatna@yahoo.co.in : popatna@recl.nic.in
4.	गुजरात, दादर व नागर हवेली	प्लॉट नं. 585, टी.पी. स्कीम नं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे वी.एम.सी. वार्ड आफिस के सामने आत्म ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा-390023	2386760 2397487 2252473 (नि)	फैक्स : 0265-2397652 ई-मेल : recbaroda@gmail.com : recvadodara@gmail.com : povadodara@recl.nic.in
5.	हरियाणा, दिल्ली और चंड़ीगढ़	बे नं. 7-8, सेक्टर-2 पंचकुला-134112	2563864 2563863 2563822 2580477 2580476 4621148 (नि)आं.प्र. 2583072 (नि)मु.परि.प्र.	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in : zmpanchkula@recl.nic.in
6.	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल, कांप्लेक्स फेस-II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	2653411 2804077	फैक्स : 0177-2804077 ई-मेल : poshimla@recl.nic.in
7.	जम्मू व कश्मीर	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	2450868 2566701 (नि)	फैक्स : 0191-2450868 ई-मेल : pojammu@recl.nic.in
8.	कर्नाटक	नं. 1/5, अल्सर रोड, बैंगलूरु-560042	25598244 25598243	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobangalore@recl.nic.in : ruralblr_cpm@dataone.in
9.	केरल एवं लक्षद्वीप	'ओ'-5, चतुर्थ तल "सफालियम" कमर्शियल कांप्लेक्स, ट्रिडा भवन पलायम, तिरुवनंतपुरम-695034	2328662 2328579	फैक्स : 0471-2328579 ई-मेल : tvmrec@dataone.in : recpotvm@dataone.in : potrivandrum@recl.nic.in
10.	मध्य प्रदेश	जेडीए बिल्डिंग, मदन महल, नागपुर रोड, जबलपुर-482001	2424696 2423994	फैक्स : 0761-2671124 ई-मेल : reccentralzone@yahoo.com
11.	महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव	51-बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वांइट, मुंबई-400021	22831004 22830985 22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
12.	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	रिनाडी ओल्ड जोवाई रोड, लाचुमियर, शिलांग-793001	2210190 2225687 2536860 (नि)	फैक्स : 0364-2225687 ई-मेल : poshillong@recl.nic.in
13.	उड़ीसा	दीन दयाल भवन, पांचवां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	2536649 2393206	फैक्स : 0674-2536669 ई-मेल : repobbsr@yahoo.co.in : pobhubaneswar@recl.nic.in
14.	राजस्थान	जे-4-ए, झालना डूंगरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	2706986 2707840 2700161 2700162	फैक्स : 0141-2706986 ई-मेल : pojaipur@recl.nic.in

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
1	2	3	4	5
15.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 12 एवं 13, टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, लूज चर्च रोड, 180, (लूज कॉर्नर), माइलापोर चेन्नई-600004	24672376 24987960 24671196	फैक्स : 044-24670595 ई-मेल : pochennai@recl.nic.in
16.	उत्तर प्रदेश	19/8, इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ-226016	2716324 2717376 2716446	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recuppo@yahoo.co.in : zmlucknow@recl.nic.in
17.	पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	आईसीएमएआरडी बिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14/2, सीआईटी स्कीम-VIII (एम), उल्टाडंगा, कोलकाता-700067	23566989 23567017 23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
	प्रशिक्षण केन्द्र			
	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24017252(एच) 24018583 24015901	फैक्स : 040-24015896 ई-मेल : cire@recl.nic.in
	उप कार्यालय			
	बिहार	ए-101 एवं डी-104, ओमश्री इंक्लेव, लोयाला स्कूल के निकट, एअरपोर्ट रोड, हीनू, रांची-834002	0651-2253123 9431129476	फैक्स : 0651-2253123 ई-मेल : rec_ranchi@yahoo.com : soranchi@recl.nic.in

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110 003, दूरभाष : 24365161
फैक्स : 24360644,
ई–मेल : reccorp@recl.nic.in
वेबसाइट : www.recindia.nic.in

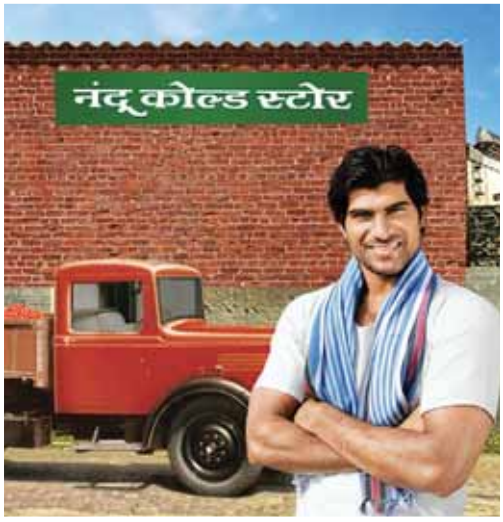

Printed at IPP